

सम-सामयिक

घटना

चक्र

अतिरिक्त

- Website : <http://www.dnyanachakra.com>
<https://www.facebook.com/dnyanachakra>
<https://www.facebook.com/dnyanachakra>
<https://www.facebook.com/dnyanachakra>

2019

उ.प्र., म.प्र., उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़,
बिहार, झारखण्ड तथा राजस्थान की

सिविल जज

ए.पी.ओ. एवं एच.जे.एस.

परीक्षाओं हेतु उपयोगी

प्रिलिम्स प्वाइंटर

अध्ययन सामग्री एवं प्रश्नकोश



भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(Indian Evidence Act)

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ संख्या
□ प्रारंभिक	3-5
निर्वचन खण्ड	5-15
□ तथ्यों की सुसंगति के विषय में	15-79
● एक ही संव्यवहार के भाग या रेस जेस्टे का सिद्धांत	17-21
● अवसर हेतुक तथा परिणाम	21-23
● हेतु, तैयारी और आचरण	24-27
● परिचायक तथा स्पष्टीकारक तथ्य	28-33
● षडयंत्र	33-35
● असंगत तथ्य या ऐसे तथ्य जो अधिसंभाव्यता दर्शाते हैं	35-36
● नुकसानी के दावे	36-37
● रूढ़ियां एवं अधिकार	38-40
● मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना	40-44
● आकस्मिक या साशय कार्य	44-45
● कारबार के अनुक्रम में की गयी चीजें	46-47
● स्वीकृतियां	47-55
● संस्वीकृतियां	55-65
● मृत्युकालिक कथन के संबंध में	66-70
● निर्णयों की सुसंगति के विषय में	70-73
● अन्य व्यक्तियों की रायों की सुसंगतता के विषय में	73-77
● शील का साक्ष्य	77-79
□ सबूत के विषय में	80-96
● तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है	80-81
● मौखिक साक्ष्य के विषय में	81-83
● दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में	83-89
● दस्तावेजों के बारे में उपधारणायें	89-92
● दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में	92-94
● संदिग्धार्थ दस्तावेज	94-96
□ साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव	97-128
● सबूत के भार के विषय में	97-104
● विबन्ध	104-106
● साक्षियों के विषय में	107-107
● विशेषाधिकृत संसूचनाएं	107-112
● साक्षियों की परीक्षा के विषय में	113-121
● साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण	121-122
● अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न	122-124
● उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय	124-128

आमुख

भारतीय साक्ष्य अधिनियम उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा का एक विषय है, जिससे पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह शृंखला इन्हीं परीक्षाओं के दृष्टिगत तैयार की गई है, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम को उनतीस शीर्षकों के अंतर्गत सारांशित करने का प्रयास किया गया है तथा इन उनतीस शीर्षकों पर अध्ययन सामग्री एवं प्रश्नकोश प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संस्करण में दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में हुए संशोधन को शामिल करके अद्यतन कर लिया गया है। आशा है कि पाठकगण इस शृंखला से लाभान्वित होंगे।

प्रारम्भिक (Preliminary)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

[The Evidence Act, 1872]

प्रारम्भिक

[1872 का अधिनियम संख्या 1 (15 मार्च 1972)]

पृष्ठभूमि—साक्ष्य दायित्व विधि के अन्तर्गत न्याय-निर्णयन का आधार-स्तम्भ होता है। दुर्भाग्यवश भारतीय पृष्ठभूमि, जहां हिन्दू विधि की प्राचीनतम शासन पद्धति, मुस्लिम-शासन और तत्पश्चात् ब्रिटिश शासन का अस्तित्व रहा, में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अस्तित्व में आने के पूर्व साक्ष्य-विधि अनिश्चित रहा। इस अधिनियम के पूर्व एक तरफ जहां हिन्दू विधि में प्रचलित साक्ष्य विधि के मानकों-दस्तावेजों (लेख्य), साक्षी, कब्जा (भुक्ति) और परीक्षा (दिव्य) को साक्ष्य विधि का अंग बनाया गया तो मुस्लिम विधि के अधीन उपर्युक्त मानकों को आवश्यकतानुसार अपनाया गया, किन्तु इस विषय पर ब्रिटिश-भारत के कार्यकाल में ही विशेष प्रयास हुए। वर्ष 1726 में पहली बार इंग्लैण्ड की रूढ़ि और कानूनी विधियां लागू होने पर वहां की साक्ष्य विधि भी भारतीय न्यायालयों में प्रवर्तित हुई किन्तु इस निमित्त प्रथम प्रयास 1835 के अधिनियम संख्या 10 के द्वारा ही किया गया और ब्रिटिश कानून सभी न्यायालयों पर लागू किए गए।

पहली बार साक्ष्य विधि का संहिताकरण अधिनियम संख्या 2, 1855 के माध्यम से किया गया किन्तु यह अपर्याप्त होने के कारण वर्ष 1868 में सर हेनरीमेन की अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने साक्ष्य विधि पर एक विधेयक तैयार किया, किन्तु यह भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। अन्ततः सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफेन ने एक नया विधेयक तैयार किया, जिसे वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के रूप में अधिनियमित किया गया।

15 मार्च, 1872 को गवर्नर जनरल से अनुमति प्राप्त कर 1 सितम्बर, 1872 से भारत में प्रवृत्त इस अधिनियम का उद्देश्य खण्ड निम्नवत् है—

“साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है”।

यह भी महत्वपूर्ण है कि लगभग 140 वर्ष पूर्व अधिनियमित

साक्ष्य अधिनियम अपने मूल रूप में वर्तमान में तो है, किन्तु स्वतन्त्रता के बाद भारतीय संसद ने इसमें अनेक बार संशोधन, परिवर्तन और अन्तः स्थापन भी किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अन्तिम संशोधन वर्ष 2018 में किया गया।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहा जायेगा और यह वर्ष 1872 के सितम्बर के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा। इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

साक्ष्य अधिनियम की संरचना (Structure of the Act)—

भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है— भाग 1, 2 और 3। इन भागों को 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग एवं उनके अध्याय इस प्रकार हैं—

भाग 1—तथ्यों की सुसंगति के सम्बन्ध में दो अध्याय हैं—

अध्याय 1 और अध्याय 2।

अध्याय 1—आरम्भिक परिभाषा देता है (धारा 1-4)।

अध्याय 2—तथ्यों की सुसंगति (Relevancy of Facts) का वर्णन करता है और यह दर्शित करता है कि किस प्रकार विभिन्न सुसंगत तथ्य एक दूसरे से सम्बन्धित हैं (धारा 5-55)।

भाग 2—अध्याय 3, 4, 5 और 6 प्रमाण पर चार अध्याय हैं।

अध्याय 3—कुछ ऐसे तथ्यों के विषयों में कहता है, जिनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे तथ्य हैं, जिन्हें सभी जानते हैं, अर्थात् जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, (धारा 56-58)।

अध्याय 4—मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence) पर आधारित है (धारायें 59-60)।

अध्याय 5—दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence) पर आधारित है। (धारा 61-90)।

अध्याय 6—दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (Exclusion) का नियम देता है (धारा 91-100)।

भाग 3—साक्ष्य को पेश करना और उसका प्रभाव पांच अध्यायों में वर्णित है—(अध्याय, 7, 8, 9, 10 एवं 11)।

अध्याय 7—सबूत के भार और उपधारणा के विषय में उपबंध करता है (धारायें 101-114)।

अध्याय 8—विबन्ध (Estoppel) के विषय में कहता है (धाराएं 115-117)।

अध्याय 9—उन गवाहों के विषय में वर्णन करता है, जो गवाही देने में सक्षम है (धाराएं 118-134)।

अध्याय 10—गवाहों के परीक्षण से सम्बन्धित है (धाराएं 135-166)।

अध्याय 11—साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में कहता है (धारा-167)।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है। (रामजस बनाम सुरेन्द्र नाथ, 1980 इलाहाबाद ए.आई.आर., 385, 388)। भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा अपवर्जित साक्ष्य, ग्रहण नहीं किये जायेंगे। यहां तक कि सत्य के अवधारणा हेतु ऐसा आवश्यक प्रतीत होते हुए भी, न्यायालय ऐसा नहीं कर सकेगा। (चन्द्र नन्दी बनाम आर. नन्दी, 1941 प्रिवी काउंसिल)।

न्यायालय के सामने आने वाले कोई सभी मामलों में किसी-न-किसी तथ्य की कहानी होती है जो तथ्य पर आधारित मामलों को जन्म देते हैं, वे प्रायः सामान्य जीवन के कार्यों में घटित होते रहते हैं। प्रत्येक मामले में दुर्घटना की प्रकृति और उसका कारण विवाद का विषय होगा। जिन तथ्यों के कारण दुर्घटना हुई है, वे सब तथ्य पुनः न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे, जिससे कि न्यायाधीश वास्तविक घटना को समझ सकें, और तभी वह पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में न्यायोचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है, यह केवल ऐसे नियम बनाती है जिससे न्याय-प्रणाली (Judicial System) का प्रवर्तन सुविधापूर्वक होता रहे। यह विधि साक्ष्य (Evidence) के बारे में नियम बनाकर न्यायालयों को न्याय करने में सुविधा प्रदान करती है। साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक है जो यह बताती है कि कोई तथ्य कैसे साबित किया जाता है।

“साक्ष्य विधि की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वह न्यायिक जांच में विवादास्पद तथ्य-प्रश्नों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों की प्रणाली या नियम तन्त्र है”। [Chief Justice M. Monir : Law of Evidence, Vol 1, 1986 ed. P. XXII]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी न्यायालय के समक्ष की सभी न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होता है। यह अधिनियम Army Act, Naval Discipline Act or The force Act के अधीन गठित सेना न्यायालयों को छोड़कर अन्य सेना-न्यायालयों पर भी लागू होता है। यह (i) शपथपत्र (Affidavits) पर (ii) किसी मध्यस्थ (Arbitrator) के सामने की कार्यवाहियों पर और (iii) आर्मी एक्ट के अधीन किसी सैनिक-न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों पर नहीं लागू होता है। (धारा 1) धारा 1 के पैरा II के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गये शपथ-पत्रों और किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू नहीं होता है।

प्रश्नकोश

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ?

A. 1 सितम्बर, 1872।

Q. साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है?

A. केवल प्रक्रियात्मक विधि।

Q. साक्ष्य की विधि कैसा प्रभाव रखती है?

A. भूतलक्षी प्रभाव।

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का उद्देश्य, उद्देशिका के अनुसार क्या है?

A. साक्ष्य के विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना।

Q. साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में (निम्न में) क्या सत्य है?

A. अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था।

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (निम्न) किस पर लागू होता है?

A. अवमानना की कार्यवाहियों पर।

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को किस अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है?

A. निरसन अधिनियम 1938 द्वारा।

Q. “साक्ष्य” शब्द का क्या अर्थ है?

A. “साक्ष्य” शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है, जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है।

Q. साक्ष्य विधि किस प्रकार प्रक्रियात्मक होती है?

A. यह दूसरी बातों के साथ-ही-साथ यह भी बताती है कि कोई भी तथ्य कैसे साबित किया जाता है।

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का विस्तार भारत में कहाँ है?

A. जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है। (धारा 1)।

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन कार्यवाहियों में लागू है?

A. न्यायालयों या किसी के समक्ष की गई न्यायिक कार्यवाहियों में।

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन कार्यवाहियों में लागू नहीं है?

A. यह अधिनियम किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश

- किये गये शपथ-पत्रों को एवं किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों में।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू न होने के क्या कारण हैं?
- A.** किसी मुकदमे को मध्यस्थ के समक्ष सुपुर्द करने का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि मुकदमा संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा शीघ्रतापूर्वक निपट जाय और उसमें नियमित वाद जैसी लम्बी चौड़ी कार्यवाही से न गुजरना पड़े।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अधिनियम संख्याक क्या है?
- A.** इस अधिनियम का अधिनियम संख्याक 1872 का '1' है।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है?
- A.** यह 'लेक्स फोरी' विधि है। लेक्स फोरी का अर्थ है उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही की जा रही है। जिस मुकदमे में उस देश की साक्ष्य विधि के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाया जाता है, वहां के न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही होगी।
- Q.** साक्ष्य अधिनियम के सन्दर्भ में न्यायिक कार्यवाही क्या है?
- A.** साक्ष्य अधिनियम में न्यायिक कार्यवाही शब्द कहीं परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 (झ) में न्यायिक कार्यवाही की दी गयी परिभाषा ही लागू होती है। इस धारा के अनुसार—
“न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है, जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है”।

निर्वचन खण्ड (Interpretation)

निर्वचन खण्ड-

अधिनियम की धारा 3 निर्वचन खण्ड से सम्बन्धित है, जिसमें विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है और जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशयित न हो, उनका वही भाव समझा जायेगा-

* “न्यायालय” [Court]-इस शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों (Arbitrators) के अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।

* “तथ्य” [Fact]-साक्ष्य तथ्यों से सम्बन्धित है। इसीलिए साक्ष्य को मामले के तथ्यों तक ही सीमित रखना पड़ता है। तथ्य के अन्तर्गत निम्न आती है-

(1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का सम्बन्ध, जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो।

(2) कोई मानसिक दशा (Mental Condition), जिसका भान (Conscious) किसी व्यक्ति को हो।

दृष्टान्त

(क) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है।

(ख) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है।

(ग) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है।

(घ) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी

विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का संज्ञान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है।

(ङ) यह कि मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है।

सामान्य रूप से “तथ्य” का तात्पर्य ऐसी वस्तु है, जो अस्तित्व में है (an existing thing)। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत “तथ्य” के अन्तर्गत, केवल वे ही वस्तुएँ नहीं आती जो मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों द्वारा देखी जा सकती हैं। तथ्य के अन्तर्गत मनुष्य की मानसिक दशायें, भावनाएँ और वैयक्तिक दृष्टिकोण भी सम्मिलित हैं।

* “सुसंगत तथ्य” (Relevant Fact)-

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य की परिभाषा नहीं दी गयी है। धारा 3 में केवल यह कहा गया है कि, “एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो”।

जब दो तथ्य एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं तो उन्हें सुसंगत कहते हैं। उनमें इस प्रकार का सम्बन्ध होता है कि एक को जानने के लिए दूसरे का तथ्य का जानना सहायक होता है। “सुसंगत तथ्य वे होते हैं, जो किसी विवाद में विवाद्यक तो नहीं होते, परन्तु विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व की सम्भावना को प्रभावित करते हैं और उनका प्रयोग विवाद्यक तथ्य के बारे में अनुमान के लिए किया जा सकता है”।

किसी विवाद्यक तथ्य को साबित करने के लिए उससे सम्बन्धित कुछ अन्य तथ्यों का साबित किया जाना जरूरी हो सकता है क्योंकि वे विवाद्यक तथ्य से सम्बन्धित हो सकते हैं (रामकुमार बनाम उ.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1992 सु. को. 1602)।

*** “विवाद्यक तथ्य” (Facts in issue)–**

“विवाद्यक तथ्य” की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इस प्रकार दी गयी है–

“विवाद्यक तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है–

ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से, या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान (deny) किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अश्वयमेव होती है”। [धारा 3 पैरा 4]।

उदाहरण के लिए यदि “अ” पर आरोप है कि उसने “ब” को लूटा, तो विवाद्यक तथ्य तो यह होगा कि

क्या अ ने ब को लूटा पर उस मुकदमे में ये तथ्य कि अ को लुटने के स्थान पर जाते हुए देखा गया, कि दूसरे दिन जब अ एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, स के यह कहते ही कि रात किसी ने ब को लूटा था और पुलिस लुटेरे की खोज में इधर ही आ रही है, अ आधी कप चाय छोड़कर चल दिया, सुसंगत तथ्य होगा, क्योंकि उसका सम्बन्ध विवाद्यक तथ्य से है और वह सम्बन्ध साक्ष्य अधिनियम के अनुसार है।

समस्याप्रद दृष्टान्त

‘क’ पर ‘ख’ की मृत्यु का आरोप है। उसके विचारण में निम्न तथ्यों में कौन सा एक तथ्य विवाद्यक तथ्य नहीं हो सकता है।

- ‘क’ ने ‘ख’ की मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया।
- ‘ख’ पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था।
- ‘ख’ ने ‘क’ को उकसाया।
- ‘क’ की आयु 12 वर्ष से कम थी तथा वह अपने कृत्य का परिणाम नहीं समझता था।

उत्तर–(b) होगा। तथ्य ‘क’ ने ‘ख’ की मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया, ‘ख’ ने ‘क’ को उकसाया तथा ‘क’ की आयु 12 वर्ष से कम थी तथा वह अपने कृत्य का परिणाम नहीं समझता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 पैरा (4) के अन्तर्गत विवाद्यक तथ्य में सम्मिलित है जबकि ‘ख’ पढ़ा लिखा नहीं था, विवाद्यक तथ्य नहीं है।

विवाद्यक तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों में अन्तर

विवाद्यक तथ्य

- विवाद्यक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर विवाद होता है और जिनके निर्णय पर ही वाद का निर्णय आधारित होता है।
- विवाद्यक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्त्व होता है।
- विवाद्यक तथ्य प्रधान तथ्य कहलाते हैं।

सुसंगत तथ्य

- सुसंगत तथ्य स्वयं विवादग्रस्त तथ्य नहीं होते हैं जिनके आधार पर विवाद्यक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।
- सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का एक आवश्यक तत्त्व नहीं होता है।
- सुसंगत तथ्य साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं।

*** “दस्तावेज” (Document)**

“दस्तावेज” से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेख (Record) के प्रयोजन से उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। (धारा 3 पैरा 5)।

दृष्टान्त

- ✶ लेख (Writing) दस्तावेज है।
- ✶ मुद्रित (Printed), शिलामुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है।
- ✶ मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है।
- ✶ धातु पट्ट (धातु की चादर) या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है।
- ✶ उपहासांकन (व्यंग्य चित्र) दस्तावेज है।

*** “साक्ष्य” (Evidence)–**

“साक्ष्य” का अर्थ ऐसी वस्तु से है, जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु जो उस प्रश्न को न्यायालय के सामने स्पष्ट कर सके, वह साक्ष्य है।

“साक्ष्य” शब्द से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं–

- वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्यों के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है, या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।
- न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है। ऐसी दस्तावेजों दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence) कहलाती है।

समस्याप्रद दृष्टान्त

एक अनपढ़ दूध वाला अपनी याद के लिए अपने ग्राहक की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा बनाये गये चिन्हों को किस साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है?

- (a) दस्तावेजी साक्ष्य (b) परिस्थितिजन्य साक्ष्य
(c) मौखिक साक्ष्य (d) अनुश्रुत साक्ष्य

उत्तर—(a) होगा क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा (5) के अन्तर्गत दूध वाले द्वारा बनाये गये चिन्हों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है।

* “साबित” (Proved)–

कोई तथ्य साबित हुआ, तब कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है।

अब्दुल करीम बनाम द क्राउन, (1879), 1878 की पी.आर. न. 32 के अनुसार—“इसके पूर्व कि किसी तथ्य को साबित कहा जाय, निश्चितता के जिस स्तर पर पहुँचा जाना आवश्यक होता है वह ऐसी निश्चितता है जिसका वर्णन इस धारा में किया गया है।

“नासाबित” (Disproved)–

कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अनधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।

*** साबित नहीं हुआ (Not Proved)–** कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

साक्ष्य विधि के तीन मौलिक नियम :

1. साक्ष्य विवादक तथ्य (Facts in issue) तक ही सीमित होना चाहिये।
2. अनुश्रुत साक्ष्य (Hearsay Evidence) को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये।
3. प्रत्येक मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिये।

ध्यातव्य बिन्दु

- र ‘साक्ष्य’ तथ्यों की बावत है।

- र साक्ष्य को “केस के तथ्य” तक ही सीमित रखना पड़ता है।
- र मनुष्य की मानसिक अवस्था भी तथ्य की विषयवस्तु है।
- र तथ्य सत्य की अभिव्यक्ति है।
- र सारे अधिकार या दायित्व तथ्य से ही उत्पन्न होते हैं।
- र साक्ष्य विधि में तथ्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि “समस्त अधिकार एवं दायित्व तथ्यों पर आश्रित होते हैं तथा उन्हीं से वे उद्भूत होते हैं”।
- र तथ्य से तात्पर्य किसी वर्तमान वस्तु या परिस्थिति से सम्बन्धित है।
- र कोई मानसिक दशा जिसका भान (Conscious) किसी व्यक्ति को हो, तथ्य के अधीन आती है।
- र मोटे तौर पर ‘तथ्य’ से अभिप्रेत ‘उस बात’ से है जो कि बोध एवं भाव का विषय हो।

सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री बेन्थम ने तथ्यों को दो वर्गों में बांटा है–

- (i) शारीरिक या भौतिक या वाह्य तथ्य।
- (ii) मानसिक या मनोवैज्ञानिक या आन्तरिक तथ्य।

(i) भौतिक, अथवा बाह्य तथ्य (Physical or External facts)

- र भौतिक तथ्यों को बाह्य तथ्यों की संज्ञा देते हैं। वे ऐसे तथ्य हैं जो कि बाह्य इन्द्रियों द्वारा बोध किये जाते हैं तथा उनको प्रकट करते हैं।
- र सभी चीजें जिन्हें हम देख, सुन और छू सकते हैं, ‘भौतिक तथ्य’ है।
- र भौतिक तथ्यों को साक्षियों के मौखिक साक्ष्य द्वारा या परिस्थिति साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है।

(ii) मानसिक या मनोवैज्ञानिक अथवा आन्तरिक तथ्य (Psychological or Internal facts)

ये तथ्य ऐसे हैं जिनका कि मनुष्य को भान होता है। जैसे कि व्यक्ति, आशय, ज्ञान, सद्भाव, घृणा, राय, संवेदना इत्यादि।

शपथपत्र (Affidavit)–

- र जब न्यायालय ने किसी तथ्य के सबूत को शपथपत्र द्वारा देने का आदेश दिया हो, तो वह साक्ष्य है।
- र साक्ष्य अधिनियम में धारा 3 के अन्तर्गत शपथपत्र के कथन साक्ष्य नहीं है। (सुधा देवी बनाम राम पी. नारायण, ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 381)।
- र अभिवचन साक्ष्य नहीं है (Pleading is no Evidence) : जब पक्षकारों में किसी तात्त्विक तथ्य के बारे में विवाद हो तो अभिवचन में मात्र कथन साक्ष्य न होगा। [रतन लाल बनाम नाना भाई ए.आई.आर. 1956 बम्बई 175]।

r टेप अभिलेख (Tape-record) : किसी बातचीत का टेप रिकार्ड दस्तावेजी साक्ष्य होता है। टेपरिकार्ड साक्ष्य हो सकते हैं, किन्तु केवल उस साक्षी के कथन की सम्पुष्टि में जो यह कहता है, कि उसके और दूसरे वक्ता के बीच वही बातचीत हुई थी जो टेप द्वारा अभिलिखित की गई है।

टेप द्वारा अभिलिखित किये हुए वार्तालाप का प्रयोग साक्षी की साख को धक्का पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। किन्तु टेप की हुई आवाज की पहचान आवश्यक है और यदि साक्षी आवाज को अपनी नहीं मानता तो कोर्ट साक्षी की आवाज को पुनः टेप किये जाने की अनुमति दे सकता है, जिससे कि दोनों की तुलना हो सके।

टेप द्वारा अभिलिखित बातचीत का उपयोग साक्षी के कथन की सम्पुष्टि करने हेतु एवं उसके साक्ष्य का खण्डन करने के लिए भी किया जा सकता है। साक्षी की सच्चाई की जांच करने एवं उसकी निष्पक्षता को चुनौती देने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। [राम रेड्डी बनाम बी.बी. गिरि 1971 एस.सी. 1962]

उपधारणायें (Presumptions)

r जब न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को मान ले तो इसे उपधारणा (Presumption) कहते हैं। किसी उपधारणा का प्रभाव यह होता है कि जिस पक्षकार के पक्ष में उपधारणा की जाती है वह उस तथ्य को साबित करने से बच जाता है। न्यायालय उसके पक्ष में किसी तथ्य के अस्तित्व को मान लेता है और उस पर कार्य कर सकता है जब तक उसके विपरीत कोई बात दर्शा न दी जाय। उदाहरणार्थ—परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1882 लिखतों के बारे में कई उपधारणाएँ बताता है।

उपधारणाओं को साधारण तथा कुछ श्रेणियों में रखा जाता है अर्थात् तथ्यों की उपधारणा तथा विधि की उपधारणा तथा ऐसी जो खण्डनीय है या जो निश्चायक है। इन सभी का ब्यौरा धारा 4 में दिया गया है जिसे (i) उपधारणा कर सकेगा (May presume), (ii) उपधारणा करेगा(Shall presume) तथा (iii) निश्चायक सबूत (Conclusive proof) के नाम से जाना जाता है।

(i) उपधारणा कर सकेगा (May Presume) : जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।

(ii) उपधारणा करेगा (Shall Presume) : जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

(iii) निश्चायक सबूत (Conclusive Proof) : जहाँ कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय इस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

न्याय में “उपधारणा” शब्द को एक विशेष एवं संकुचित अर्थ में लिया जाता है। सामान्यतः किसी भी तथ्य को साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाता है किन्तु कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो बिना साक्ष्य के भी उपधारणा के आधार पर साबित मान लिये जाते हैं।

“उपधारणा” कोई प्रमाण (Proof) नहीं है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसकी कोई परिभाषा भी नहीं दी गयी है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें साक्ष्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें प्रमाणकारी शक्ति नहीं होती है। ऐसे अभियोजन की कार्यवाही में अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य कि उसका आचरण बुरा है, असंगत होता है। जब तक कि उस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह सदाचारी है।

साक्ष्य के प्रकार (Types of Evidence)

1. प्राथमिक साक्ष्य—प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। जहाँ कि कोई दस्तावेज उसकी मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

2. द्वितीयक साक्ष्य—प्राथमिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं।

3. भौतिक साक्ष्य—भौतिक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो कि उन भौतिक पदार्थों द्वारा प्रस्तुत होता है, जो कि जांच के अधीन संव्यवहार से सम्बन्धित है।

4. मौखिक साक्ष्य—मौखिक साक्ष्य ऐसा साक्ष्य है जो साक्षी न्यायालय के समक्ष आकर मुँह द्वारा बोले हुए शब्दों से देता है।

5. दस्तावेजी साक्ष्य—जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से या दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है।

6. अनुश्रुत साक्ष्य—अनुश्रुत का साक्ष्य ऐसे साक्ष्य को कहते हैं जिसे कोई ऐसा व्यक्ति देता है जिसने घटना देखी तो नहीं परन्तु उसके बारे में उस व्यक्ति से सुना है जिसने घटना देखी थी। इसे सुनी सुनाई गवाही भी कहते हैं।

7. परिस्थितिजन्य साक्ष्य—वे सभी साक्ष्य जो विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित होते हैं उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है।

प्रश्नकोश

- Q.** साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निर्वचन खण्ड से सम्बन्धित है?
- A.** अधिनियम की धारा 3।
- Q.** अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित न्यायालय से क्या अभिप्रेत है?
- A.** न्यायालय शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत (निम्न में) क्या सही परिभाषित नहीं है?
- A.** न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है।
- Q.** कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो (क्या है)?
- A.** तथ्य है।
- Q.** एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है। यह क्या है?
- A.** तथ्य।
- Q.** (निम्न में कौन) एक साक्ष्य का प्रकार नहीं है?
- A.** प्रक्रियात्मक और सारवान साक्ष्य।
- Q.** तथ्य के नासाबित होने का क्या अर्थ है?
- A.** कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है।
- Q.** एक तथ्य जिसे न तो साबित किया गया है और न नासाबित, उसे क्या कहते हैं?
- A.** साबित नहीं हुआ।
- Q.** जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा यह विनिर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारा करेगा वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या मानेगा?
- A.** साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।
- Q.** (निम्न में) कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है?
- A.** असिद्ध। (परिभाषित शब्द साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ)।
- Q.** कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावनापूर्वक या कपटपूर्ण कार्य करता है—यह क्या है?
- A.** ये सब चीजें एक तथ्य हैं।
- Q.** एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत कब कहा जाता है?
- A.** धारा 3 के पैरा 3 के अनुसार—एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।
- Q.** 'विवाद्यक तथ्य' से क्या अभिप्रेत है?
- A.** ऐसा कोई भी तथ्य जिसके अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, किसी ऐसे अधिकार दायित्व या नियोग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रख्याख्यान किया गया है, अस्तित्व अनस्तित्व प्रकृति या विस्तारण की उपपत्ति अवश्यमेव होती है। (धारा 3 पैरा 4)
- Q.** विवाद्यक तथ्य से संलग्न स्पष्टीकरण किस प्रकार के तथ्य को विवाद्यतक तथ्य से स्पष्ट करता है?
- A.** "जब कभी कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद्यक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है, वह विवाद्यक तथ्य है"।
- Q.** 'ख' की हत्या का 'क' अभियुक्त है। 'क' के विचारण में कौन से तथ्य विवाद्यक हो सकते हैं?
- A.** निम्नलिखित तथ्य विवाद्यक हो सकते हैं—
(अ) यह कि 'क' ने 'ख' की मृत्यु कारित की,
(ब) यह कि 'क' का आशय 'ख' की मृत्यु कारित करने का था
(स) यह कि 'क' को 'ख' से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला था।
(द) यह कि 'ख' की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय 'क' चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था।
- Q.** दस्तावेज से क्या अभिप्रेत है?
- A.** 'दस्तावेज' से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है, जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है

जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने से आशयित हो या उपयोग किया जा सके। (धारा 3 पैरा 5)।

Q. किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया?

A. वर्ष 2000।

Q. (निम्न में) कौन एक दस्तावेज है?

A. उपहांसांकन (व्यंगचित्र)।

Q. धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या है?

A. एक दस्तावेज।

Q. एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले के द्वारा प्रतिदिन बनाये गए चिन्हों को किस रूप में साबित किया जा सकता है?

A. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में।

Q. 'साक्ष्य' शब्द से क्या अभिप्रेत है?

A. अधिनियम की धारा 3 के पैरा 6 के अनुसार—“साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत और इसके अन्तर्गत आते हैं—

(1) वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजों, ऐसी दस्तावेजों साक्ष्य कहलाते हैं।

Q. साक्ष्य शब्द का क्या तात्पर्य है?

A. अंग्रेजी भाषा का ईवीडेन्स (Evidence) शब्द लैटिन शब्द ईवीडेयर (evidere) से निकला है, जिसका तात्पर्य है अस्पष्टता पता लगाना, निश्चित करना अथवा साबित करना।

Q. बहस को छोड़कर वे सभी विधिक साधन जो किसी तथ्य को सिद्ध अथवा असिद्ध करते हैं, साक्ष्य कहलाते हैं। यह कथन किसका है।

A. टेलर का।

Q. 'फिप्सन' ने साक्ष्य की क्या परिभाषा दी है?

A. 'फिप्सन' के अनुसार साक्ष्य से अभिप्राय है तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज जिन्हें जांचाधीन तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए वैध रूप से लिया जाता है।

Q. साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना, न्यायालयों से प्राप्त व्यावहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में

सत्य में जांच करने की समस्या को लागू करने के सिवाय कुछ नहीं है। यह कथन किसका है?

A. स्टीफन का।

Q. ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, साक्ष्य कहलाता है। यह कथन किसका है?

A. बेंथम का।

Q. सामण्ड ने साक्ष्य को किस रूप में परिभाषित किया है?

A. कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है।

Q. 'साक्ष्य' शब्द अपने मूल अर्थ में क्या सूचित करता है?

A. यह सुव्यक्त होने की अवस्था या दृश्यावस्था (State of being evident) सूचित करता है अर्थात् सीधा, प्रकट, दृश्यमान (Dovbs) कुर्याता।

Q. विश्वनाथ बनाम् अब्दुल, ए.आई.आर. 1963 एस.सी. (1) 1944 नाग. 436 में 'साक्ष्य' के बारे में क्या निर्धारित किया गया है?

A. जब न्यायालय ने किसी तथ्य के सबूत को शपथपत्र द्वारा देने के आदेश दिया हो तो वह साक्ष्य है।

Q. किस वाद में निर्धारित किया गया है कि "साक्ष्य अधिनियम में धारा 3 के अन्तर्गत शपथपत्र के कथन साक्ष्य नहीं है?

A. सुधादेवी बनाम् राम पी. नारायण, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1381।

Q. किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त का कथन साक्ष्य में लिया जाता है तथा साक्ष्य के रूप में समझा जा सकता है?

A. हरी सिंह, भगत सिंह बनाम् स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश ए.आई.आर. 1953 ए.सी. 468।

Q. किस वाद में यह कहा गया कि साक्षी न्याय के आंख और कान है?

A. स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम् कृष्ण गोपाल ए.आई.आर. 1988 सु.को.।

Q. क्या न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान या विचार साक्ष्य है?

A. प्रीतम सिंह बनाम् स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1956 सु.को. के वाद के निर्णयानुसार यह साक्ष्य नहीं है।

Q. इकबाली साक्षी का अभिसाक्ष्य कैसा साक्ष्य होता है?

A. कश्मीरा सिंह बनाम् स्टेट ऑफ एम.पी. 1952 सु.को. के निर्णयानुसार इकबाली साक्षी का अभिसाक्ष्य साक्ष्य होता है। क्योंकि वह शपथ पर किया जाता है और उसकी प्रतिपरीक्षा भी होती है।

- Q.** साक्ष्य के विषय में रामा रेड्डी बनाम वी.पी. गिरि ए.आई.आर. 1971 सु.को. के वाद में क्या धारित किया गया?
- A.** इस वाद में धारित किया गया कि किसी बातचीत का टेपरिकॉर्डर दस्तावेजी साक्ष्य होता है।
- Q.** सबूत और साक्ष्य में क्या अन्तर है?
- A.** सबूत साक्ष्य का प्रभाव है जबकि साक्ष्य साधन है जिसके द्वारा तथ्य साबित किया जाता है।
- Q.** साक्ष्य मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं?
- A.** ये मुख्यतया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं—
- (1) प्रत्यक्ष साक्ष्य,
 - (2) परिस्थितिजन्य साक्ष्य,
 - (3) वास्तविक साक्ष्य,
 - (4) अनुश्रुत साक्ष्य,
 - (5) प्राथमिक साक्ष्य,
 - (6) द्वितीयक साक्ष्य,
 - (7) मौखिक साक्ष्य,
 - (8) दस्तावेजी साक्ष्य।
- Q.** अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष की गयी संस्वीकृति क्या कहलाती है?
- A.** प्रत्यक्ष साक्ष्य (Direct Evidence)।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार मौखिक साक्ष्य सभी हालातों में प्रत्यक्ष होना चाहिए?
- A.** धारा-60।
- Q.** परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए दोष का साक्ष्य इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिये कि उससे अपराधी के दोष के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत अनुमान न लगाया जा सके। किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A.** स्टेट बनाम वी.सी. शुक्ला आदि, ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1382।
- Q.** टेपरिकॉर्डिंग को किस साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?
- A.** दस्तावेजी साक्ष्य।
- Q.** टेपरिकॉर्डिंग के साक्ष्य की ग्राह्यता में संविधान के अनुच्छेद-20 (3) या 21 का उल्लंघन नहीं होता है, यह किस वाद में निर्धारित किया जाता है?
- A.** वाई. इस्लाइम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 147/2 के वाद में।
- Q.** खोजी कुत्ते (squad dog) का साक्ष्य चाहे ग्राह्य ही हो, सामान्यतः अधिक वजन का नहीं होता है। किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A.** अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट (1969) 72 बॉम्बे, एस.आर. 646 एस.सी.।
- Q.** किस धारा में उन अवस्थाओं का उल्लेख है, जिसके अन्तर्गत द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है?
- A.** धारा 65 में।
- Q.** मूल विक्रय विलेख किस प्रकार का साक्ष्य है?
- A.** प्राथमिक साक्ष्य।
- Q.** वे समस्त दस्तावेज, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किये जाते हैं, क्या कहलाते हैं?
- A.** दस्तावेजी साक्ष्य।
- Q.** न्यायालय को अपना निर्णय मात्र कल्पना और अटकल पर नहीं आधारित करना चाहिए। उसे सभी तथ्यों को विचार में लेना चाहिए। किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A.** स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम क्षेत्र मोहन सिंह, एस.आई.आर. 1955 उड़ीसा 126।
- Q.** किसी मामले में सम्बन्धित घटना आंखों से घटित होते हुए देखने वाले व्यक्ति का साक्ष्य कौन सा साक्ष्य कहलाता है।
- A.** प्रत्यक्ष साक्ष्य।
- Q.** प्रत्यक्ष साक्ष्य कैसा साक्ष्य कहलाता है?
- A.** किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य होता है जिसे साक्षी ने स्वयं अपनी इन्द्रियों से बोध किया है।
- Q.** 'क' पर 'ख' के हत्या का आरोप है, ग को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है जो कहता है कि उसने 'क' को 'ख' के गृह में चोरी करते हुए देखा है यह कैसा साक्ष्य है?
- A.** प्रत्यक्ष साक्ष्य है?
- Q.** किस वाद में धारण किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी इतनी पूर्ण होनी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता से संगति, किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कोई भी उचित आधार पर न रह जाय तथा इस प्रकार हो कि जिससे यही निष्कर्ष निकले कि वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है?
- A.** हनुमत गोविन्द नरगुन्दकर बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 1952 सु.को. के वाद में।
- Q.** A पर B की हत्या का आरोप है इस मामले में कौन से साक्ष्य परिस्थितिजन्य होंगे?
- A.** निम्नलिखित साक्ष्य परिस्थितिजन्य होंगे—
- (1) 'A' एवं 'B' के बीच में किसी झगड़े को लेकर दुश्मनी थी

- (2) 'A' मिटा देने की धमकी दिया था।
 (3) चाकू खरीदकर साथ लेकर चलता था।
 (4) घटना के दिन B का टोह लगाया।
 (5) घटना स्थल की ओर जाते हुए देखा गया।
 (6) घटना के तुरन्त पश्चात् रक्त रंजित चाकू एवं खून लगे कपड़े के साथ घबराए हुए देखा गया था।
 (7) ऐसे रक्त मृतक के रक्त से मिलते थे, चाकू और कपड़े A के ही थे।
- Q.** किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में इतनी निश्चितता होनी चाहिए कि उससे अपराधी के दोष के अतिरिक्त कोई अन्य युक्तियुक्त अनुमान न लगाया जा सके?
- A.** स्टेट बनाम बी.सी. शुक्ला 1980 सु.को. के प्रकरण में।
- Q.** परिस्थितिजन्य साक्ष्य के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए किसने यह कहा था कि "साक्षी झूठ बोल सकता है, किन्तु परिस्थितियाँ नहीं?"
- A.** प्रसिद्ध विधिशास्त्री 'पेबी'।
- Q.** किसी तथ्य को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने के लिए किन शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक नहीं है?
- A.** इस हेतु निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—
 (1) परिस्थितियों किसी सन्देह के बिना स्थापित होनी चाहिए।
 (2) समस्त परिस्थितियाँ मिलकर अभियुक्त की दोषिता की पूर्ण कल्पना से संगत हो।
 (3) वे प्रकृति और प्रवृत्ति से निश्चायक हो
 (4) उनमें नैतिकता, निश्चितता होनी चाहिए।
- Q.** वह साक्ष्य है जो कि अभौतिक पदार्थों द्वारा प्रस्तुत होता है जो कि जांच के अधीन संव्यवहार से सम्बन्धित है, जैसे चाकू या छूरा जो कि हत्या में प्रयोग किया गया। वास्तविक साक्ष्य को वस्तु साक्ष्य भी कहते हैं जो भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रस्तुत होता है और न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है। यह कैसा साक्ष्य कहलाता है?
- A.** भौतिक या वास्तविक साक्ष्य।
- Q.** दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो कुछ कहता है, अर्थात् साक्षी उसे कहता है जिसे उसने उस तथ्य के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। इसे कौन-सा साक्ष्य कहते हैं?
- A.** अनुश्रुत साक्ष्य।
- Q.** अनुश्रुत साक्ष्य किस तरह का साक्ष्य है?
- A.** अग्राह्य।
- Q.** अनुश्रुत साक्ष्य के अग्राह्य होने के क्या कारण हैं?
- A.** इसकी अग्राह्यता के दो प्रमुख कारण हैं—
 (1) शपथ का अभाव।
 (2) प्रतिपरीक्षा का न होना।
- Q.** वह मूल दस्तावेज जो अदालत के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है सर्वोत्तम साक्ष्य है, इसे क्या कहते हैं?
- A.** प्राथमिक साक्ष्य।
- Q.** 'क' एक विक्रय पत्र 'ख' के पक्ष में 10,000 के लिए निष्पादित करता है। 'ख' उसी के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर करता है। 'क' यह इंकार करता है कि उसने कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया है। 'ख' वह विक्रय पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करता है। यह कौन सा साक्ष्य है?
- A.** यह विक्रय पत्र जो 'ख' द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, यह प्राथमिक साक्ष्य है।
- Q.** वह साक्ष्य जो उससे अच्छे साक्ष्य के अभाव में दिया जाता है जिसके पहले दिये जाने की विधि अपेक्षा करती है। जो मूल दस्तावेज की नकल या प्रतिलिपि है। प्राथमिक साक्ष्य से निम्नतर कोटि का होता है, क्या कहलाता है?
- A.** द्वितीयक साक्ष्य।
- Q.** मौखिक साक्ष्य क्या होता है?
- A.** जिसे गवाह ने स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मुख से कहकर व्यक्त किया है।
- Q.** दस्तावेजी साक्ष्य क्या है?
- A.** जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। वे समस्त दस्तावेज जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किये जाते हैं दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं।
- Q.** कोई तथ्य 'साबित हुआ' कब कहा जाता है?
- A.** कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषय पर विचार करने के पश्चात्—
 (1) या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व है या
 (2) उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। (धारा 3 पैरा 7)।
- Q.** वे कौन से तथ्य हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती?
- A.** वे तथ्य हैं—
 (1) स्वीकृत तथ्य,
 (2) उपधारित तथ्य,
 (3) तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी चाहिए।

- Q.** कोई तथ्य नासाबित हुआ कब कहा जाता है?
- A.** कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात्—
- (1) या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या
- (2) उसके अनस्तित्व को इतना अभिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। (धारा 3 पैरा 8)।
- Q.** 'साबित नहीं हुआ' क्या है?
- A.** साबित और नासाबित के बीच की मानसिक स्थिति है।
- Q.** कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कब कहा जाता है?
- A.** कोई तथ्य साबित न हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित। (धारा 3)।
- Q.** न्यायालय किन तथ्यों की "उपधारणा कर सकेगा"?
- A.** साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के पैरा 1 के अनुसार जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।
- Q.** अधिनियम के अन्तर्गत "उपधारणा करेगा" से क्या तात्पर्य है?
- A.** जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है। (धारा 4)।
- Q.** जब किसी तथ्य के निश्चायक सबूत होने का क्या तात्पर्य है?
- A.** जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। (धारा 4)।
- Q.** 'उपाधारणा' का क्या अर्थ है?
- A.** उपधारणा एक तथ्य का अनुमान है जो किन्हीं अन्य जाने हुए या साबित किये हुए तथ्यों से निकाला जाता है। इस तरह यह एक अनुमान है जो विपरीत साक्ष्य न मिलने पर की जाती है।
- Q.** किसी तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगा लेते हैं तो उसे उपधारणा करना कहते हैं। जैसे किसी स्थान पर धुआं निकलने से वहां आग लगने का अनुमान लगा लेते हैं। यह कथन किसका है?
- A.** रसेल का।
- Q.** साक्ष्य अधिनियम में उपधारणाओं के कितने प्रकार हैं?
- A.** तीन प्रकार की।
- Q.** 'तथ्य की उपधारणाएँ' क्या हैं?
- A.** 'तथ्य की उपधारणाएँ' ऐसे अनुमान हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के क्रम के निरीक्षण और मानवीय मस्तिष्क की रचना से निकाले जाते हैं।
- Q.** तथ्य की उपधारणाओं को लैटिन में क्या कहा जाता है?
- A.** तथ्य की उपधारणाओं को लैटिन में "प्रिजम्टियो होमिनिस" कहा जाता है।
- Q.** तथ्य की उपधारणाओं की प्रकृति क्या है?
- A.** तथ्य की उपधारणाएँ सर्वदा विखण्डनीय होती हैं।
- Q.** तथ्य की उपधारणाओं का निष्कर्ष किसी विधि पर आधारित नहीं बल्कि स्वतः तार्किक शक्ति के प्रवर्तन से निकाले जाते हैं। विधि केवल उनके लिए इतना ही करती है कि वह उनको निष्कर्ष में लाने के लिए औचित्य प्रदान कर दे यदि न्यायालय उसको ठीक समझता है। यह कथन किसका है?
- A.** कनिंघम का।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तथ्य की उपधारणा का वर्णन सामान्यतः किन धाराओं में किया गया है?
- A.** अधिनियम की धारा 86, 87, 88, 90 तथा 114 में साक्ष्य की उपधारणाओं का वर्णन है।
- Q.** विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा किस धारा में उल्लिखित है?
- A.** धारा-86।
- Q.** पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा किस धारा में उल्लिखित है?
- A.** धारा-87।
- Q.** तार सन्देशों के बारे में उपधारणा किस धारा में है?
- A.** धारा-88।
- Q.** तीस वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा किस धारा में है?
- A.** धारा-90।
- Q.** न्यायालय द्वारा किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उपधारणा किस धारा में उल्लिखित है?
- A.** धारा-144।
- Q.** विधि की उपधारणाओं से क्या तात्पर्य है?
- A.** विधि की उपधारणाएँ कृत्रिम अनुमान हैं। ये कानूनी और इच्छाधीन अनुमान होते हैं जिन्हें कानून किन्हीं खास तथ्यों से निकालने के लिए न्यायाधीश को निर्दिष्ट करता है।

- Q.** विधि की उपधारणाओं की क्या प्रकृति होती है?
- A.** विधि की उपधारणाएं कानून के आज्ञात्मक नियम के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इनके मामले में न्यायालय का विवेक नहीं होता है और न्यायालय तथ्य को साबित के तौर पर उपधारणा के लिए बाध्य है जब तक कि व्यथित पक्षकार द्वारा उसे नासाबित करने के लिए साक्ष्य नहीं दे दिया जाता है।
- Q.** खण्डनीय उपधारणाओं से क्या तात्पर्य है?
- A.** खण्डनीय उपधारणा वे निष्कर्ष हैं जिन्हें न्यायालय निकालने के लिए बाध्य है जब तक कि विपरीत साक्ष्य द्वारा उसे खण्डित नहीं किया जाता।
- Q.** खण्डनीय उपधारणाओं का क्या प्रभाव होता है?
- A.** इन उपधारणाओं का यह प्रभाव होता है कि जिस पक्षकार के पक्ष में किसी तथ्य को साबित करने के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वह प्रमाण के भार से मुक्त हो जाता है और सबूत का भार उसके विरोधी पक्षकार पर चला जाता है।
- Q.** कोई व्यक्ति उस सूरत में मर गया उपधारित किया जाता है जब यह साबित कर दिया जाता है कि 7 वर्षों तक उसके बारे में नहीं सुना गया है, यह किस तरह की उपधारणा है?
- A.** यह खण्डनीय उपधारणा है।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में खण्डनीय उपधारणाएँ समाहित हैं?
- A.** ये उपधारणाएँ अधिनियम की धारा 79, 85 तथा धारा 105 में समाहित हैं।
- Q.** क्या उपधारणाएँ स्वयं में साक्ष्य है?
- A.** उपधारणाएँ स्वयं में साक्ष्य नहीं हैं?
- Q.** अखण्डनीय उपधारणाओं से क्या तात्पर्य है?
- A.** ये ऐसे अनुमान हैं जो कि निश्चायक, निर्भीक और निर्विवाद सबूत के समान हैं। ये कानून के वे निर्विवाद नियम होते हैं जो किसी भी विपरीत साक्ष्य द्वारा अन्यथा साबित नहीं किए जा सकते। धारा 4 के अन्तर्गत इसे ही निश्चायक सबूत कहा गया है।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में अखण्डनीय उपधारणा का वर्णन है?
- A.** अधिनियम की धारा 41, 112, 113, 115, 116 और 117 में।
- Q.** विधिक उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा में मुख्य अन्तर क्या है?
- A.** इनमें मुख्य अन्तर निम्न है—
- (1) विधिक उपधारणाएँ विधि से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं जब कि तथ्य की तर्क से
 - (2) विधिक उपधारणा निश्चित एवं समान वर्ग को लागू होती है जब कि तथ्य की अनिश्चित एवं परिवर्ती वर्ग को।

- (3) विधिक उपधारणाएँ न्यायालय के निष्कर्ष हैं और विपरीत साक्ष्य के अभाव में उस पक्षकार के हक में निश्चयाक होती है जिनके हक में लागू होती हैं। जबकि तथ्य की उपधारणाएँ जूरी द्वारा निष्कर्षित होती हैं जो चाहे जितनी मजबूत हो, उनकी उपेक्षा कर सकती है।

Q. निश्चायक सबूत से क्या तात्पर्य है?

A. विधि की अखण्डनीय उपधारणाएँ निश्चायक सबूत कहलाती हैं।

Q. निश्चायक सबूत के नियम को अधिनियम में किस उद्देश्य से स्वीकार किया गया है?

A. लोक नीति और समाज के उत्थान के उद्देश्य से।

Q. **कथन (A):** तथ्य से अभिप्रेत है, कोई मानसिक दशा जिसका भाग, किसी व्यक्ति को हो।

कारण (R): किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, तथ्य का एक उदाहरण है।

कूट :

(a) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(b) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(c) A सही है, परन्तु R गलत है।

(d) A गलत है, परन्तु R सही है।

उत्तर—(a)

साक्ष्य अधिनियम 1872, की धारा 3 के पैरा 2d के अनुसार—तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आती है—ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा जिसका भाग किसी व्यक्ति को हो। इसी पैरा के दृष्टान्त के अनुसार—यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है। इस प्रकार A तथा R दोनों सही हैं और R, A का स्पष्टीकरण करता है।

Q. इसी प्रकार प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन-सा तथ्य है?

(a) हरी ने कहा

(b) मोहन ने देखा

(c) राम ने झूठ बोला

(d) ये सभी।

उत्तर—(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत हरी ने कहा, मोहन ने देखा तथा राम ने झूठ बोला, ये सभी तथ्य (Fact) हैं। धारा (3) के पैरा (2) में तथ्य के दृष्टान्त संख्या 'ख' एवं 'ग' से यह स्पष्ट है कि किसी मनुष्य द्वारा कुछ सुनना, देखना या कोई शब्द कहना एक तथ्य है।

कथन (A): कोई तथ्य नासाबित हुआ तब कहा जाता है जब अपने समक्ष के विषयों पर विचारोपरान्त न्यायालय यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है।

कारण (R) : कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो, न नासाबित

कूट :

- (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A सही है, परन्तु R गलत है।
- (d) A गलत है, परन्तु R सही है।

उत्तर—(b)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 8 के अनुसार—कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अनधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, और पैरा 9 के अनुसार—कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित। इस प्रकार A तथा R दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।

तथ्यों की सुसंगति के विषय में (Of the Relevancy of Facts)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 साक्ष्य विधि की आधार शिला कही जा सकती है। इसमें विवाद्यक तथ्य और सुसंगत तथ्य का उल्लेख किया गया है। धारा-5 कहती है कि किसी वाद या कार्यवाही में दो प्रकार के तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है—

- (1) वे तथ्य जो स्वयं विवाद में हैं अर्थात् विवाद्यक तथ्य हैं और
- (2) ऐसे 'संसर्गिक तथ्य' (Collateral facts) जिन्हें पश्चात्तर्फी उपबन्धों में सुसंगत तथ्य घोषित किया गया है और उनका उल्लेख धारा 6-55 में किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है।

दृष्टान्त

'ख' की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर

उसकी हत्या कारित करने के लिए 'क' का विचारण किया जाता है।

'क' के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्यक हैं—

- (i) 'क' का 'ख' को लाठी से मारना,
- (ii) 'क' का ऐसी भार द्वारा 'ख' की मृत्यु कारित करना,
- (iii) 'ख' की मृत्यु कारित करने का 'क' का आशय।

'विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया जा चुका है। विवाद्यक तथ्य प्रकृत्या प्रधान, निश्चित और स्पष्ट होते हैं क्योंकि इनका प्राख्यान या प्रत्याख्यान स्वयं वाद-पत्र में कर दिया जाता है और न्यायालय उसका निर्धारण करके निर्णय प्रदान करते हैं किन्तु सुसंगत तथ्य परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं जिनको अनुमानित करके न्यायालय साक्ष्य अधिनियम में अधिकथित नियमों के अनुसार अवधारित करते हैं।

प्रश्नकोश

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगतता और ग्राह्यता की प्रकृति क्या है?

A. न तो समानार्थी न ही समविस्तीर्ण।

Q. साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 किस तथ्य का उद्घोष करती है?

A. अधिनियम की धारा 5 यह घोषित करती है कि किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें धारा 6 से 55 तक में सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा अन्यो का नहीं।

- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा को साक्ष्य विधि की आधारशिला कहा जा सकता है?
- A.** अधिनियम की धारा 5 को।
- Q.** धारा 5 का मुख्य उद्देश्य क्या व्यवस्था करना है?
- A.** साक्ष्य के क्षेत्र को सीमित करना ताकि न्याय में अनावश्यक विलम्ब एवं खर्च से बचा जा सके।
- Q.** 'ख' की मृत्यु कारित करने के आशय से लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए 'क' का विचारण किया जाता है। 'क' के विचारण में कौन से तथ्य विवाद्यक होंगे?
- A.** क के विचारण में निम्नवत् तथ्य विवाद्यक होंगे—
- (1) 'क' का 'ख' को लाठी से मारना
 - (2) 'क' की ऐसी मार द्वारा 'ख' की मृत्यु कारित करना
 - (3) 'ख' की मृत्यु कारित करने का 'क' का आशय आदि।
- Q.** यह प्रश्न कि 'विवाद्यक तथ्य' कौन से हैं, प्रत्येक न्यायालय द्वारा निर्णीय होगा। किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A.** फत्ते बनाम् वंशीलाल, ए.आई.आर. 1974 म.प्र. 16।
- Q.** स्टीफेन महोदय ने सुसंगत तथ्य की क्या परिभाषा प्रस्तुत की है?
- A.** स्टीफेन महोदय के अनुसार—“सुसंगत तथ्य से तात्पर्य उस तथ्य से है, जो कि घटनाओं के क्रमानुसार या तो अकेले ही से या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर किसी दूसरे तथ्य के वर्तमान, और भविष्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करता है या सम्भाव्य बनाता है”।
- Q.** बेस्ट महोदय के अनुसार सुसंगत तथ्य क्या है?
- A.** बेस्ट के अनुसार—“विधि की दृष्टि से सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो स्वयं विवाद्यक नहीं होते बल्कि विवाद्यक तथ्यों से इस प्रकार सम्बन्धित होते हैं कि उससे विवाद्यक सामान्य या असामान्य हो जाते हैं”।
- Q.** 'ख' की हत्या के लिए 'क' पर मुकदमा चल रहा है। 'क' ने डण्डे से एक तेज घाव इस आशय से मारा है कि वह मर जाया। 'क' के विचारण में कौन से तथ्य सुसंगत होंगे?
- A.** 'क' के विचारण में निम्नलिखित तथ्य सुसंगत होंगे—
- (1) 'क' एक डण्डा लिए हुए 'ख' के खेत की ओर जाते हुए देखा गया,
 - (2) 'क' का 'ख' के खेत में घूमते हुए यह कहना कि वह अपने बाप की हत्या का बदला लेगा और 'ख' को मार डालेगा।
 - (3) पुलिस के गांव में पहुँचने पर 'क' गांव से फरार हो गया।
- Q.** सामान्य अर्थ में सुसंगत तथ्य क्या है?
- A.** जो विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को सिद्ध करने में मदद करते हैं।
- Q.** विवाद्यक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य को क्रमशः क्या कहा जाता है?
- A.** 'मुख्य तथ्य' (Factum Probandum) तथा 'साक्ष्यात्मक तथ्य' (Factum Probans)।
- Q.** सामान्यतः कौन सा सबूत ग्राह्य है?
- A.** जो किसी विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करने में सहायक होता है।
- Q.** 'ग्राह्यता' का क्या अर्थ है?
- A.** साक्ष्य में स्वीकार करने की योग्यता से।
- Q.** 'सभी ग्राह्य साक्ष्य सुसंगत है किन्तु सभी सुसंगत साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।' न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रश्न किस धारा में निश्चित करेगा?
- A.** धारा 136।
- Q.** एक बार में किसी तथ्य को बिना आपत्ति स्वीकार कर लिए जाने पर बाद में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। किस वाद में निर्धारित कहा गया है?
- A.** ए.आई.आर. 1946 बम्बई 193, ए.आई.आर. 1945 मद्रास 61 तथा ए.आई.आर. 1939 इलाहाबाद 61।
- Q.** सुसंगतता एवं ग्राह्यता में क्या अन्तर है?
- A.** प्रमुख अन्तर निम्नवत् हैं—
- (1) सुसंगतता तथ्य का विषय है जबकि ग्राह्यता विधि का
 - (2) सुसंगत तथ्य अनिवार्य रूप से ग्राह्य हो, यह आवश्यक नहीं है जबकि ग्राह्य तथ्य को अनिवार्य रूप से सुसंगत होना आवश्यक है।
 - (3) ग्राह्यता सुसंगतता की पूर्व शर्त नहीं है जबकि सुसंगतता ग्राह्यता की पूर्व शर्त है।
 - (4) सुसंगतता एक जाति (Genus) है जबकि ग्राह्यता एक उपजाति (Specieis) है।
 - (5) सुसंगतता में तर्क की शक्ति है जबकि ग्रह्यता में विधि की।
- Q.** तथ्यों की सुसंगति के बारे में सिद्धान्त की व्याख्या किस प्रसिद्ध मामले में की गयी है?
- A.** तथ्यों की सुसंगति के बारे में सिद्धान्त की व्याख्या आर. बनाम रिचर्डसन के मामले में की गयी है।
- Q.** आर. बनाम रिचर्डसन के वाद को स्टीफेन महोदय ने अपनी किस पुस्तक में हू-ब-हू दिया है?
- A.** स्टीफेन ने अपनी पुस्तक “इन्ट्रोडक्शन टू दि इण्डियन एविडेन्स एक्ट” में दिया है।
- Q.** किसी तथ्य की सुसंगतता के बारे में आपत्ति कब की जानी चाहिए?
- A.** किसी तथ्य की सुसंगतता के बारे में आपत्ति उसे प्रस्तुत किये जाने के समय ही की जानी चाहिए जहां तक हो सके उत्तर देने के पूर्व ही।
- Q.** किन विधेयताओं के अनुसार-सुसंगति और ग्राह्यता सहव्यापक और अन्तर परिवर्तनीय नहीं है?
- A.** बुडरोकस एवं अमीर अली के अनुसार।

एक ही संव्यवहार के भाग या रेसजेस्टे का सिद्धान्त (धारा 6)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में उपबन्ध करती है जिसे रेस जेस्टे (Res Gestae) का सिद्धान्त भी कहते हैं।

इस धारा के अनुसार ऐसे तथ्य जो विवाद्यतक तथ्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हों कि वे एक ही संव्यवहार के हिस्से बन जाते हैं तो वे सुसंगत तथ्य माने जायेंगे, चाहे वे एक ही समय और स्थान में घटित हुए हों या भिन्न समय में और भिन्न स्थानों में घटित हुए हों। धारा 6 का सिद्धान्त यह है कि जब कोई संव्यवहार, जैसे कि संविदा या अपराध, विवाद्यक तथ्य हो तो प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो उसी संव्यवहार का एक भाग हो। रेस जेस्टे (Res Gestae) का सिद्धान्त भारत में केवल आंशिक रूप में मान्य है क्योंकि यह मूलरूप में ब्रिटिश सिद्धान्त है।

दृष्टान्त

(क) 'ख' को पीटकर उसकी हत्या करने का 'क' अभियुक्त है। 'क' या 'ख' या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्प काल पूर्व या पश्चात् कहा या किया गया था कि उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है।

(ख) 'क' एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें सम्पत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत-सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे 'क' उन सभी में उपस्थित (शरीक) न रहा हो।

वस्तुतः धारा 6 "सम्बन्धित तथ्य और कार्य" के साधारण सिद्धान्त को प्रतिपादित करती है। यद्यपि धारा 6 पद "सम्बन्धित तथ्य और कार्य" का प्रयोग नहीं करती है, तथापि जो कुछ भी उस पद से साधारणतया संकेतित है, वह इस धारा में निविष्ट है।

किसी भी तथ्य का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। एक तथ्य अन्य तथ्यों का भाग होता है, अतएव धारा 6 का कथन है कि वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के

भाग हैं, सुसंगत तथ्य हैं। धारा 6 की प्रयोज्यता के लिए किसी तथ्य का दूसरे तथ्यों के साथ एक ही संव्यवहार का भाग होना आवश्यक है।

वस्तुतः धारा 6 पर "रटन बनाम क्वीन" (1971) 3 वीकली एल.आर. 930 का वाद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समान तथ्य जो एक ही संव्यवहार का भाग नहीं हैं धारा 6 में सुसंगत नहीं हैं। संव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से इतने जुड़े रहते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है जैसे कि कोई अपराध संविदा, अपकृत्य अथवा जांच-पड़ताल का कोई भी ऐसा विषय जो विवाद्यक हो। [स्टीफन: डाइ जेस्ट ऑफ ईविडेंस, अनुच्छेद 3]।

प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि साक्षी जो घटना स्थल पर उपस्थित है, सम्पूर्ण घटना शुरू से आखिर तक देखता है और अपराध किया जाना चिल्लाता है और जब पड़ोस के लोग पहुँचते हैं तो घटना की कहानी बताता है और, फिर कुछ समय बाद थाने जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट किया जाना संव्यवहार का भाग है और इसलिए रेस जेस्टे के तुल्य है। यह तथ्य कि घटना और रिपोर्ट के बीच कुछ समय बीत गया अतात्त्विक है। [श्याम नन्दन सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1991 क्रि.एल. जे. 3350, बी. नागराज बनाम स्टेट ऑफ ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 778]।

पास खड़े लोगों का कथन (Statement of bystanders)–

धारा 6 दृष्टान्त (क) में "पास खड़े लोगों" से अभिप्रेत है वे लोग जो घटना के समय उपस्थित हों न कि वे लोग जो उसके बाद घटनास्थल पर उपस्थित हों।

एक प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने मृतक की हत्या के बारे में एफ.आई.आर. तत्परता से दाखिल किया। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बाद में विचारण न्यायालय में अपना बयान अभिलिखित कराने के पहले ही मर गया। ऐसे केस में क्या उसका एफ.आई.आर. में बयान अन्य गवाहों के परिसाक्ष्य की संपुष्टि के लिए साक्ष्य में ग्राह्य है? उत्तर होगा—हां। [बंदेला नागराज बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश] 1984 क्रि.एल.जे. 674

पास खड़े व्यक्ति का कथन तभी ग्राह्य हो सकता है जब कि वह संव्यवहार के घटित होने के समय का हो। यदि वह संव्यवहार के

समाप्त होने के पश्चात् किया जाता है तो वह सुसंगत नहीं माना जायेगा।] नासिरुद्दीन बनाम, इम्परर ए.आई.आर. 1945 ला. 45]

उसी व्यक्ति का कथन सुसंगत है जिसने घटना को देखा हो और उसी समय घटना के ही साथ कथन किया हो क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कथन अनुश्रुत साक्ष्य होगा क्योंकि उन्होंने उसे दूसरे से सुना होगा। [महादेव बनाम स्टेट ऑफ एम.पी., 1975 क्रि.एल.जे. 110]

रेस जेस्टे का सिद्धान्त नियम 'अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं' का अपवाद है। रेस जेस्टे सिद्धान्त के अनुसार अनुश्रुत का साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब कि वह घटना का भाग हो। अतः रेस जेस्टे अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते, का अपवाद है। इस सिद्धान्त को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में अपनाया गया है।

रेस जेस्टे (Res Gestae) के रूप में साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में नियम, धाराओं 6, 7, 8, 9 और 14 में दिया गया है।

किसी कथन को एक ही संव्यवहार का भाग या रेस जेस्टे का भाग होने के लिए सारवान रूप से कार्य के समकालीन किया गया होना चाहिये या तुरन्त उसके बाद जिससे कि बनावट न हो सके। कार्य और कथन के बीच अन्तराल महत्वपूर्ण होता है। किसी भी हालत में कथन घोषणा या घटना के बाद का कथन नहीं होना चाहिए। संव्यवहार अपराध के तुल्य है जहां तक आपराधिक मामले का सम्बन्ध है। अपराध के मूल तत्त्व विवाद्यक तथ्य हैं और जो तथ्य एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में विवाद्यक तथ्य से सम्बन्धित होते हैं वे रेस जेस्टे के रूप में सुसंगत हैं।

रेस जेस्टे और अनुश्रुति (Res Gestae and Hearsay)

अनुश्रुत साक्ष्य का अर्थ है ऐसे व्यक्ति का कथन जिसने घटना होते नहीं देखी बल्कि उसके बारे में उस व्यक्ति से सुना है जिसने घटना देखी थी।

जिस व्यक्ति ने स्वयं कोई दुर्घटना देखी हो वह स्वयं उस घटना का साक्ष्य दे सकता है परन्तु उसकी पत्नी जिसको उसने घर पहुँच कर घटना के बारे में बताया था, वह साक्ष्य नहीं दे सकती क्योंकि उसका ज्ञान अनुश्रुति पर आधारित है।

अभियुक्त का स्वतः स्पष्टीकरण—जब अभियुक्त अपराध किये जाते समय एक स्वतः स्पष्टीकरण देता है तो स्पष्टीकरण रेस जेस्टे हो जाता है। [पीटर्स बनाम स्टेट 1959 सी.आर.एल.जे. 924]

धारा 6 में ग्राह्य कथन मूल साक्ष्य है न कि अनुश्रुत धारा 6 में जो साक्ष्य ग्राह्य है वह अनुश्रुति के विरुद्ध नियम नहीं में आता है क्योंकि जैसा ठीक कहा गया है "ऐसे केसों में वह कार्य है जो अनुश्रुति पैदा करता है"।

धारा 6 ऐसे कथन को "सुसंगत तथ्य" बनाती है। अतः उन्हें किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है जिसने उन्हें सुना हो और यह जरूरी नहीं है कि उन्हें साबित करने के लिए उसका कर्ता न्यायालय में उपस्थित हो।

अधिनियम में ऐसे कथन को मौलिक साक्ष्य माना जा सकता है अर्थात् कथित की गई बात के साक्ष्य के रूप में क्योंकि धारा उनकी सुसंगति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए सीमित नहीं करती।

धारा 32 में अग्राह्य साक्ष्य धारा 6 में ग्राह्य हो सकता है

यदि मृतक ने अपनी पत्नी से सबेरे ड्यूटी पर जाते समय कहा कि वह लंच के लिए वापस आयेगा किन्तु दफ्तर में गोली की चोटों से मर गया तो यह नहीं कहा जा सता है कि जो उसने अपनी पत्नी से कहा था वह धारा 32 (1) के अर्थों में संव्यवहार की ऐसी परिस्थिति थी जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। यद्यपि मृतक पति द्वारा किया गया कथन साक्ष्य अधिनियम की अन्य धाराओं के अन्तर्गत ग्राह्य है।

धारा 6 का दृष्टान्त (क) निश्चित रूप से स्पष्ट करता है कि मृतक द्वारा मृत्यु के अल्पकाल पूर्व या पश्चात् जो कुछ भी कहा गया वह उसी संव्यवहार का भाग है और सुसंगत है। मृतक की पत्नी का साक्ष्य कि उसके पति ने उससे कहा था कि वह लंच के लिए वापस आयेगा, विधि के अधीन साक्ष्य से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है कि उसके पति का आशय अपनी जीवन लीला इतनी जल्दी समाप्त करने का नहीं था। किन्तु उसका यह भी अर्थ नहीं है कि उसके पति का मन बदल नहीं सकता था।

[सी. नारायण बनाम स्टेट ऑफ केरल (एफ.बी.) 1992 सी.आर.एल.जे. 2860]

रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य साक्ष्य

प्रमुख साक्ष्य को रेस जेस्टे के रूप में इस प्रकार ग्राह्य माना गया है—

- (i) अपराध किये जाने स्थान और समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन [ए.आई.आर. 1959 इला. 483]
- (ii) दत्तक-ग्रहण के प्रश्न पर विनिश्चय में दत्तक-विलेख [ए.आई.आर. 1962 बम्बई 175]
- (iii) वसीयतकर्ता द्वारा बिल के रजिस्ट्रीकरण के समय किया गया कथन [ए.आई.आर. 1919, मद्रास 659]
- (iv) स्त्री के विरुद्ध लैंगिक अपराधों में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किये गये कथन [सी. नारायण बनाम स्टेट ऑफ केरल (एफ.बी.) 1992 सी.आर.एल.जे. 2860]

रेस जेस्टे के रूप में अग्राह्य साक्ष्य

निम्नलिखित प्रमुख साक्ष्य को रेस जेस्टे के रूप में अग्राह्य माना गया है—

- (i) घटना के बहुत समय बाद किये गये कथन, [ए.आई.आर. 1934 कल. 17]।

- (ii) बलात्कार के विषय में अभियोगी द्वारा उसके साथ किये गये बलात्कार के बारे में घटना के कुछ समय पश्चात् किया गया कथन [ए.आई.आर. 1950 ला. 151]।
- (iii) किसी विद्यालय की बालिका को कहे गये अश्लील शब्दों के बारे में ऐसे व्यक्ति का कथन जो घटना के बाद वहां आया हो [ए.आई.आर. 1965 जे. एण्ड के. 37]।

प्रश्नकोश

- Q.** साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में 'रेस-जेस्टे' के सिद्धान्त को बताया गया है? अथवा
- साक्ष्य अधिनियम के किस उपबन्ध में "उसी संव्यवहार का भाग बनना" शब्दों का प्रयोग हुआ है? अथवा
- साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में यह उपबन्धित है कि "तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, सुसंगत हैं?"
- A.** धारा 6।
- Q.** वे तथ्य, जो भले ही विवाधयक नहीं हैं, इस प्रकार विवाधयक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं, और वे क्यों सुसंगत होते हैं?
- A.** वे सम्बन्धित तथ्य और कार्य सिद्धान्त के अन्तर्गत होने के कारण सुसंगत होते हैं।
- Q.** रेस जेस्टे का सिद्धान्त किस नियम का अपवाद है?
- A.** नियम कि अश्रुभुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं।
- Q.** सांवल दास बनाम बिहार राज्य का वाद किससे सम्बन्धित है?
- A.** रेस जेस्टे (सम्बन्धित तथ्य और कार्य) के नियम से। (निर्णय—प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही संव्यवहार का भाग है)।
- Q.** एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गयी। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरान्त घायल पति ने उससे क्या कहा था?
- A.** हां। यह रेस जेस्टे का एक भाग है।
- Q.** साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 किस सिद्धान्त पर आधारित है?
- A.** अधिनियम की धारा 6 अंग्रेजी विधि के 'रेसजेस्टे' नामक सिद्धान्त पर आधारित है जिसका अर्थ है—ऐसे कथन तथा कार्य जो किसी संव्यवहार के साथ हुए हैं।
- Q.** अधिनियम की धारा 6 का अन्तर्निहित सिद्धान्त क्या है?
- A.** इस धारा का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि—'कार्य और घोषणाएँ एवं घटनायें जो कि विवाधयक तथ्य के संव्यवहार की सहवर्ती हैं और इनको स्पष्टीकृत करती हैं, वे ग्राह्य होती हैं क्योंकि वे "सम्बन्धित तथ्य और कार्य" के भाग हैं'।
- Q.** यह तथ्य कि घटना और रिपोर्ट के बीच कुछ समय बीत गया आतात्त्विक है, किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया?
- A.** श्याम नन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1991 सी.आर.एल.जे. 3350।
- Q.** "संव्यवहार" किसे कहते हैं?
- A.** संव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से इतने जुड़े रहते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है; जैसे—कोई अपराध, संविदा, कोई दुष्कृति।
- Q.** स्टीफेन महोदय ने संव्यवहार को किस रूप में स्पष्ट किया है?
- A.** स्टीफेन के अनुसार—संव्यवहार तथ्यों का एक समूह है जिसमें हम कोई नाम देते हैं, जैसे—विक्रय, हत्या, अपकृत्य, न्यूसेंस, चोरी इत्यादि।
- Q.** "संव्यवहार का भाग" पदावली से क्या तात्पर्य है?
- A.** जब कोई तथ्य किसी अन्य तथ्य से उद्देश्य, समय की निकटता और कार्यकारिणी की दृष्टि से इस प्रकार सम्बन्धित हो कि उसे हम एक लगातार शृंखला में जानते हैं तो वह संव्यवहार का भाग है।
- Q.** अधिनियम की धारा 6 के साथ कितने दृष्टान्त संलग्न हैं?
- A.** 4 दृष्टान्त संलग्न हैं।
- Q.** 'क' एक पत्र में, जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अन्तर्विष्ट अपमान लेख के लिए 'ख' पर वाद लाता है। इस वाद में कौन सा तथ्य सुसंगत है?
- A.** इस सम्बन्ध में जिस विषय से अपमान लेख उद्भूत हुआ है, उससे सम्बन्ध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं, जिनमें वह अन्तर्विष्ट है, वे

सुसंगत तथ्य होंगे, चाहे उनमें वह अपमान-लेख स्वयं अन्तर्विष्ट न हो।

- Q.** अधिनियम की धारा 6 पर एक ही संव्यवहार को स्पष्ट करने के लिए प्रमुख वाद कौन सा है?
- A.** इस धारा पर रटन बनाम क्वीन, 1821 का वाद महत्वपूर्ण है।
- Q.** टेलीफोन मिलाने के कार्य के साथ ऑपरेटर से यह कहना कि “मुझे पुलिस से मिला दीजिए” किस प्रकरण में एक ही संव्यवहार का भाग माना गया?
- A.** रटन बनाम क्वीन।
- Q.** भारत सरकार को बल द्वारा पलट देने का षड्यन्त्र है, इस प्रयोजन से कलकत्ते में पैसा जमा किया जाता है। मद्रास में यंत्र और बम्बई में ट्रेनिंग दी जाती है। यह सब कार्य समय और स्थान की दृष्टि से दूर-दूर हैं फिर भी किस धारा के अन्तर्गत सुसंगत है?
- A.** ये सभी तथ्य निरन्तर प्रकार के संव्यवहार होने के कारण धारा 6 के अन्तर्गत सुसंगत है।
- Q.** कब कथन एक ही संव्यवहार का भाग होता है?
- A.** कथन एक ही संव्यवहार का भाग होता है, जब वह घटना के तुरन्त पहले, घटना के समय या तुरन्त बाद में किया गया हो। यह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर होता है।
- Q.** रेजर से एक स्त्री का गला काटा गया था उसने कहा कि “मेरी प्यारी चाची देखो बेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है” इस कथन को एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना गया। वह प्रकरण कौन सा है?
- A.** आर. बनाम बेडिंग फील्ड 1879।
- Q.** आर. बनाम बेडिंग फील्ड 1879 के प्रकरण में किस जज ने निर्णय दिया?
- A.** मुख्य न्यायाधीश काकबर्न महोदय ने निर्णय दिया।
- Q.** किस न्यायाधीश ने यह कहा कि—आर बनाम बेडिंग फील्ड का निर्णय बहस का अच्छा साधन है किन्तु तथ्यों के हिसाब से अच्छा निर्णय नहीं है?
- A.** “प्रिवी काउंसिल” ने अपना यह विचार इस निर्णय की आलोचना में व्यक्त किया है।
- Q.** आर. बनाम बेडिंग फील्ड के निर्णय का समर्थन किस वाद में किया गया है?
- A.** “हाउस ऑफ लार्ड्स” द्वारा निर्णीत आर. बनाम क्रिस्टई के प्रकरण में 1914 में।
- Q.** किस वाद में यह कहा गया कि—“कथन ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में यह महसूस हो कि बोलने वाले व्यक्ति के मुँह से भावनात्मक रूप से घटना का प्रभाव या कारण निकल आया

हो, घटना के बाद कहानी बताने के रूप में नहीं”?

- A.** आर. बनाम क्रिस्टई के वाद में।
- Q.** एक व्यक्ति गाड़ी से कुचल दिया गया। गवाह उसकी विल्लाहट सुनकर उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ था तो मृतक ने उसको बताया कि दुर्घटना कैसे हुयी थी, घटना के कारण के बारे में पूछे जाने पर जो कुछ भी मृतक ने बताया था, उसके कथन को न्यायालय ने एक ही संव्यवहार का भाग मानकर ग्राह्य किया। यह घटना किस वाद के सम्बन्ध में है?
- A.** यह घटना आर. बनाम फोस्टर के वाद से सम्बन्धित है।
- Q.** एक ही संव्यवहार के भाग के सम्बन्ध में टेपर बनाम आर. 1952 पी.सी. के वाद में क्या धारित किया गया?
- A.** इस वाद में धारित किया गया कि किसी भी कथन को एक ही संव्यवहार का भाग होने के लिए घटना एवं कथन के बीच समय स्थान एवं परिस्थितियों में घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए, दूरवर्ती सम्बन्ध नहीं।
- Q.** वोहरा दनाम सेन्ट्रल एल.एम.टी. कम्पनी 1941 स्कॉटलैण्ड के प्रकरण में लार्ड नार्भाड ने क्या मत व्यक्त किया है?
- A.** प्रस्तुत प्रकरण में लार्ड नार्भाड ने मत व्यक्त किया कि कथन को एक ही संव्यवहार का भाग होने के लिए आवश्यक है कि कथन बोलने वाले के मुँह से स्वाभाविक रूप से घटना के प्रभाव या कारण के रूप में निकल आया हो, गद्दी हुई कहानी के रूप में नहीं।
- Q.** रेस जेस्टे के सिद्धान्त के आधार को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास प्रिवी कौन्सिल ने किस वाद में किया है?
- A.** रैटम बनाम रेजिनाम के प्रकरण में।
- Q.** किस वाद में यह कहा गया कि एक सीमा तक रेस जेस्टे का सिद्धान्त अनुश्रुत के साक्ष्य को नामंजूर करने के सिद्धान्त का एक अपवाद है?
- A.** कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर., सु.को., 1955।
- Q.** भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णीत किया कि—“जब कोई ऐसी बातचीत चल रही हो जो किसी संव्यवहार का भाग होने के नाते से सुसंगत है तो यदि उसे तत्क्षण टेप कर लिया गया हो तो ऐसी टेप सुसंगत होगी”?
- A.** आर.एम. मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1973 एस.सी. के वाद में निर्णीत हुआ।
- Q.** स्त्री के विरुद्ध लैंगिक अपराधों में किसी तीसरे व्यक्ति से किये गये कथन किस रूप में ग्राह्य होंगे?
- A.** ऐसे मामलों में तीसरे व्यक्ति से किये गये कथन रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य होंगे।

- Q. वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के रजिस्ट्रीकरण के समय किया गया कथन किस प्रकृति का है?
- A. ऐसा कथन रेस जेस्टे की प्रकृति का है।
- Q. रेस जेस्टे के सिद्धान्त की किन विधि शास्त्रियों ने आलोचना की है?
- A. प्रोफेसर स्टोन व प्रोफेसर विगमोर ने।
- Q. रेस जेस्टे के रूप में साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में नियम किन धाराओं में दिया गया है?
- A. धारा-6, 7, 8, 9 तथा 14 में।
- Q. धारा-6 में ग्राह्य कथन मूल साक्ष्य हैं या अनुश्रुत है?
- A. मूल साक्ष्य।
- Q. किस वाद में मानहानि सुनने वाले व्यक्तियों का वार्तालाप सुसंगत माना गया?
- A. कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ए.आई.आर. 1965 जे. एण्ड के. 37।
- Q. घटना के बहुत समय बाद किये गये कथन, रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य साक्ष्य है या अग्राह्य साक्ष्य?
- A. अग्राह्य साक्ष्य।
- Q. अपराध किये जाने के स्थान और समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन, रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य है या अग्राह्य।
- A. ग्राह्य साक्ष्य।
- Q. प्रोफेसर स्टोन ने रेस जेस्टे के सिद्धान्त को क्या कहकर आलोचना की है?
- A. प्रोफेसर स्टोन ने कहा कि—“साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धान्त इतनी अनिश्चितता एवं सन्देह से भरा हुआ हो”।
- Q. रेस जेस्टे का सिद्धान्त केवल व्यर्थ ही नहीं हानिकारक भी है। यह व्यर्थ है क्योंकि इसका प्रत्येक पहलू किसी-न-किसी अन्य नियम में आता है। यह हानिकारक है क्योंकि इससे अन्य नियमों के क्षेत्र के बारे में अनिश्चितता पैदा होती है। ये कथन किसके हैं?
- A. प्रोफेसर विगमोर का।

अवसर, हेतुक तथा परिणाम (Occasion, Cause and Effects of facts in issue)

वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं (Fact which are the occasion, cause or effect of facts in issue)—धारा 7 के अनुसार वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद्यक तथ्यों के निकटवर्ती या अन्यथा अवसर, हेतुक या परिणाम हैं या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं जिसके अन्तर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने के संव्यवहार का अवसर दिया।

धारा 7 के अन्तर्गत तथ्य की सुसंगति मानव अनुभव द्वारा निश्चित की जाती है।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह कि क्या 'क' ने 'ख' को लूटा?

लूट के थोड़ी देर पहले 'ख' अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उसने इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया है, सुसंगत तथ्य है।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' की हत्या की?

उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुथम-गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य (relevant fact) हैं।

(ग) प्रश्न यह कि क्या 'क' ने 'ख' को विष दिया?

विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व 'ख' के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात 'ख' की वे आदतें, जिनसे विष देने का अवसर मिला, सुसंगत तथ्य है।

इसी प्रकार यदि विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' को लूटा, तो निम्न तथ्य सुसंगत है—

(a) 'ख' की जेब में रुपये थे।

(b) 'ख' ने 'क' को रुपये बताये थे।

(c) 'ख' ने 'क' के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपये हैं।

अर्थात् कथन 'ख' की जेब में रुपये थे, 'ख' ने 'क' को रुपये बताये थे और 'ख' ने 'क' के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपये हैं ऐसे तथ्य हैं जो अपराध को कारित करने के लिए अवसर प्रदान

करते हैं। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत सुसंगत हैं।

धारा 7 कई प्रकार के तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है जैसे कि ऐसे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के घटित होने के लिए मौका या अवसर देते हैं या उनके होने के कारण बनते हैं या प्रभाव हैं।

धारा 7 निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बनाती हैं—

- (1) ऐसे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों के होने का अवसर बनते हैं।
- (2) ऐसे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों का कारण हैं।
- (3) ऐसे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों का प्रभाव हैं।
- (4) ऐसी वस्तु या स्थिति को घटित करने वाले तथ्य जिनके अन्तर्गत विवाद्यक या सुसंगत तथ्य हुए हों।
- (5) ऐसे तथ्य जो तथ्यों के घटित करने वाले व्यक्ति को मौका देते हों।

खून के धब्बे इस बात के परिणाम हैं कि या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है या उसे चोट पहुँचाई गई है। इसी तरह भूमि पर गुत्थम-गुत्था से बने चिन्ह भी इसी बात के द्योतक हैं।

अपराध कारित किये जाने वाले स्थान पर बने पद-चिन्ह धारा 7 के अधीन साक्ष्य के लिए सुसंगत धारण किये गये हैं। [ए.आई.आर. 1942 सिंघ 11]।

यह धारा उपबन्धित करती है कि विभिन्न वर्गों के तथ्य ग्राह्य हैं, जो कि विवाद्यक तथा सुसंगत तथ्यों के निम्न कार्य-कारण रूप में सम्बन्धित हैं अर्थात्

- (क) जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों के निम्न कार्य-कारण रूप में सम्बन्धित हैं अर्थात्
- (ख) जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों से निम्न कार्य-कारण रूप में सम्बन्धित हैं अर्थात्
- (ग) उन वस्तु स्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके अन्तर्गत विवाद्यक घटित हुआ है; या
- (घ) उसके घटित होने का अवसर प्रदान करते हैं।

(क) वे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्य के कारण या हेतुक हैं—

उदाहरण के लिए, एक कांस्टेबल क, ख की हत्या के लिए आरोपित है। यह तथ्य कि हत्या के थोड़ी देर पहले 'ख' ने 'क' के

विरुद्ध साक्ष्य दिया था, सुसंगत है। क्योंकि यह हत्या का हेतुक हो सकता है। कुछ अर्थों में धारा 7 में प्रयुक्त 'हेतुक' शब्द धारा 8 में प्रयुक्त 'प्रेरणा' शब्द से मिलता है।

(ख) वे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्य के परिणाम हैं—

प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' की हत्या की? उस स्थान पर जहाँ हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम-गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं, क्योंकि वे विवाद्यक तथ्य या झगड़े के परिणाम हैं। इसी तरह यह साक्ष्य कि घटना-स्थल पर या उसके समीप पद-चिन्ह थे या वे पद-चिन्ह किसी विशेष स्थान पर आये थे, वे भी धारा 7 के अन्तर्गत ग्राह्य हैं। घटना-स्थल के पद-चिन्ह अभियुक्तों के पद-चिन्ह से मिलते-जुलते हैं, सुसंगत तथ्य हैं।

(ग) उन वस्तु-स्थितियों का निर्माण करने वाले तथ्य जिनके अन्तर्गत विवाद्यक या सुसंगत तथ्य घटित होते हैं—

'क' ने 'ख' की हत्या की। 'क' यह स्पष्ट करने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि वह घटना-स्थल पर नहीं था वरन् किसी अन्य स्थान पर था। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत ग्राह्य है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि क को अवसर प्राप्त न था कि वह हत्या कारित कर सकता है। इस तरह के साक्ष्य को 'अन्यत्र उपस्थिति' (Alibi) का अभिवाक् कहते हैं। अपराध घटित होते समय, जमा हुए व्यक्ति, व्यक्ति की शारीरिक स्थिति जिससे उन परिस्थितियों का पता चलता है, जिसमें अपराध घटित हुआ, ये बातें भी सुसंगत तथ्य हैं।

(घ) अवसर-परिस्थिति साक्ष्य (Circumstantial Evidence) से समस्त क्षेत्र में 'अवसर' एक सर्वोत्तम महत्त्व का है, क्योंकि बिना अवसर के कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराधी तभी अपराध कारित करता है जब उसे करने का मौका मिलता है। जैसे—रेलगाड़ी से उतरते-चढ़ते समय टिकट घर की खिड़की पर जहाँ भीड़ रहती है जब काटने वाले मौके का लाभ उठाते हैं।

अतः स्पष्ट है कोई भी कार्य बिना अवसर के नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है तो उस कार्य को करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। बिना अवसर के कोई अपराध नहीं हो सकता। लेकिन अवसर और अपराध करने के बीच बहुत बड़ी खाई को साक्ष्य द्वारा भरना पड़ता है।

प्रश्नकोश

- Q.** विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या “क’ ने ‘ख’ को लूटा। (निम्नलिखित में) क्या सुसंगत है?
- A.** ‘ख’ की जेब में रुपये होना, ‘ख’ का ‘क’ को या उसके पुत्र को रुपये के बारे में बताना, किन्तु अन्य व्यक्तियों को रुपये के बारे में बताना सुसंगत नहीं।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कौन से तथ्य सुसंगत हैं?
- A.** धारा 7 के अनुसार—“वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद्यक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं जिसके अन्तर्गत वे घटित हुए या जिनसे उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया”।
- Q.** इस प्रश्न पर कि क्या, ‘क’ ने ‘ख’ की हत्या की? यह दिखाया जाना कि उस स्थान पर जहां हत्या की गयी थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम-गुत्था से बने हुए चिन्ह हैं, किस रूप में और कहां सुसंगत हैं?
- A.** इस स्थल पर गुत्थम-गुत्था के चिन्ह दिखाया जाना विवाद्यक तथ्यों के परिणाम को गठित करने के कारण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत सुसंगत है।
- Q.** जब प्रश्न यह हो कि क्या ‘क’ ने ‘ख’ को विष दिया? धारा 7 के अन्तर्गत कौन से तथ्य और किस रूप में सुसंगत होंगे?
- A.** विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ‘ख’ के स्वास्थ्य की दशा और ‘क’ को ज्ञात ‘ख’ की वे आदतें, जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य हैं क्योंकि ये उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं जिनके अन्तर्गत विवाद्यक तथ्य घटित हुए अतः यह धारा 7 के अन्तर्गत सुसंगत है।
- Q.** अधिनियम की धारा 7 किन प्रकार के तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है?
- A.** (1) ऐसे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों का कारण हैं।
(2) ऐसे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के होने का अवसर बनाते हैं।
- (3) वे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों के प्रभाव हैं।
- (4) ऐसी वस्तुस्थिति को गठित करने वाले तथ्य जिनके अन्तर्गत विवाद्यक या सुसंगत तथ्य घटित हुए हों।
- (5) वे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों के घटित होने का मौका देते हैं।
- Q.** एक कांस्टेबल ‘क’ ‘ख’ की हत्या के लिए आरोपित है। यह तथ्य कि हत्या के थोड़ी देर पहले ‘ख’ ने ‘क’ के विरुद्ध साक्ष्य दिया था। किस रूप में सुसंगत है?
- A.** यह तथ्य कि ‘ख’ ने ‘क’ के विरुद्ध साक्ष्य दिया था, हत्या का हेतुक होने के नाते सुसंगत है।
- Q.** यह तथ्य कि घटनास्थल पर या उसके समीप पदचिन्ह थे, वे पदचिन्ह किसी विशेष स्थान से आये थे। किस धारा के अन्तर्गत किस रूप में ग्राह्य हो सकता है?
- A.** धारा 7 के अन्तर्गत घटना के परिणाम या प्रभाव के रूप में सुसंगत हो सकता है।
- Q.** आर. बनाम डोनेलन का वाद धारा 7 के किस तथ्य पर प्रमुख वाद है?
- A.** धारा 7 के ‘सुअवसर’ के बिन्दु पर प्रमुख वाद है।
- Q.** पारिस्थितिक साक्ष्य के समस्त क्षेत्र में सबसे प्रमुख क्या है?
- A.** पारिस्थितिक साक्ष्य के क्षेत्र में सबसे प्रमुख अवसर है क्योंकि बिना अवसर के कोई अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन अवसर और अपराध करने के बीच खाई को साक्ष्य द्वारा भरना पड़ता है।
- Q.** वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है किस धारा के अन्तर्गत आते हैं?
- A.** धारा 7
- Q.** धारा 7 में तथ्य की सुसंगति किस प्रकार निश्चित की जाती है?
- A.** मानव अनुभव द्वारा।
- Q.** अपराध कारित किये जाने वाले स्थान पर बने पद-चिन्ह धारा 7 के अधीन साक्ष्य के लिए सुसंगत धारण किये गये हैं, किस वाद में निर्धारित किया गया था?
- A.** ए.आई.आर. 1942 सिंघ 11 : 56 पंजाब एल.आर. 155।

हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात् का आचरण (Motive, Preparation and Previous or Subsequent Conduct)

हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण—धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत हैं।

किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात् का।

धारा 8 में समाविष्ट स्पष्टीकरण I के अनुसार इस धारा में आचरण शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसी प्रकार स्पष्टीकरण II के अनुसार जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' को लूटा?

यह तथ्य कि 'ख' के लूटे जाने के पश्चात् 'ग' ने 'क' की उपस्थिति में कहा कि 'ख' को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है'। और यह कि उसके तुरन्त पश्चात् क भाग गया, सुसंगत है।

(ख) 'ख' की हत्या के लिए 'क' का विचारण किया जाता है।

यह तथ्य कि 'क' ने 'ग' की हत्या की, कि 'ख' जानता था कि 'क' ने 'ग' की हत्या की है और कि 'ख' ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर 'क' से धन उद्दापित करने (to extort) का प्रयत्न किया था, सुसंगत है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या 'ख' के प्रति 'क' 10,000 रुपये का देनदार है?

यह तथ्य कि 'क' ने 'ग' से धन उधार मांगा और घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवणगोचरता में कहा है कि "मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम 'क' पर भरोसा न करो, क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है, "और कि 'क' कोई उत्तर दिये बिना चला गया, सुसंगत तथ्य है।

वस्तुतः धारा 8 में तीन प्रकार के तथ्यों की सुसंगति के नियम बनाये गये हैं—

(1) हेतु (Motive) अर्थात् वह, जो किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराता है। यह वह है जो मनुष्य के मस्तिष्क में रहती है और उससे कोई काम कराती है। अर्थात् चित्त की एक अवस्था, जो किसी व्यक्ति को कार्य विशेष करने के लिए प्रेरित करती है हेतु (Motive) कहलाता है।

(2) तैयारी; तथा

(3) आचरण।

साधारण सिद्धान्त—

वे विशेष तथ्य, जो कि विवाद्यक संव्यवहार के हेतु तैयारी या पूर्व या पश्चात्पूर्वी आचरण को साबित करने वाले होते हैं ऐसे तथ्य हैं जो कि विवाद्यक संव्यवहार को साबित या नासाबित या स्पष्टीकृत करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

ऐसे तथ्य धारा 7 के अन्तर्गत सुसंगत हैं किन्तु ऐसे तथ्यों का जो कि हेतु, तैयारी या आचरण दर्शाते हैं, विशेष उल्लेख धारा 8 के अन्तर्गत किया गया है, अतएव, धारा 8 धारा 7 का प्रवर्धन मात्र है।

प्रेरणा या हेतु, तैयारी एवं आचरण का किसी अपराध के कारित किये जाने में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।

हेतु (motive), वह है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तैयारी उसकी पूर्णता की दिशा में एक कदम है और आचरण उन दशाओं का द्योतक है जिनमें कोई कार्य किया गया है।

धारा 8 के अनुसार—(1) पक्षकार, (2) पक्षकार का अभिकर्ता तथा (3) पीड़ित व्यक्ति का आचरण सुसंगत है। दीवानी मामलों में वादी तथा प्रतिवादी पक्षकार होते हैं तथा फौजदारी मामलों में अभियोगी तथा अभियुक्त पक्षकार होते हैं। पुलिस चालानी केसों में पीड़ित व्यक्ति यद्यपि पक्षकार नहीं होता किन्तु उसका आचरण

सुसंगत होता है। किसी कार्य का पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती आचरण सुसंगत होता है।

उदाहरण स्वरूप जहां विष द्वारा 'ख' की हत्या करने के लिए 'क' का विचारण किया जाता है। 'ख' की मृत्यु से पूर्व 'क' ने ऐसा विष उपार्जित किया था, यह सुसंगत है।

'ख' की मृत्यु से पूर्व 'क' ने ऐसा विष उपार्जित किया था यह तथ्य तैयारी दर्शित करने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सुसंगत तथ्य होगा।

किसी व्यक्ति के अपराध के बारे में विचार करते हैं तो स्वभावतः मन में विचार आ जाता है कि—

(i) क्या अपराध कारित करने वाले व्यक्ति का उस अपराध के कारित करने में कोई हित या हेतु था?

(ii) क्या ऐसे व्यक्ति ने अपराध कारित किये जाने के पूर्व कोई प्रयत्न अथवा तैयारी की थी?

यदि ये तथ्य साबित हो जाते हैं तो इस बात का विनिश्चय आसानी से किया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है अथवा नहीं। यही कारण है कि इन तथ्यों को धारा 8 के अन्तर्गत सुसंगत माना गया है।

इसी प्रकार यदि प्रश्न यह है कि क्या 'अ' ने एक अपराध किया था, तो निम्न तथ्य सुसंगत है—

(a) 'अ' एक चेतावनी का पात्र प्राप्त होने के पश्चात् फरार हो गया था।

(b) 'अ' ने साक्ष्य स्पष्ट कर दिया।

(c) 'अ' ने एक साक्षी को उपस्थित होने से रोका।

उपर्युक्त सभी तथ्य अपराध के घटित होने के पश्चात् के आचरण होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सुसंगत हैं।

आपराधिक विचारण में हेतु की पर्याप्तता या अपर्याप्तता हमेशा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक विचारण में हेतु की अपर्याप्तता अभियोजन केस के लिए घातक नहीं हो सकती है। [रंगीलाल बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1991 सी.आर.एल.जे. 911]।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत एक हेतु जो किसी पक्षकार को कोई कार्य या तैयारी करने को प्रेरित करती है, उसका होना यदि कार्य होता है तो ध्यान में रखा जायेगा।

धन की इच्छा सभी आर्थिक अपराधों का हेतु है, जैसे—लूट, चोरी, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार इत्यादि। क्रोध, शत्रुता, लोभ साधारणतया हत्या के हेतुक होते हैं। साधारणतया हेतु प्रत्यक्ष साक्ष्य से नहीं साबित किया जा सकता है, किन्तु वह परिस्थितियों से अनुमान कर लिया जाता है।

प्रोफेसर बिगमोर (Wigmore) ने कहा कि "विशेष रूप से यह आशा की जाती है कि एक अपराध के आरोप को संस्थापित करने के लिए 'अभियोजन' को सम्भावित हेतु दिखाना चाहिये।

इसी प्रकार यदि प्रश्न यह है कि क्या 'अ' के साथ बलात्संग किया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत आचरण के रूप में यह—सुसंगत है।

परिवाद किये बिना यह कहना कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत आचरण के रूप में सुसंगत नहीं माना जाता है। यद्यपि यह धारा 32 (1) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 157 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है।

प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 1971 के वाद में यह कहा गया कि किसी भी सीमा तक का हेतु या तैयारी अपनी तरफ से अपराध को साबित नहीं कर सकता है, यह केवल अन्य परिस्थितियों के साथ मिला कर देखा जाता है। यह वाद अधिनियम की धारा 8 के सन्दर्भ में विधि स्पष्ट करती है।

वकील इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला इलाहाबाद के प्रकरण में जस्टिस महमूद महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि, विधायकों द्वारा पीड़ित व्यक्ति के आचरण को अलग से श्रेणी बनाकर सुसंगत बताने का कारण, कार्यवाही की वह विधिक दशा है कि पीड़ित व्यक्ति का स्थान अभियोजन ले लेता है जो दीवानी कार्यवाही में वादी का होता है। यह वाद अधिनियम की धारा 8 पर विधि स्पष्ट करती है।

प्रश्नकोश

Q. कोई तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। यह किस धारा में उपबन्धित है?

A. धारा 8।

Q. विष द्वारा 'ख' की हत्या करने के लिए 'क' का विचारण किया जाता है। 'ख' की मृत्यु से पूर्व 'क' ने ऐसा विष उपार्जित किया था यह सुसंगत है अथवा असंगत?

A. सुसंगत है।

Q. प्रश्न यह है कि क्या A को लूटा गया। यह तथ्य कि उसने किसी शिकायत को किए बिना कहा, उसे लूट लिया गया? यह कब सुसंगत होगा?

A. धारा 32 (1) अथवा 157 के अन्तर्गत सुसंगत हो सकता है, किन्तु धारा 18 के अन्तर्गत नहीं। धारा 8 का दृष्टान्त ट।

- Q.** अधिनियम की धारा 8 में कितने प्रकार की तथ्यों की सुसंगति के बारे में नियम वर्णित है?
- A.** इस धारा में 3 प्रकार के तथ्यों की सुसंगति के बारे में नियम वर्णित है—
- (1) हेतु या प्रेरणा
 - (2) तैयारी तथा
 - (3) आचरण।
- Q.** ऐसी शक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करती है, क्या कहलाती है?
- A.** प्रेरणा।
- Q.** जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं होते हैं तो अभियुक्त को अपराध से सम्बन्ध करने के लिए परिस्थितिक साक्ष्य दिया जाता है, किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A.** बारी सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1989 इलाहाबाद क्रि.एल.जे. (इलाहाबाद) 466।
- Q.** आपराधिक विचारण में हेतु की पर्याप्तता हमेशा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक विचारण में हेतु की अपर्याप्तता अभियोजन केस के लिए घातक नहीं हो सकती है। किस वाद में निर्धारित किया गया?
- A.** रंगीलाल बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1991 सी.आर.एल.जे. 911।
- Q.** किसने कहा कि विशेष रूप से यह आशा की जाती है कि एक अपराध के आरोप को संस्थापित करने के लिए अभियोजन को सम्भावित हेतु दिखाना चाहिये?
- A.** प्रोफेसर विगमोर (Wigmore)।
- Q.** किसी कार्य को अन्जाम देने में कौन-सा आचरण सुसंगत होता है?
- A.** पूर्ववर्ती तथा पश्चात्पूर्वी आचरण।
- Q.** एक लड़का बाप की हत्या के लिए अपराधी है। उस लड़के का यह कहना है कि वह अपने बाप से 6-7 वर्षों से घृणा करता है, सुसंगत है, यह किस प्रकार का आचरण प्रदर्शित करता है?
- A.** पूर्ववर्ती आचरण।
- Q.** धारा 8 का स्पष्टीकरण साक्ष्य रूप में किन कथनों को सुसंगत नहीं करेगा?
- A.** जो धारा 25 तथा 26 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अपवर्जित है।
- Q.** परिवाद सर्वथा सुसंगत है जबकि कथन परिवाद नहीं होता। केवल विशेष परिस्थितियों में ही सुसंगत होता है, इसका उदाहरण क्या है?
- A.** मृत्युकालिक कथन।
- Q.** हेतु क्या है?
- A.** हेतु या प्रेरणा वह है जो किसी व्यक्ति से कोई कार्य करता है या यह वह है जो मनुष्य के मस्तिष्क में रहती है और सो उससे कोई कार्य कराती है।
- Q.** 'ख' की हत्या के लिए 'क' का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि 'क' ने 'ग' की हत्या की, और 'ख' जानता था कि 'क' ने 'ग' की हत्या की है और यह भी की 'ख' ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर 'क' से धन उद्दापित करने का प्रयत्न किया था। इसमें कौन-सा तथ्य सुसंगत है?
- A.** इस समस्या में 'ख' को 'क' के पहले खून की जानकारी होना और 'क' को धमकाना सुसंगत साक्ष्य है क्योंकि इसे यह पता चलता है कि 'क' 'ख' को मिटा देने का हेतु या प्रेरणा रखता था।
- Q.** यह तथ्य कि अभियुक्त बच्चे का बाप था जो हत्या के समय मृतक स्त्री के गर्भ में था, किस रूप में सुसंगत है?
- A.** यह तथ्य सुसंगत है क्योंकि उस स्त्री की हत्या का हेतु है और इस नाते धारा 8 में सुसंगत है। क्योंकि इससे अभियुक्त अपना चरित्र बचाने के लिए लड़की से छुटकारा पाने की प्रेरणा रखता था।
- Q.** मुख्य न्यायाधीश लार्ड कैम्पबेल ने किस वाद में प्रेरणा के साक्ष्य का वजन और महत्त्व बताते हुए कहा कि—
- “जिस अपराध का आरोप इस मामले में है उसके बारे में यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसे अपराध के लिए कोई प्रेरणा थी? यदि परिस्थितियों के अनुसार कोई प्रेरणा मिलती है तो उसका कम या ज्यादा होना कोई मायने नहीं रखता। हम लोग फौजदारी न्यायालयों के अनुभव से जानते हैं कि बहुत ही निर्दयी प्रकार के अपराध छोटी से छोटी प्रेरणा के कारण भी कर दिये जाते हैं”?
- A.** यह अभिकथन आर. बनाम पाकर के वाद में किया गया।
- Q.** नत्थासिंह बनाम इम्परर ए.आई.आर. 1946 पी.सी. के प्रकरण में प्रिवी कौंसिल ने हेतु या प्रेरणा के विषय में क्या निष्कर्ष पारित किया?
- A.** प्रेरणा सिद्ध करना तब आवश्यक नहीं होता, जब दूसरे साक्ष्य से यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त ने अपराध किया है, यदि अभियुक्त को अपराध के जोड़ने वाला साक्ष्य कमजोर हो तो प्रेरणा के साक्ष्य से उसकी कमजोरी को दूर नहीं किया जा सकता है।
- Q.** किस वाद में यह कहा गया कि—“किसी भी सीमा तक का हेतु तैयारी अपनी तरफ से अपराध को साबित नहीं कर सकता है यह केवल अन्य परिस्थितियों के साथ मिलाया जा सकता है?
- A.** प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम.पी., 1971 के वाद में।
- Q.** 'क' बन्धपत्र के आधार पर रुपये के सन्दर्भ के लिए 'ख' पर वाद लाता है, 'ख' इस बात से इंकार करता है उसने बन्ध-पत्र लिखा। इसमें कौन-सा तथ्य सुसंगत होगा?

- A. इस सन्दर्भ में यह तथ्य कि उस समय जब बन्धपत्र लिखा जाना कहा गया है, 'ख' को किसी भी शिष्ट प्रयोजन हेतु धन चाहिए था, सुसंगत तथ्य है।
- Q. 'क' का विचारण 'ख' की विष द्वारा हत्या करने के लिए किया जाता है। यह दर्शाया जाता है कि 'ख' की मृत्यु के पूर्व 'क' ने 'ख' को दिये गये विष के जैसा विष उपाप्त किया था। यह किस रूप में सुसंगत है?
- A. इस मामले में मृत्यु के पूर्व 'क' द्वारा 'ख' को दिये गये विष के समान विष उपाप्त करना 'ख' की हत्या करने की तैयारी होने के कारण सुसंगत है।
- Q. धारा 8 के अन्तर्गत कितने प्रकार के आचरण की बात की गयी है?
- A. इस धारा में पूर्ववर्ती एवं पश्चात्पूर्वी आचरण दोनों की बात की गयी है। पूर्ववर्ती आचरण के उदाहरण हैं—अपराध कारित करने की तैयारी, आशय की घोषणा आदि। पश्चात्पूर्वी तैयारी के उदाहरण हैं—मिथ्या कथन करना, अभियुक्त का मौन रहना, साक्ष्य को नष्ट करना, फरार हो जाना आदि।
- Q. अधिनियम की धारा 8 जिनके आचरण की ओर किन दशाओं में सुसंगत घोषित करता है?
- A. धारा 8 के पैरा दो के अनुसार—आचरण तभी सुसंगत होता है जबकि—
- (1) आचरण उस व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का हो, जो किसी वाद या कार्यवाही के पक्षकार हैं और
 - (2) वह उस वाद का कार्यवाही से सम्बन्धित हो या विवाद्यक या उसके सुसंगत तथ्य से सम्बन्धित हो।
 - (3) उस व्यक्ति का भी आचरण सुसंगत होता है जिसके विरुद्ध अपराध किसी कार्यवाही का विषय है और वह आचरण किसी विवाद्यक तथ्य, सुसंगत तथ्य से प्रभावित होता है या उसे प्रभावित करता है, चाहे वह उसके पहले का हो या बाद का।
- Q. 'पीड़ित व्यक्ति' के आचरण के बारे में न्यायाधीश महमूद ने क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला 7 इला. के वाद में क्या विचार व्यक्त किया?
- A. इस वाद में महमूद महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि—“विधायकों ने क्यों पीड़ित व्यक्ति के आचरण को अलग से श्रेणी बनाकर सुसंगत बताया है। इसका कारण कार्यवाही की यह विधिक दशा है कि पीड़ित व्यक्ति का स्थान अभियोजन ले लेता है जो दीवानी कार्यवाही में वादी का होता है”।
- Q. आचरण के साक्ष्य को महत्त्व क्यों दिया जाता है?
- A. आचरण के साक्ष्य को इसलिए महत्त्व दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण उन बातों से प्रभावित होता है जो उसने की है चाहे आचरण उन बातों के पूर्व हुआ हो या बाद में।
- Q. “आज इस बात की सम्पूर्ण विश्व में सार्वभौमिकता प्राप्त है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति का कैद से भाग जाना, हिरासत में आने से इंकार करना, किया जाना झूठा नाम अख्तियार करना तथा अन्य ऐसे ही आचरण इस आधार में ग्राह्य किये जाते हैं कि ये दोषपूर्ण भावना दर्शाते हैं और दोषसिद्ध करते हैं” आचरण के बारे में यह विचार किस विधि शास्त्री के हैं?
- A. प्रोफेसर विगमोर के।
- Q. क्वीन बनाम अब्दुल्ला के वाद में—“यह विचार किसने व्यक्त किया कि धारा 8 के अन्तर्गत सुसंगत होने के लिए आचरण ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से प्रभावित हुआ हो अन्य पक्षकारों द्वारा बोले गये शब्दों से नहीं?
- A. यह विचार मुख्य न्यायाधीश पैथरमे ने दो जजों की सहमति के साथ व्यक्त किया था।
- Q. एक व्यक्ति घरेलू नौकरानी पर बलात्संग का प्रयत्न करता है। ऐसा होने के शीघ्र बाद नौकरानी ने अपनी स्वामिनी से परिवाद किया और उसने अपराधी का नाम भी बताया, क्योंकि स्वामिनी ऐसी व्यक्ति थी जिसको नौकरानी स्वाभाविक ही अपनी बात बताती। इसलिए उसकी स्वामिनी को वह बातें न्यायालय को बताने की अनुज्ञा मिली, जो नौकरानी ने उसे बतायी थी। यह किस वाद का तथ्य है?
- A. आर. बनाम लिल्ली मैन, 1896।
- Q. “परिवाद केवल इस सीमा तक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है कि अभियोजक ने न्यायालय को बताया है वह उसके परिवाद के साथ सुसंगत है और इस बात के साथ असंगत है कि उसने सहमति दी होगी। यह किस वाद में और किसके शब्द हैं?
- A. यह शब्द रसेल महोदय ने आर बनाम लिल्ली मैन, 1896 में प्रस्तुत किये।
- Q. प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' को लूटा। यह तथ्य कि 'ख' को लूटे जाने के पश्चात् 'ग' ने 'क' की उपस्थिति में कहा कि 'ख' को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है और यह कि उसके तुरन्त पश्चात् 'क' भाग गया, किस रूप में सुसंगत है?
- A. यह तथ्य सुसंगत है स्पष्टीकरण 2 के अन्तर्गत। क्योंकि इस कथन से 'क' के आचरण पर प्रभाव पड़ता है और भागना एक तरह से दोष की स्वीकृति है।
- Q. एक व्यक्ति दूसरे का देनदार है। वह किसी अन्य व्यक्ति से ऋण मांगता है। कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति में कहता है कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पहले ही एक व्यक्ति का लेनदार है। यह सुनकर वह चुपचाप चला गया। इसका कितना अंश सुसंगत है?
- A. इसमें कथन तथ्य उसका कथन सुनकर चले जाना दोनों सुसंगत है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि वह देनदार था।

परिचायक तथा स्पष्टीकारक तथ्य

(Facts necessary to explain or introduce relevant facts)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्यों को सुसंगत बनाने के लिए साक्ष्य नियमों का उल्लेख करता है। इस धारा का सार-तत्त्व पुलिस के द्वारा अन्वेषण के दौरान आयोजित की गयी या की जाने वाली “शिनाख्त परेड” के आयोजन को भी इंगित करता है यद्यपि इस धारा में शिनाख्त परेड आयोजित किए जाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

धारा 9 के अनुसार वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक हैं अथवा जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं, अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की, जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ अथवा जो उन पक्षकारों का सम्बन्ध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसी किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत है, जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

दृष्टान्त

‘क’ पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ‘ख’ पर ‘क’ वाद लाता है। ‘ख’ प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है, सत्य है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और सम्बन्ध, जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था, विवाद्यक तथ्य की तैयारी के रूप में सुसंगत हो सकता है।

धारा 9 का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता अथवा पहचान को साबित करना है। किसी व्यक्ति पर दाण्डिक अभियोजन चलाने से पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि वह वही व्यक्ति है जिसका ऐसा होना तात्पर्यित है। वह सभी कार्य ‘शिनाख्त’ के द्वारा किया जाता है। शिनाख्त की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि इस बात का पता लगा लिया जाये कि

संदेहास्पद व्यक्ति अपराधी है या नहीं। शिनाख्त-परेड कार्यवाही यद्यपि साक्ष्य का सारभूत भाग नहीं होती, लेकिन किसी अपराध के अन्वेषण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होता है। किसी व्यक्ति की शिनाख्त उसकी आकृति, आयु, ऊँचाई, बाल, रंग, आवाज, पैर के निशान आदि में की जाती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की शिनाख्त भी उस वस्तु के आकार प्रकार से सम्भव हो सकती है।

शिनाख्त कार्यवाही—‘शिनाख्त’ शब्द से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु को न्यायालय के समक्ष साबित करना है कि यह वही है जो कि अभिकथित, आरोपित एवं प्रसिद्ध तात्पर्यित है। शिनाख्त की कार्यवाही जांच की प्रकृति की होती है और उसके करने के लिए न तो दण्ड प्रक्रिया संहिता और न भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई उपबन्ध हैं।

शिनाख्त कार्यवाहियां तथ्यों के अभिलेख है जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को धारा 9 के अन्तर्गत स्थिर करते हैं।

शिनाख्त की परेड पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान साक्षियों को उस व्यक्ति को शिनाख्त करने के प्रयोजन के लिए की जाती है जो अपराध से सम्बन्धित है। शिनाख्त कार्यवाही का उद्देश्य सम्बद्ध साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य की सम्पुष्टि भी करना होता है। [हरनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी.ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1619]। शिनाख्त कार्यवाही का उद्देश्य न्यायालय में साक्षी के कथन को परखना है जो मौलिक साक्ष्य होता है।

पूर्ववर्ती शिनाख्त कार्यवाही का उद्देश्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखना और मजबूत करना है। इसीलिए यह सुरक्षित प्रज्ञा का नियम (Rule of Prudence) माना जाता है। शिनाख्त परेड बहुत अर्से से कारगर है जो संदिग्ध को दूसरों के साथ एक कतार में खड़ा करके साक्षीगण को एक बार अवसर देता है कि वे पहचानें कि उनका देखा हुआ अपराधी उनमें है या नहीं।

शिनाख्त-परीक्षा का उद्देश्य है किसी उस साक्षी की स्मरणशक्ति व सत्यशीलता की परीक्षा करना जो कहता है कि वह उस अभियुक्त

को, जो कि किसी अपराध का भागीदार है, पहचान सकता है। [स्टेट बनाम नीलकण्ठ, ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 283]।

शिनाख्त जो साक्षीगण के न्यायालय में बयान को जो कि वह अजनबी व्यक्ति के बावत देते हैं, शिनाख्त-परीक्षा द्वारा जो पहले हो जाता है, पुष्टि करता है। [बुद्धसेन बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 1970 एस.सी. 1321]।

पहचान की जरूरत केवल तभी उठती है जब अपराधियों को गवाह पहले से नहीं जानते होते हैं। [जदुनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1971 सी.आर.एल.जे. 305 (एस.सी.)]।

स्वीकार्य पहचान-साक्ष्य के लिए आवश्यक शर्तें (Conditions necessary for acceptable Identification evidence)

- (1) क्या पहचानकर्ता अभियुक्त को पहले से जानता था?
- (2) क्या साक्षी ने अभियुक्त को घटना और शिनाख्त कार्यवाही के बीच में देखा?
- (3) क्या कार्यवाही शिनाख्त कराने में अनावश्यक देरी हुई?
- (4) क्या मजिस्ट्रेट ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती कि शिनाख्त कार्यवाही ठीक है?
- (5) घटना के समय प्रकाश की क्या स्थिति थी?
- (6) पहचानकर्ता की नेत्र-दृष्टि की क्या दशा थी और साक्षी अभियुक्त से कितने फासले पर था?
- (7) साक्षी की मानसिक दशा क्या थी?
- (8) पहचानकर्ता को अभियुक्त को देखने का क्या अवसर मिला?
- (9) क्या अभियुक्त के स्वरूप या आचरण में कोई विशिष्ट चीज थी जिससे पहचानकर्ता प्रभावित हुआ?
- (10) उसी अपराध के सम्बन्ध में की गई अन्य शिनाख्त कार्यवाही में पहचानकर्ता कितना ठीक अथवा निष्पक्ष था?
- (11) शिनाख्त कार्यवाही की रीति में अभियुक्त का दुर्बल ज्ञान?
- (12) क्या पहचान के साक्ष्य की मात्रा पर्याप्त थी?

शिनाख्त परेड संचालन सम्बन्धी सिद्धान्त

- (1) शिनाख्त की कार्यवाही के लिए एक ही धर्म के केवल उन्हीं व्यक्तियों का ही चयन किया जाना चाहिये जिनके विरुद्ध कोई सन्देह नहीं है।
- (2) शिनाख्त की कार्यवाही के लिए एकान्तता सुनिश्चित करनी चाहिए।

- (3) ऐसी कार्यवाहियों के समक्ष प्रत्येक को तथा विशेष रूप से पुलिस को बाहर रखना चाहिये।
- (4) उन साक्षियों का जो कार्यवाही में भाग ले चुके हैं तथा साक्ष्य दे चुके हैं उन साक्षियों से जिन्हें अभी कार्यवाही में भाग लेना बाकी है तथा साक्ष्य देना है, कार्यवाही पूर्ण न होने तक अलग रखना चाहिए।
- (5) उन मामलों की, जहां साक्षी शिनाख्त किये जाने वाले व्यक्ति से पूर्व-परिचय या जान-पहचान स्वीकार करता हो, निश्चित जानकारी अपेक्षित है।
- (6) प्रत्येक साक्षी के आने से पूर्व शिनाख्त किये जाने वाले व्यक्तियों के स्थानों को विवेकानुसार परिवर्तित करना चाहिये।
- (7) कार्यवाहियों के किसी बिन्दु पर संदिग्ध व्यक्ति को किसी भी सुआधारित आपत्ति को अभिलिखित करना चाहिये।
- (8) कार्यवाही शिनाख्त अभियुक्त के गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् और उसे जमानत पर छोड़े जाने के पूर्व कर ली जानी चाहिए।
- (9) संदिग्ध व्यक्तियों को एक वेशभूषा एवं हैसियत वाले बहुसंख्यक व्यक्तियों के साथ रखना चाहिये।
- (10) शिनाख्त करने वाले व्यक्तियों को एक-एक करके बुलाना चाहिए।

शिनाख्त यथाशीघ्र की जानी चाहिए :

पहचान-प्रदर्शन काफी समय बाद लिया जाता है तो उसका मूल्य ग्राह्यता की दृष्टि से कम हो जाता है। यद्यपि पहचान-प्रदर्शन परीक्षा एक कमजोर साक्ष्य है, फिर भी परीक्षा न लेना अभियुक्त के पक्ष में तथ्य माना जायेगा। [श्री राम बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 1975, सु.को. 175]।

फिप्सन ने कहा है—“जब किसी निश्चित व्यक्ति से किसी पक्षकार की अनन्यता विवाद्यक है तब यह न केवल प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य या राय के साक्ष्य से वरन् वैयक्तिक लक्षणों की समानता या असमानता से अनुमानतया साबित या नासाबित किया जा सकता है; जैसे—आयु, ऊँचाई, साइज, रंग, बोली, हस्तलेख, ढंग, पोशाक विशिष्ट चिन्ह क्षमता या विशेषता, रक्त वर्ण और निवसा-स्थान, व्यवसाय, कुटुम्ब का सम्बन्ध शिक्षा सम्बन्ध विशेष जाति, स्थानों या तथ्यों का ज्ञान और अन्य वैयक्तिक इतिहास का विवरण। इस सम्बन्ध में मानसिक प्रवृत्ति, स्वभाव और शक्ति की समानता भी सुसंगत हो सकती है”।

धारा 9 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत शिनाख्त-परेड का साक्ष्य ग्राह्य है, सबसे अधिक यह समर्थनकारी साक्ष्य है। शिनाख्त-परेड पर शीघ्रातिशीघ्र साक्षी द्वारा की गई पहचान स्वयं अपने आप में कोई स्वतन्त्र मूल्य नहीं रखती है।

शिनाख्त-परेड न कराना निम्नलिखित मामलों में घातक नहीं है-

1. **सज्जन सिंह बनाम इम्परर, ए.आई.आर. 1945, लाहौर 48**—जहां साक्षी अभियुक्तों को पहले से जानते थे शिनाख्त-परेड समय की बर्बादी है।
2. **स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम जगनू, ए.आई.आर. 1968, इलाहाबाद 333**—जब अभियुक्त को साक्षी जानते हैं, तो शिनाख्त कराना समय की बर्बादी है।
3. **अवध सिंह बनाम स्टेट, ए.आई.आर. 1954, पटना 483**—टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को विशेष रूप से उस समय कराना चाहिए जबकि अभियुक्त निश्चित रूप से कहें कि वे अभियोजन के साक्षियों से अपरिचित थे।
4. **प्रवेश कुमार बोस बनाम दि किं., ए.आई.आर. 1951, कलकत्ता 475**—शिनाख्त परेड में पहचानने के साक्ष्य के होने का कोई सारभूत मूल्य नहीं होता है, किन्तु वह न्यायालय में साक्षी के साक्ष्य की महत्वपूर्ण सम्पुष्टि होता है।
5. **कान्ता प्रसाद बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ए.आई.आर. 195, एस.सी. 350**—शिनाख्त-परेड न कराने से न्यायालय में पहचान का साक्ष्य अग्राह्य न होगा।

शिनाख्त-परेड किसके द्वारा ली जानी चाहिए?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर, 1954 के पैरा 496 में अभिकथित किया है कि शिनाख्त का प्रदर्शन अनुभवी मजिस्ट्रेटों द्वारा कराना जरूरी है और कि वे कम-से-कम 6 शिनाख्त प्रदर्शनों में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों।

शिनाख्त-परेड मजिस्ट्रेट द्वारा ली जानी चाहिए एवं ऐसी परेड के समय पुलिस को वहां उपस्थित नहीं रहने देना चाहिए। [आई.एल.आर. (1956) 1, इलाहाबाद 365]

परेड के समय अभियुक्त अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित रह सकते हैं। [ए.आई.आर. 1961, इला. 153]

मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को शिनाख्त-परेड में हाजिर होने के लिए दिया जाने वाला निर्देशन संविधान के अनुच्छेद 20 (3)

का अतिक्रमण नहीं करता है। [ए.आई.आर. 1961, कलकत्ता 3]

शिनाख्त मेमो का वैध प्रभाव तथा सबूत—शिनाख्त-परीक्षण उस साक्ष्य का पोषण करता है जो साक्षी न्यायालय के समक्ष देता है। [सन्तोष सिंह, ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 290]

शिनाख्त कार्यवाही

(1) पुलिस,

(2) साधारण नागरिक और

(3) मजिस्ट्रेट करा सकते हैं। पहचान परेड उस दशा में आवश्यक होती है जब अभियुक्त को साक्षी न जानते हों और उन्होंने अभियुक्त को अपराध करने के समय ही केवल थोड़े समय के लिए देखा हो। आइडेंटिफिकेशन का साक्ष्य भी धारा 9 के अन्तर्गत सुसंगत होता है।

(मटरू बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (1971) 2 एस.सी. 750)

न्यायमूर्ति राय ने **गंगासिंह बनाम सरकार 1956** में यह माना कि यदि साक्ष्य केवल शिनाख्त का हो तो संदिग्ध व्यक्ति की जमानत पर जेल में जांच की पहचान की परेड की जाने से पूर्व रिहा नहीं करना चाहिए।

शिनाख्त साक्ष्य का मूल्य

पहचान की परेड का परिणाम केस में सारभूत साक्ष्य नहीं होता किन्तु उसे अदालत में गवाह द्वारा दिये गये बयान की सम्पुष्टि करने या खण्डन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

शिनाख्त-परेड कराने का प्रश्न केवल उस समय होता है यदि अपीलकर्ताओं का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) में न लिखे हों। [धर्मबीर बनाम स्टेट ऑफ म.प्र., ए.आई.आर., 1974 एस.सी. 1156]

शिनाख्त-परेड का इस्तेमाल केवल न्यायालय में कथन की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। [ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2190]

शिनाख्त परेड में की गई शिनाख्त का साक्ष्य उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है जिसकी शिनाख्त की गई है।

यदि शिनाख्त-परेड के संचालन की रीति संदिग्धपूर्ण हो, तो ऐसे साक्ष्य का कोई महत्व नहीं होता। [ए.आई.आर. 1940, लॉ. 281]

यदि साक्षियों का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में उपबन्धित प्रावधानों के विरुद्ध अभिलिखित किया गया है तो धारा 9 के अधीन ग्राह्य होगा।

प्रश्नकोश

- Q.** शिनाख्त परेड साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत माना जाता है?
- A.** धारा 9।
- Q.** शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है?
- A.** पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या किसी नागरिक के द्वारा, किन्तु मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 कितने प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बनाती है?
- A.** 6।
- Q.** किसी विषय की यथार्थता किस प्रकार साबित की जाती है?
- A.** स्वतन्त्र साक्ष्य द्वारा।
- Q.** किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता अथवा पहचान को साबित करना, किस धारा का मुख्य उद्देश्य है?
- A.** धारा 9 का।
- Q.** धारा 9 में किन प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बताया गया है?
- A.** इस धारा में निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बताया गया है।
- (1) वे तथ्य जो विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण, पुःस्थापन के लिए आवश्यक हो।
 - (2) ऐसे तथ्य जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं।
 - (3) ऐसे तथ्य जो किसी व्यक्ति की या वस्तु की पहचान स्थापित करते हैं, जिसकी पहचान सुसंगत हो।
 - (4) ऐसे तथ्य जो किसी घटना के होने का समय या स्थान निर्धारित करते हैं।
 - (5) ऐसे तथ्य जो पक्षकारों का सम्बन्ध दर्शित करते हैं।
- Q.** जब प्रश्न हो कि एक विशेष दस्तावेज किसी व्यक्ति की वसीयत है या नहीं। तब किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A.** ऐसी स्थिति में उसकी सम्पत्ति की दशा तथा उसके परिवार की अवस्था के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है क्योंकि इससे उन परिस्थितियों का ज्ञान मिलता है जिन्होंने वसीयत बनाना आवश्यक कर दिया था।
- Q.** किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने कुछ व्यक्तियों का समूह बनाकर और उनके आगे चलकर उनसे बलवा कराया। यह बात सिद्ध करने के लिए कि उनका नेता कौन था, कौन सा साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A.** यह सिद्ध करने के लिए उनका नेता कौन था, समूह के व्यक्तियों की आपस की बातचीत का साक्ष्य दिया जा सकता है।
- Q.** एक व्यक्ति जिस पर चोरी का आरोप है, उसे चोरी की वस्तुएँ अपनी पत्नी को देते हुए देखा गया था और उसने कहा कि इन्हें छिपा दो, उनका यह कहना क्या सुसंगत है?
- A.** हाँ।
- Q.** एक व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है यह तथ्य कि वह अपराध के तुरन्त बाद लापता हो गया धारा 8 के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती आचरण के रूप में सुसंगत है। धारा 9 में वह किस रूप में सुसंगत है?
- A.** धारा 9 में उसका घर से लापता हो जाना, विवाद्यक तथ्य द्वारा इंगित अनुमान कि उसका लापता हो जाना उसका ऐसा आचरण है जो विवाद्यक तथ्य से प्रभावित है और इस अनुमान को बल प्रदान करता है कि वह दोषी है।
- Q.** अधिनियम की धारा 9 पर उच्चतम न्यायालय ने बटरू बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 1971 S.C. के प्रकरण में अनुमानों को खण्डित करने के विषय में क्या विचार व्यक्त किया है?
- A.** इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त ऐसे अनुमानों को खण्डित करने के लिए ऐसे तथ्यों के विपरीत साक्ष्य दे सकता है जिनसे यह स्पष्ट हो कि वह दोषी नहीं था। कोई भी भोला-भाला व्यक्ति जिस पर नाहक शक किया जाय, वह भी छिपकर हिरासत में जाने से बचने का प्रयास करेगा। ऐसा कार्य अपने आपको सुरक्षित रखने का प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक कार्य होता है।
- Q.** विभावती देवी बनाम कुमार रमेन्द्र नारायण राय, AIR 1972 कलकत्ता, का प्रकरण धारा 9 के किस पहलू पर विधि को स्पष्ट करता है?
- A.** यह वाद किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता सुनिश्चित करने के सन्दर्भ में धारा 9 के अन्तर्गत विधि को स्पष्ट करता है।
- Q.** फिप्सन ने पहचान के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य के महत्त्व को किन शब्दों में व्यक्त किया है?
- A.** फिप्सन के अनुसार—जब प्रश्न यह हो कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित व्यक्ति कौन है तो उसकी अनन्यता केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा ही या जानकार व्यक्तियों द्वारा ही नहीं सिद्ध की जा सकती बल्कि अन्य बातों से भी सिद्ध की जा सकती है, जैसे—व्यक्तिगत निशानियाँ, आवाज ऊँचाई, हस्तलिपि, बातचीत करने का ढंग, पहचावा, त्वचा, उस व्यक्ति की विशेषताएँ जैसे खून, निवास, व्यवसाय, पारिवारिक सम्बन्ध, धर्म, विद्या स्तर एवं विशेष व्यक्तियों का उसके बारे में ज्ञान।
- Q.** एक डाक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था, उसके पत्नी का शरीर उसके घर पर अत्यधिक रौंदी हुई मिली,

उसकी कोई पहचान मिली नहीं थी। उसकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था, वह हिस्सा मिल गया जहां ऑपरेशन हुआ था। इसमें कौन सा तथ्य सुसंगत माना जाना चाहिए?

A. पेट पर ऑपरेशन वाले हिस्से का मिल जाना उस स्त्री की पहचान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है और सुसंगत है।

Q. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि लालटेन की रोशनी गांव के रहने वाले के लिए व्यक्ति या वस्तुओं की पहचान के लिए पर्याप्त है।

A. मच्छी सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब A.I.R. 1983 सु.को. वाद में।

Q. शिनाख्त की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य किस बात का पता लगाना है?

A. सन्देहास्पद व्यक्ति अपराधी है या नहीं।

Q. रामनाथन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1978 सु.को. के प्रकरण में न्यायमूर्ति सिंहल ने क्या विचार व्यक्त किया?

A. न्यायमूर्ति सिंहल ने कहा कि शिनाख्त की कार्यवाही का ढंग यह है कि जिस व्यक्ति पर सन्देह होता है उसे और कई अन्य व्यक्तियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और फिर यह देखा जाता है कि वे व्यक्ति जो मौके पर गवाह थे उसे पहचान पाते हैं कि नहीं। पहचान हो जाने पर एक साक्ष्य बन जाता है कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा।

Q. शिनाख्त के क्या उद्देश्य हैं?

A. शिनाख्त के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(1) अन्वेषण अधिकारी को विश्वास दिलाना कि इससे पहले कि कोई वाद न्यायालय को भेजा जाय कि इस बात का इत्मिनान कर लेना कि अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है और साक्षीगण द्वारा पहले से जाना हुआ नहीं है वह उनमें से एक है जिन्होंने अपराध किया अथवा वह वस्तु उस अपराध से सम्बन्धित है।

(2) न्यायालय को इत्मिनान दिलाना कि कथित अभियुक्त उसका अपराधी है या वह वस्तु उस अपराध से सम्बन्धित है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

Q. गिरजा शंकर मिश्र बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 1994 सु.को. के वाद में शिनाख्त कार्यवाही के सन्दर्भ में क्या विचार व्यक्त किया गया?

A. इस वाद में यह विचार व्यक्त किया गया कि यदि कार्यवाही शिनाख्त अपराध किए जाने के पश्चात् एक युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं कराया जाता तो यह अत्यधिक विलम्ब और अनियमितता का मामला होगा और ऐसी शिनाख्त पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।।

Q. शिनाख्त की कार्यवाही किसके समक्ष की जा सकती है?

A. राम किशन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1953 सु.को. के वाद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के समक्ष शिनाख्त परेड की जा सकती है किन्तु उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में यह निर्णय बाध्यकारी नहीं है। यहां पर मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट 1954 के पैरा 496 में कहा गया कि शिनाख्त परेड केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी जोकि कम-से-कम 4-6 शिनाख्त परेड में भाग ले चुका हो।

Q. जेम्स मार्टन की किस पुस्तक में यह वर्णित है कि शिनाख्त कार्यवाही में कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?

A. जेम्स मार्टन की द डाइजेस्ट ऑफ आईडेन्टिफिकेशन परेड नामक पुस्तक में वर्णित है।

Q. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस वाद में पहचान साक्ष्य स्वीकार किए जाने के लिए 12 आवश्यक शर्तें बतायीं?

A. अशरफी बनाम राज्य ए.आई.आर., 1901 इला।

Q. शिनाख्त कार्यवाही का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

A. शिनाख्त परेड का साक्ष्यिक मूल्य यह है कि यह सम्पुष्टकारी साक्ष्य के रूप में मान्य है। इसी आधार पर दण्ड आधारित नहीं किया जा सकता।।

Q. सत्यनारायण बनाम स्टेट 1953 इला. के वाद में शिनाख्त कार्यवाही के विषय में क्या मत व्यक्त किया गया?

A. इस वाद में यह मत व्यक्त किया गया कि साक्षी को उसी परिस्थिति में अभियुक्त को पहचानवाया जा सकता है जिसमें उस अभियुक्त को देखा था।

Q. जहां साक्षी अभियुक्तों को पहले से जानते थे तो शिनाख्त कार्यवाही समय की बर्बादी है किन वादों में कहा गया?

A. यह सज्जन सिंह बनाम इम्परर, ए.आई.आर. 1945, स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम जगनू, ए.आई.आर., 1968 के वाद में कहा गया।

Q. धारा 9 के अन्तर्गत वस्तुओं की पहचान के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद कौन-सा है?

A. यह वाद ऐरम दरप्पा बनाम कर्नाटक ए.आई.आर. 1983 सु.को. का है।

Q. किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि पहचान की जरूरत केवल तभी उठती है जब अपराधियों को गवाह पहले से नहीं जानते होते हैं?

A. जदुनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1971 सी.आर.एल.जे. 305 (एस.सी.)।

Q. किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि यद्यपि पहचान प्रदर्शन परीक्षा एक कमजोर साक्ष्य है, फिर भी परीक्षा न लेना अभियुक्त के पक्ष में तथ्य माना जायेगा?

- A. श्री राम बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 1975 सु.को. 175।
 Q. यदि संदिग्ध व्यक्ति को उन्हीं परिस्थितियों में पहचाना जाय जिनमें कि गवाहों ने अपराधियों को देखा है तो यह किस प्रकार की परेड कहलाती है?
 A. आदर्श परेड।

- Q. शिनाख्त परेड कराने का प्रश्न केवल उस समय होता है जब अपीलाकर्ताओं का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) में न लिखें हों। यह किस वाद में निर्धारित किया गया है?
 A. धर्मवीर बनाम् स्टेट ऑफ म.प्र., ए.आई.आर. 1974, एस.सी. 1156 सी.आर.एल.जे. 812।

षड्यन्त्र (Conspiracy) धारा 10

सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यन्त्रकारी द्वारा कही या की गई बातें (Things said or done by conspirator in reference to common design)।

धारा 10 के अनुसार जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यन्त्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात् जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कहीं, की या लिखी गयी कोई बात उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यन्त्र किया है, षड्यन्त्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था।

समस्त षड्यन्त्रकारी मिलकर एक ही निकाय के अनिवार्य और आवश्यक अंग माने जाते हैं जिसको कि अब षड्यन्त्र की संज्ञा दी जाती है। धारा 10 षड्यन्त्रकारियों द्वारा किये गये कार्यों और उनके कथनों को सुसंगत करती है।

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने हेतु करार करते हैं, या सम्मिलित हो जाते हैं तो इसे षड्यन्त्र कहते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 षड्यन्त्र के मामले के साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में नियम बनाता है। इस धारा के अधीन सह-षड्यन्त्रकारी के बयानों, कार्यों और लेखों के खिलाफ साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने का सिद्धान्त अभिकरण (Agency) के सिद्धान्त पर आधारित है।

आर. बनाम् ब्लैक का सिद्धान्त

साक्ष्य विधि के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य ज्यादा महत्त्व रखता है कि षड्यन्त्र के एक पक्षकार द्वारा किया गया कार्य दूसरों के विरुद्ध साक्ष्य बन जाता है।

आर. बनाम् ब्लैक एण्ड टाई (1844) 6 यू.वी. 126 का मामला इस सन्दर्भ में सुप्रसिद्ध है। इस वाद के निर्णय का सार यह है कि एक पक्षकार द्वारा किये गये कार्य तभी साक्ष्य का प्रभाव रखेंगे

जब वे सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किये गये हों। कार्य का सम्बन्ध आशय की पूर्ति से होना चाहिए।

इस वाद में दिये गये निर्णय का सार यह है कि एक पक्षकार द्वारा किये गये कार्य तभी साक्ष्य का प्रभाव रखेंगे जब वे सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किये गये हों।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द कार्य "सामान्य आशय के बारे में होना चाहिए"।

मिर्जा अकबर बनाम् एम्परर ए.आई.आर. 1940 पी.सी. 176 में लार्ड राइट (Lord Wright) ने विचार व्यक्त किया कि "सामान्य आशय अग्रसर करने वाले कार्य" शब्दों का है।

जब धारा 10 के अन्तर्गत साक्ष्य ग्राह्य होता है वह हमारे विचार में इस आधार पर होता है कि जो की गयी है या लिखी या बोली गयी है, वह यदि सामान्य उद्देश्य के बारे में है तो उसे अग्रसर करने के लिए ही होगी।

भारतीय उच्चतम न्यायालय ने शार्दूल सिंह बनाम् स्टेट ऑफ बॉम्बे ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 747 में कहा—“इस बात को मान्यता मिल चुकी है कि धारा 10 के अन्तर्गत एक षड्यन्त्रकारी के कार्य कथन एवं लेख से दूसरे पक्ष के विरुद्ध जो साक्ष्य बनते हैं, वे अभिकरण के सिद्धान्तों पर आधारित हैं।

षड्यन्त्रकारी के किसी भी पक्षकार द्वारा किया गया कार्य अभिकरण के सिद्धान्तों के अनुसार सभी पक्षकारों का कार्य मान लिया जाता है।

बद्री प्रसाद बनाम् स्टेट ऑफ बिहार AIR 1968 SC 953 के वाद में, न्यायमूर्ति बी.पी. सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय का फैसला देते हुए कहा कि आर. बनाम् ब्लैक में प्रतिपादित सिद्धान्त तथा धारा 10 एक ही धारा सूत्र पर है।

भगवान स्वरूप बनाम् स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1965 SC 682 में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि किसी पक्षकार के कार्य या कथन दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध केवल यह सिद्ध करने के

लिए साक्ष्य बनते हैं कि कैसा षड्यन्त्र था और कौन व्यक्ति इसके पक्षकार थे?

के. हाशिम बनाम स्टेट ऑफ टी.एन. (2005) एस.सी.सी.

237 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि जो कार्य अपराध होने से पूर्व के समय किये गये थे, उन्हें भी साथ में लिया जाना चाहिए।

प्रश्नकोश

- Q.** धारा 10 किन प्रकार के सम्बन्धों को सम्मिलित करती है?
- A.** चूँकि षड्यन्त्र अपराध भी हैं तथा अपकृत्य भी। अतः यह धारा दोनों प्रकार के षड्यन्त्रों पर लागू होती है। यह इस धारा में ही स्पष्ट कर दिया गया है पर यह धारा तभी लागू होती है जब यह विश्वास हो कि कोई अपराध करने के लिए या अपकृत्य करने के लिए षड्यन्त्र किया गया है।
- Q.** आर. बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से सम्बन्धित है?
- A.** धारा 10।
- Q.** आर. बनाम ब्लैक एण्ड टाई 1844 के वाद में क्या निर्णय दिया गया?
- A.** आर. बनाम ब्लैक एण्ड टाई के वाद में निर्णीत हुआ कि—“एक पक्षकार द्वारा किये गये कार्य तभी साक्ष्य का प्रभाव रखेंगे जब वे सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों, कार्य का सम्बन्ध आशय की पूर्ति से होना चाहिए। वाद में निर्णय देने वाले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश लार्ड डैनमैन एवं न्यायाधीश कोलरिज थे”।
- Q.** षड्यन्त्र के अनुसरण में कोई कार्य किया गया इसका साक्ष्य किन प्रयोजनों के लिए दिया जा सकता है?
- A.** ऐसे किसी भी कार्य का साक्ष्य निम्न उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है—
- (1) षड्यन्त्र का अस्तित्व साबित करने के लिए
 - (2) यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उस षड्यन्त्र का पक्षकार था।
- Q.** मिर्जा अकबर बनाम, सम्राट् 1940, प्रिवी कौंसिल का वाद किस धारा से सम्बन्धित एक प्रमुख वाद है?
- A.** यह वाद धारा 10 के अन्तर्गत षड्यन्त्र से सम्बन्धित एक प्रमुख वाद है।
- Q.** मिर्जा अकबर बनाम सम्राट् के वाद में किसने यह विचार प्रकट किया कि धारा 10 में प्रयुक्त “सामान्य आशय के बारे में” शब्द विधि को वही प्रभाव देने के लिए लगाये गये हैं जो “सामान्य आशय अग्रसर करने के बाद कार्य” शब्दों का है?
- A.** इस वाद में यह विचार लार्ड राइट ने व्यक्त किया।
- Q.** एक पत्र में—“मैंने पैसे के बन्दोबस्त कर लिए हैं और आपको

चाहिए कि कुछ और सोचे बगैर किसी आदमी का बन्दोबस्त करें। मेरा दिल तुम्हें पाने के लिए व्याकुल है और मैं दिल की गहराई से तुम्हें पाने की इच्छा रखती हूँ तथा इसके उत्तर में प्रकट किये ये शब्द कि—“मैं तुम्हारे लाल होंठों की मधुरता और तुम्हारे गोरे सीने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। तुम पैसे का इन्तजाम रखना” जैसे शब्द धारा 10 के अन्तर्गत सामान्य आशय की पुष्टि हेतु षड्यन्त्र के लिए किस वाद में पर्याप्त माने गये?

- A.** मिर्जा अकबर बनाम इम्परर, 1944 पी.सी. के वाद में।
- Q.** अधिनियम की धारा 10 पर षड्यन्त्र के विषय में आर. बनाम ब्लैक के वाद में प्रतिपादित सिद्धान्त को भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में स्वीकार किया है?
- A.** शार्दूल सिंह बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, ए.आई.आर., 1957 एस.सी. के वाद में।
- Q.** शार्दूल सिंह बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1957 एस.सी. के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने क्या विचार व्यक्त किया?
- A.** इस वाद में न्यायालय ने कहा कि “इस बात की मान्यता मिल चुकी है कि धारा 10 के अन्तर्गत एक व्यक्ति के कार्य का कथन षड्यन्त्र के दूसरे पक्षकार के विरुद्ध जो साक्ष्य बनते हैं, उसका आधार अभिकरण है।
- Q.** इंग्लिश विधि के सिद्धान्त तथा धारा 10 के सिद्धान्त की समानता के विषय में न्यायाधीश जगन्नाथ दास ने किस प्रकार अपने विचार व्यक्त किये हैं?
- Q.** षड्यन्त्र के सम्बन्ध में प्रिवी कौंसिल ने इसके मूल सिद्धान्त को इस प्रकार किस वाद में बताया कि “जब ऐसा साक्ष्य ग्राह्य होता है तो उसका आधार यह होता है कि जो बात या कार्य किया गया है, वह षड्यन्त्र को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, और षड्यन्त्र के आशय के एक कदम आगे बढ़ाने के नाते से वह षड्यन्त्र का सबूत बन जाता है अर्थात् जो कार्य षड्यन्त्र के अस्तित्व में होते हुए उनकी आशय की पूर्ति हेतु किये गये हो केवल यही सुसंगत होंगे”?
- A.** यह मूल सिद्धान्त भी मिर्जा अकबर बनाम किंग इम्परर 1940 पी.सी. के वाद में किया गया।
- Q.** न्यायाधीश वी.पी. सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय का फैसला देते हुए किस वाद में यह कहा कि—“आर बनाम ब्लैक में प्रतिपादित सिद्धान्त तथा धारा 10 एक ही लाइन पर है”?

- A. बद्री प्रसाद बनाम् स्टेट ऑफ बिहार के वाद में यह विचार व्यक्त किया गया।
- Q. षड्यन्त्र के सम्बन्ध में भगवान स्वरूप बनाम् स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 1968 एस.सी. के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने क्या विचार व्यक्त किया है?
- A. इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि—किसी पक्षकार के कार्य या कथन दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध केवल यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य बनते हैं कि कैसा षड्यन्त्र था और कौन व्यक्ति इसके पक्षकार थे। अर्थात् यह अभिकरण के सिद्धान्त पर आधारित है।
- Q. समस्त षड्यन्त्रकारी मिलकर एक ही निकाय के अनिवार्य और आवश्यक अंग बन जाते हैं जिसको कि अब षड्यन्त्र की संज्ञा दी जाती है। किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A. मिर्जा अकबर बनाम् सम्राट्, ए.आई.आर. 1940 पी.सी. 176।
- Q. सह-षड्यन्त्रकारी के उस अवधि के बाहर के कार्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यह किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A. शार्दूल सिंह बनाम् स्टेट ऑफ बॉम्बे, ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 747।
- Q. षड्यन्त्र के करार को किस साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है?
- A. प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य या दोनों के द्वारा।

वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है (When facts not otherwise relevant become relevant) धारा 11

साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 यह उपबन्ध करता है कि वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत है—

1. यदि वे किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है।
2. यदि वे स्वयंमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यन्त अधिसम्भाव्य या अनधिसम्भाव्य बनाते हैं।

वस्तुतः यह धारा असंगत तथ्य और अन्यत्र के अभिवचन (Plea of alibi) पर साक्ष्य नियम वर्णित करता है।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया?

यह तथ्य कि वह इस दिन लाहौर में था, सुसंगत है।

यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था, उस समय के लगभग 'क' उस स्थान से, जहां कि वह अपराध किया गया था, इतनी दूरी पर था कि 'क' द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त अनधिसम्भाव्य था असंगत है। (नाम बदलकर अनेक परीक्षाओं में पूछा गया)।

वस्तुतः धारा 11 ऐसे तथ्यों के बारे में नियम बनाती है—

- (i) जो वाद के तथ्यों से ऐसा सम्बन्ध नहीं रखते कि स्वयं सुसंगत हो सकें।

अत्यन्त सामान्य भाषा में सुसंगतता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है।

अतएव यह धारा सुसंगत तथ्यों की अवशिष्ट धारा कही जा सकती है।

- (ii) जो केवल इस कारण सुसंगत मान लिए गए हैं कि वह मामले के तथ्यों से या तो असंगत हैं या होने या न होने के तथ्य को अत्यन्त अधिसम्भाव्य या अनधिसम्भाव्य बनाते हैं।

इस परीक्षण का उद्देश्य साक्ष्य द्वारा किसी विशेष दावे या आरोप को सिद्ध अथवा असिद्ध करना है।

उदाहरणतः प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने किसी अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया।

इस प्रश्न में यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था, विवाद्यक, तथ्य के अस्तित्व को अत्यन्त अनधिसम्भाव्य बनाने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत सुसंगत है।

धारा 11 के अन्तर्गत दो खण्ड हैं—

(i) प्रथम खण्ड—यह निर्धारित करता है कि वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत होते हैं, सुसंगत होते हैं।

(ii) द्वितीय खण्ड—यह निर्धारित करता है कि वे तथ्य जो या तो स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्यक तथ्य का अस्तित्व अत्यधिक सम्भावित/असम्भावित बनाते हैं, सुसंगत होते हैं।

असंगत तथ्य

एक तथ्य, को दूसरे तथ्य से असंगत तब कहा जाता है जब वे दोनों तथ्य साथ-साथ नहीं रह सकते हैं। प्रो. विग्मोर ने पांच प्रकार के मामले असंगत तथ्य के बताये हैं—

(1) अन्यत्र स्थिति (Alibi)—आरोपित व्यक्ति का घटनास्थल से अन्य स्थान में होना।

(2) बच्चे को अवैध दिखाने के लिए पति का स्त्री के पास जाने का अभाव, पति की अनुपस्थिति।

(3) कोई व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है कि वह मृत है, ऐसे व्यक्ति के जीवित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना।

(4) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना, अपराध का अन्य द्वारा कारित किया जाना।

(5) स्वयं द्वारा अपने को शारीरिक क्षति पहुँचाना, अभिकथित क्षति की स्वयं कृति।

अभियुक्त का अपराध किये जाने के समय अन्य स्थल पर विद्यमान रहने का साक्ष्य 'अन्यत्र स्थिति' कहा जाता है। इसको साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होता है। (धारा 103)।

नुकसानी के दावे-धारा 12

साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 यह साक्ष्य नियम प्रतिपादित करती है कि नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं। अन्य शब्दों में 'उन वादों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिसमें न्यायालय नुकसानी की वह

रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाये, जो अधिनिर्णीत की जानी चाहिए।' अतः नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं।

नुकसानी के वादों में नुकसानी की राशि विवाद्यक तथ्य मानी जाती है। नुकसानी का दावा या तो संविदा (contract) में या अपकृत्य (tort) में किया जाता है। जिन वादों में नुकसानी का दावा किया जाता है, नुकसानी रकम हमेशा विवाद्यक तथ्य होती है।

धारा 12 के अन्तर्गत नुकसानी को निश्चित करने की प्रवृत्ति रखने वाले साक्ष्य को अर्थात् हर्जाने की राशि को बढ़ाने-घटाने वाले साक्ष्य ग्राह्य होते हैं।

नुकसानी विभिन्न प्रकार के वादों में दावा की जाती है। जैसे संविदा का उल्लंघन, विवाह-वचन का उल्लंघन, नारी-हरण, अपमान-लेख, हमला, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, मिथ्या कारावास, अतिचार इत्यादि।

कोई तथ्य जो न्यायालय को नुकसानी की रकम अवधारित करने में सहायता देता है, सुसंगत घोषित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अपमान-लेख का वाद प्रस्तुत करता है, तो नुकसानी की राशि बढ़ाने के लिए वादी द्वारा यह साक्ष्य इस धारा के अन्तर्गत दिया जा सकता है कि प्रतिवादी के वाद लाने से पूर्व भी इस प्रकार का अपमान-लेख वादी के विरुद्ध प्रकाशित किया गया था।

सिविल मामले में नुकसानी ही सबसे अधिक प्रचलित उपचार (remedy) है। [डाइसन बनाम सेक्सन (1971) एस.एल.टी. 49]।

शेख गफूर बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 2008 NOC 1637 Bmb के वाद में यह निर्णय दिया गया कि नुकसानी के वाद में जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य सम्भव न हो या साक्ष्य न दिया जा सकता हो, वहाँ न्यायालय नुकसानी का निर्धारण युक्तियुक्ततः स्वविवेक से कर सकता है।

प्रश्नकोश

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में 'अन्यत्र उपस्थिति' (Alibi) सम्बन्धी प्रावधान दिया गया है? अथवा

“प्ली ऑफ एलीबादई” को किस धारा में धारित किया गया है?

A. धारा 11।

Q. धारा 11 का प्रथम नियम क्या है?

A. प्रथम नियम यह है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं सुसंगत हो जाएँगे यदि वे किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हों।

Q. यदि किसी व्यक्ति पर यह आरोप हो कि उसने किसी विशेष दिन कलकत्ता में किसी व्यक्ति की हत्या की तो यह तथ्य कि वह उस दिन बम्बई में था कैसा तथ्य है और किस रूप में सुसंगत है?

A. यह तथ्य कि वह उस दिन बम्बई में था धारा 11 के दोनों नियमों के अन्तर्गत असंगतता एवं अनधिसम्भाव्यता के अन्तर्गत सुसंगत है, यह तथ्य कि अपराध के दिन बम्बई में था, विवाद्यक तथ्य से असंगत होने के कारण सुसंगत है और यह

तथ्य कि वह अपराध के समय अपराध के स्थान से इतनी दूरी पर था कि उस अपराध का किया जाना उसके द्वारा सम्भव नहीं अत्यन्त अनधिसम्भाव्य था, सुसंगत है। (नाम परिवर्तन के साथ अनेक परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न)

Q. अन्यत्र उपस्थिति (alib) क्या है?

A. अभियुक्त का अपराध किए जाने के समय अन्य स्थल पर विद्यमान रहने का साक्ष्य अन्यत्र उपस्थिति कहा जाता है। यदि कोई अपराध किया गया है और अभियोजन यह दिखाता है कि अभियुक्त ने ही उस अपराध को किया है तो ऐसी दशा में अभियुक्त अपराध के समय अपनी अन्यत्र उपस्थिति सिद्ध कर सकता है और सिद्ध हो जाने पर वह बरी कर दिया जाएगा। इस प्रकार का तर्क अन्यत्र स्थिति का तर्क कहा जाता है।

Q. अन्यत्र स्थिति को सिद्ध करने का भार मौलिक रूप से किस पर होता है?

A. अन्यत्र किसी को सिद्ध करने का भार मौलिक रूप से अभियुक्त पर होता है।

Q. क्या यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लिया गया अभिवाक् सन्देह से परे हो?

A. अभियुक्त को अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक् को सन्देह से परे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है।

Q. सत्यवीर बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 1958 इला. के प्रकरण में क्या निष्कर्ष धारित किया गया?

A. इस प्रकरण में यह निष्कर्ष धारित किया गया कि—यदि अभियुक्त ने अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् किया हो तो भले ही वह समस्त सन्देह से परे हो उसे सन्देह का लाभ मिलेगा और अभियोजन को आरोप की विशिष्टियाँ सिद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलेगी।

Q. “अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक् में अभियुक्त का असफल हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त घटना स्थल पर उपस्थित था। यह विफलता किसी भी तरह से अभियोजन की मदद नहीं करता। अभियोजन के मामले को समस्त सन्देहों से परे साबित करने का भार अभियोजन पर सतत विद्यमान रहता है”। इस विचार को किस वाद में प्रकट किया गया?

A. यह विचार सखाराम बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.ए.आई.आर. 1952 एस.सी. में दिया गया।

Q. एक वाद में एक स्त्री और उसकी नौकरानी केवल दो ही लोग एक मकान में थे। स्त्री की हत्या हो गयी। संभावनाधिक्य के आधार पर नौकरानी को मौत की सजा सुनायी गयी। बाद में वास्तविक हत्यारे ने बताया कि किस प्रकार वह अन्दर घुसा

और बाहर निकला। इस प्रकार अधिसम्भावना पैदा करने वाले तथ्यों के कारण नौकरानी की न्यायिक हत्या हो गयी। यह वाद कौन-सा है?

A. यह वाद आर. बनाम बक्ले 1893 का है। धारा 11 का खण्ड-2 लागू किया गया।

Q. धारा 11 के अन्तर्गत ऐसे तथ्य सुसंगत होते हैं जो तथ्यों को अनधिसम्भाव्य बनाते हैं। किस वाद में इसका उदाहरण मिलता है?

A. तथ्यों के अनधिसम्भाव्यता का उदाहरण—सन्ता सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर., 1956 एस.सी. के वाद में मिलता है।

Q. यदि किसी वाद में गवाहों ने यह बताया कि मृतक को करीब 25 फीट की दूरी से गोली मारी गयी थी। डाक्टरी रिपोर्ट थी कि जख्मों की प्रकृति से यह प्रकट होता है कि घाव केवल एक गज की दूरी से दिये गये हैं। इससे गवाहों के बयान की सुसंगतता की क्या सीमा है?

A. इस तरह गवाहों के बयान अत्यन्त अनधिसम्भाव्य हो गये।

Q. ‘धारा 11 सुसंगत विषय को पूर्णरूप से न्यायालय के बुद्धि विवेक पर छोड़ दी है’। इस पहलू पर किस वाद में विचार किया गया?

A. आर. बनाम प्रभुदास 1974 बम्बई उच्च न्यायालय के वाद में।

Q. उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है कौन से तथ्य सुसंगत हैं?

A. जिन वादों में नुकसानी का दावा किया गया है कोई भी ऐसा तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह राशि अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो निर्णीत की जानी चाहिए।

Q. जिन वादों में नुकसानी का दावा किया जाता है उनमें विवाद्यक तथ्य क्या होते हैं?

A. जिन वादों में नुकसानी का दावा किया जाता है उनमें नुकसानी की रकम हमेशा विवाद्यक तथ्य होती है।

Q. नुकसानी के दावों में सामान्यतः कितने तरह के विवाद्यक तथ्य होते हैं?

A. दो तरह के—

(1) क्या वादी नुकसानी प्राप्त, करने का हकदार है।

(2) यदि हकदार है तो कितनी राशि का।

Q. किस वाद में यह कहा गया कि सिविल मामलों में नुकसानी ही सबसे अधिक प्रचलित उपचार है?

A. डाइसन बनाम सेक्सन 1971 के वाद में।

अधिकार और रूढ़ियाँ

(Rights of Customs) धारा 13

साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जब कोई अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है और सुसंगत तथ्यों की प्रस्थापना की गयी है। इस सम्बन्ध में यह धारा निम्न साक्ष्य नियम निर्धारित करती है—

“जहां कि किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं—

(क) कोई संव्यवहार, जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृष्ट, दावाकृत, उपान्तरित, मान्यकृत, प्राख्यात या प्रत्याख्यात की गयी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था।

(ख) वे विशिष्ट उदाहरण, जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गयी थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त या प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था”।

धारा 13 का सार यह है कि किसी अधिकार या रूढ़ि के प्रश्नगत होने पर उन अधिकारों या रूढ़ियों से सम्बन्धित कोई ऐसा संव्यवहार अथवा विशिष्ट उदाहरण सुसंगत होते हैं जो दावाकृत या मान्यता प्राप्त हैं अथवा उनका प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है अथवा उनका अनुसरण नहीं किया गया है।

“रूढ़ि” (custom) एक ऐसा नियम है जो कि किसी विशिष्ट परिवार में अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर बसने वाले व्यक्तियों में, बहुत दिनों से प्रचलित होने के कारण विधि की शक्ति प्राप्त कर लेती है”। ‘रूढ़ि’ एक विशिष्ट नियम है जो बहुत पहले से कायम हो और किसी विशिष्ट क्षेत्र में विधि की शक्ति प्राप्त कर लिया हो। [सुब्रामनियम चेट्टियार बनाम कुमारप्पा चेट्टियार, ए.आई.आर. मद्रास, 145]

मान्य रूढ़ि की विशेषताएँ (Requisites of a valid custom)—

- (1) रूढ़ि प्राचीन हो, मानव-स्मृति के बहुत पहले से मौजूद रही हो।
- (2) रूढ़ि सतत और लगातार प्रचलित रहने वाली हो।
- (3) रूढ़ि तर्कचित तथा युक्तियुक्त हो।
- (4) रूढ़ि निश्चित हो।
- (5) रूढ़ि अनिवार्य हो।
- (6) रूढ़ि अनैतिक न हो।
- (7) रूढ़ि लोकनीति (Public policy) के प्रतिकूल न हो।

भारत में मान्य रूढ़ि की विधि—किसी रूढ़ि के मान्य होने के लिए चार विशेषताएँ आवश्यक हैं—

- (1) वह तर्कचित हो,
- (2) वह स्मरणातीत हो,
- (3) वह आरम्भ से ही बिना रुकावट के लगातार प्रचलित रही हो, और
- (4) वह निश्चित हो।

वैध रूढ़ि का अनुपालन बन्धनकारी होना चाहिए न कि नैतिक अधिकार के रूप में। नैतिकता के नियम होते हैं जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। रूढ़ि विधि के स्रोत के रूप में विधिमान्य और प्रवृत्त रहने के लिए प्राचीनता के अतिरिक्त युक्तियुक्तता तथा संविधि से अनुरूपता होनी चाहिए।

धारा 13 में तीन प्रकार की रूढ़ियों का उल्लेख है—

- (1) व्यक्तिगत (Private),
- (2) सामान्य (General) और
- (3) सार्वजनिक (Public)।

व्यक्तिगत रूढ़ि वह रूढ़ि है जो किसी विशिष्ट परिवार में प्रचलित होती है।

सामान्य रूढ़ि की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 में दी गयी है।

संव्यवहार (Transaction)

‘संव्यवहार’ किसी व्यापार या लेन-देन, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में हो, को कहते हैं। संव्यवहार पहले से ही किया गया अथवा पूरा किया गया कार्य है।

जो कुछ किसी व्यक्ति द्वारा किया जाय जो कि एक-दूसरे के अधिकारों को प्रभावित करे और जिससे कोई वाद कारण पैदा हो वह संव्यवहार है। प्रत्येक संविदा संव्यवहार होती है, किन्तु प्रत्येक संव्यवहार संविदा नहीं होता है।

धारा 13 में संव्यवहार का जो अर्थ लिया जाता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह ‘वास्तविक’ और ‘सद्भावपूर्ण’ हो।

दृष्टान्त

प्रश्न यह है कि क्या ‘क’ का एक मीन-क्षेत्र पर अधिकार है? ‘क’ के पूर्वजों को मीन-क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख क, के पिता द्वारा उस मीन-क्षेत्र का बन्धक, क के पिता द्वारा उस बन्धक से

अनमेल पाश्चिक अनुदान, विशिष्ट उदाहरण, जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत तथ्य हैं।

वस्तुतः धारा 13 किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के प्रमाण का वर्णन करती है। यह धारा उन तथ्यों को अभिकथित करती है जो किसी अधिकार या रूढ़ि के प्रश्न उठने पर सुसंगत होते हैं। किसी अधिकार अथवा रूढ़ि को निम्नलिखित तरीके से साबित किया जा सकता है—

(i) ऐसे व्यक्तियों के कथन द्वारा जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनकी उपस्थिति बिना अनौचित्यपूर्ण विलम्ब या खर्च के प्राप्त नहीं की जा सकती है।

(ii) ऐसे व्यक्तियों की राय द्वारा जो उनके अस्तित्व के बारे में जानते हैं।

(iii) किसी संव्यवहार द्वारा जिसके प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि स्पष्ट, दावाकृत, मान्यकृत, प्रख्यात की गई हो या जो उसके अस्तित्व से असंगत हो।

(iv) न्यायालयों के निर्णयों के द्वारा।

(v) न्यायिक अवेक्षणों के द्वारा।

(vi) किसी विशिष्ट उदाहरण द्वारा जिसके द्वारा रूढ़ि या तो दावाकृत की गई हो या मान्यकृत की गई हो या प्रयुक्त की गई हो या उसके अस्तित्व का विषय विवाद-ग्रस्त स्थिति में छोड़ दिया गया हो। [ए.आई.आर. 1958 उड़ीसा 26]।

प्रश्नकोश

Q. अधिकार या रूढ़ि से सम्बन्धित प्रश्न की सुसंगत के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबन्ध किया गया है?

A. धारा 13।

Q. एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह सम्बन्ध हुआ। यह साबित करने के लिए क्या (साक्ष्य) नियम हैं कि विवाह एक विधि मान्य वैवाहिक बन्धन है?

A. ऐसे किसी विधि मान्य वैवाहिक बन्धन को साबित करने के लिए निम्न तथ्य सुसंगत हैं और साबित किए जाने चाहिए—

(i) प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाय।

(ii) न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान ले।

(iii) न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करे।

Q. एक विशिष्ट नियम है जो बहुत पहले से कायम हो और जिसने किसी विशिष्ट क्षेत्र में विधि की शक्ति प्राप्त कर लिया हो, क्या कहलाता है?

A. रूढ़ियां (Customs)।

Q. वह रूढ़ि जो किसी विशिष्ट परिवार में प्रचलित होती है, क्या कहलाती है?

A. व्यक्तिगत रूढ़ि।

Q. सामान्य रूढ़ि की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गयी है?

A. धारा 48।

Q. 'अधिकार' शब्द का अर्थ विभिन्न हाईकोर्टों के बीच विवादग्रस्त रहा है। इसका प्रयोग किस धारा में किया गया है?

A. धारा 13।

Q. प्रथा और रूढ़ि दोनों एक ही हैं। अन्तर दोनों में केवल इतना है कि प्रथा में स्मरणातीत प्राचीनता का गुण आवश्यक नहीं है किस वाद में निर्धारित किया गया है?

A. दलगीश बनाम मुजफ्फर हुसैन, आई.एल.आर. 23 कलकत्ता 427।

Q. किस वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने धारा 13 में अधिकार शब्द के अर्थ में अमूर्त अधिकार (मार्ग का अधिकार, नौवहन का अधिकार) को सम्मिलित माना है किन्तु मूर्त अधिकारों को नहीं माना है?

A. गुज्जा लाल बनाम फतेहपुर के वाद में।

Q. बम्बई, इलाहाबाद, मद्रास हाईकोर्टों ने धारा 13 के अन्तर्गत अधिकार शब्द में किन्हीं सम्मिलित किया है?

A. इन न्यायालयों ने यह माना है कि धारा 13 के अन्तर्गत अधिकार शब्द उन समस्त अधिकारों को सम्मिलित करता है जो कानून में जाने जाते हैं और इसलिए केवल अमूर्त अधिकारों को ही नहीं सम्मिलित करता है अपितु मूर्त अधिकारों को भी सम्मिलित करता है।

Q. पत्नी रुबिया बनाम बेल गोवनतला 1961 सु. को. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्मरणातीत रूढ़ि को किस रूप में अपास्त किया है?

A. उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी घटना के बारे में यह तब कहा जाता है कि वह स्मरणातीत समय से होती चली आ रही है जब उसका आरम्भ इतिहास की पुरानी बातों में छिपा हुआ हो।

Q. विधिमान्य रूढ़ि की शर्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूरन चन्द्र बोस बनाम दुर्लभ चन्द्र बोस के प्रकरण में किस रूप में बताया?

- A. गांववासियों की ओर से वादी द्वारा दावा किया गया था कि उस गांव के लोगों को विवादित जमीन पर काली पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्यवाही करने का अधिकार था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उत्तर दिया कि ऐसे अधिकार का आधार रूढ़ि में होता है, और रूढ़ि अधिकार को केवल किसी जिले में रहने वाले लोगों की ओर से मांगा जा सकता है जनसाधारण की ओर से नहीं।
- Q. क्या किसी न्यायालय का निर्णय जिसमें किसी रूढ़ि या अधिकार को मान्यता दी गई हो ऐसा संव्यवहार है जिसे धारा 13 के अन्तर्गत लाया जा सके?
- A. रामचन्द्र बनाम गदाधरमहापात्र ए.आई.आर. 1980 के वाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विचार प्रकट किया कि निर्णयों को संव्यवहार मानना चाहिए।
- Q. निर्णयों को धारा 13 के अन्तर्गत संव्यवहार मानने के सन्दर्भ में शीतलदास बनाम, सन्तराम ए.आई.आर. 1954 सु.को. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
- A. उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी महन्त के स्थान पर उत्तराधिकार के झगड़े में पूर्व महन्त द्वारा लाए गए वाद में निर्णय धारा 13 के अन्तर्गत संव्यवहार के रूप में सुसंगत होगा क्योंकि उस वाद में एक पक्षकार जिसने पूर्व महन्त के चेले होने के कारण महन्त बनने का अधिकार माना था उसे ऐसी डिग्री प्राप्त हुयी थी।

मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य (Facts showing existence of state of mind, or of body or bodily feeling) धारा 14

अधिकांश अपराधों और दीवानी अपकृत्यों में अभियुक्त या प्रतिवादी की मानसिक दशा अपराध का महत्वपूर्ण तत्त्व होती हैं। मानसिक तत्त्व या मन की दशा या जिसे सामान्यतया दुराशय (Mens rea) कहते हैं, दायित्व की अनिवार्य शर्त होती है। कोई व्यक्ति चोरी की गयी सम्पत्ति को अभिप्राप्त करने के लिए केवल तभी दायित्वाधीन होगा अगर उसको इस बात का ज्ञान रहा हो कि वह चोरी की हुई सम्पत्ति थी।

धारा 14 के अनुसार मन की कोई भी दशा, जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं जबकि मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद्य या सुसंगत है।

स्पष्ट है कि धारा 14 में मानसिक दशा दर्शाने के रूप में आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले आदि तत्त्व उल्लिखित हैं।

यह धारा किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करती बल्कि यह सारी बात न्यायालय के विवेक पर छोड़ देती है।

सारांश में इस धारा का निर्देश यह है ऐंकि जब मन की दशा को साबित किया जाना हो तब ऐसा प्रत्येक तथ्य सुसंगत होगा जिससे यह दशा निष्कर्षित की जा सकती है।

मन की दशा साबित करना

कुछ अपराधों में अपराध को गठित करने के लिए मानसिक दशा को साबित किया जाता है। यदि किसी मानसिक या शारीरिक दशा का अस्तित्व विवाद्यक या सुसंगत हो तो यह स्पष्ट है कि वे तथ्य जिनसे कि ऐंसी मानसिक या शारीरिक दशा या शारीरिक संवेदना के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है, वे भी सुसंगत हैं। मानसिक तथ्य चेतना के विषय होते हैं तथा मनुष्य का मस्तिष्क उनका स्थान होता है।

दृष्टान्त

‘अ’ चोरी का एक ऐसा माल प्राप्त करने का अभियुक्त है, जिसे वह जानता है कि वह चोरी का है। यह सिद्ध कर दिया गया है कि चोरी की एक विशिष्ट वस्तु उसके कब्जे में थी। सुसंगत है। (दृष्टान्त अनेक परीक्षाओं में पूछा गया)।

यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में अन्य कई चोरी की वस्तुएँ थीं, सुसंगत है, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने

के नाते कि अपराध के बहुत से मामलों में दायित्व के लिए आपराधिक आशय अनिवार्य होता है।

उदाहरण के लिए एक व्यक्ति हत्या के अपराध का दोषी होगा यदि उसने मृत्यु कारित करने के आशय से कोई चोट पहुँचायी हो। एक व्यक्ति आकस्मिक क्षति के लिए दायित्वाधीन होगा यदि दुर्घटना उसकी उपेक्षा के कारण हुई थी।

विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अपकृत्य के मामले में दायित्व में विद्वेष एक महत्वपूर्ण तत्त्व होता है।

किसी कम्पनी के निदेशकों द्वारा अंशों (शेयर्स) का अन्तरण स्वीकार न करना रद्द करने योग्य होता है, यदि उन्होंने दुर्भाव से प्रेरित होकर ऐसा किया हो।

अपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तथ्य

मन की दशा के विभिन्न प्रकार हैं, जिन्हें बहुधा साबित करना पड़ता है। धारा 14 स्वयं मन की दशा के निम्न प्रकारों का उल्लेख करती है—

- आशय (Intention)
- ज्ञान (Knowledge)
- सद्भाव (Good faith)
- उपेक्षा (Negligence)
- उतावलापन (Recklessness)
- वैमनस्य (Ill-will)
- सदिच्छा (Good-will)
- शरीर की दशा (State of body)
- शारीरिक संवेदना (Body Feeling)

किसी व्यक्ति के मन की दशा उसकी गुप्त बात होने के कारण किसी व्यक्ति के मन की दशा को साबित करने की कठिनाई सुस्पष्ट है। इस कार्य को सुगम बनाने हेतु ही धारा 14 की रचना की गई।

दृष्टान्त

‘क’ पर ‘ख’ की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक

लांछन प्रकाशित करके ‘ख’ की मानहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य कि ‘ख’ के बारे में ‘क’ ने पूर्व प्रकाशन किये जिनसे ‘ख’ के प्रति ‘क’ का वैमनस्य दर्शित होता है, से ‘ख’ की ख्याति की अपहानि करने का आशय साबित होता है। अतः यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत सुसंगत है।

बोर्ड मैनेजर्स डी.पी.पी. (1974 AIIER 887) में हाउस ऑफ लार्ड्स ने अपराधी के पिछले अपराधिक रिकार्ड तथा भूतपूर्व दुष्कर्मों को कहां तक साक्ष्य में लिया जा सकता है, उस पर फिर से विचार किया।

साक्ष्य ग्राह्य है या नहीं यह उसकी श्रेणी पर निर्भर नहीं करता बल्कि इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह बात को साबित करने की कितनी ताकत रखता है और कितना माकूल है।

मानसिक दशा का प्रमाण

(Proof of Mental Condition)

दूसरे व्यक्ति के मन की दशा को पार्श्ववर्ती तथ्यों द्वारा साबित किया जाता है। पार्श्ववर्ती तथ्यों की ग्राह्यता को, मन की दशा को साबित करने के लिए, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—

1. जहां अभियोजन आचरण के क्रम को साबित करना चाहता है,
2. जहां अभियोजन अभियुक्त के दुर्घटना (Accident) या भूल (mistake) के सुझाव का खण्डन करना चाहता है,
3. जहां पर अभियोजन अभियुक्त (Accused) द्वारा किसी तथ्य के ज्ञान को साबित करना चाहता है।

क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला (1885) 7 All 385 में यह धारित किया गया कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य सुसंगत नहीं है।

एक नवीनतम दृष्टान्त मूलक वाद में एक अभियुक्त ऐसे दो संव्यवहारों में शामिल था जिनके तथ्य एक समान थे और जिनमें से एक में वह दोषमुक्त घोषित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि दूसरे संव्यवहार के आधार पर की गयी कार्यवाही में पहले वाले निर्णय का लाभ वह प्राप्त कर सकता था।

प्रश्नकोश

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रयुक्त ‘मन की दशा’ मन की किन दशाओं को प्रकट करता है?

A. आशय, ज्ञान, सद्भाव (उपर्युक्त सभी)/दुराशय, उपेक्षा।

Q. ‘अ’ साक्ष्य असन (शूटिंग) के द्वारा ‘ब’ की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। यह तथ्य कि ‘अ’ लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था, सुसंगत है अथवा विसंगत?

A. विसंगत। (धारा 14, दृष्टान्त ग)।

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पूर्व दोषसिद्धि सुसंगत है?

A. धारा 14, स्पष्टीकरण-III।

Q. ‘अ’ की मृत्यु ‘ब’ के उपेक्षापूर्ण गाड़ी चालन के कारण हुई। यह तथ्य कि ‘ब’ उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदी था, सुसंगत है या नहीं?

A. सुसंगत नहीं है।

Q. अधिनियम की धारा 14 किन तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है?

- A. धारा 14 के अनुसार—मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, तब सुसंगत हैं जबकि मन की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद्यक या सुसंगत है।
- Q. धारा 14 के साथ कितने स्पष्टीकरण संलग्न हैं?
- A. धारा 14 के साथ 2 स्पष्टीकरण संलग्न हैं।
- Q. धारा 14 के स्पष्टीकरण 1 विशिष्ट तथ्यों के साक्ष्य न कि साधारण प्रवृत्ति के साक्ष्य के बारे में क्या उपबन्ध करती है?
- A. धारा 14 का स्पष्टीकरण 1 के अनुसार—यदि कोई तथ्य इस कारण सुसंगत है, कि क्योंकि वह व्यक्ति की मानसिक दशा की ओर संकेत कर रहा है तो ऐसे तथ्य के लिए यह आवश्यक है कि वह यह संकेत करे कि इस प्रकार की मानसिक दशा सामान्य रूप से नहीं अपितु विवादग्रस्त प्रश्न के सन्दर्भ में विद्यमान है।
- Q. धारा 14 का स्पष्टीकरण दो पूर्व दोषसिद्धियों के साक्ष्य के बारे में क्या उपबन्ध करता है?
- A. इसका स्पष्टीकरण यह उपलब्ध करता है कि जहां धारा 14 के उपबन्ध के आधार पर व्यक्ति द्वारा किसी अपराध का पहले किया जाना सुसंगत हो, वहां ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धियां भी सुसंगत होंगी।
- Q. धारा 14 मन की दशा के कितने प्रकारों का उल्लेख करता है?
- A. नौ।
- Q. प्रतिवादी के कुत्ते द्वारा पहुँचाये गये नुकसान के लिए चलाये गये वाद में यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी को कुत्ते की हिंसक प्रवृत्ति का ज्ञान था, किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A. इस तरह के वाद में यह दिखाया जा सकता है कि प्रतिवादी के कुत्ते ने पहले भी अन्य लोगों को काटा था और उन लोगों ने प्रतिवादी से शिकायत की थी, क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से यह साबित हो जायेगा कि उसका अपने कुत्ते की हिंसक प्रवृत्ति का ज्ञान था।
- Q. जहां प्रश्न यह हो कि क्या एक अपमानजनक सामग्री को वादी की ख्याति को नुकसान पहुँचाने के आशय से प्रकाशित किया गया था। वहां वादी और प्रतिवादी की तरफ से किन तथ्यों को दर्शाया जा सकता है?
- A. ऐसे प्रश्न में वादी द्वारा यह दर्शाया जा सकता है कि प्रतिवादी ने पहले भी वादी के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रकाशन किये थे या कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था। जिसके कारण प्रतिवादी उससे वैमनस्य रखता था।
- ठीक इसी तरह प्रतिवादी यह स्पष्ट करने के लिए कि उसका आशय वादी की ख्याति को नुकसान पहुँचाना नहीं था, यह दर्शा सकता है कि उनके बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था और उसने सम्बन्धित बात को जैसा सुना था वैसा ही दुहरा दिया था।
- Q. किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय साबित करने के लिए धारा 14 के अन्तर्गत किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A. आशय को साबित करने के लिए इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है कि अभियुक्त ने पहले भी मृतक को गोली मारने का प्रयास किया था या कि अभियुक्त ने मृतक को धमकी भरे पत्र भेजे थे।
- Q. जब कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्निवियोग करने का अभियुक्त हो और प्रश्न यह हो कि क्या उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता, तब इस हेतु किन तथ्यों को दर्शित किया जा सकता है?
- A. ऐसी स्थिति में यह दर्शित किया जा सकता है कि सम्पत्ति खोने वाले व्यक्ति की ओर से उस स्थान में विज्ञापन छपा था वहां अभियुक्त था क्योंकि उससे यह दर्शित होगा कि अभियुक्त को सद्भावपूर्वक यह विश्वास नहीं था कि इस सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता।
- Q. **क्वीन इम्प्रेस बनाम बाजी एम.आई.एल.आर. 1892** के वाद में कपटपूर्ण अन्तरण के सम्बन्ध में क्या धारित किया गया?
- A. इस वाद में प्रश्न यह था कि अभियुक्त ने एक ही दिन में तीन-तीन सम्पत्तियों का अन्तरण सद्भावपूर्वक किया था या उन सम्पत्तियों को एक डिक्री के निष्पादन में जब्त होने से बचाने के लिए कपटपूर्वक ऐसा किया। यह साक्ष्य कि अभियुक्त ने उसी दिन उसी प्रकार के अन्य अन्तरण किये थे, ग्राह्य माना गया, क्योंकि इसमें यह दर्शाने की प्रवृत्ति थी कि सभी अन्तरण कपटपूर्ण थे।
- Q. जहां एक व्यक्ति के शरीर की दशा अथवा शारीरिक संवेदना प्रश्नगत हो वहां कैसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A. ऐसी स्थिति में प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जिससे उक्त दशा अथवा संवेदना को अनुमानित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए प्रभावित व्यक्ति के कथन एक महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं केवल वही अपने शरीर की दशा को सर्वाधिक भली-भाँति जानता है।
- Q. अंग्रेजी विधि का यह सिद्धान्त कि—“किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष समय पर अपने स्वास्थ्य या शारीरिक संवेदनाओं के विषय में किये गये कथन ग्राह्य किये जाते हैं यदि वे कथन

लगभग उसी समय किये गये हों जब सम्बन्धित कार्य किया गया हो” किस वाद में प्रतिपादित किया गया?

- A. ऐक्शन बनाम किन्नेयर्ड (लार्ड) 1805** के वाद में प्रतिपादित किया गया।
- Q.** किस वाद में निर्णय धारित करते समय न्यायमूर्ति चार्ल्स ने यह कहा कि—“कथाओं को शारिरिक दशा के समकालीन लक्षणों तक ही सीमित रहना चाहिए, वे वृत्तान्त के रूप में ग्राह्य नहीं हैं कि उन्हें किसने कारित किया था, यानि किस प्रकार कारित किये गये थे?
- A. आर. बनाम ग्लोस्टर 1888** के वाद में।
- Q.** जहां यह प्रश्न हो कि क्या एक व्यक्ति की मृत्यु जहर द्वारा कारित की गयी थी? वहां किस तरह के कथन सुसंगत होंगे?
- A.** ऐसी स्थिति में अपनी बीमारी के दौरान लक्षणों के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये कथन सुसंगत होंगे क्योंकि उन कथनों को ऐसे समय दिया गया है जबकि शरीर की वह दशा वर्तमान थी, और इस कारण उनके झूठे होने की सम्भाव्यता नहीं है।
- Q.** अधिनियम की धारा 14 पर स्पष्टीकरण 1 कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लगाता है, इस स्पष्टीकरण का प्रभाव धारा 14 पर क्या है?
- A.** स्पष्टीकरण का प्रभाव यह है कि मन की किसी दशा को साबित करने के लिए केवल ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो मन की उस दशा को साधारणतः नहीं वरन् प्रश्नगत विशिष्ट विषय के सन्दर्भ में कर देंगे।
- Q.** जहां एक व्यक्ति पर उपेक्षापूर्वक अनुपयुक्त गाड़ी भाड़े पर देने के लिए वाद लाया जाता है वहां किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा?
- A.** ऐसे वाद में इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उस विशिष्ट गाड़ी की त्रुटि की और अन्य अवसरों पर भी उसका ध्यान आकृष्ट किया गया था, किन्तु धारा 14 के स्पष्टीकरण—1 के अनुसार इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है कि वह अपनी गाड़ियों के बारे में साधारणतः उपेक्षावान था।
- Q.** जहां ‘क’, ‘ख’ को गोली से मार डालने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां साक्ष्य में किन तथ्यों को दर्शाया जा सकता है?
- A.** ऐसी स्थिति में यह दर्शाया जा सकता है कि उसने पहले भी ‘ख’ को गोली मारने का प्रयास किया था। किन्तु स्पष्टीकरण—1 के अनुसार यह नहीं दर्शाया जा सकता कि वह लोगों की हत्या करने के आशय से गोली चलाने का आदती है।
- Q.** किस वाद में अधिनियम की धारा 14 के क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या करते हुए तथ्यों के आधार पर यह धारित किया गया कि—प्रांमिजरी नोट की कूटरचना के लिए अभियोजन में यह

तथ्य सुसंगत नहीं होगा कि अभियुक्त के पास तमाम दस्तावेज पाये गये जो प्रकटतया कूटरचित थे या कूटरचना हेतु तैयार किये गये थे क्योंकि इससे केवल एक तरह के अपराधों को करने की प्रवृत्ति उपदर्शित होती है न कि एक विशिष्ट अपराध को करने का आशय?

- A.** यह तथ्य **रेग बनाम प्रभूदयाल 1847** के वाद में धारित किया गया।
- Q.** स्पष्टीकरण—2 पर एक सामान्य जुआं घर चलाने के अपराध के लिए अभियोजित किये जाने के सन्दर्भ में पूर्व दोषसिद्धि को साक्ष्य के रूप में उचित और ग्राह्य माने से सम्बन्धित वाद कौन सा है?
- A.** **इम्परर बनाम अल्लकोमिया हसन** का वाद इस विषय पर प्रमुख है। इस प्रकरण में न्यायमूर्ति आस्टिन ने मत व्यक्त किया कि पूर्व दोष सिद्धियां धारा 14 के दूसरे स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सुसंगत थीं क्योंकि उनसे एक सामान्य जुआघर चलाने के आपराधिक ज्ञान अथवा आशय सन्दर्शित होता था।
- Q.** साक्ष्य विधि के प्रयोजनों के लिए समरूप तथ्य क्या हैं?
- A.** प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य को अन्य तथ्य के समरूप तब कहा जाता है जबकि वह विवाद्यक तथ्य के जैसा ही हो। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति पर चोरी करने का अभियोग लाया जाय तो उसके द्वारा अन्य अवसरों पर की गयी चोरियां एक समरूप तथ्य होंगी।
- Q.** इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य सुसंगत नहीं है, किस वाद में निम्न तथ्य प्रतिपादित किये गये—“इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि अभियुक्त के आपराधिक आचरण या शील को देखकर यह सम्भावना बनती है कि उसने विपरीत आचरण कारित किया होगा, निःसन्देह रूप से अभियोजन यह दर्शाने के लिए सक्षम नहीं है कि अभियुक्त आरोप के अन्तर्गत आपराधिक कृत्यों के अतिरिक्त कई अन्य कृत्यों का दोषी रहा है”।
- A.** यह तथ्य उक्त सिद्धान्त के सम्बन्ध में **मेकिन बनाम एटार्नी जनरल फार न्यू साउथ वेल्स, 1894** के वाद में दिये गये।
- Q.** **रेक्स बनाम बाल, 1911** के वाद में समरूप तथ्य के विषय में क्या निर्धारित किया गया?
- A.** इस वाद में यह धारित किया गया कि “आप किसी व्यक्ति को यह साबित करके किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहरा सकते हैं कि वह कोई अन्य अपराध भी कारित कर चुका था”।
- Q.** यह साक्ष्य कि कोई व्यक्ति वह विशिष्ट मानसिक दशा सामान्य रूप से रखता है, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A.** **सेला मधु बनाम मुधु, आई.एल.आर. 35, मद्रास 11861**

- Q. परीक्षण के दौरान, बहुत से व्यापारियों को संव्यवहार के बारे में बताने के लिए बुलाया गया, जो किसी आरोप का विषय नहीं था। यह धारण किया गया कि संव्यवहार का साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। किस वाद में निर्धारित किया गया था?
- A. श्री निवास मल्ल बनाम् एम्परर, ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 135।

- Q. एक व्यक्ति आकस्मिक क्षति के लिए दायित्वाधीन होगा, यदि दुर्घटना उसकी उपेक्षा के कारण हुई थी यह किस वाद में निर्धारित किया गया था?
- A. बाहम् बनाम् मेनलव (1837) 3 विंग एस.सी. 468, तथा डानगू बनाम् स्टीवेन्सन (1932) ए.सी. 532।

आकस्मिक या साशय कृत्य

साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कार्य आकस्मिक था। साशय इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों की सुसंगतता पर साक्ष्य नियम अधिकथित है। इस धारा के अनुसार “जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साशय था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति सम्पृक्त था, सुसंगत है”।

दृष्टान्त

‘क’ पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया।

ये तथ्य कि ‘क’ कई गृहों में एक के पश्चात् दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक भाग में आग लगी और जिन अग्निकाण्डों में से हर एक के उपरान्त ‘क’ को किसी भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन मिला, उस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि ये अग्निकाण्ड आकस्मिक नहीं थे।

धारा 15 दो प्रकार के मामले में प्रयुक्त होती है-

1. जब कि प्रश्न यह हो कि किसी व्यक्ति पर आरोपित कृत्य आकस्मिक है या साशय और उस कृत्य के आकस्मिक होने का बचाव लिया गया हो, तथा
2. जबकि प्रश्न यह हो कि क्या किसी कार्य को किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था।

वे समस्त वाद, जिनमें किसी कार्य को करने की मानसिक दशा (आशय, ज्ञान, सद्-विश्वास, दुर्भावना आदि) को सिद्ध या असिद्ध करना आवश्यक होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के समान हैं आकस्मिक घटना के

अभिवाक् का खण्डन करने के लिए सुसंगत होते हैं। यह नियम धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिपादित सिद्धान्त का विशेष प्रयोग है।

इम्परर बनाम् पांचू दास (1920) hml 47 कलकत्ता 671 का वाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 पर एक प्रमुख वाद है, ध्यातव्य है कि यह वाद आकस्मिक या साशय किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में प्रकाश डालता है न कि कारबार के सामान्य अनुक्रम में किये गये कार्य पर। कारबार से सम्बन्धित अनुक्रम धारा 16 के अन्तर्गत सुसंगत बनाया गया है न कि धारा 15 में।

धारा 14 और 15 में भिन्नता

धारा 14 एक सामान्य धारा है जो कि मन की दशा से सम्बन्धित समस्त वादों का वर्णन करती है जबकि धारा 15 के अन्तर्गत वे वाद आते हैं जहां यह प्रश्न होता है कि कोई विशिष्ट कार्य आकस्मिक है या जानबूझकर किया गया है?

धारा 14 की तरह धारा 15 में भी ‘कोई अपराध किया गया अथवा नहीं’ का साक्ष्य ग्राह्य है जब विवादक तथ्य के अस्तित्व को अन्य साक्ष्यों द्वारा स्थापित कर दिया जाता है।

धारा 15 के आवश्यक तत्त्व

धारा 15 के प्रमुख आवश्यक तत्त्व निम्न हैं-

- (1) यह कि क्या वह कार्य आकस्मिक, साशय या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से कारित किया गया था?
- (2) यह कि अन्य कार्य समरूप, अर्थात् प्रश्नगत कार्य के विनिर्दिष्ट भाति के समान होना चाहिए।
- (3) यह कि ऐसे अन्य कार्यों को प्रश्नगत कार्य के पर्याप्त समकालिक समय में होना चाहिए।
- (4) यह कि प्रश्नगत कार्य को उपदर्शित करना चाहिए कि वह समरूप कार्य की अवधि का एक भाग है और वह एक परिकल्पित तथ्य व्यवस्थित आचरण के क्रम को इंगित करता है।

प्रश्नकोश

- Q.** कार्य, आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य किस धारा के अन्तर्गत आते हैं?
- A.** धारा 15।
- Q.** कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किस वाद में धारण किया है कि साक्ष्य में दिए गए कार्य प्रश्नगत कार्य से समय में निकटतम होने चाहिए?
- A.** अमृत लाल होशरा बनाम् एम्परर, आई.एल.आर. 1947 कल 998।
- Q.** जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साशय था या किसी विशिष्ट आशय ज्ञान से किया गया था तो कौन से तथ्य सुसंगत होंगे?
- A.** ऐसी दशा में यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली (series) का भाग था जिनमें से हर घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति सम्पृक्त (concern) था सुसंगत होगा।
- Q.** 'क' पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया। ये तथ्य कि 'क' कई गृहों में से एक के पश्चात् दूसरे में रहा जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया और जिनमें से हर एक में आग लगी और जिन अग्निकाण्डों में से हर एक के उपरान्त 'क' को किसी भिन्न बीमा कार्यालय से धन मिला, किस रूप में सुसंगत है?
- A.** यह तथ्य इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकाण्ड आकस्मिक नहीं थे।
- Q.** मेकिन बनाम एटार्नी जनरल फार न्यू साउथ वेल्स, 1844 में प्रिवी कौंसिल द्वारा किया गया निर्णय किस विषय पर आधारित है?
- A.** इस विषय पर कि कोई कार्य आकस्मिक या साशय किया गया था। लार्ड हरशेल, लार्ड चांसलर ने धारण किया कि—“केवल यह तथ्य कि प्रस्तुत साक्ष्य अन्य अपराधों को कारित किये जाने की ओर संदर्शित करता है, उस साक्ष्य को अग्राह्य नहीं बना देती यदि वह किसी विवादास्पद विषय के लिए सुसंगत हो, और वह साक्ष्य इस प्रकार सुसंगत हो सकता है यदि वह सम्बन्धित विवादास्पद विषय पर प्रकाश डालता है चाहे कथित कार्य साशय किये गये हो या आकस्मिक रूप से घटे हों अथवा वह साक्ष्य अभियुक्त को अन्यथा मिलने वाले किसी बचाव के खण्डन के सुसंगत हो”।
- Q.** इम्परर बनाम पांचू दास, 1920 कलकत्ता का वाद किस धारा पर प्रमुख वाद है।
- A.** इम्परर बनाम पांचू दास अधिनियम की धारा 15 पर एक प्रमुख वाद है।
- Q.** समरूप तथ्यों के विषय में यह अंग्रेजी विधि का सर्वमान्य नियम है कि समरूप तथ्यों को साक्ष्य विधि में स्वीकार नहीं किया जायेगा। धारा 15 इस पर क्या प्रकाश डालती है?
- A.** धारा 15 इस सिद्धान्त का, कि समरूप तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जायेगा, एक अपवाद प्रस्तुत करती है।
- Q.** समरूप तथ्यों की अस्वीकृति के कौन से कारण हैं?
- A.** इसके तीन कारण बताये गये हैं—
- (1) प्रत्येक मामले का विवरण अपने तथ्य के आधार पर होना चाहिए।
 - (2) समरूप तथ्यों को ग्राह्य करने से सबसे बड़ा खतरा है कि न्यायालय तुरन्त निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि अभियुक्त दोषी है बिना विचारण के।
 - (3) इससे न्यायालय यह सोचने लगेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति का शील अच्छा नहीं है और वह अपराधी है यानि शील पर विचार करने लगेगा।
- Q.** मन की दशा अथवा दुराशय साबित करने के लिए समरूप तथ्यों का साक्ष्य कब दिया जा सकता है?
- A.** समरूप तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जबकि उससे मन की दशा अथवा दुराशय साबित होता तो जोकि या हो दायित्व की शर्त हो या अन्यथा सुसंगत हो। इस प्रकार का साक्ष्य धारा 14 एवं 15 दोनों के अन्तर्गत आता है। धारा 14 उन तथ्यों को सुसंगत मानती है यदि उनसे मन की ऐसी कोई विशिष्ट दशा साबित होती हो जो कि दायित्व के लिए अनिवार्य हो और धारा 15 समरूप घटनाओं को सुसंगत मानती है यदि वे घटनायें यह दर्शाने के लिए आवश्यक है कि कार्य एक विशिष्ट आशय से किया गया था।
- Q.** हाउस ऑफ लार्ड्स ने किस वाद में यह कहा कि—यह तथ्य कि विगत चोरियों की, जबकि अभियुक्त कहीं बाजार में रहा हो अग्रिम अवसर पर चोर के रूप में अभियुक्त की अनन्यता को सर्वानुरूप पुष्ट नहीं करता?
- A.** हाउस ऑफ लार्ड्स ने यह अभिमत हैरिश बनाम डी.पी.पी., 1952 के वाद में व्यक्त किया।
- Q.** धारा 15 पर किन वादों में अभियुक्त की अनन्यता स्थापित करने के लिए समरूप घटनाओं के विषय में निर्णय दिये गये हैं?
- A.** जिन वादों में समरूपताओं के साक्ष्य अभियुक्त की अनन्यता स्थापित करने के लिए दिये गये हैं, वे हैं—
- (1) टामसन बनाम आर. 1918
 - (2) फारकिन्स बनाम जैफकी, 1912
 - (3) आर. बनाम स्ट्रेफेन, 1952
 - (4) नूर मुहम्मद बनाम सम्राट 1952
 - (5) डी.पी.पी. बनाम क्रिस्थे इत्यादि।

कारबार के अनुक्रम में की गयी चीजें (Existence in course of business when relevant) धारा 16

धारा 16 का शीर्षक है—कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। इसके अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता है, सुसंगत है।

विधि कारबार के किसी भी सामान्य अनुक्रम को साक्ष्यात्मक महत्त्व प्रदान करता है। इस उपबन्ध का प्रभाव यह है कि यदि दर्शा दिया जाय कि कोई विशिष्ट कार्य कारबार के सामान्य अनुक्रम में किया गया है तो विधि यह उपधारणा कर लेती है कि उसे अवश्य ही किया गया होगा।

दृष्टान्त

प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था?

ये तथ्य कि कारबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र, जो किसी खास स्थान में रख दिये जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाये जाते थे और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत है।

इसी प्रकार यदि प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र A को मिला।

यह तथ्य कि पत्र सम्यक् अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केन्द्र द्वारा लौटाया नहीं गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत सुसंगत है। (दोनों दृष्टान्त परीक्षा में पूछे गए)।

कारबार के अनुक्रम को साबित करने वाले तथ्यों की सुसंगति

धारा 16 में निर्धारित किया गया है कि जब किसी कारबार के अनुक्रम के अस्तित्व से किसी विशिष्ट परिणाम का होना स्वाभाविक है, तो ऐसे कारबार के अनुक्रम का उपस्थित होना यह परिचायक है कि वह परिणाम अवश्य घटित हुआ है। धारा 16 निम्नलिखित सूत्र का अंग है—

"Omnia Praesumuntur rite et solemniter esse acta"

(समस्त कार्यों को नियमित रूप से और सही ढंग से किया जाना कल्पित किया जाना चाहिये।)

डाकिया द्वारा रजिस्ट्री के पीछे 'इन्कार' लिखा होना इस बात का साक्ष्य है कि प्रेषिती ने पत्र लेने से इंकार किया। [बलभदर बनाम्

आई.टी. कमिशनर, ए.आई.आर. 1957, पंजाब 284]।

व्यक्तियों का कारबार और शासकीय मामलों में आचरण बहुत हद तक समान होता है और ऐसे मामलों में दृढ़ उपधारणा की जाती है कि साधारण नियमितता बरती जायेगी। विधि कल्पना कर लेती है कि कोई कार्य जो पब्लिक में किया गया है या कोई औपचारिक कार्य जो प्राइवेट तौर पर किया गया है, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयुक्त रूप में किया गया है। धारा 114 तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा के बारे में है जब कि धारा 16 का सम्बन्ध केवल सुसंगति से है।

जब किसी कारबार के अनुक्रम के अस्तित्व से किसी परिणाम विशेष का होना स्वाभाविक है तो ऐसे कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व में होना इस बात का सबूत है कि वह परिणाम अवश्य घटित हुआ होगा।

डाक द्वारा भेजे गये पत्र पर 'इन्कार' का पृष्ठांकन

जब कोई व्यक्ति किसी पत्र को लेने से इंकार करता है उसे बाद में यह कहने नहीं दिया जायेगा कि उसे यह नहीं मालूम था कि पत्र में क्या लिखा है और डाकखाने की यह टिप्पणी कि 'पत्र लेने से इंकार किया गया है। इस बात का सबूत माना जाता है कि पत्र उसके पास प्रदान हेतु भेजा गया है और उसने लेने से इंकार कर दिया। [योगेन्द्र चन्द्र बनाम द्वारका नाथ करमोकर, (1885) आई.एल.आर. 35 कलकत्ता 681]।

प्रतिवादी द्वारा वादी को उसके सामान्य पता से, जिस पर नम्बर एवं तारीख पड़ी है, एक पत्र भेजा गया। आफिशियल कार्य किये जाने के सम्बन्ध में एक कानूनी उपधारणा होती है। अतः यह साबित करने का भार कि वादी को पत्र नहीं प्राप्त हुआ, वादी पर होता है। [स्ट्रेट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर बनाम् जगदीश चन्द्र (1919), कश्मीर लॉ जर्नल 334]।

इसी प्रकार सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भेजा गया पत्र प्रेषिती को एक निश्चित तिथि को भेजा गया और उचित प्रक्रम में प्रेषिती के पास पहुँचा। साक्ष्य अधिनियम की न तो धारा 16 न 114 न्यायालय को अनुमान करने के लिए मजबूर करती है। अनुमान किया भी जा सकता है नहीं भी किया जा सकता है। [ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 119]।

प्रश्नकोश

- Q.** अधिनियम की धारा 16 किन तथ्यों की सुसंगति के बारे में बतलाती है?
- A.** धारा 16 ऐसे तथ्यों की सुसंगति के बारे में बतलाती है जो कारबार के अनुक्रम में किये जाते हैं।
- Q.** जबकि प्रश्न यह है कि कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कौन से तथ्य सुसंगत हैं?
- A.** ऐसी स्थिति में कारबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य भलीभांति किया जाता, सुसंगत है।
- Q.** धारा 16 में दिये गये उपबन्ध का क्या प्रभाव है?
- A.** इस उपबन्ध का प्रभाव यह है कि यदि यह दर्शा दिया जाय कि कोई विशिष्ट कार्य कारबार के सामान्य अनुक्रम में किया गया है, तो यह उपधारणा कर ली जाती है कि उसे अवश्य ही किया गया होगा।
- Q.** धारा 16 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए?
- A.** धारा 114 के दृष्टान्त (च) के साथ।
- Q.** धारा 16 के साथ 2 दृष्टान्त संलग्न हैं। पहला दृष्टान्त किस वाद पर आधारित है?
- A.** धारा 16 का पहला दृष्टान्त हेथरगन बनाम केम्प के वाद पर आधारित है।
- Q.** हेथरगन बनाम केम्प के वाद में क्या धारित किया गया था?
- A.** इस वाद में यह धारित किया गया था कि—“यह साबित करने के लिए पत्र डाक में डाला गया था, यह दर्शाना सुसंगत है कि पत्र को उस क्लर्क को दिया गया था जो अभ्यासपूर्वक उन सभी पत्रों को लेता था जो डाक में डाले जाने के लिए उसे दिये जाते थे, उस विशेष पत्र की याद उसे भले ही न हो”।
- Q.** धारा 16 का दृष्टान्त दो किस संव्यवहार से सम्बन्धित है?
- A.** दृष्टान्त दो पत्रों के परिदान से सम्बन्धित है।
- Q.** कारबार के सामान्य अनुक्रम के बारे में किये गये कार्यों के बारे में उपधारणा के अधिनियम की अन्य किस धारा में मजबूती प्रदान की गयी है?
- A.** इस उपधारणा को अधिनियम की धारा 144 के दृष्टान्त (च) में भी मजबूती प्रदान की गयी है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि प्रत्येक मामले में कारबार के अनुक्रम की पालना अवश्य की गयी होगी।
- Q.** योगेन्द्र चन्द्र घोष बनाम, द्वारकानाथ करमोकर, 1885 के वाद में क्या धारित किया गया?
- A.** इस वाद में धारित हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी पत्र को लेने से इंकार करता है तो उसे बाद में यह नहीं कहने दिया जायेगा कि उसे यह नहीं मालूम था कि पत्र में क्या लिखा है, और प्रत्येक खोलने की इंकारी की टिप्पणी इस बात का सबूत माना जाता है कि पत्र उसके पास प्रदान हेतु भेजा गया था और उसने लेने से इंकार कर दिया।
- Q.** धारा 16 के दृष्टान्त-2 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित वाद कौन सा है?
- A.** मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, ए.आई.आर., 1957 दृष्टान्त-2 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रमुख वाद है।

स्वीकृतियां (Admissions) (धारा 17-23)

स्वीकृति और परिभाषा – धारा 17 के अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्तर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो धारा 18, 19 व 20 में वर्णित हैं। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अधीन स्वीकृति की परिभाषा के अनुसार स्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्तर्विष्ट कथन है।

धारा 17 में प्रयुक्त शब्दावली “मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्तर्विष्ट” को सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम, 2000 के द्वारा संशोधित रूप में समविष्ट किया गया।

धारा 18 19 एवं 20 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को ही स्वीकृतियां सुसंगत हैं, जो कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा, प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा, विषय-वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो, रेफरी इत्यादि द्वारा की गयी हो।

कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति

वे कथन स्वीकृतियां हैं, जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है।

प्रतिनिधि रूप से वादकर्ता द्वारा

वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों, किये गये कथन, जब कि वे उस समय न किये हों जब कि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारणा करता था, स्वीकृतियां नहीं हैं।

वे कथन स्वीकृतियां हैं जो

(1) विषय-वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा—ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनका कार्यवाही की विषयवस्तु में कोई साम्प्रतिक या धन सम्बन्धी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं, अथवा

(2) उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो—ऐसे व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय-वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान किए गए हैं। (धारा 18)

धारा 19— उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए—

वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं, जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाये गये वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते यदि वे उस समय किये गये हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किये हुए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 के अनुसार स्वीकृतियों के अन्तर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी चाहिए।

धारा 20 वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां—वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं।

दृष्टान्त

प्रश्न यह है कि क्या 'क' द्वारा 'ख' को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ था। संव्यवहार के समय 'क' ने 'ख' से कहा कि 'ग' को घोड़े की सम्पूर्ण जानकारी है तथा 'ख' घोड़े के बावत 'ग' से पूछ ले। घोड़े के बावत 'क' का कथन स्वीकृति हो सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अनुसार उन व्यक्तियों के कथन स्वीकृतियां होते हैं जो किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी देने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किये जाते हैं। अतः घोड़े के बावत 'ग' का कथन स्वीकृति है।

स्वीकृति के साक्ष्य के सुसंगत होने के आधार

इस संदर्भ में फिप्सन की साक्ष्य विधि में चार मुख्य कारण बताये गये हैं—

1. स्वीकृति, सबूत का अधित्यजन

स्वीकृति इसलिए सुसंगत होती है कि इससे स्वीकार किये गये तथ्यों का सबूत आवश्यक नहीं रह जाता।

किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं।

न्यायालय स्वीकृति को बिल्कुल ठुकरा सकते हैं या उसका कुछ भाग स्वीकार कर सकते हैं, या अन्य सबूत मांग सकते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सबूत का अधित्यजन ही स्वीकृति के सुसंगत होने का एकमात्र सूत्र है।

2. स्वीकृति अपने हित के विपरीत होती है

स्वीकृति ऐसा कथन है जो कथन कर्ता के हित के विरुद्ध होता है और इसीलिए इसे सत्य माना जाता है।

कथन के किसी भी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगता है कि चाहे यह अनुमान कथनकर्ता के विपरीत हो या अनुकूल।

जब किसी व्यक्ति का स्वार्थी कथन बाद में उसी के हित के विपरीत हो जाये तो उसका साक्ष्य उसके विरुद्ध दिया जा सकता है।

3. स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में

स्वीकृति सुसंगति को कुछ सीमा तक स्पष्ट करता है वह यह है कि ऐसा साक्ष्य पक्षकार के कथन तथा उनके मामलों में भेद पैदा करता है और इससे उसके मामले को क्षति पहुँचती है। प्रत्येक पक्षकार के कथन उसके विरुद्ध साबित किये जा सकते हैं यद्यपि वह उसके द्वारा मामले में की गई बातों के खिलाफ हो, चाहे न हो।

4. स्वीकृति, सत्य के साक्ष्य के रूप में

अन्तिम तथा सबसे महत्वपूर्ण आधार है कि जो भी बातें कोई पक्षकार मामले के तथ्यों के बारे में कहता है और वे चाहे उसके हित के अनुकूल हों या विपरीत, सुसंगत मान लेना चाहिए, क्योंकि वे सत्य दर्शाती हैं।

स्लेटलेरी बनाम्, (1840) 10 LJX 8 में पूले न्यायमूर्ति बैरेन पार्क ने कहा—

“जो कुछ भी कोई पक्षकार कहता है वह उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। जो कुछ भी कोई पक्षकार स्वयं सत्य बताता है, उसके सत्य होने की उपधारणा की जा सकती है”।

फिप्सन ने सभी आधारों की जांच के बाद सारांश बताया—

जो सिद्धान्त समान रूप से फौजदारी तथा दीवानी कार्यवाही दोनों पर लागू होता है, वह यह है कि जो भी बात कोई पक्षकार सुसंगत तथ्यों के बारे में कहता है वह उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है।

आर. बनाम् एरधेम (1986) 2 Q.B 260 में धारित किया गया कि पक्षकारों की बातों को जो महत्व या वजन मिलना चाहिये वह बिल्कुल ही दूसरी बात है। यह परिस्थितियों के साथ ज्यादा व कम हो सकता है। इसका वजन तब ज्यादा होता है जब यह कथनकर्ता के हित के विरुद्ध हो।

उच्चतम न्यायालय के एक मामले में न्यायमूर्ति बेग ने कहा—यह बात भली-भांति तय है स्वीकृति का प्रभाव बहुत सीमा तक स्वीकृति की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। [ई.सी.टी. फार्मिंग सोसायटी बनाम् स्टेट ऑफ हरियाणा (1974) 2 एस.सी.सी. 319, पृ. 321]

स्वीकृति का प्रारूप तथा यह किसके समक्ष की जा सकती है?

स्वीकृति किसी भी व्यक्ति के सामने और न्यायालय के बाहर भी हो सकती है।

स्वीकृतियां कई प्रकार की होती हैं—

(1) प्रारूपिक या न्यायिक स्वीकृतियां (Formal or Judicial Admissions)

(2) अनौपचारिक तथा आकस्मिक स्वीकृति (Informal and Casual Admissions)

(3) आचरण द्वारा स्वीकृति (Admission by Conduct)

प्रारूपिक या न्यायिक स्वीकृतियां

जो स्वीकृति न्यायालय में की गयी कार्यवाही के साथ की जाती है उसे प्रारूपिक स्वीकृति या न्यायिक स्वीकृति कहते हैं।

जो स्वीकृतियां स्पष्ट रूप से कार्यवाही के आरम्भ में की जाती हैं उन्हें प्रारूपिक या प्रत्यक्ष स्वीकृतियां कहते हैं ताकि उन्हें ऐसी स्वीकृतियों से भिन्न रखा जा सके जो अनौपचारिक तथा आकस्मिक रूप से हो जाती हैं और जिन्हें गवाहों की सहायता से साबित करना पड़ता है।

प्रारूपिक अथवा न्यायिक स्वीकृति का प्रभाव उच्चतम न्यायालय के द्वारा नगीन दास रामदास बनाम दलपतराम इच्छाराम (1974) एस.सी.सी. 242 में स्पष्ट किया गया है।

जो कथन कोई व्यक्ति अपने अभिवचनों में करता है या अन्य तरीके से न्यायालय में अपना कथन देता है, उनके बारे में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है कि वे स्वीकृति का प्रभाव रखते हैं और इसलिए सुसंगत होंगे। [विश्वनाथ प्रसाद बनाम् द्वारिका प्रसाद (1974) एस.सी.सी. 78]

भारत सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “स्वीकृतियां स्वयं ही ठोस साक्ष्य हैं”। विधि की दृष्टि में किसी कथन को स्वीकृति बनने के लिए भ्रम रहित और स्पष्ट होना चाहिए, न कि अनिश्चित।

अनौपचारिक तथा आकस्मिक स्वीकृति

(Informal and Casual Admissions)

अनौपचारिक तथा आकस्मिक स्वीकृतियां जीवन या कारबार

या साधारण वार्तालाप के क्रम में हो सकती हैं। ऐसी स्वीकृति लिखित हो सकती है या मौखिक। लिखित स्वीकृति पत्र व्यवहार के दौरान कारबार की पुस्तकों में पास, बुक आदि में हो सकती है। [जगदीश प्रसाद बनाम् श्रवण कुमार, ए.आई.आर. 2003 पी. एण्ड एच. 3]

कथन किसी भी व्यक्ति के प्रति हो सकता है चाहे वह उसकी पत्नी हो और ऐसा कथन विशेषाधिकृत नहीं होगा।

आचरण द्वारा स्वीकृति (Admissions by conduct)

कुछ परिस्थितियों में पक्षकार का आचरण भी स्वीकृति का साक्ष्य बन सकता है। कभी-कभी आचरण शब्दों से भी अधिक सत्यता दर्शाता है।

मौन तभी स्वीकृतिय का प्रभाव रखेगा जब बात ऐसी हो कि उसका उत्तर देना स्वाभाविकता रखता हो। जैसे कि प्रत्येक मामले में बात को तुरन्त अस्वीकार करना दायित्व को मिटा नहीं सकता, उसी तरीके से किसी बात का जवाब न देना आवश्यक रूप से वाद की सत्यता की स्वीकृति नहीं बन सकता।

स्वीकृति के चार तत्व

कथन को ‘स्वीकृति’ निर्मित करने के लिए निम्न चार शर्तों का पूरा करना आवश्यक है—

(1) यह कि कथन ऐसा होना चाहिए जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के निष्कर्ष को इंगित करता हो,

(2) यह कि कथन धारा 18, 19 और 20 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया गया हो,

(3) यह कि कथन उक्त धाराओं में निहित परिस्थितियों में होना चाहिये और

(4) यह कि कथन मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो।

स्वीकृति कौन कर सकता है या किसकी स्वीकृति साक्ष्य हो सकती है?

धारा 18, 19 और 20 के अन्तर्गत 7 प्रकार के व्यक्ति वर्णित हैं, जिनके उक्त धाराओं में वर्णित परिस्थितियों में किये गये कथन स्वीकृति निर्मित करते हैं—

(1) वाद-कार्यवाही के पक्षकार

(2) पक्षकारों के एजेंट (अभिकर्ता)

(3) ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में हैं जैसे—न्यासी, निष्पादक, प्रशासक, संरक्षक, दिवालिये का समनुदेशी आदि।

पर-व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति (धारा 19)। इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन शामिल हैं—

(4) ऐसे व्यक्ति जिन्हें साम्प्रतिक हित प्राप्त हो—विवादग्रस्त सम्पत्ति में वित्तीय हित या स्वामित्व हित रखने वाले व्यक्ति [धारा 18 (1)] जैसे—भागीदारों, संयुक्त ऋणियों, संयुक्त मालिकों, संयुक्त किरायेदारों के कथन।

(5) पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति—वे व्यक्ति जिनसे वाद के पक्षकारों ने अपना हित प्राप्त किया है। [धारा 18 (2)]।

(6) मध्यस्थ की स्वीकृति (धारा 20)– ऐसे व्यक्ति जिनको पक्षकारों में रेफरी बनाया है—जबकि वाद या कार्यवाही का पक्षकार उस अन्य व्यक्ति को विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए निर्दिष्ट करता है जो कि पक्षकार नहीं है तो उस निर्दिष्ट व्यक्ति का कथन स्वीकृति होती है और वे निर्दिष्टकर्ता पक्षकार के विरुद्ध ग्राह्य है।

(7) ऐसे व्यक्ति जिनकी स्थिति विवाद्यक या सुसंगत तथ्य है— ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिये। (धारा 19)।

स्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य

स्वीकृतियां यदि सही एवं स्पष्ट हों तो वह स्वीकृत तथ्यों का सबसे अच्छा सबूत अर्थात् ठोस सबूत हैं। स्वीकृतियां हमेशा स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या प्रभाव रखती हैं जब तक कि उनके बारे में अन्य कोई युक्ति-युक्त स्पष्टीकरण न हो। स्वीकृतियां ‘ठोस साक्ष्य’ हैं चाहे वे ‘निर्णायक साक्ष्य’ न हों। अभिवचन में स्वीकृति का मूल्य अधिक होता है। स्वीकृति का जब तक स्पष्टीकरण न दिया जाय सर्वोत्तम साक्ष्य होती है।

स्वीकृतियों के साक्ष्यिक महत्त्व के सम्बन्ध में अधिनियम के धारा 21 में स्पष्टतः कहा गया है कि स्वीकृतियां का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से इसमें वर्णित सीमाओं के अधीन साबित किया जा सकता है, जिसमें निम्न उपबन्ध समाहित है—

“स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है और साबित की जा सकेंगी, किन्तु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा।

(1) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती; या

(2) जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाद्य किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अनधिसम्भाव्य कर देता है; और

(3) यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु अन्यथा सुसंगत है”।

दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां

धारा 22 के अनुसार किसी दस्तावेज के अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत नहीं होती, यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज के अन्तर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतस्मिन् पश्चात् दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब पेश की गयी दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो।

इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 3 द्वारा अन्तः स्थापित धारा 22 के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की मौखिक स्वीकृति तब तक सुसंगत नहीं होगी जब तक कि प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की युक्तियुक्तता प्रश्नगत न हो।

सिविल मामलों में स्वीकृतियां

सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जायेगा। धारा 23 की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटार्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। “प्रतिकूल प्रभावग्रहित कथन” (बिना प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली स्वीकृतियां) से तात्पर्य कथन देने वाले व्यक्ति के वैध अधिकारों के प्रतिकूल प्रभावग्रहित कथन से है।

लार्ड मैन्सफील्ड ने कहा कि, “सभी व्यक्तियों को इजाजत होनी चाहिए कि वे प्रतिकूल प्रभावग्रहित शान्ति खरीद सकें, यदि उसका प्रस्ताव मंजूर न हो।”

धारा 23 केवल दीवानी के मामलों में लागू होती है। धारा 23 यह निर्धारित करती है कि दीवानी के मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है—

(1) यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्व सम्बन्धी स्वीकृति इस शर्त पर करता है कि ऐसी स्वीकृति का प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जायेगा, अथवा

(2) स्वीकृति ऐसी परिस्थितियों में की गई थी कि न्यायालय यह अनुमान कर सकता है कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गये थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जायेगा।

स्वीकृति का प्रभाव—

धारा 31 यह सामान्य नियम प्रतिपादित करता है कि “स्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु एतस्मिन् पश्चात् अन्तर्विष्ट पबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी”।

प्रश्नकोश

- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है?
- A.** धारा 17।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति के तहत कौन से कथन आते हैं?
- A.** मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कथन।
- Q.** कोई व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है?
- A.** जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है।
- Q.** स्वीकृतियों के बारे में उपबन्ध साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में किये गये हैं?
- A.** अधिनियम की धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31 एवं 58 में स्वीकृतियों के बारे में उपबन्धित है।
- Q.** स्वीकृति की परिभाषा क्या है?
- A.** स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्तर्विष्ट कथन है जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है।
- Q.** स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा कथन स्वीकृतियाँ हैं किस धारा के अन्तर्गत आते हैं?
- A.** धारा 18।
- Q.** उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद में पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, किस धारा में उल्लिखित है?
- A.** धारा 19।
- Q.** किसी व्यक्ति द्वारा की गयी स्वीकृति को टुकड़ों में विभाजित कर उसके टुकड़े को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उसे सम्पूर्ण रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए, किस वाद में निर्धारित किया गया?
- A.** हनुमन्त गोविन्द नारायण एवं अन्य बनाम् मध्य प्रदेश, ए.आई.आर. 1952, एस.सी. 343।
- Q.** क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के पारित होने से स्वीकृति की परिभाषा में कोई अन्तर आया है?
- A.** हाँ! इस अधिनियम के पारित हो जाने से स्वीकृति की परिभाषा में “इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्तर्विष्ट” पदावली धारा 17 में योजित कर दी गयी है।
- Q.** स्वीकृतियों के सुसंगत होने के लिए उन्हें किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए?
- A.** स्वीकृतियाँ सुसंगत हों इसके लिए उन्हें धारा 18 के अनुसार—
- (1) कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा।
- (2) प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा।
- (3) विषय-वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा।
- (4) उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो।
- (5) उन व्यक्तियों द्वारा जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। (धारा 19 के अनुसार)।
- (6) वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा की जानी चाहिए। (धारा 20)।
- Q.** कोई प्रतिवादी अपने कथन से क्या सह प्रतिवादियों या अन्य पक्षकारों को बाध्य कर सकता है?
- A.** सामान्य सिद्धान्त यह है कि कोई प्रतिवादी अपने कथन द्वारा केवल अपने हित की सीमा तक ही बाध्य है। (ब्रह्मराज सिंह बनाम ब्रह्मराज देवी 1982 आ.प्र.) इसमें स्वामित्व तथा कब्जे की घोषणा पाने के लिए वाद में प्रतिवादियों में से एक ने वादी का दावा स्वीकार कर लिया। यह अपने सहप्रतिवादियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं माना गया।
- Q.** किसी पक्षकार के अभिकर्ता का कथन कब स्वामी के प्रति स्वीकृति का प्रभाव रखता है?
- A.** अभिकर्ता का कथन उसके पक्षकार या स्वामी के प्रति स्वीकृति का प्रभाव तब रखते हैं जब मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उस अभिकर्ता को कथन करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है।
- Q.** एक वाद में रेलवे कम्पनी के स्टेशन मास्टर ने माल की हानि के लिए रिपोर्ट करते हुए ऐसे कुली का नाम लिया जिस पर उसे सन्देह था क्या स्टेशन मास्टर का कथन रेलवे कम्पनी के विरुद्ध स्वीकृति माना जायेगा?
- A.** इस स्थिति में उसका कथन रेलवे कम्पनी के विरुद्ध स्वीकृति माना जाएगा क्योंकि उसे चोरी की रिपोर्ट करने का अधिकार था तथा ऐसे व्यक्तियों का नाम बताने का भी अधिकार था जिस पर उसे सन्देह था।
- Q.** पक्षकारों के अभिकर्ता के स्वीकृति के सन्दर्भ में भागीदारी विधि में क्या व्यवस्था है?
- A.** इसके अनुसार भागीदार द्वारा फर्म के कारोबार से सम्बन्धित कुछ भी बातें सारी फर्म के विरुद्ध लागू हो सकती हैं यदि स्वीकृति कार्यवाही भागीदार द्वारा कारबार के सामान्य अनुक्रम में की गयी हो।
- Q.** भागीदारी ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में (कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई) उच्च न्यायालयों का क्या विचार है?

- A. बंगाल नेशनल बैंक लिमिटेड बनाम जतीन्द्रनाथ मजूमदार, 1929, दलसुख बनाम कालीदास, 1902, घरबरन बनाम राधाकृष्ण ए.आई.आर. 1938, इलाहाबाद के मामलों में उक्त न्यायालयों ने यह विचार व्यक्त किया है कि व्यापारिक भागीदारी के भागीदारों का ऋण के तथ्य की स्वीकृति देने का विवक्षित प्राधिकार है।
- Q. जिस व्यक्ति के प्रतिनिधि होने की हैसियत से उस पर वाद लाया जाता है उसके कथन किन परिस्थितियों में और किसके विरुद्ध स्वीकृति के रूप में बाध्यकारी हैं?
- A. ऐसे व्यक्तियों के कथन उस व्यक्ति के विरुद्ध स्वीकृति के रूप में बाध्यकारी होते हैं जिनके कि वे प्रतिनिधि हैं किन्तु तब तक कि उसने ऐसे कथन प्रतिनिधि होने की हैसियत के दौरान किये हैं।
- Q. प्रतिनिधि की हैसियत किस तरह के व्यक्तियों के पास होती है?
- A. प्रतिनिधि की हैसियत न्यासी, निष्पादक, प्रशासक या दिवालिया की सम्पत्ति का प्रबन्धन ऐसे व्यक्तियों के पास होती है जिन व्यक्तियों द्वारा उस हैसियत में दिया गया कथन स्वीकृति का प्रभाव रखता है।
- Q. विषयवस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए कथन किन परिस्थितियों में स्वीकृति का प्रभाव रखते हैं?
- A. कार्यवाही की विषय-वस्तु में केवल धन सम्बन्धी एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कथन तभी सुसंगत हैं जब कि वे ऐसा कथन हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में करते हैं। (धारा 18 खण्ड 1)।
- Q. ऐसे व्यक्ति द्वारा कथन जिससे कि पक्षकारों ने वाद की विषयवस्तु में हित प्राप्त किया है पक्षकारों के विरुद्ध कब साक्ष्य होंगे?
- A. ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गये कथन पक्षकारों के विरुद्ध तब साक्ष्य होंगे जब वे कथन कथनकर्ता द्वारा विषयवस्तु में हित के चालू रहने के दौरान किए गए हों इस प्रकार जिस समय उसको हक प्राप्त था उस समय किए गए कथन ऐसे व्यक्तियों के प्रति स्वीकृति होंगे जिन्होंने उनसे हित प्राप्त किए हों।
- Q. प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति एक विशेष जायदाद में किराएदार हैं कि नहीं? क्या सम्पत्ति के पूर्ववर्ती स्वामी का यह कथन कि वह किरायेदार था सुसंगत होगा?
- A. ऐसे पूर्ववर्ती स्वामी का यह कथन की वह किरायेदार था ऐसे प्रत्येक मामले में सुसंगत होगा जिसमें कि उसकी किरायेदारी का प्रश्न फिर उठता है।
- Q. किस वाद में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके हित के खत्म हो जाने के बाद दिया गया कथन सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी के विरुद्ध स्वीकृति के रूप में साक्ष्य नहीं होगा?
- A. हरदत्त शर्मा बनाम जयकिशन श्यामलाल, ए.आई.आर. 1983 के वाद में।
- Q. धारा 19 किस सिद्धान्त पर आधारित है?
- A. धारा 19 इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जब किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार का अधिकार या दायित्व किसी अन्य व्यक्ति के दायित्व पर निर्भर करता है तो ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी स्थिति के बारे में दिया गया कोई कथन पक्षकारों के विरुद्ध स्वीकृति के रूप में साक्ष्य होगा।
- Q. ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व क लेता है। ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न अदा करने पर क ख पर वाद लाता है। क इस बात से इंकार करता है कि ग से ख को भाटक देय था। ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक देय है किस धारा के अन्तर्गत स्वीकृति है और किसके विरुद्ध कब सुसंगत है?
- A. ग द्वारा यह कथन धारा 19 के अन्तर्गत स्वीकृति है और यदि क इस बात से इंकार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक देय था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है।
- Q. वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां, किस धारा के अन्तर्गत आती हैं?
- A. धारा 20।
- Q. अधिनियम की कौन सी धारा रेफरी के कथन के बारे में सिद्धान्त बताती है?
- A. रेफरी के कथन के बारे में सिद्धान्त अधिनियम की धारा 20 इस रूप में बताती है कि जब कोई पक्षकार किसी पर व्यक्ति का नाम कोई विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए बताता है तो ऐसे पर व्यक्ति का उस विषय पर कोई भी कथन उस पक्षकार के विरुद्ध स्वीकृति हो जाएगा जिसने उसे रेफरी बनाया था।
- Q. यदि प्रश्न यह हो कि क्या 'क' द्वारा 'ख' को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है और 'ख' से 'क' कहता है कि "जाकर 'ग' से पूछ लो 'ग' इस बारे में सब कुछ जानता है" यह किस धारा के अन्तर्गत और किसके विरुद्ध स्वीकृति होगा?
- A. इसके कथन के उत्तर में ग का कथन धारा 20 के अन्तर्गत रेफरी के रूप में क के विरुद्ध स्वीकृति के रूप में सुसंगत होगा। (पूछा गया प्रश्न)।
- Q. स्वीकृतियों के सुसंगत होने के बारे में चिखमकेश्वरा बनाम सुब्बाराव ए.आई.आर. 1971 सु.को. के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने क्या मार्गदर्शन दिया है?
- A. उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में स्थापित किया है कि किसी व्यक्ति का कोई अधिकार उसी के द्वारा की गई स्वीकृति के

आधार पर छीनने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकृति स्पष्ट तथा अन्तिम हो उसमें कोई शक या अनिश्चितता वाली बात नहीं होनी चाहिए उसके कथन का एक-एक अंश ध्यान में लेना चाहिए।

- Q.** स्वीकृति की स्पष्टता के सम्बन्ध में किस वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि स्वीकृति केवल अनुमान इंगित करती है न्यायालय को स्वीकृति के कथन के अन्दर और बाहर दोनों ओर से जांच कर लेनी चाहिए। और किसी व्यक्ति को उसके कथनों से बाध्य करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह व्यापक और स्पष्ट है।
- A.** यह एम.एम. हेटी बनाम सी. कुमार स्वामी, ए.आई.आर. 1980 मद्रास के वाद में धारित किया गया।
- Q.** स्वीकृति का साक्ष्य क्यों सुसंगत माना जाता है?
- A.** फिप्सन ने अपनी पुस्तक साक्ष्य विधि में इसके चार मुख्य कारण बताए हैं—
- (1) इससे स्वीकार किए गये तथ्यों का सबूत आवश्यक नहीं रह जाता। (धारा 58)।
 - (2) स्वीकृति अपने हित के विपरीत होती है। (धारा 21)।
 - (3) स्वीकृति असंगत कथनों का साक्ष्य है।
 - (4) स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में मान्य है।
- Q.** किस वाद में और किसने यह कहा कि जो कुछ भी कोई पक्षकार कहता है वह उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, जो कुछ भी कोई पक्षकार स्वयं सत्य बताता है उसके सत्य होने की उपधारणा की जा सकती है?
- A.** यह कथन स्लेटरी बनाम पूले के वाद में बैरेन पार्क ने दिया।
- Q.** स्वीकृति के प्रभाव के सम्बन्ध में न्यायाधीश वेग ने इ.सी.टी. फार्मिंग सोसायटी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1974 सु.को. के वाद में क्या मत व्यक्त किया?
- A.** उच्चतम न्यायालय के इस वाद में न्यायाधीश बेग ने कहा कि यह भली-भांति स्थापित सिद्धान्त है कि स्वीकृति का प्रभाव बहुत सीमा तक स्वीकृति की परिस्थितियों पर निर्भर होता है।
- Q.** सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति, स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। इस नियम का अपवाद किस धारा में है?
- A.** धारा 21।
- Q.** धारा 21 के अनुसार—स्वीकृतियां स्वीकृतिकर्ता और उनके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकती हैं। यह किस सिद्धान्त पर आधारित है?
- A.** यह धारा इस सिद्धान्त पर आधारित है कि स्वीकृति स्वीकारकर्ता के विरुद्ध सुसंगत होती है और इसलिए उसी के खिलाफ साबित की जा सकती है। वह स्वयं अपने कथन साबित नहीं कर सकता है, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति जो कठिनाई में हो, या

उसकी सम्भावना में होता तो ऐसे कथन करता रहता जो उसके हित के सम्बन्ध में होते।

- Q.** एक वाद में एक पादरी पर ईश्वर की निन्दा करने का आरोप था। उसे उसका अपना ही पूर्व कथन जिसमें उसने कहा था कि अनैतिक पुस्तकें नष्ट करना चाहिए, साबित नहीं करने दिया गया। यह वाद कौन सा था?
- A.** यह वाद आर. बनाम पेटरोनी 1855 का था।
- Q.** आर. बनाम हार्डी के वाद में एक अभियुक्त के अपने आशय के बारे में कथनों के ब्यौरे के सम्बन्ध में आयर सी. बी. ने क्या सिद्धान्त दिया?
- A.** यह कि “ऐसे कथन कैदी के विरुद्ध साक्ष्य होते हैं उनके हित में नहीं क्योंकि उपधारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ कोई बात नहीं कहेगा। जब तक कि वह वास्तव में सत्य न हो, परन्तु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कठिनाई में है वह अपने ही हित को संरक्षित करने के लिए नाना प्रकार की बातें कहेगा।
- Q.** जब ‘क’ और ‘ख’ में यह प्रश्न हो कि एक दस्तावेज असली है या कूटरचित, और ‘क’ कहता है कि यह असली है और ‘ख’ कहता है कि यह कूटरचित है, तो ‘क’ और ‘ख’ किस तथ्य को साबित कर सकते हैं?
- A.** इस समस्या में ‘क’ का कथन कि विलेख असली है, ‘ख’ साबित कर सकेगा, और ‘ख’ का कथन कि विलेख कूटरचित है ‘क’ साबित कर सकेगा, किन्तु न तो ‘क’ अपना कथन कि विलेख असली है और न ‘ख’ ही अपना कथन कि विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा। (समस्या परीक्षा में पूछा जा चुका है।)
- Q.** धारा 21 इस सामान्य नियम के कि स्वीकृतियां उसके करने वाले के विरुद्ध ही साबित की जा सकेंगी, कितने अपवादों को मान्यता प्राप्त करती है?
- A.** धारा 21 में इस सामान्य नियम के 3 अपवाद किये गये हैं।
- Q.** किन परिस्थितियों में कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि अपने कथनों को अपने ही हित या पक्ष में साबित कर सकेगा?
- A.** निम्न परिस्थितियों में—
- (1) जब वह स्वीकृति इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होता।
 - (2) जब स्वीकृति शरीर या मन की दशा के बारे में किया गया है और तब जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी किया गया था और ऐसे आचरण के साथ किया गया था कि लगता था कि वह सत्य थी।
 - (3) जब कि वह 6 से 55 तक की किसी अन्य धारा के अन्तर्गत सुसंगत तथ्य हो।

- Q.** 'क' अपने द्वारा कलकत्ते में किये गये अपराध का अभियुक्त है। वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र पेश करता है। क्या वह ऐसा कर सकता है?
- A.** धारा 21 के परन्तुक (1) के अन्तर्गत वह ऐसा कर सकता है और पत्र की तारीख में का कथन ग्राह्य होगा। क्योंकि यदि 'क' की मृत्यु हो गयी होती तो वह धारा 32 (2) के तहत ग्राह्य होता।
- Q.** कथनकर्ता द्वारा मन की या शरीर की दशा धारा 21 (2) के अन्तर्गत अपने पक्ष में साबित करने के लिए क्या शर्तें हैं?
- A.** (1) मन या शरीर की वह दशा तथा कथन साथ-ही-साथ हुए हों। यह शर्त कथन के असत्य होने की सम्भाव्यता को मिटा या बहुत कम कर देती है।
(2) कथन के साथ-साथ ऐसा आचरण होना चाहिए जो यह बताये कि कथन के असत्य होने की कोई सम्भावना नहीं है।
- Q.** 'क' चुराये हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है, प्राप्त करने का अभियुक्त है। वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम में बेचने से इंकार किया था, यह स्वीकृति है, क्या 'क' यह अपने पक्ष में साबित कर सकता है?
- A.** धारा 21 (2) के अन्तर्गत यद्यपि ये स्वीकृतियाँ हैं, फिर भी 'क' इन कथनों को साबित कर सकेगा, क्योंकि ये विवाद्यक तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण के स्पष्टीकारक है।
- Q.** अधिनियम की धारा 22 में क्या सिद्धान्त समाहित है?
- A.** धारा 22 के अनुसार—यदि कोई स्वीकृति लिखित रूप में की गयी है तो उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकेगा।
- Q.** किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं?
- A.** जब उन्हें साबित करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है। (धारा 22)।
- Q.** किसी दस्तावेज की विषयवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति का साक्ष्य धारा 22 के अनुसार—किन दशाओं में दिया जा सकता है?
- A.** केवल दो दशाओं में—
(1) जबकि ऐसी दस्तावेज की विषयवस्तु का स्वयं असली होना प्रश्नगत हो।
(2) जबकि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें किसी दस्तावेज की विषयवस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। (धारा 65 में द्वितीयक साक्ष्य देने की परिस्थितियाँ हैं)।
- Q.** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तुओं से सम्बन्धित मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत हैं?
- A.** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तुओं से सम्बन्धित मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत हैं जबकि पेश की गयी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत हो (धारा 22 क)
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की (निम्न में से) कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से सम्बन्धित है?
- A.** धारा 23।
- Q.** प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति किसे कहते हैं?
- A.** जब कोई व्यक्ति इस शर्त के साथ स्वीकृति करता है कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जायेगा तो इसे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति कहते हैं।
- Q.** कौन-सी धारा सिविल मामलों में उसी स्वीकृति की सुसंगतता की विवेचना करती है जो इस शर्त पर किसी व्यक्ति द्वारा की गयी है कि उसका प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा?
- A.** धारा 23।
- Q.** विश्वनाथ बनाम द्वारिका प्रसाद के वाद में क्या अभिमत व्यक्त किया गया?
- A.** इस वाद में यह कहा गया कि यदि किसी कोर्ट में न्यायिक स्वीकृति की गई है तो किसी अन्य कोर्ट के अन्य मामले में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।
- Q.** किन परिस्थितियों में पक्षकार का आचरण भी स्वीकृति का साक्ष्य बन जाती है?
- A.** मोह. बी.आर.टी. का वाद 1870 क्यू.बी. आचरण द्वारा स्वीकृति पर प्रमुख वाद है। इसमें वादी ने क्षति के लिए रेलवे के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाया। वह कई व्यक्तियों से मिला जो दुर्घटना के समय उपस्थित नहीं थे और उन्हें गवाही देने के लिए फुसलाता रहा। उसके उक्त आचरण का साक्ष्य सुसंगत माना गया। न्यायालय ने कहा कि उसका इस तरह का आचरण इस बात की स्वीकृति है कि जो वाद उसने आरम्भ किया है, वह सत्यता से परे है।
- Q.** इसी प्रकार एक वाद में विवाह के वचनभंग के परिणामस्वरूप होने वाले वाद में साबित किया गया कि वादी ने प्रतिवादी से कहा कि "तुम सदैव मुझे विवाह का वचन देते रहे हो परन्तु तुम अपने वचन पूरे नहीं करते हो"। प्रतिवादी ने आरोप पर कुछ कहा नहीं, अपितु लड़की को खामोश रहने के लिए कुछ पैसे दे दिया। उसका मौन इस बात की स्वीकृति था कि उसने विवाह का वचन दिया होगा।
- A.** मौन द्वारा स्वीकृति से सम्बन्धित यह वाद का वालेसा बनाम स्टार्ना 1877 का है।
- Q.** अधिनियम की किस धारा के अनुसार स्वीकृतियाँ स्वीकृति तथ्यों का निश्चायक 'सबूत' तो नहीं है किन्तु विबन्ध कर सकती है।

- A. स्वीकृतियों के विबन्ध होने के स्वरूप की बात धारा 31 में दी गयी है।
- Q. जब किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी तथ्य को स्वीकार करता है, तो उसे धारा 58 के अन्तर्गत साबित करने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं?
- A. नहीं।
- Q. धारा 31 एवं धारा 58 में उपबन्धित नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है?
- A. इन दोनों धाराओं के पढ़ने से निष्कर्ष निकलता है कि—धारा 31 न्यायिकेतर स्वीकृति यानी विबन्ध का प्रभाव रखती है

जबकि धारा 58 न्यायिक स्वीकृति अर्थात् साक्ष्य की अपेक्षा न करने का प्रभाव रखती है।

- Q. धारा 31 का अनुपूरक उपबन्ध किस धारा में किया गया है?
- A. धारा 58 में।
- Q. धारा 58 में उपबन्धित न्यायिक स्वीकृति एवं साक्ष्यिक स्वीकृति की भिन्नता बताते हुए कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है?
- A. इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का नगीनदास रामदास बनाम दलपतराम इच्छाराम, 1974 के सु.को. का वाद महत्वपूर्ण है।

संस्वीकृतियां (Confessions) धारा 24

संस्वीकृति अपराधीकरण या ज़ुर्म इकबाल है। अधिनियम में संस्वीकृति से सम्बन्धित जितने भी उपबन्ध हैं वह ‘‘स्वीकृति’’ शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये हैं। धारा 17 में दी गयी स्वीकृति की परिभाषा संस्वीकृति पर भी लागू होती है। ऐसा कथन जो कि किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है स्वीकृति कहलाता है। यदि ऐसी स्वीकृति सिविल कार्यवाही में की जाती है तो वह स्वीकृति कहलाती है और जब ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाय जिस पर अपराध का आरोप हो तो इसे संस्वीकृति (Confession) कहते हैं।

‘संस्वीकृति’ एक उपजाति (species) है, जहां ‘स्वीकृति’ एक जाति (genus) है। न्यायाधीश श्री स्टीफेन ने अपने ‘डाइजेस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ’ में संस्वीकृति को परिभाषित किया है कि

‘‘संस्वीकृति’’ एक स्वीकृति है जो किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, जिस पर अपराध का आरोप है, यदि वह स्वीकार करता है या उसके वक्तव्य से यह अनुमान होता है कि उसने अपराध किया है’’।

किसी अधिकारपूर्ण व्यक्ति की प्रेरणा, धमकी या वायदे के द्वारा किया हुआ अपराध-स्वीकरण असम्बन्धित माना जायेगा और प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अभियुक्त का कथन ‘संस्वीकृति’ के तुल्य होता है यदि वह निम्नलिखित में किसी एक शर्त को पूरा करता है—

(1) यदि वह यह कथन करता है कि उसने यह अपराध किया है जिसका कि उस पर आरोप लगाया गया है, या

(2) यदि वह ऐसा कथन करता है कि जिससे स्पष्ट शब्दों में वह अपराध को नहीं स्वीकार करता किन्तु उसके कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपराध किया है।

‘‘ऐसा कथन जिसमें स्वयं को निर्दोष करने वाली बात भी सम्मिलित हो, संस्वीकृति नहीं हो सकती है, यदि निर्दोष सिद्ध करने

वाला कथन ऐसे स्वभाव का हो, जो कि लगाये गये अपराध को नकारात्मक कर दे;

पलबिन्दर कौर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर., 1952 एस.सी. 354 के वाद में यह निर्धारित किया गया कि ऐसा कथन संस्वीकृति के तुल्य नहीं था। संस्वीकृति अभियुक्त द्वारा किया गया कथन है। अभियुक्त का अकेले में अपने आप से बड़बड़ाना कि उसने एक सुन्दर पत्नी की हत्या कर दी है को संस्वीकृति माना गया है यह निर्धारण साहू बनाम यू.पी. स्टेट, 1966 एस.सी. 40 का है।

पंडरन खाड़िया बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1992 सी.आर.एल.जे. 762 के वाद में यह निर्धारित किया गया कि संस्वीकृति किसी को सूचित अवश्य की जानी चाहिये। किन्तु उच्चतम न्यायालय के मामले को दृष्टि में रखते हुए यह सही विधि नहीं है?

धारा 17 से 31 तक में ‘स्वीकृति’ का वर्णन किया गया है जिसके अन्तर्गत स्वीकृति से भिन्न ‘संस्वीकृति’ भी सम्मिलित है जोकि धारा 24 से 30 तक में वर्णित है।

समस्त स्वीकृतियां संस्वीकृतियां नहीं हैं किन्तु समस्त संस्वीकृतियां स्वीकृतियां हैं, यह बात सिद्धेश्वर नाथ बनाम एम्परर, ए.आई.आर. 1934 इलाहाबाद 351 के वाद में स्पष्ट किया गया है।

निताई चन्द्र जायरा बनाम एम्परर, ए.आई.आर. 1937 कलकत्ता, 433 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध लगाने वाले कथन, जो द.प्र.स. की धारा 162 से नहीं टकराते हैं, वे आपराधिक मामलों में भी स्वीकृति के रूप में ग्राह्य हो सकते हैं। कानून की दृष्टि में स्वीकृति निश्चायक प्रमाण नहीं मानी जाती हैं यद्यपि उसे विबन्ध (Estoppel) के आधार पर ग्राह्य माना जा सकता है। परन्तु इसके विपरीत संस्वीकृति को निश्चायक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्वीकृति प्रायः लिखित संव्यवहारों में लागू होती है जबकि

‘संस्वीकृति’ दोष स्वीकार करने वाले कथनों तक ही सीमित है। स्वीकृति का प्रयोग, धारा 21 के अन्तर्गत, स्वयं स्वीकृतिकर्ता द्वारा, कुछ परिस्थितियों में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है किन्तु संस्वीकृति सदैव उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग की जाती है जो उसे करता है। ‘स्वीकृति’ शब्द दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में चलता है, यद्यपि यह अधिकतर दीवानी के मामलों में ही प्रयोग की जाती है। न्यायालय अभियुक्त को केवल उसकी की गई संस्वीकृति के आधार पर ही वैध रूपेण सिद्धदोष कर सकता है।

कोई संस्वीकृति जो लगाये गये अपराध के आरोप के आवश्यक तत्वों से सम्बन्धित नहीं होती है वह संस्वीकृति की श्रेणी में नहीं आती है। संस्वीकृति ग्राह्य होने के लिए स्वेच्छया की गई होनी जरूरी है जब कि स्वीकृति, जैसा कि धारा 21 के तीन अपवादों में उपबन्धित है, करने वाले के हक में भी प्रयोग की जा सकती है। स्वीकृति अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है, जबकि संस्वीकृति अभिकर्ता द्वारा नहीं की जा सकती है। स्वीकृतियां साधारणतया सिविल मामलों में की जाती हैं, जबकि संस्वीकृतियां आपराधिक मामलों में।

संस्वीकृति एक ऐसा कथन है जिसमें अपराध को पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया जाता है या कम-से-कम अपराध से सम्बन्धित करीब-करीब सभी तथ्य स्वीकार कर लिया जाता है। उपबन्ध धारा 24 से 30 तक में दिया गया है।

संस्वीकृतियों को न्यायिक और न्यायिकेतर दो वर्गों में विभाजित किया गया है।

न्यायिक संस्वीकृतियां वे हैं जो एक मजिस्ट्रेट के सामने विधिक कार्यवाहियों की जाती हैं। क, ख की हत्या करने का अभियुक्त है, परीक्षण प्रारम्भ होने के पूर्व अपराध को किसी मजिस्ट्रेट के सामने संस्वीकृत कर सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट द.प्र.सं. की धारा 164 के उपबन्धों के अनुसार अभिलिखित (record) करता है। सुपुर्द करने की कार्यवाहियों (Committal proceedings) में मजिस्ट्रेट के सामने और परीक्षण (trial) में सत्र-न्यायाधीश के सामने अपने अपराधों को संस्वीकृति कर सकता है। ये समस्त न्यायिक स्वीकृतियां हैं।

न्यायिकेतर संस्वीकृति (Extra-Judicial Confession) वह हैं जो अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कहीं की जाती हैं। ‘न्यायिकेतर संस्वीकृति’ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामने की जा सकती है। प्राइवेट तौर से की गई संस्वीकृति भी न्यायिकेतर संस्वीकृति है।

उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कोई कमजोर साक्ष्य नहीं है। ऐसी संस्वीकृति का मूल्यांकन परिस्थितियों की प्रकृति, समय और गवाहों की विश्वसनीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। (नारायण सिंह VS स्टेट ऑफ म.प्र. प्रकार का प्रमाण है, 1985 S.C.)।

अभियुक्त की न्यायालय-वाह्य संस्वीकृति की ग्राह्यता या स्वीकार्यता

उस व्यक्ति के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है जिससे ऐसी संस्वीकृति किया जाना कहा जाता है। (धारा 24)।

धारा 24 में अन्तर्निहित सिद्धान्त

संस्वीकृति का बल उसके स्वैच्छिक होने पर निर्भर करता है। पुलिस जब अपनी सक्रियता और उत्साह के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहती है तो बन्दियों को परेशान करती है और सताती है, उन्हें अपराध की संस्वीकृति के लिए मजबूर करती है, यद्यपि वे निर्दोष होते हैं। कभी-कभी बन्दियों को लालच देकर उनसे संस्वीकृति कराई जाती है, अतएव संस्वीकृति में स्वेच्छा का गुण होना अनिवार्य है।

“अभियुक्त” शब्द में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो पश्चात्पूर्व प्रक्रम में अभियुक्त बन जाता है, अर्थात् संस्वीकृति करने के पश्चात् घोषित अभियुक्त भी इस धारा में अर्थों में अभियुक्त माना जायेगा। संस्वीकृति में या तो अपराध को सीधे ही स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर उनमें उन सभी तथ्यों की स्वीकृति होना चाहिए जो किसी अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक हो। तथ्य और दोष दोनों की स्वीकृति को ही संस्वीकृति कहा जाता है।

संस्वीकृति का अन्तिम एवं आवश्यक तत्त्व—संस्वीकृति का बल उसके स्वैच्छिक होने पर निर्भर करता है। संस्वीकृति के स्वैच्छिक होने का सिद्ध-भार अभियोजन (Prosecution) पर होता है तथा उसे यह साबित करना होता है कि संस्वीकृति स्वैच्छिक थी। अभियोजन द्वारा संस्वीकृति को स्वैच्छिक न साबित करने पर संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है।

इस सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 के अन्तर्गत साक्ष्य नियमों को नियत किया गया है जो निम्नवत् हैं—

(1) उत्प्रेरणा, धमकी या बचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती है—

धारा 24 के अनुसार, ‘अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गयी संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या बचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान् व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठायेगा या ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा।’

उपर्युक्त प्रावधान का सार यह है कि

संस्वीकृति न किसी प्रकार की धमकी या हिंसक के द्वारा न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अभिव्यक्त या अभिप्रेत वादा द्वारा चाहे उसके द्वारा पैदा की गयी आशा या भय कितना ही थोड़ा क्यों न हो, न किसी प्रभाव डालने द्वारा प्राप्त की जानी चाहिये। यदि प्राधिकारवान्

व्यक्तियों द्वारा धमकी या वादे का इस्तेमाल संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो वह साक्ष्य में नहीं लिया जायेगा।

यदि न्यायालय को यह आभास हो कि संस्वीकृति, प्रलोभन, धमकी आदि द्वारा प्राप्त की गई है, चाहे इसका प्रत्यक्ष और निश्चायक साक्ष्य न भी उपलब्ध हो तब भी वह ऐसी संस्वीकृति को साक्ष्य से अपवर्जित करता है।

धारा 24 के अन्तर्गत “प्राधिकारवान् व्यक्ति” का अर्थ यह माना गया है कि वह व्यक्ति जो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है।

धारा 24 के अर्थ के अन्तर्गत प्राधिकारवान् व्यक्ति वह होना चाहिए जो अपनी स्थिति के बल पर अभियुक्त के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव डाल सके। गांव का मुखिया, पुलिस का सिपाही, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, खाद्यान्न निरीक्षक या जिलेदार प्राधिकारी व्यक्ति होते हैं। अस्पताल का हाउस-सर्जन केवल अस्पताल की नर्स के सम्बन्ध में प्राधिकारवान् व्यक्ति है।

वास्तव में संस्वीकृति एक बहुत मूल्यवान् साक्ष्य है। यदि किसी अपराध से आरोपित व्यक्ति अपराध को स्वीकार कर लेता है तो निश्चय ही उसे उस आधार पर दण्डित किया जा सकता है।

हेराल्ड बनाम किंग, ए.आई.आर. 1945 पी.सी. 181 के वाद में प्रिवी कौंसिल ने यह धारण किया कि “संस्वीकृतियां हमेशा सत्य नहीं होती हैं और विशेष कर हत्या के मामलों में”।

जहां पर निश्चायक रूप से यह दिखाने के लिए अन्य कोई साक्ष्य नहीं है कि संस्वीकृति में दोषारोपण तत्त्व का कोई अंश झूठा है तो न्यायालय संस्वीकृति को पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है जबकि दोषमुक्त (Exculpatory) करने वाले तत्त्व को अन्तर्भूत रूप से अविश्वस्य (Inherently Incredible) के रूप में अस्वीकार करता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पलविन्दर कौर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1952, एस.सी. 354 के वाद में यह विवेचना किया है कि संस्वीकृति के दो भाग हो सकते हैं पहला—संस्वीकृतिकर्तृता ने जिस प्रकार अपराध कारित किया तथा दूसरा—ऐसा करने के कारणों का विवरण। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसमें प्रथम अंश सदोष (Inculpatory) है, जबकि दूसरा अंश निर्दोष (Exculpatory) है।

(2) पुलिस अधिकारी से की गयी संस्वीकृति का साबित न किया जाना

संस्वीकृति के सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम का दूसरा नियम धारा 25 में वर्णित है, जिसके अनुसार “किसी पुलिस से की गयी कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जायेगी”।

इस नियम के पीछे विधायिका का आशय यह प्रतीत होता है कि

प्रायः पुलिस किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से अपनी प्रभाव या अन्य कारणों से कुछ भी कथन प्राप्त कर लेने में सक्षम होती है। एक तरह से इसे धारा 24 के साथ पढ़ा जा सकता है इस परिप्रेक्ष्य में कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन (प्रलोभन) के प्रभाव में यदि पुलिस का कोई प्राधिकारवान् व्यक्ति किसी अभियुक्त से कोई संस्वीकृति करवाता है तो या उससे स्वयं किया गया है तो उसे साबित नहीं किया जा सकता है। धारा 24, 25 का संयुक्त प्रभाव धारा 26 के नियम पर देखा जा सकता है।

(3) पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना—

धारा 26 के अनुसार “कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जायेगी जब तक, कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न की गयी हो”।

वस्तुतः संस्वीकृति से सम्बन्धित धारा 24, 25 एवं 26 के साक्ष्य-नियम संस्वीकृति के मूल तत्त्वों की ओर इंगित करते हैं, जिन्हें निम्नवत् सारांशित किया जा सकता है—

- (i) संस्वीकृति स्वैच्छिक और स्वतन्त्र हो।
- (ii) संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का परिणाम न हो। (धारा 24)।
- (iii) संस्वीकृति पुलिस अधिकारी से न की गयी हो। (धारा 25)।
- (iv) संस्वीकृति यदि पुलिस अभिरक्षा में की गयी हो, मजिस्ट्रेट के साक्षात् उपस्थिति में की गयी हो।
- (i) प्राइवेट व्यक्ति को गयी संस्वीकृति धारा 24, 28, 29।
- (ii) पुलिस-अफसर के अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस-अफसर की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति (धारा 25, 26, 27)।
- (iii) सह-अपराधी को की गई संस्वीकृति (धारा 30)।

संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य

अपराध साक्ष्य के सार के अभाव में दण्डादेश को उचित ठहराने के लिए केवल संस्वीकृति पर्याप्त नहीं होती है (बिरे सिंह बनाम राज्य, क्रि.अ.न. 1065 सन् 1945 लाहौर 43)।

मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त द्वारा किया गया संस्वीकृतिक कथन अच्छा साक्ष्य है। अभियुक्त उसके आधार पर दण्डित किया जा सकता है।

किसी अभियुक्त की संस्वीकृति मौलिक साक्ष्य (Substantive evidence) होती है और दण्डादेश को एकमात्र संस्वीकृति पर आधारित किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने साहू बनाम उ.प्र. राज्य के वाद में यह निर्धारित किया था कि किसी साक्ष्य की ग्राह्यता और उसकी विश्वसनीयता

दोनों पूर्णतः भिन्न बातें हैं। इस बात में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये कि एक साक्ष्य यदि ग्राह्य है तो वह विश्वसनीय भी होगा।

यदि न्यायालय यह पाता है कि संस्वीकृति की गयी है और ऐसी संस्वीकृति सत्य, स्वतन्त्र और स्वेच्छापूर्ण है, तो न्यायालय केवल उसी आधार पर दण्डित कर सकता है।

न्यायिकेतर संस्वीकृति को आमतौर से उतना ही महत्त्व नहीं दिया जाता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसी संस्वीकृति जो उस संस्वीकृति का ऐसे व्यक्ति से आती हो जिसके कि झूठ बोलने का कोई कारण न हो और जो ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जो उस संस्वीकृति का समर्थन करती है विश्वास नहीं करना चाहिये। न्यायिकेतर संस्वीकृति एक अत्यन्त ही कमजोर साक्ष्य होता है। अतः इसे बड़ी सावधानी और सतर्कता से ग्रहण किया जाना चाहिये।

पुलिस की अभिरक्षा में संस्वीकृति

धारा 26 में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। यदि वही संस्वीकृति पुलिस अभिरक्षा के बजाय मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाय तो वह ग्राह्य है। धारा 26 बाध्य करती है कि कोई संस्वीकृति अभियुक्त द्वारा यदि वह पुलिस अभिरक्षा अथवा हिरासत में है तो साक्ष्य में स्वीकृति नहीं हो सकती है जब तक कि वह संस्वीकृति किसी मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न हो। मजिस्ट्रेट का मौजूद होना व उसके सामने अभियुक्त की संस्वीकृति होना उस बयान को साबित करने के लिए अनिवार्य है अन्यथा वह अग्राह्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अनुसार किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी यदि वह पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में की गई है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत अभिलिखित की गई संस्वीकृति ग्राह्य होती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट के बिल्कुल सामने की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होता यदि वह द.प्र.सं. की धारा 164 द्वारा निर्धारित ढंग से नहीं की जा सकती है।

पुलिस से संस्वीकृति तथा तथ्यों का पता चलना (धारा 27)

धारा 27 सम्पूर्ण आपराधिक प्रक्रिया एवं पुलिस अन्वेषण के विषय में एक कुंजी है। धारा 27, धारा 24, 25, 26 का अपवाद है। संस्वीकृति के विषय में सामान्य नियम यह है कि—

- (1) पुलिस अफसर के सामने, और
- (2) पुलिस-अफसर की अभिरक्षा में रहते हुए की गयी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। (धारा 25, 26)।

धारा 27, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 का भी अपवाद है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा अन्वेषण के दौरान में पुलिस को दिये बयान के अलावा खण्डन करने के आशय से प्रयोग करने की मनाही है। धारा 27 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं करती और अधिकारातीत नहीं है। अनुच्छेद 20 (3) में यह कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा”।

साक्ष्य अधिनियम दो ऐसी परिस्थितियां बताता है जिनमें पुलिस द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत है—

- (i) जब कथन किसी मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में किया गया हो, तथा
- (ii) जब कथन के फलस्वरूप अपराध से सम्बन्धित कुछ तथ्यों का पता चला है।

तथ्यों का पता चलने से यह विश्वास पैदा होता है कि कथन सत्य था, चाहे जबर्दस्ती लिया गया हो। यह अपवाद धारा 27 में बताया गया है। संस्वीकृति लिया गया हो। यह अपवाद धारा 27 में बताया गया है। संस्वीकृति के फलस्वरूप जो अपराध से सम्बन्धित वस्तु मिलती है उस संस्वीकृति के उस भाग को निःसन्देह सत्य बताती है जिसके कारण वस्तु प्राप्त हुई। धारा 27 ऐसे कथन को ग्राह्य करती है जो बहुत ही महत्त्व की खोज करता है, चाहे वह संस्वीकृति हो चाहे न हो।

धारा 27 को आकर्षित करने हेतु अभियुक्त का पुरुष या महिला होना आवश्यक तत्त्व नहीं है। धारा 27 का उपबन्ध मालूम पड़ता है कि पुरानी कहावत पर आधारित है “पकवान का सबूत खाने में है” (Proof of pudding is in the eating), वास्तव में दोषी व्यक्ति का पता चलना ऐसी रीति का न्यायोचित है। धारा 27 विश्वसनीयता की गारण्टी पता चलने के तथ्य को मानता है।

धारा 27 की अपेक्षाएँ (Requirement of S-27)

धारा 27 के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

- (1) सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
- (2) अभियुक्त से प्राप्त जानकारी (Information) या बयान के फलस्वरूप तथ्य का पता चलना चाहिए।
- (3) पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए।
- (4) सूचना का केवल वह भाग जो पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित होता है, साबित किया जा सकता है। शेष असंगत है।
- (5) तथ्य, अपराध करने से सम्बन्धित होना चाहिए।

दृष्टान्त

पुलिस की अभिरक्षा में रहते समय जो कि 'ख' के स्थान पर चोरी करने के आरोप में अभियुक्त है। पुलिस के समक्ष निम्नलिखित कथन करता है। गत सोमवार को मैंने 'ख' के स्थान पर चोरी की थी वह सम्पत्ति जिसमें एक जोड़े सोने की चूड़ियाँ और सोने की चेन थीं, मेरे द्वारा आंगन के पीछे छिपा दी गयी थीं। यदि मुझे उस स्थान तक ले जाया जाये तो मैं उन्हें खोदकर बाहर निकाल दूँगा। इस कथन से आभूषण बरामद हुआ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन सम्पत्ति जिसमें एक जोड़े सोने की चूड़ियाँ तथा सोने की चेन मेरे आंगन में छिपे हैं ग्राह्य होगी। क्योंकि इतना ही 'ख' द्वारा बताये जाने से पता चला है।

एस.सी. बाहरी बनाम् स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 1994, एस.सी. 2420 में उच्चतम् न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के लागू होने के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ हैं कि—

(1) सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त अवश्य होना चाहिए, और

(2) उसे पुलिस अभिरक्षा में भी होना चाहिए।

धारा 27 में अभिरक्षा (Custody) का अभिप्राय शारीरिक अभिरक्षा या गिरफ्तारी नहीं है।

यदि कोई पुलिस अधिकारी के पास जाता है और आरोप के बारे में किसी तथ्य से पता चलने की सूचना का प्रस्ताव करता है जो स्वयं यह अपने विरुद्ध करता है तो उसे धारा 27 के अधीन पुलिस अभिरक्षा में माना जा सकता है। 1975 सी.आर.एल.जे. 354 में स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति जो मुँह के शब्दों द्वारा सीधे सूचना दे रहा हो उसे स्वयं को पुलिस अभिरक्षा में समर्पित किया हुआ माना जायेगा। कम्भू बनाम् स्टेट, ए.आई.आर. 1964 के बाद में यह स्पष्ट किया गया है कि औपचारिक गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, रचनात्मक अभिरक्षा पर्याप्त है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एच.पी. एडमिनिस्ट्रेशन बनाम जमती शिवदेवी, ए.आई.आर. 19 में अभिनिर्धारित किया है कि वैध रूप से यह आवश्यक नहीं है कि बयान साक्षियों द्वारा अनुप्राणित किया जाय। पब्लिक प्राजि. बनाम् इण्डिया, ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 472 के बाद में स्पष्ट है कि पंचायतनामा, मौलिक साक्ष्य नहीं है किन्तु उसका प्रयोग खण्डन या सम्पुष्टि के लिए अथवा उस व्यक्ति की स्मृति ताजी करने के लिए है, जिसने उसमें भाग लिया था। नर पाल बनाम् एस.ए. 1977 एस.सी. 1066 के बाद में स्पष्ट है कि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को फर्द बरामदगी (Recovery memo) में नहीं शामिल करना चाहिये नहीं तो फर्जी पता चलना होगा।

ग्राह्य संस्वीकृति :

(i) मैंने माल अपने खेत में गाड़ दिया है (प्रसाद बनाम् स्टेट, ए.आई.आर. 1955 इला. 443)।

(ii) मैंने लाश को एक खोह में रख दिया है (एराराम महतो बनाम् इम्परर ए.आई.आर. 1031 पटना 145)।

(iii) मैंने मृतक के शव को एक जगह गाड़ दिया जिसे मैं आपको दिखा सकता हूँ (ए.आई.आर. 1937 नागपुर 220)।

(iv) मैंने पिस्तौल छत पर छुपा दी है (ए.आई.आर. 1956, बॉम्बे 217)।

(v) मैंने अफीम को अपने बैलगाड़ी में जो घर से चार फर्लांग पर है गाड़ दिया है (स्टेट बनाम् कोली. ए.आई.आर. 1951, एच.पी. 28)।

(vi) मैं वह गड़ासा दिखाऊँगा जो मैंने तालाब में फेंक दिया। (स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम्, देवमन, ए.आई.आर. 1960, एस.सी. 1155)।

अग्राह्य संस्वीकृति :

(i) यह खून लगा हुआ कपड़ा मेरा है (प्रभु बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 1963) एस.सी. 1113)।

(ii) मैंने मृतक को मार डाला और जमीन पर फेंक दिया (ए.आई.आर. 196 त्रिपुरा)।

(iii) यह वह कुल्हाड़ी है जिससे मैंने मार डाला है (प्रभु बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1113)।

(iv) मैंने अपनी स्त्री को तलवार से घायल किया है (ए.आई.आर. 1947 कलकत्ता 452)।

(v) मैंने मृतक को दरिया में फेंक दिया (ए.आई.आर. 194 कलकत्ता 452)।

उत्प्रेरणा आदि के दूर हो जाने के बाद संस्वीकृति (धारा 28)

उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुआ मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत माना जाता है।

धारा 28 धारा 24 का अपवाद है। अतएव यह अच्छा था यदि इस धारा को धारा 24 के बाद लिखा गया होता। धारा 24 और धारा 28 को साथ पढ़ना चाहिए।

धारा 28 का कथन है कि संस्वीकृति साक्ष्य में उस दशा में ग्राह्य है जब उत्प्रेरणा, धमकी अथवा आश्वासन से उत्पन्न प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गये हों।

प्रलोभन, धमकी तथा आश्वासन से पैदा हुए प्रभाव जिस प्रकार से हटाये जा सकते हैं उनमें से कुछ ये हैं—

(1) समय के बीतने से, या

(2) प्रलोभन देने वाले व्यक्ति से ऊँचा पद या अधिकार धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने से हटाया जा सकता है या

(3) अन्य किसी हस्तक्षेप करने वाले कृत्य द्वारा।

गुप्त रखने के वचन से प्राप्त संस्वीकृति

धारा 29 के अनुसार यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त से की गई प्रवचना के परिणामस्वरूप या उस समय जब कि वह नशे में था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी धारा द्वारा साबित किये जाने से अपवर्जित न की गई हो तो वह असंगत नहीं हो सकती, यदि वह निम्नलिखित प्रकार से कारित की गयी हो—

- (1) गोपनीयता की प्रतिज्ञा से (गुप्त रखने का वचन),
- (2) छल से (कपट द्वारा),
- (3) नशे में (नशे की हालत में),
- (4) प्रश्नों के उत्तर में (ऐसे प्रश्नों के उत्तर में जिन्हें वह चाहे न उत्तर देता),
- (5) चेतावनी की कमी से।

यदि अभियुक्त पर उपर्युक्त पांचों में से कोई भी तरीका अपनाकर संस्वीकृति को प्राप्त किया गया है तो भी संस्वीकृति मान्य समझी जायेगी।

संस्वीकृति तभी ग्राह्य होती है जब वह सत्य हों और स्वेच्छापूर्वक दी गई हो। यह एक सामान्य नियम है जो संस्वीकृति सम्बन्धी सभी धाराओं पर लागू होता है।

द.प्र.सं. की धारा 164 (3) में यह शर्त दी गई है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी संस्वीकृति को दर्ज करने से पहले बयान करने वाले व्यक्ति को समझा दे या चेतावनी दे दे कि—

- (1) वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, और
- (2) यदि वह ऐसा करता है तो वह उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।

पटना हाईकोर्ट ने माना है कि धारा 29 के अन्तर्गत धारा 24 से 28 में उल्लिखित संस्वीकृतियाँ आती हैं या दूसरे शब्दों में 'न्यायिकेतर' संस्वीकृतियाँ आती हैं।

उच्चतम न्यायालय ने निश्चित रूप से स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम् सिंघाड़ा सिंह ए.आई.आर. 1964, एस.सी. 358 में अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई संस्वीकृति किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस प्रकार से ही दर्ज की जाती है जैसा कि द.प्र.सं. की धारा 164 में उल्लेख है तो वह ग्राह्य नहीं होगी।

धारा 29 'न्यायिकेतर' संस्वीकृतियों में लागू होती है। स्पष्ट है कि धारा 29 तभी लागू होगी जब संस्वीकृति धारा 24, 26 और 28 के अन्तर्गत वैध हों और इन तीनों धाराओं की समस्त औपचारिकताओं को पूरा करती हों।

सह-अभियुक्त की संस्वीकृति (धारा 30)

धारा 30 में सह-अभियुक्त की संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य के बारे में प्रावधान किया गया है। जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक

ही या कई एक अपराधों के लिए संयुक्त विचारण किया जा रहा है तो उन्हें एक-दूसरे का सह-अभियुक्त (co-accused) कहते हैं। उनमें से कोई भी अपने दोष की संस्वीकृति कर सकता है और यह पूर्णरूप से उसके विरुद्ध साक्ष्य होगा।

इस धारा में अपराध के अन्तर्गत दुष्प्रेरण (Abetment) तथा प्रयास (Attempt) भी शामिल हैं। यदि अभियुक्त विचारण के समय अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अन्य उन सह-अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से विचारित किया जा रहा है जिन्होंने अपराध को स्वीकार नहीं किया है।

सह अभियुक्त के कथन का संस्वीकृति होना आवश्यक है, अर्थात् इस धारा के अधीन किसी कथन को तभी ग्राह्य माना जायेगा जबकि उसमें अपराध की संस्वीकृति की गई हो। एक अभियुक्त की संस्वीकृति को दूसरे सह-अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य किये जाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी संस्वीकृति का प्रभाव स्वयं उसे करने वाले पर और दूसरों पर भी पड़ा हो।

प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य शर्तें :

धारा 30 के प्रवर्तन के लिए निम्न शर्तें हैं—

1. एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण होना चाहिए।
2. सभी अभियुक्तों का एक साथ विचारण होना चाहिए।
3. सभी अभियुक्तों का विचारण एक ही अपराध के लिए होना चाहिए।
4. सह-अभियुक्त का कथन संस्वीकृति होना चाहिए।
5. ऐसी संस्वीकृति से स्वयं अभियुक्त और अन्य सह-अभियुक्त प्रभावित होने चाहिए; एवं
6. संस्वीकृति विधिक रूप से साबित होनी चाहिए।

एक सह-अभियुक्त की संस्वीकृति दूसरे सह-अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होती है। धारा 30 के प्रभाव के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का "कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश" (A.I.R. 1952 S.C.) का वाद अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

दृष्टान्त

'क' की हत्या के लिए 'ख' का विचारण हो रहा है। 'ग' ने कथन किया कि 'ख' तथा 'ग' ने मिलकर 'क' की हत्या की। न्यायालय में 'ख' ने कथन किया कि 'ख' तथा 'ग' ने मिलकर 'क' की हत्या की।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसार 'ग' की अपराध स्वीकृति पर 'ख' के विचारण में विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि 'ग' और 'ख' का संयुक्त विचारण नहीं हो रहा है।

जब कोई व्यक्ति संस्वीकृति करके फिर वापस ले ले और यह कहे कि उसने संस्वीकृति की ही नहीं थी या उसने झूठी संस्वीकृति

की थी तो उसे “वापस ली गई संस्वीकृति (Retracted confession)” कहते हैं। प्रिवी कौंसिल के अनुसार—“सह-अभियुक्त की संस्वीकृति की धारा 3 में परिभाषित ‘साक्ष्य’ नहीं माना जा सकता और न उस आधार पर अभियुक्त को दण्डित किया जा सकता है”। न्यायालय को आपराधिक मामलों पर विचार करते समय सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को अलग रखकर शेष साक्ष्य के आधार पर मामले का निर्णय करना चाहिये। इस प्रकार के मामले सम्भव है कि जहां दण्डादेश को आधारित हैं तभी किया जा सकता है जबकि साक्ष्य में ऐसी संस्वीकृति को सम्मिलित कर लिया जाये। ऐसी स्थिति सामान्यतया तब उत्पन्न होदती है जबकि शेष साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य हो।

कश्मीरा सिंह बनाम् मध्य प्रदेश के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी स्थिति पर विचार करते हुए यह अवधारित किया था कि ऐसी स्थिति आपराधिक स्थिति है और न्यायालय ऐसी दशा में संस्वीकृति को साक्ष्य में सम्मिलित करने के लिए सक्षम है।

राम प्रकाश बनाम् पंजाब राज्य (ए.आई.आर. 1959, एस.सी.1) के वाद में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम न्यायालय को, ‘संस्वीकृतिकर्ता-अभियुक्त’ तथा उसके ‘सह-अभियुक्तों’ के विरुद्ध ‘मुकर जाने वाली संस्वीकृति’ पर विचार करने से नहीं रोकता। उच्चतम न्यायालय ने ‘हरिचरण कुरमी बनाम् बिहार राज्य’ के वाद में स्थिति पर विचार करते हुए अवधारित किया कि ऐसी दशा में न्यायालय ऐसी संस्वीकृति का उपयोग नहीं कर सकता है और वह अभियुक्त को साक्ष्य के सर्वथा अभाव में अभियोग-मुक्त घोषित करने के लिए बाध्य होता है।

धारा 30 का सम्बन्ध केवल उस संस्वीकृति को “साबित किया जाता है” जो परीक्षण के पूर्व की जाती है। उस संस्वीकृति के साबित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है जो परीक्षण के दौरान की जाती है।

स्वीकृतियां निश्चयात्मक सबूत नहीं है किन्तु विबन्ध कर सकती हैं (Admission not conclusive proof but may estoppel)। धारा 31 के अनुसार संस्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक (conclusive) सबूत नहीं है, किन्तु एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन विबन्ध (Estoppel) के रूप में प्रवर्तित (Operate) हो सकेंगी। कोई स्वीकृति किसी पक्ष के लिए निश्चायक सबूत नहीं है। यह केवल प्रथम दृष्ट्या (Prima facie) साक्ष्य कहलायेगा। “निश्चायक सबूत” की परिभाषा धारा 4 में दी गई है। जब एक तथ्य दूसरे का निश्चायक घोषित कर दिया जाता है तो जो तथ्य निश्चायक रूप से साबित हुआ माना जाता है उसको नासाबित करने की किसी पक्षकार को अनुमति नहीं मिल सकती।

जब कोई ‘स्वीकृति’ विबन्ध की कोटि में आ जाती है तो जिन विषयों की वह स्वीकृति करती है उनको नासाबित करने के लिए

साक्ष्य ग्राह्य नहीं हो सकता, अर्थात् तब वह उन विषयों का निश्चायक सबूत हो जाती है। धारा 31 का कथन है कि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है, किन्तु वे विबन्धों के रूप में प्रभावी हो सकती है।

उड़ीसा होईकार्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वीकृति निश्चायक तभी मानी जा सकती है जब वह विबन्ध के तुल्य हो।

स्वीकृति तथा संस्वीकृति में अन्तर

1. संस्वीकृति के बारे में सभी उपबन्ध ‘स्वीकृति’ शीर्षक में दिये गये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ‘स्वीकृति’ शायद अधिक विस्तृत है और इसमें संस्वीकृति भी सम्मिलित होती है।
2. स्वीकृति की जो परिभाषा धारा 17 में दी गयी है, वह संस्वीकृति पर भी लागू होनी चाहिये क्योंकि संस्वीकृति की कोई अलग परिभाषा नहीं दी गयी है। परन्तु प्रिवी कौंसिल ने “पाकला नारायण स्वामी बनाम् एम्परर” 1939 में निर्णय दिया जिसका पुष्टिकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘पलविन्दर कौर बनाम् स्टेट ऑफ पंजाब (1952) में हुआ, कि संस्वीकृति किसी अपराध के लिए दषी होने की स्वीकृति है और इसलिए सदैव ही अभियुक्त के हित के विरुद्ध होती है। दूसरी ओर स्वीकृति शब्द में ऐसे कथन भी सम्मिलित होते हैं जो स्वीकृतिकर्ता को अपना ही कथन साबित करने की अनुज्ञा देती है।
3. स्वीकृति किसी भी व्यक्ति के प्रति की गई हो, चाहे वह पुलिस वाला हो चाहे प्राधिकारवान् और चाहे उत्प्रेरणा या वचन से प्राप्त की गई हो, सुसंगत होती है। परन्तु संस्वीकृति के सम्बन्ध में विधि इस बात पर निश्चित है कि संस्वीकृति स्वतन्त्र तथा स्वैच्छिक होनी चाहिए।
4. धारा 23 के अनुसार गुप्त रखने के वचन पर की गई स्वीकृति सुसंगत नहीं होती परन्तु धारा 29 के फलस्वरूप गुप्त रखने के वचन पर अभिप्राप्त संस्वीकृति सुसंगत होती है।
5. धारा 30 के उपबन्धों के कारण किसी सह-अभियुक्त द्वारा अपने तथा अन्य को फंसाने वाली की गई संस्वीकृति सभी के विरुद्ध सुसंगत होती है। स्वीकृति की दशा में सहवादी या सह-प्रतिवादी के कथन के खिलाफ कुछ अर्थ नहीं रखते।
6. स्वीकृति का प्रभाव यह होता है कि यह स्वीकृत तथ्यों का निश्चायक सबूत नहीं होती और स्वीकारकर्ता के विरुद्ध विबन्ध का प्रभाव रखती है (धारा 31)। संस्वीकृति के मूल्य के बारे में अधिनियम में कोई भी उपबन्ध नहीं है, परन्तु न्यायालय संस्वीकृति को सदैव से अभियुक्त के दोषी होने का विश्वसनीय साक्ष्य मानते चले आये हैं।

प्रश्नकोश

- Q.** पुलिस अधिकारी के समक्ष की गयी संस्वीकृति से सम्बन्धित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है?
- A.** धारा 25।
- Q.** क्या पुलिस से किए गए संस्वीकृति को साबित किया जा सकेगा?
- A.** नहीं। (धारा 25)।
- Q.** कोई सुसंगत संस्वीकृति कब असंगत होती है?
- A.** जब पुलिस अधिकारी को की गयी है।
- Q.** किस वाद में इस नियम का तर्क कारण कथित है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गयी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जायेगी?
- A.** क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल (1884) 6 I.L.R. इलाहाबाद 509 में।
- Q.** बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे सम्बन्धित है?
- A.** संस्वीकृति।
- Q.** स्वयं से बात करते (हुए) भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया?
- A.** साहू बनाम उ.प्र. राज्य, AIR 1966 SC।
- Q.** किसी डॉक्टर से की गयी संस्वीकृति न्यायिक संस्वीकृति है या न्यायिकेतर?
- A.** न्यायिकेतर।
- Q.** संस्वीकृति कितने प्रकार की होती है?
- A.** यह सामान्यतया 2 प्रकार की होती है—
(1) न्यायिक अथवा औपचारिक संस्वीकृति।
(2) न्यायिकेतर अथवा अनौपचारिक संस्वीकृति।
- Q.** न्यायिक संस्वीकृति क्या है?
- A.** न्यायिक संस्वीकृति न्यायालय के समक्ष होती है इनमें कुछ औपचारिकताओं का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए— दण्ड प्रक्रिया संहिता 164 के अन्तर्गत जिसमें धारा 281 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पालन होगा। यानी कथन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया जाये। इसी प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, या इनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष स्वीकृति न्यायिक स्वीकृति है।
- Q.** स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम सिंघाड़ा सिंह 1964 के प्रकरण में क्या अवधारित किया गया?
- A.** न्यायिक संस्वीकृति में यदि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं किया गया है कि तो वह अग्राह्य होगा।
- Q.** न्यायिकेतर संस्वीकृति क्या है?
- A.** न्यायालय के अतिरिक्त कहीं भी किसी व्यक्ति के समक्ष की गई संस्वीकृति न्यायिकेतर संस्वीकृति है।
- Q.** न्यायिकेतर संस्वीकृति के सम्बन्ध में कौन से वाद प्रमुख हैं?
- A.** न्यायिकेतर संस्वीकृति के सम्बन्ध में शाहू बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 1966 सु.को. एवं रम्पिंग बनाम डी.पी.पी., 1962 का प्रकरण प्रमुख है। जिसमें से शाहू के प्रकरण में अभियुक्त ने अपनी बहू को मार डाला था और “मैंने उसे मार डाला और उसके साथ रोज के झगड़े खत्म हो गये” स्वयं से बड़ाबड़ा रहे थे। इसे ही न्यायिकेतर संस्वीकृति माना गया।
- Q.** संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?
- A.** संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य के सम्बन्ध में शंकरिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान ए.आई.आर. 1978 सु.को. के प्रकरण में प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति सरकारिया ने कहा कि संस्वीकृति एक सारवान साक्ष्य है यदि यह स्पष्ट विश्वसनीय, स्वैच्छिक, स्वतन्त्र है तो उसके ऊपर बिना किसी परेशानी के निर्णय आधारित किया जा सकता है।
- Q.** प्रत्याहारी संस्वीकृति क्या होती है?
- A.** प्रत्याहारी संस्वीकृति को कभी-कभी मुकरी हुई संस्वीकृति (Retracted Confession) कहते हैं। जब कोई संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति यह कहता है कि वह संस्वीकृति स्वतन्त्र नहीं थी या सही नहीं थी, या इन्कार कर देता है, या जोर जबर्दस्ती या दबाव में कराई गई है तो उसे प्रत्याहारी संस्वीकृति कहते हैं।
- Q.** प्रत्याहारी संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?
- A.** प्यारे लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1963 के प्रकरण में उच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश दिया है और कहा है कि—यदि की गई संस्वीकृति, सत्य, विश्वसनीय, स्वैच्छिक और स्वतन्त्र है तो वह मान्य है। किन्तु यह प्रथा या नियम है, क्योंकि इन्कार कर दिये जाने पर ऐसी संस्वीकृति की प्रकृति को एक बार और जांच लेना चाहिए जिससे विश्वसनीय हो जाय।
- Q.** स्वीकृति तथा संस्वीकृति में मुख्य क्या अन्तर है?
- A.** (1) स्वीकृति दीवानी तथा आपराधिक दोनों मामलों से सम्बन्धित होता है जबकि संस्वीकृति केवल आपराधिक मामलों से सम्बन्धित है।
(2) स्वीकृति में संस्वीकृति सम्मिलित नहीं है, जबकि संस्वीकृति में स्वीकृति सम्मिलित है।

- (3) स्वीकृति पक्षकार उसके अभिकर्ता, रेफरी आदि द्वारा की जा सकती है जबकि संस्वीकृति केवल अभियुक्त के द्वारा।
- (4) स्वीकृति सहवादी या सहप्रतिवादी के प्रति कोई प्रभाव नहीं रखती। जबकि सहअभियुक्त की संस्वीकृति संयुक्तः विचारित होने पर अन्य सहअभियुक्त के पक्ष में विचार की जा सकेगी।
- Q.** संस्वीकृति शब्द पहली बार किस धारा में आया है?
- A.** संस्वीकृति शब्द पहली बार धारा 24 में आया है।
- Q.** धारा 24 के अनुसार संस्वीकृति को असंगत होने के लिए कौन-सी शर्तें आवश्यक हैं?
- A.** जबकि—
- (1) ऐसी संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी, या वचन द्वारा प्राप्त की गयी हो।
- (2) ऐसी धमकी प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दी गयी हो।
- (3) यह धमकी उसके विरुद्ध अभियोग के बारे में हो।
- (4) जिसने संस्वीकृति की हो उसे यह प्रतीत हो कि संस्वीकृति से उसे ऐहिक स्वरूप (Temporal Nature) का फायदा होगा, या किसी बुराई का परिवर्जन होगा।
- Q.** जो व्यक्ति अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है, प्राधिकार व्यक्ति है, किस प्रकरण में कहा गया है?
- A.** जीवन बनाम् इम्परर 1936 के प्रकरण में।
- Q.** किस वाद में एक पटेल को प्राधिकारवान व्यक्ति माना गया है?
- A.** मोती बनाम् कैलाश नारायण, ए.आई.आर. 1960 मध्य प्रदेश के प्रकरण में एक पटेल को प्राधिकारवान व्यक्ति माना गया है?
- Q.** धारा 24 के अन्तर्गत उत्पन्न मानसिक प्रभाव दूर हुआ है कि नहीं इस सन्दर्भ में न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी है?
- A.** इस सन्दर्भ में सरवनसिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1957 सु.को. के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि धारा 24 के अन्तर्गत उत्पन्न मानसिक प्रभाव के दूर होने हेतु एक दिन की समयावधि पर्याप्त है। जबकि शंकरिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1978 सु.को. के प्रकरण में ऐसी अवधि को 2 दिन आवश्यक बताया था। न्यायालय ने कहा कि इसके लिए कोई अन्तिम नियम नहीं बनाया जा सकता है। अपितु प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए।
- Q.** एक मामले में दो अभियुक्त कमरे में छोड़ दिये गये थे, जहां कि वे समझे कि वे अकेले थे, परन्तु गुप्त रूप से टेपरिकॉर्डर उनकी वार्तालाप टेप कर रहे थे इस तरीके से प्राप्त संस्वीकृति को सुसंगत माना गया। वह वाद कौन सा था?
- A.** उस वाद का नाम आर. बनाम मकसूद अली 1966 क्यू. बी. था।
- Q.** धारा 25 में 'पुलिस' शब्द से क्या तात्पर्य है?
- A.** राजाराम जायसवाल बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1964 सु.को. के प्रकरण में कहा गया कि—पुलिस का सर्वप्रमुख गुण तपस्वीश (अन्वेषण) करने की शक्ति है और इस शक्ति से युक्त सभी व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो पुलिस की कोटि में आयेगा यह महत्वहीन है कि वह कैसा वस्त्र धारण करता है, कैसी टोपी लगाता है और क्या आयुध लेकर चलता है।
- Q.** डंडू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1977 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने धारा 25 के सन्दर्भ में अपने क्या विचार प्रकट किये हैं?
- A.** इस प्रकरण में कहा गया है कि यदि पुलिस भीड़ में सादी वर्दी में खड़ा है और कथनकर्ता को मालूम न हो तो संस्वीकृति सुसंगत होगी और साबित की जा सकेगी, किन्तु यदि गुप्त एजेन्ट के रूप में पुलिस वहां है कि कथनकर्ता कहे तो वह सुन ले तो यह विसंगत हो जायेगी, और साबित नहीं की जा सकेगी।
- Q.** सीताराम बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1966 सु.को. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस के समक्ष संस्वीकृति के सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष दिया?
- A.** इस वाद में अभिमत दिया गया कि—सीताराम जी का अपनी पत्नी सिंधोरा की हत्या करना और हत्या करके यह लिखना कि "यह कुकृत्य मैंने ही किया है और मैं जानता हूँ कि कानून के हाथ बहुत लम्बे हैं और मैं एक न एक दिन अवश्य पकड़ लिया जाऊँगा"। पुलिस के समक्ष संस्वीकृति नहीं मानी जायेगी। क्योंकि उसके पत्र लिखने के समय पुलिस की परछाई भी वहां नहीं थी। इस कथन को न्यायिकेतर संस्वीकृति माना गया और इसी रूप में ग्राह्य माना गया।
- Q.** पुलिस के समक्ष संस्वीकृतियों के साबित न किये जाने का क्या उद्देश्य है?
- A.** यदि ऐसी संस्वीकृति को साबित किया जाने दिया जाता तो वह मारपीट कर कहलवा लेती कि वह दोषी है और वह अपनी चमड़ी बचाने के लिए ऐसा कह देता, चाहे वास्तव में वह दोषी न हो तो यह संस्वीकृति स्वैच्छिक और स्वतन्त्र न होती।
- Q.** धारा 26 के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द "पुलिस अभिरक्षा" से क्या तात्पर्य है?
- A.** इस धारा के अन्तर्गत पुलिस अभिरक्षा का मतलब नियन्त्रण से होता है चाहे वह घर में हो या खुले स्थान में हो या न्यायालय में हो, इसके लिए किसी चहारदीवारी का होना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक दशा में अभिरक्षित व्यक्ति के समक्ष अभिरक्षा में लेने वाले व्यक्ति की साक्षात् उपस्थिति आवश्यक है, बल्कि वह कुछ देर के लिए गैरहाजिर भी हो

- सकता है इससे अभिरक्षा की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- Q.** धारा 26 के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द 'पुलिस अभिरक्षा' की प्रकृति का विचार किस वाद में दिया गया था?
- A.** आर. बनाम केस्टर के प्रकरण में बम्बई हाईकोर्ट द्वारा। इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ने किशोरी चन्द बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 1990 के प्रकरण में स्वीकार किया।
- Q.** मजिस्ट्रेट के समक्ष की गयी संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत सुसंगत है?
- A.** धारा 26।
- Q.** किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गयी कोई भी संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में कब ग्राह्य होगी?
- A.** जब वह पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए साक्षात् मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया गया हो। (धारा 26)।
- Q.** न्यायिक संस्वीकृति शब्द से क्या तात्पर्य है?
- A.** ऐसा संस्वीकृति जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है।
- Q.** धारा 26 में प्रयुक्त "मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति" का क्या तात्पर्य है?
- A.** शिव बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 1954 सु.को. के प्रकरण में कहा गया कि मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति के मायने होते हैं मजिस्ट्रेट का उसी कमरे में होना जहां संस्वीकृति हो रही है।
- Q.** मजिस्ट्रेट की उपस्थिति से संस्वीकृति का क्या स्वरूप उपधारित किया जाता है?
- A.** मजिस्ट्रेट की उपस्थिति इस बात का विश्वास पैदा करती है कि अभियुक्त मारा पीटा नहीं गया है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि संस्वीकृति स्वैच्छिक तथा विश्वास योग्य है।
- Q.** प्रलोभन, धमकी या बचन से पैदा हुआ मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गयी संस्वीकृति किस धारा के अन्तर्गत सुसंगत होती है?
- A.** धारा 28।
- Q.** किस वाद में धारा 27 का स्पष्टीकरण प्रिवी कौंसिल द्वारा किया गया है?
- A.** पुलकुरी कुटीया बनाम इम्परर 1947 पी.सी. के वाद में।
- Q.** किस वाद में यह निर्णीत हुआ कि धारा 27, धारा 24, 25 एवं 26 का अपवाद है?
- A.** इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य।
- Q.** किस वाद में धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दिया गया था?
- A.** स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू, A.I.R. 1961, SC 1808 में। (धारा वैध घोषित)।
- Q.** धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित होने के लिए किन तत्त्वों की आवश्यकता होती है?
- A.** (i) व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए; (ii) उसके द्वारा सूचना दी जानी चाहिए; (iii) सूचना के परिणाम स्वरूप तथ्य की बरामदगी होनी चाहिए।
- Q.** धारा 27 में दिये गये सिद्धान्त पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण कौन-सा है?
- A.** यह प्रकरण स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम देवमनि उपाध्याय 1960 सु.को. का है। इस प्रकरण में देवमनि की पत्नी दुलारी थी। उसे उसकी भतीजी ने पाला-पोसा। भतीजी सुखदेई ने कुछ भाग अपनी सम्पत्ति का दुलारी को दिया। इस सम्पत्ति को देवमनि बेचना चाहता था। सुखदेई ने विरोध किया। देवमनि ने उसे चांटा मारा और मुँहतोड़ देने की धमकी दी। अगले दिन सुखदेई कमरे में सुबह मरी पायी गयी। देवमनि ने पुलिस से कहा कि—“चलिये मैं उस गड़्रासे को दिखाता हूँ जिससे मैंने सुखदेई को मारा है”। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि—“उसने सुखदेई को मारा” यह बाद सुसंगत नहीं है। बाकी चाकू दिखाने की बात और उसकी बरामदगी सुसंगत है और साबित की जा सकेगी।
- Q.** मुहम्मद इनातुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य 1976 के प्रकरण में धारा 27 के विषय में क्या अवधारित किया गया?
- A.** इस वाद में कहा गया कि रेलवे लाइन के बीच में ड्रम छिपाया हूँ चलो दिखाता हूँ ग्राह्य नहीं किया गया क्योंकि ड्रम ऐसी जगह थी जो सभी देख सकते थे।
- Q.** अधिनियम की धारा 29 में क्या व्यवस्था दी गयी है?
- A.** अधिनियम की धारा 29 में अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाने के सम्बन्ध में की गयी है
- Q.** किस वाद में यह कहा गया कि बरामद हुआ माल जब किसी भी तरीके से मृतक से सम्बन्धित प्रतीत न होता हो और किसी भी तरीके से वस्तुएँ अभियुक्त को फंसाने का कार्य न रखती हो तो ऐसी बरामदगी सुसंगत नहीं है?
- A.** यह बसन्ती बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 1985 सु.को. के वाद में कहा गया।
- Q.** 'क' और 'ख' को 'ग' की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है यह साबित किया जाता है कि 'क' ने कहा कि 'ख' और मैंने 'ग' की हत्या की है और क्या न्यायालय इस पर विचार कर सकेगा?

- A. 'क' द्वारा 'ख' के विरुद्ध की गई इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा।
- Q. सह-अभियुक्त किसे कहते हैं?
- A. जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही या कई एक अपराधों के लिए संयुक्त विचारण किया जा रहा है तो उन्हें एक दूसरे का सह-अभियुक्त कहते हैं।
- Q. सह-अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य बताइये?
- A. "कश्मीरा सिंह" बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 सु.को. के वाद में न्यायाधीश बोस ने भुवनी साहू के वाद में प्रिवी काउंसिल के निर्णय को विस्तार में लेते हुए कहा कि सह-अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का कोई खास मूल्य नहीं है।
- Q. कश्मीरा सिंह बनाम म.प्र. राज्य 1952 सु.को. के प्रकरण में कश्मीरा को बरी करते हुए न्यायाधीश बोस ने क्या विचार व्यक्त किए?
- A. इस वाद में बोस जी ने कहा कि यदि साक्ष्य ऐसा है कि अभियुक्त को आधा दोषी और आधा निर्दोष बता रही है तो सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को विचार में लेकर उसे दोषी ठहरा दिया जा सकता है और यदि स्वतन्त्र साक्ष्य ऐसा है कि मामला सन्देह से परे सिद्ध हो जा रहा है तो सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को छूने की आवश्यकता नहीं है।
- Q. सह-अभियुक्त की संस्वीकृति किस धारा में सुसंगत है?
- A. धारा 30।
- Q. साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह-अभियुक्त के विरुद्ध किस रूप में प्रयुक्त हो सकती है?
- A. केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में।
- Q. एक सह-अभियुक्त की संस्वीकृति दूसरे सह-अभियुक्त के विरुद्ध क्या अनुश्रुत साक्ष्य सारभूत साक्ष्य या सम्पोषक के रूप में प्रयुक्त हो सकती है?
- A. नहीं।
- Q. सह-अभियुक्त की संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और इस प्रकार की संस्वीकृति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है? यह निर्धारण किस वाद में किया गया?
- A. कश्मीरा सिंह बनाम म.प्र. राज्य, A.I.R. 1952, SC
- Q. सभी स्वीकृतियाँ, संस्वीकृतियाँ होती हैं, परन्तु सभी संस्वीकृतियाँ, स्वीकृतियाँ नहीं हो सकती हैं। कथन सत्य है या असत्य?
- A. असत्य।
- Q. स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत है अथवा नहीं?
- A. नहीं। (परन्तु विबन्ध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है—धारा 31)।
- Q. संस्वीकृति से सम्बन्धित उपबन्ध अधिनियम की किन धाराओं में किये गये हैं?
- A. संस्वीकृति से सम्बन्धित उपबन्ध संहिता की धाराओं-24 से 30 तक में। स्वीकृति शीर्षक के अन्तर्गत धारा 17 से 31 के मध्य रखा गया है।
- Q. स्टीफेन महोदय ने 'साक्ष्य विधि की सारसंग्रह' नामक पुस्तक में संस्वीकृति शब्द की क्या परिभाषा दी है?
- A. संस्वीकृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर किसी अपराध का दोष है और जो यह प्रकट करती है या अनुमान इंगित करती है कि उसने अपराध किया है।
- Q. पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर ई.आई.आर. 1939 पी.सी. के प्रकरण में लार्ड एटकिन महोदय ने संस्वीकृति की क्या परिभाषा दी है?
- A. संस्वीकृति शब्द का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह अभियुक्त द्वारा किया गया ऐसा कथन है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उसने अपराध किया है। संस्वीकृति में सीधे ही अथवा अपराध के कम-से-कम उन तथ्यों की स्वीकृति होनी चाहिए जिनमें मिलकर अपराध गठित होता है।
- Q. पाकला नारायण स्वामी के वाद में दी गई परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में स्वीकार किया है?
- A. उच्चतम न्यायालय ने पलविंदर कौर बनामस्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1952 सु.को. के वाद में।
- Q. किस वाद में सु.को. ने यह कहा कि—“किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति को भागों में नहीं बांटा जा सकता ताकि कुछ भाग उसके खिलाफ प्रयोग किया जाए। या तो सब कथन लिया जाना चाहिए या कुछ भी नहीं, न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है, कि फांसने वाले भाग को तो स्वीकार कर ले और बाकी को अविश्वसनीय बताकर काट दें”?
- A. सु.को. ने यह हनुमन्त बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.ए.आई.आर. 1952 सु.को. के वाद में कहा।
- Q. संस्वीकृति के सम्बन्ध में निशीकान्त झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1969 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या धारित किया?
- A. इस वाद में कोर्ट ने कहा कि अगर दोषकारी और निर्दोषकारी कथन ऐसे हैं कि उन्हें अलग किया जा सकता है तो दोषकारी तथ्यों को अलग करके अन्य स्वतन्त्र साक्ष्यों से सम्पुष्टि कराकर अपराधी को दण्डित किया जा सकता है।
- Q. शाहू बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1966 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने क्या धारित किया था?
- A. न्यायालय ने धारित किया कि अपने आप से बुदबुदाना भी संस्वीकृति हो सकती है यह जरूरी नहीं कि किसी को सम्बोधित हो?

मृत्युकालिक कथन के सम्बन्ध में (Statement of Person Who is Dead)

धारा 32 (1)

मृत्युकालीन घोषणा : (Dying Declaration)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के खण्ड 1 के अनुसार, “मृत्युकालिक घोषणा एक वक्तव्य है जो मरणासन्न व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण पर देता है या उन परिस्थितियों के विषय में देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है”।

किसी कथन को मृत्युकालीन घोषणा के रूप में ग्राह्य किये जाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए—

1. कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाना।
2. कथन का मृत्यु के कारण से सम्बन्धित होना।
3. संव्यवहार की परिस्थितियाँ।

मृत्युकालीन कथन तभी सुसंगत माने जाते हैं जबकि वे किसी व्यक्ति के मरने के पूर्व दिये गये हों। यदि व्यक्ति ने घोषणा ऐसे समय पर की है जबकि वह मरणासन्न हो किन्तु बाद में उसकी मृत्यु न हो तो ऐसे कथन को मृत्युकालीन घोषणा के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

मृत्युकालिक कथन के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 (1) में उपबन्ध किया गया है।

धारा 32 में वे दशायें वर्णित हैं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि, जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो जाते हैं।

धारा 32 में उन आठ परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं—

- (1) जब कि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है—धारा 32 (1)।
- (2) जब कि वह कारबार (Business) के अनुक्रम किया गया है—धारा 32 (2)।
- (3) जबकि वह कथन उसे करने वाले के हित के विरुद्ध है—धारा 32 (3)।
- (4) जबकि वह लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के बारे में कोई राय देता है—धारा 32 (4)।

(5) जबकि वह कथन नातेदारी के अस्तित्व से सम्बन्धित है—धारा 32 (5)।

(6) जब कि वह कौटुम्बिक बातों (Family affairs) से सम्बन्धित विल या विलेख में किया गया है—धारा 32 (6)।

(7) जबकि वह धारा 13, खण्ड (क) में वर्णित संव्यवहार से सम्बन्धित दस्तावेज में किया गया है—धारा 32 (7)।

(8) जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएँ अभिव्यक्त करता है—धारा 32 (8)।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन, चाहे वे मौखिक हो अथवा लिखित, सुसंगत माने जाते हैं—

- (क) जो मर गया है, या
- (ख) जो मिल नहीं सकता है या
- (ग) जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या
- (घ) जिसकी हाजिरी बिना अयुक्तियुक्त विलम्ब या व्यय के नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है।

मृत्युकालीन घोषणा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण वाद निम्नवत् हैं—

1. दानू सिंह बनाम् एम्परर (A.I.R., 1927, All. 227)
2. पाकला नारायण स्वामी बनाम् एम्परर (A.I.R. 1939, P.C. 41)
3. नारायण सिंह बनाम् बिहार राज्य (A.I.R., 1962, S.C. 237)
4. बराती बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. (A.I.R. 1974, S.C. 839)
5. कौशल राऊ बनाम् स्टेट ऑफ बॉम्बे (A.I.R., 1958, S.C. 22)
6. शर्द बिरदी चन्द्र शारदा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (A.I.R., 1984, S.C. 1622)
7. कापेवियाह बनाम् एम्परर (A.I.R. 1932 Madras 233)।

रामनाथ बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि मृत्युकालिक कथन सारभूत और निश्चायक साक्ष्य नहीं है इसलिए बिना स्वतन्त्र साक्ष्यों के सम्पुष्टि के मृत्युकालिक कथन के आधार पर निष्कर्ष धारित करना न्यायिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इसी वाद में मृत्युकालिक कथन के सारभूत साक्ष्य न मानने के पीछे उच्चतम न्यायालय ने कारण दिया कि चूँकि मृत्युकालिक कथन शपथ पर नहीं होता, कथनकर्ता के कथन की प्रतिपरीक्षा नहीं होती है।

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की परीक्षा करते समय दो बातों पर ध्यान देना चाहिये—

(i) कि वह किसी व्यक्ति के पढ़ाने, सिखाने या उकसाने के फलस्वरूप नहीं है, और

(ii) कि मृतक कथन करने के लिए धन की ठीक दशा में था और कथन बिना किसी दुश्मनी के किया।

(कुसा बनाम् स्टेट ऑफ उड़ीसा, ए.आई.आर. 1980, एस.सी. 559)।

धारा 32 के अधीन ग्राह्य साक्ष्य मौलिक साक्ष्य (substantive evidence) है। आवश्यकता के सिद्धान्त के आधार पर मृत्युकालीन कथन (dying declaration) ग्राह्य होता है।

मृत्युकालीन घोषणा की आवश्यक शर्तें

मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता के पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक है—

1. मृत्युकालीन कथन का सम्बन्ध मृत्यु के कारण से होना चाहिए या ऐसी परिस्थिति से होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो।

2. ऐसे कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, यदि मृत्युकालिक घोषणा का कर्ता न मरे तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

3. मृत्यु का कारण बताये (परसादी बनाम् स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1957 एस.सी. 211; 1957 क्रि.एल.जे. 328)

4. नियमतः विधिवत् परिपुष्टि की जावे अलावा उन केशों के जहाँ वह सत्य हो और

5. विधिवत् सिद्ध की जाये।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, यदि मृतक ने पुलिस के सामने गांव की भाषा में मृत्युकालीन घोषणा किया है किन्तु उस घोषणा को खड़ी बोली में एफ.आई.आर. में दर्ज किया गया है, उससे कोई अन्तर नहीं आता है (रसीद बेगम बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 1974, सु.को. 232)।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, मृत्युकालीन घोषणा की पुष्टि अतिरिक्त साक्ष्यों द्वारा होनी चाहिये या नहीं, यह मामलों की

परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मृत्युकालिक कथन समग्र रूप से ग्रहण किया जाये, यह आवश्यक नहीं है। मृत्युकालिक कथन के केवल उतने ही भाग को ग्रहण किया जा सकता है जो सत्य प्रतीत होता है और जिसकी सम्पुष्टि हो जाती है तथा शेष भाग को अमान्य किया जा सकता है।

मृत्युकालीन घोषणा पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिये। उसे अंशतः स्वीकार और अंशतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मृत्युकालीन घोषणा का पूर्ण होना आवश्यक है। मृतक व्यक्ति द्वारा किया गया अपूर्ण कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता। मृत्युकालीन घोषणा यद्यपि एक कमजोर साक्ष्य होता है, लेकिन यह कोई निरपेक्ष नियम नहीं है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसे ग्राह्य किया जाय अथवा नहीं।

जो व्यक्ति मृत्यु कालिक कथन अभिलिखित करता है उसे सन्तुष्ट होना चाहिए कि मरने वाला व्यक्ति सामान्य समझ के साथ स्वैच्छिक और सचेत कथन कर रहा है। इशारा द्वारा किया गया कथन भी बराबर ग्राह्य होगा। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कवीन बनाम् अब्दुल्ला में प्रतिपादित किया।

कोई ऐसा आत्यन्तिक नियम (Absolute rule) नहीं है कि “मृत्यु कालिक कथन बिना स्वतन्त्र साक्ष्य के समर्थन को स्वीकार नहीं करना और न ही इसके आधार पर सजा देनी चाहिए”। न्यायालय को कथन की सत्यता का पूर्णरूप से समाधान होना चाहिए। यदि परिस्थितियों में ऐसी कोई बात है जो कथन की विश्वसनीयता पर सन्देह पैदा करती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय को पूर्णरूप से समाधान था। न्यायालय ने मृत्यु कालिक कथन की सह-अपराधी या इकबाली साक्षी (Approver) के परिसाक्ष्य और सह-अभियुक्त की संस्वीकृति से तुलना की और संप्रेक्षित किया उनसे बराबरी नहीं करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्त

1. कुशा बनाम् स्टेट ऑफ उड़ीसा, ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 559 ने खुशाल राव बनाम् स्टेट ऑफ बॉम्बे का अनुसरण किया कि तथ्यों पर किसी सम्पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई विधि का आत्यन्तिक नियम नहीं है कि जब तक सम्पुष्टि न हो मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एक मात्र आधार नहीं हो सकता।

2. प्रत्येक मामले की जांच उसी के तथ्यों के अनुसार होनी चाहिए।

3. मृत्युकालिक कथन अन्य साक्ष्य के मुकाबले में कमजोर प्रकार का साक्ष्य नहीं होता।

4. ऐसा मृत्यु कालिक कथन जिसे किसी मजिस्ट्रेट ने लिखा है, प्रश्न-उत्तर रूप में तथा मृतक के अपने शब्दों में है, वह पूर्णरूप से विश्वसनीय होता है।

5. मृत्युकालिक कथन की विश्वनीयता की जांच करने के लिए न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे मृतक द्वारा देखने का अवसर उदाहरणार्थ अगर अपराध रात के समय हुआ था।

डाक्टरी-सर्टिफिकेट-कार्बन कॉपी एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई थी। इसलिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से साक्ष्य में ग्राह्य माना गया (पृथ्वी चन्द्र बनाम् स्टेट ऑफ़ एम.पी., ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 702)।

मृत्युकालीन घोषणा के साक्ष्य का मूल्यांकन मामले की परिस्थितियों पर ही पूर्णरूप से आधारित होता है, किसी विधि के नियम पर नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने खुश हाल राव के वाद के पूर्व रामनाथ बनाम् राज्य, ए.आई.आर. 1953 एस.सी., 420 के वाद में यह अवलोकन किया था कि यह निर्धारित विधि है कि मृत्युकालीन घोषणा के असमर्थित साक्ष्य पर किसी दण्डादेश को आधारित करना न्याय की दृष्टि से सुरक्षापूर्ण नहीं है।

मृत्युकालीन घोषणा अतिरिक्त साक्ष्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके उच्चतम न्यायालय ने कई कारण बताये हैं—

(1) यह कि ऐसा बयान किसी शपथ पर नहीं दिया जाता है,

(2) यह कि बयानकर्ता से जिरह (Cross Examination) का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तथा

(3) यह कि जिस समय ऐसा बयानकर्ता बयान दे रहा होता है, वह अपनी पूर्ण मानसिक स्वरूप स्थिति में नहीं होता है। अतः उसके गलतफहमी के शिकार होने की आशा अधिक होती है। यह भी सम्भव है कि वह ऐसी दशा में वास्तविकता से दूर हटकर अपनी कल्पना पर आधारित होकर बयान दे रहा हो।

यदि न्यायालय मृत्युकालिक कथन पर विश्वास करता है कि वह सत्य है तो उसके आधार पर अभियुक्त को सिद्ध दोष कर सकता है, किन्तु संदिग्ध मृत्युकालिक कथनों की सम्पुष्टि आवश्यक

है। (रसीद बेग बनाम् एस.पी., ए.आई.आर. 1974 सु.को. 332)।

साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मृत्युकालीन घोषणा सुसंगत है, चाहे वह व्यक्ति जिस समय उनसे घोषणा की थी, मृत्यु की शंका में रहा हो या न रहा हो।

दीवानी के मामलों में मृत्युकालीन घोषणा ग्राह्य है यदि उसमें मृत्यु के कारण का प्रश्न उठाया गया हो। क्षतिपूर्ति के वाद में जिसमें रेलवे दुर्घटना से मृत्यु हुई है, मृतक व्यक्ति का, उसकी मृत्यु के कारण पर दिया गया बयान ग्राह्य है।

मृत्युकालिक कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा कथन धारा 32 के खण्ड (1) के अन्दर आता है और सुसंगत भी है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के खण्ड (1) में वर्णित प्रतिषेध (Prohibition) के परे है।

धारा 33 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्पूर्ति कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति के विषय में है।

धारा 34 से 38 के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों की सुसंगति के बारे में उपबन्ध किए गए हैं। धारा 34 के अन्तर्गत लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखे गए प्रविष्टियों के साथ सुसंगत होती है यदि उनकी जांच न्यायालय के द्वारा होनी है किन्तु मात्र यहीं प्रविष्टियाँ ही किसी व्यक्ति पर दायित्व अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

इसी प्रकार कर्तव्य पालन में की गयी लोक अभिलेख की प्रविष्टियाँ (धारा 35), मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथन (धारा 36), किन्हीं अधिनियमों/अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन (धारा 37) और विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथन भी विशिष्ट परिस्थितियों में सुसंगत होते हैं। धारा 39 में यह अधिकथित है कि किसी कथन में से कितना साबित किया जाए।

प्रश्नकोश

Q. मृत्युकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत ग्राह्य है? और कौन सी धारा में मृत्युकालीन घोषणा का सिद्धान्त मिलता है?

A. धारा 32(1)।

Q. “अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है”। का कौन सा धारा उपर्युक्त नियम का एक अपवाद है?

A. धारा 32।

Q. मृत्युकालिक कथन (धारा 32) साक्ष्य अधिनियम में कब साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है?

A. जबकि उसे लेखबद्ध किया गया हो।

Q. मृत्युकालिक कथन किन मामलों में ग्राह्य होता है?

A. दीवानी और दाण्डिक दोनों मामलों में।

Q. मृत्युकालिक घोषणा कब साक्ष्य में अग्राह्य है?

A. जब घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रह गया है या वह अपूर्ण है या न्यायालय की राय में कथनकर्ता सक्षम नहीं है

Q. मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं?

A. (i) मृत्यु कालिक कथन करने वाले की मृत्यु।

(ii) कथन उसकी मृत्यु के बारे में अवश्य हो।

(iii) कथन उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

- Q.** कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से सम्बन्धित है?
- A.** आर. बनाम टाल्सन (1885 I.L.R.)
- Q.** जब कोई घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो तो वह संकेतों से मृत्युकालिक कथन कर सकता है। यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था?
- A.** आर. बनाम अब्दुल्ला
- Q.** पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट के वाद का सम्बन्ध किस विषय से है? यह किस न्यायालय में निर्णीत किया?
- A.** मृत्युकालिक कथन से। प्रीवी काउंसिल ने।
- Q.** लेखा के पुस्तकों में किए गए सुसंगत प्रविष्टियां मात्र किस प्रकृति की होती है?
- A.** मात्र ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
- Q.** किन व्यक्तियों की मृत्यु कालिक कथन सुसंगत माने जाते हैं?
- A.** (i) जो मिल नहीं सकते हैं।
(ii) जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं।
(iii) जिनकी उपस्थिति बिना विलम्ब के नहीं हो सकती।
- Q.** मृत्युकालिक कथन क्या है?
- A.** अधिनियम की धारा 32 (1) के अनुसार मृत्युकालिक कथन एक वक्तव्य है जो मरणासन्न व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण पर देता है या उन परिस्थितियों के विषय में देता है जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई है।
- Q.** धारा 32 कब लागू होती है?
- A.** धारा 32 तब लागू होती है जब वह व्यक्ति जिसका कथन साबित होता है, मर चुका है, या मिल नहीं सकता, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है।
- Q.** धारा 32 के अधीन ग्राह्य साक्ष्य कसा होता है?
- A.** मौलिक साक्ष्य।
- Q.** किस वाद में यह कहा गया कि यदि मृतक ने आत्महत्या कर लिया है तो भी वह मृत्युकालिक कथन के अन्तर्गत आयेगा जबकि कथन मृत्यु का कारण बताए या संव्यवहार की परिस्थितियों को बताए जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुयी?
- A.** शरद विर्दी चन्द्र बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सु.को. के वाद में।
- Q.** क्या एफ.आई.आर. के रूप में किया गया कथन मृत्यु कालिक कथन के रूप में ग्राह्य है?
- A.** के. रामचन्द्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रासीक्यूटर 1976 सु.को. के वाद में कहा गया है कि एफ.आई.आर. के रूप में किया गया कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है।
- Q.** किस वाद में लार्ड एटकिन महोदय ने कहा कि—“कथनकर्ता को मृत्यु की प्रत्याशंका होना आवश्यक नहीं है यदि कथनकर्ता का कथन मृत्यु की संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में प्रकाश डालता है तो ऐसे मामले में जिनमें कथनकर्ता की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है उसमें कथन सुसंगत है चाहे कथन मौखिक हो या लिखित। ऐसे कथन को बतौर साक्ष्य मृत्युकालिक कथन के रूप में किसी भी प्रकृति के मामलों चाहे दीवानी, राजस्व, या दाण्डिक में पेश किया जा सकता है?
- A.** यह कथन एटकिन महोदय द्वारा पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर 1939 पी.सी. के प्रकरण में किया गया।
- Q.** मृत्यु कालिक कथन की ग्राह्यता के क्या आधार हैं?
- A.** मृत्युकालिक कथन के ग्राह्यता के आधार हैं—
(1) आवश्यकता।
(2) सत्य का अनुमान। मैथ्यू ऑरनोल्ड ने कहा है कि—मरते हुए व्यक्ति की जिह्वा पर सत्य का वास होता है, और वह जो भी कथन करता है सत्य होता है।
- Q.** मृत्युकालिक कथन का अभिलेख कौन कर सकता है?
- A.** मौके पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति (जसवन्त सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन 1978)।
- Q.** मृत्युकालिक कथन का अभिलेख किसके समक्ष करने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है?
- A.** मजिस्ट्रेट के समक्ष।
- Q.** यदि मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति जीवित बच जाय तो उस कथन का तथा उपयोग होगा?
- A.** (1) दर्शन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 एवं (2) मधुसूदन बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 1983 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कथनकर्ता, जो कथन मृत्यु की प्रत्याशंका में किया था, जीवित बच जाय तो उसके कथन का प्रयोग उसके ही किसी कथन की सम्पुष्टि हेतु धारा 157 के अधीन या धारा 145 के अन्तर्गत उसी के किसी अन्य कथन का खण्डन करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे कथनों का प्रयोग धारा 155 (3) के तहत वर्तमान में किये जा रहे असंगत कथन पर उनकी विश्वसनीयता अधिक्षिप्त किये जाने के लिए किया जा सकता है।
- Q.** क्या बिना स्वतन्त्र साक्ष्यों की सम्पुष्टि के मृत्युकालिक कथन के आधार पर निष्कर्ष निर्धारित करना उचित है?
- A.** नहीं। (न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है।)
- Q.** रामनाथ बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1953 के प्रकरण में मृत्युकालिक कथन के साक्ष्यिक मूल्य के सम्बन्ध में किसका वाद प्रचलित है?
- A.** मृत्युकालिक कथन को सारभूत साक्ष्य न मानने के पीछे उच्चतम न्यायालय ने निम्न कारण दिए—

- (1) मृत्युकालिक कथन शपथ पर नहीं होता।
 (2) कथनकर्ता की जिरह नहीं होती इसलिए सत्यता की जांच नहीं हो पाती।
 (3) कथन करने के समय कथनकर्ता पीड़ा की स्थिति में होने के कारण मानसिक रूप से भ्रमित रहता है।
- Q.** किस प्रकरण में मृत्युकालिक कथन के साक्ष्यिक मूल्य के सम्बन्ध में यह निर्णीत किया गया कि—प्रत्येक दशा में मृत्युकालिक कथन को स्वतन्त्र साक्ष्यों से सम्पुष्टि की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यदि वह सत्य एवं विश्वसनीय है, या मजिस्ट्रेट ने ऐसे कथन को नोट किया है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, और बिना सम्पुष्टि के ही उसके ऊपर निर्णय आधारित किया जा सकता है?
- A.** यह मत उच्चतम न्यायालय ने खुशालराव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सु.को. के प्रकरण में व्यक्त किया है।
- Q.** रशीद बेग 1974 के प्रकरण में क्या धारित किया गया?
- A.** इस प्रकरण में यह धारित किया गया कि मृत्यु कालिक कथन को अन्य साक्ष्यों से सम्पुष्टि कराया जाय कि नहीं यह मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
- Q.** मृत्युकालिक कथन के सम्बन्ध में अंग्रेजी और भारतीय विधि में क्या अन्तर है?
- A.** इस सम्बन्ध में प्रमुख अन्तर यह है कि—
 (1) इसका प्रयोग अंग्रेजी विधि में केवल फौजदारी मामलों में ही होता है, जबकि भारतीय विधि में मामले की प्रकृति चाहे जैसी हो, आवश्यक केवल यह है कि मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।
 (2) अंग्रेजी विधि में आर. बनाम मीड के प्रकरण के अनुसार— इसके लिए मृत्यु की प्रत्याशंका में होना आवश्यक है जबकि भारतीय विधि में कथन ग्राह्य होगा चाहे मृत्यु की प्रत्याशंका में किया गया हो या नहीं।
- Q.** अधिनियम की धारा 33 क्या उपबन्ध करती है?
- A.** धारा 33 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्पूर्वी कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति के विषय में उपबन्ध करती है।
- Q.** वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही या किसी सक्षम व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन कथनों की सत्यता को किसी पश्चात्पूर्वी कार्यवाही में कब साबित किया जा सकता है?
- A.** (1) जब वह साक्षी मर गया है।
 (2) मिल नहीं सकता है।
 (3) साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या
 (4) न्यायालय उसकी उपस्थिति अत्यधिक व्यवसाय या विलम्बकारी समझता है। अथवा
 (5) प्रतिपक्षी द्वारा पहुँच के बाहर कर दिया गया है।
- Q.** धारा 33 के अन्तर्गत ऐसे अनुपलब्ध साक्षी का साक्ष्य पश्चात्पूर्वी कार्यवाही में किन परिस्थितियों में सुसंगत होगा और साबित किया जा सकेगा?
- A.** तब जबकि—
 (1) वह पूर्वपूर्वी कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच थी।
 (2) प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था।
 (3) विवाद्यक सारतः प्रथम कार्यवाही में वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में हैं।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 में अन्तर्निहित सिद्धान्त क्या है?
- A.** धारा 39 में अन्तर्निहित सिद्धान्त के अनुसार—
 “जब कोई बहुत लम्बा कथन या दस्तावेज किसी कार्यवाही में सुसंगत है तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए केवल उतने भाग के पेश किये जाने के लिए आदेश दे सकता है जो उस मामले में दिये गए कथनों को पूर्णरूप से समझने के लिए आवश्यक हो।

निर्णयों की सुसंगति के विषय (Judgements of Courts of Justice, when Relevant) (धारा 40-44)

धारा 40, 41, 42, 43 और 44 में न्यायिक निर्णयों की सुसंगतता का उल्लेख है। धारा 40 के अन्तर्गत पूर्व निर्णय को सुसंगत माना गया है। इसके अनुसार किसी ऐसे निर्णय, आदेश या आज्ञा की अस्तित्व, जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है जबकि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान

या विचारण करना चाहिए। अर्थात् जब कोई न्यायालय किसी मामले का संज्ञान ले रहा हो अथवा उसका विचारण कर रहा हो तब ऐसा करने में कोई निर्णय, आदेश या आज्ञाप्ति सुसंगत होगा, यदि वह निर्णय, आदेश या आज्ञाप्ति उस न्यायालय को वैसा करने से निवारित करने की प्रवृत्ति रखता हो।

इसी प्रकार धारा 41 प्राबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति के बारे में साक्ष्य नियम अधिकथित करता है। वस्तुतः निर्णय दो प्रकार के होते हैं—

- (1) लोकलक्षी निर्णय (Judgement in rem) और
- (2) व्यक्तिलक्षी निर्णय (Judgement in Personam)।

धारा 41 कुछ ऐसे निर्णयों का वर्णन करती है जो पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं लागू होते हैं।

यद्यपि धारा 41 “लोक लक्षी निर्णय” शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। फिर भी इस विषय पर यह धारा विधि का इस रूप में नियमन करती है जिस रूप में सर बारनेस पीकॉक ने कन्हैयालाल बनाम राधाचरण, 7 डब्ल्यू.आर. 333 (एफ.बी.) में “लोकलक्षी निर्णय” की व्याख्या की है।

लोकलक्षी निर्णय की परिभाषा टेलर (Taylor) ने दिया। लोकलक्षी निर्णय न्याय-निर्णयन की एक ऐसी घोषणा है जो किसी खास विषय पर सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वभौमिक नियम की स्थापना करती है। लोक लक्षी निर्णयों का तात्पर्य ऐसे निर्णयों से है जो न केवल पक्षकारों के विरुद्ध अपितु समस्त जगत के विरुद्ध प्रभावी होते हैं।

फील्ड (Field) का कहना है कि “लोकलक्षी निर्णय, एक ऐसा निर्णय है जो न केवल उस वाद के पक्षकारों पर ही जिसमें कि वह दिया गया था वरन् सभी व्यक्तियों पर बन्धनकारी होता है। ऐसे निर्णय निश्चायक विधि (Positive Law) के अंग हैं, चाहे वे अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य के कारण हों या चाहे घरेलू औचित्य के कारण हों। इस प्रकार लोकलक्षी निर्णय वह निर्णय है जो न केवल प्रतिपक्षी पर ही बन्धनकारी होता है अपितु पूरे संसार पर बन्धनकारी होता है।

“लोकलक्षी निर्णय” और “व्यक्तिलक्षी निर्णय” में भेद

‘लोकलक्षी निर्णय’ और ‘व्यक्तिलक्षी निर्णय’ में केवल न्याय-निर्णयन के ही विषय में भेद है। उसमें और कोई भेद नहीं है।

लोकलक्षी निर्णय

1. लोकलक्षी निर्णय समस्त विश्व के व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चायक सत्य है।
2. लोकलक्षी निर्णय के मामले में पक्षकारों के बीच दिया गया विशेष निर्णय होता है।
3. लोकलक्षी निर्णय किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति (Status) मात्र की घोषणा नहीं करता है अपितु वास्तव में उसकी घोषणा साबित करता है।

व्यक्तिलक्षी निर्णय

1. व्यक्तिलक्षी निर्णय केवल पक्षकारों और उनके संसर्गियों के विरुद्ध ही निश्चायक होता है।
2. व्यक्तिलक्षी निर्णय संविदा या अपराध या दुष्कृति के मामले में पक्षकारों के बीच दिया गया साधारण निर्णय होता है।
3. व्यक्तिलक्षी निर्णय किसी व्यक्ति या वस्तु की व्यक्तिगत स्थिति मात्र को घोषित करता है।

लोकलक्षी निर्णय के अनुसार, किसी तलाक के मुकदमे की आज्ञाप्ति (Decree) न केवल विवाह को रद्द करती है वरन् पत्नी को समस्त वैवाहिक उत्तरदायित्वों से स्वतन्त्र करती है।

दिवालियेपन के न्याय निर्णयन में मात्र किसी व्यक्ति को मात्र दिवालिया ही घोषित नहीं किया जाता है वरन् दिवालिए को समस्त कर्जों से मुक्त भी किया जाता है।

धारा 41 के प्रथम खण्ड में निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों को लोक लक्षी निर्णय माना गया है—

1. इच्छा पत्र न्यायालय (Probate Courts)
2. विवाह सम्बन्धी न्यायालय (Matrimonial Courts)
3. नौ अधिकारी न्यायालय (Admiralty Courts)।

धारा 41 लोकलक्षी निर्णय के बारे में वर्णन करती है। जो निर्णय किसी सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा किसी प्रोबेट विषयक, विवाद विषयक, दिवाला विषयक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिये जाते हैं वे लोक लक्षी निर्णय कहे जाते हैं।

धारा 41 के अनुसार किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट-विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण-विषयक या दिवाला अधिकारिता (Jurisdiction) के प्रयोग में दिया हुआ अन्तिम निर्णय आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को, या से, कोई विधिक हैसियत प्रदान करती है या ले लेती है या जो सर्वतः न कि किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी निर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत है जबकि किसी ऐसी विधिक हैसियत या किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है।

ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है कि कोई विधिक हैसियत, जो वह प्रदत्त करती है, उस समय प्रोद्भूत हुई जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री प्रवर्तन (Operation) में आयी।

धारा 41 के अन्तर्गत किसी निर्णय, आदेश या डिक्री को सुसंगत होने के लिए यह आवश्यक है कि—

- (1) वह किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट-विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण-विषयक या दिवाला-विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ हो।

(2) वह इस स्वभाव का हो कि किसी व्यक्ति को कानूनी हैसियत प्रदान करता हो, कानूनी हैसियत छीन लेता हो, अथवा यह घोषित करता हो कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कानूनी हैसियत का हकदार है।

लोकलक्षी निर्णय केवल यह दिखाने के लिए आवश्यक सबूत होते हैं कि—

(1) निर्णय एक विधिक हैसियत प्रदान करता है, या

(2) वह किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत का हकदार करता है, या

(3) वह यह घोषित करता है कि किसी व्यक्ति की हैसियत जो चल रही थी, वह खत्म हो गई।

धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव—धारा 42 के अनुसार वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां, जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक-प्रकृति की बातों से सम्बन्धित हैं, तो वे सुसंगत हैं।

ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं।

धारा 43 के अनुसार धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या आज्ञप्तियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश का अस्तित्व विवाद्यक तथ्य न हो या वह

इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत सुसंगत न हो।

निर्णय का साक्ष्यिक महत्त्व (धारा 44)

धारा 44 के अन्तर्गत निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट (fraud) या दुस्सन्धि (collusion) अथवा न्यायाय की अक्षमता (Incompetency) साबित की जा सकेगी। धारा 44 के अनुसार यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश धारा 40, 41 अथवा 42 के अन्तर्गत सुसंगत हैं, और किसी पक्षकार ने उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, तो दूसरा पक्षकार यह दिखा सकता है कि ऐसा निर्णय, डिक्री या आदेश सक्षम न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया था।

ऐसा निर्णय कपट अथवा दुस्सन्धि का प्रयोग करके प्राप्त किया गया था। जब वह किसी निर्णय को यों न मिटाया जाय, वह विश्वसनीय साक्ष्य होता है।

किसी निर्णय की महत्ता को तीन विभिन्न आधारों पर मिटाया जा सकता है—निर्णय देने वाला न्यायालय असक्षम था, निर्णय दुस्सन्धि प्रेरित था तथा निर्णय कपट द्वारा प्राप्त किया गया था।

पक्षकार कपट के आधार पर किसी निर्णय को रद्द घोषित करने के लिए वाद ला सकता है।

धारा 44 इस अधिकार से भिन्न अधिकार का वर्णन करती है। धारा 44 दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की कार्यवाहियों पर लागू होती है।

प्रश्नकोश

Q. साक्ष्य अधिनियम में 'पूर्व न्याय' किस धारा में सुसंगत है?

A. धारा 40 में।

Q. कौन-सा निर्णय व्यक्ति बंधी निर्णय होता है?

A. दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यावस्थापन के वाद में दिया गया निर्णय (धारा 41)।

Q. सर्वबंधी निर्णय कौन है?

A. विवाह-विच्छेद के वाद में पारित निर्णय। (धारा 41)।

Q. रेस जुडिकाटा का सिद्धान्त जो सिविल प्रक्रिया संहिता, की धारा 11 में दिया गया है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में समाहित है?

A. यह सिद्धान्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 में समाहित है।

Q. धारा 41 के अन्तर्गत किसी सक्षम न्यायालय के किस अधिकारिता के प्रयोग में दिये गये अन्तिम निर्णय, आदेश या डिक्री को सुसंगत घोषित किया गया है?

A. इस धारा में सक्षम न्यायालय के प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक, या फिर दिवाला विषयक, अधिकार के प्रयोग में दिये गये अन्तिम निर्णय, आदेश या डिक्री को सुसंगत घोषित किया गया है।

Q. धारा 41 में दिये गये सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का निर्णय या डिक्री या आदेश किस बात का निश्चायक सबूत होगा?

A. यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि—कोई विधिक हैसियत कब प्रदान की गयी। अर्थात् जब आदेश, डिक्री या निर्णय दिया गया।

Q. सक्षम न्यायालय के निर्णय, आदेश या आज्ञप्तियों की प्रकृति साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत क्या होती हैं?

A. वे जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषयों के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी-कभी सुसंगत साक्ष्य भी, किन्तु निश्चायक सबूत नहीं होते। (धारा 42)।

Q. वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित हैं भिन्न हैं, कब सुसंगत हैं?

A. जब वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से सम्बन्धित हैं। (धारा 42)।

Q. धारा 42 में लोक प्रकृति की बातों से सम्बन्धित निर्णय आदेश, या डिक्रियों की क्या प्रकृति होती है?

A. धारा 42 के अनुसार—ऐसे निर्णय आदेश, या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं।

- Q.** अधिनियम की धारा 43 का सामान्य नियम क्या है?
- A.** कोई भी निर्णय, डिक्री या आदेश जो धारा 40, 41 एवं 42 के अन्तर्गत सुसंगत नहीं है वह विसंगत होगा। (धारा 43) इस तरह धारा 40, 41 एवं 42 धारा 43 में बताये गये नियम का अपवाद है।
- Q.** कौन सा निर्णय धारा 43 के अन्तर्गत विसंगत है?
- A.** अपराध विषयक न्यायालय का निर्णय।
- Q.** 'क' अपनी पत्नी 'ग' के साथ जारकर्म करने के लिए 'ख' का अभियोजन करता है। 'ख' इस बात से इंकार करता है कि 'ग', 'क' की पत्नी है। किन्तु न्यायालय 'ख' को जारकर्म के लिए दोषसिद्धि प्रदान करता है। तत्पश्चात् 'क' के जीवन काल में 'ख' के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए 'ग' अभियोजित की जाती है। 'ग' कहती है कि वह 'क' की पत्नी कभी नहीं थी? क्या इस मामले में 'ख' के विरुद्ध दिया गया जारता के लिए दोषसिद्धि का निर्णय सुसंगत होगा?
- A.** इस समस्या में 'ख' के विरुद्ध दिया गया 'ग' के साथ जारता का निर्णय, 'ग' के विरुद्ध विसंगत है, क्योंकि निर्णयों की सुसंगता से सम्बन्धित उपबन्ध जो कि धारा 40 से 43 तक में दिये गये हैं, यह निर्णय किसी में भी सुसंगत नहीं है।
- Q.** 'ख' का अभियोजन 'क' इसलिए करता है कि उसने 'क' की गाय चुराई है। 'ख' दोषसिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात् 'क' उस गाय के लिए जिसे 'ख' ने दोषसिद्ध होने से पूर्व 'ग' को बेच दिया गया था, 'ग' पर वाद लाता है। क्या 'ख' के विरुद्ध 'क' के मामले में दिया गया निर्णय 'क' और 'ग' के बीच सुसंगत होगा?
- A.** इस समस्या में 'क' एवं 'ख' के बीच 'ख' के विरुद्ध दिया गया निर्णय 'क' एवं 'ग' के बीच मामले में सुसंगत नहीं होगा क्योंकि यह निर्णयों की सुसंगति से सम्बन्धित उपबन्ध में नहीं आता है जो कि धारा 40 से 43 तक में व्यवस्थित है।
- Q.** किसी डिक्री, निर्णय, या आदेश के अस्तित्व को कब चुनौती दी जा सकती है?
- A.** किसी निर्णय, डिक्री, या आदेश को तब चुनौती दी जा सकती है—जबकि वह
- (1) सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है, अर्थात् क्षेत्राधिकार विहीन हो।
 - (2) कपट द्वारा दिया गया है, या
 - (3) दुस्सन्धिपूर्ण है।
- Q.** धारा 44 के अन्तर्गत किन निर्णयों के अस्तित्व को चुनौती देने की बात की गयी है?
- A.** किसी भी ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश के अस्तित्व को जो धारा 40, 41 एवं 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है।
- Q.** धारा 44 के अन्तर्गत ऐसे कपटपूर्ण या दुस्सन्धिपूर्ण निर्णय इत्यादि को कौन से लोग चुनौती दे सकेंगे?
- A.** वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार चुनौती दे सकेगा।

अन्य व्यक्तियों की रायों की सुसंगतता (Opemopm pf Third Persons, when relevant) धारा 45 से 51

साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से 51 में अन्य व्यक्तियों की रायों की सुसंगतता के विषय में उपबन्ध किया गया है। धारा 45 के अन्तर्गत कुछ विषयों पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है। धारा 45-क सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा अंतःस्थापित है। इसके अनुसार, जब किसी कार्यवाही में न्यायालय को किसी मामले में मत बनाना होता है जो किसी पारंपरिक सूचना के संबंध में या किसी कंप्यूटर साधन में भरी गई सूचना अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक अथवा अंकीय रूप द्वारा सूचना के रूप में भरा जाता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 में

संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। इस धारा के उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक एक विशेषज्ञ व्यक्ति होगा। धारा 47 के अधीन हस्तलेख के बारे में राय को विशिष्ट परिस्थितियों में सुसंगत माना गया है।

साक्ष्य अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के द्वारा धारा 47क अन्तःस्थापित करके उपबन्ध किया गया है कि जबकि न्यायालय को किसी व्यक्ति का आंकिक हस्ताक्षर पर राय बनानी हो तो अनुप्रमाणक प्राधिकारी की राय सुसंगत तथ्य होगा, जिसने कि उक्त आंकिक हस्ताक्षर जारी किया है। इसी प्रकार अधिकार या रूढ़ि के

अस्तित्व के बारे में राय (धारा 48), प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में राय (धारा 49) तथा नातेदारी के बारे में राय (धारा) को भी कथित परिस्थितियों में सुसंगत माना जाता है। अन्ततः यह कि जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी सुसंगत है, जिन पर वह आधारित है।

इस अध्याय का महत्वपूर्ण विशेषज्ञों की राय को ही माना जाता है। वस्तुतः किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के विषय में, जो कुछ कोई आदमी सोचता है, वह राय है। जो कुछ किसी व्यक्ति को सीधे इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है जिसमें उसे कुछ सोचना-विचारना नहीं पड़ता है, वह राय नहीं है।

दृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या चोट भाले द्वारा पहुँचाई गई है?

क कहता है कि उसने अभियुक्त को एक भाले द्वारा चोट पहुँचाते हुए देखा था। यह 'क' की राय नहीं है। किन्तु यदि एक डॉक्टर जिसने चोट लगते हुए नहीं देखा है, कहता है कि उसका विचार है कि अमुक चोट एक भाले द्वारा पहुँचाई गई है तो यह उसकी राय है।

जो कुछ आदमी देखता, सुनता, छुने से अनुभव करता है और जानता है वह राय नहीं है और इसके विपरीत जो कुछ आदमी का निष्कर्ष होता है; वह उसकी राय है। राय की सुसंगति (Relevancy of Opinion) का सामान्य नियम यह है कि राय ग्राह्य नहीं होती है। गवाहों का कार्य न्यायालय के समक्ष स्वयं द्वारा देखे गये तथ्यों को रखना है और राय बनाना न्यायालय का कार्य है।

गवाह आमतौर से मुकदमें के पक्षकारों में हितबद्ध होते हैं और यदि उनकी राय ग्राह्य हो तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। गवाहों को न्यायालय के समक्ष 'तथ्य का कच्चा माल' रखना होता है और तब न्यायालय को उससे अपना निष्कर्ष निकालना होता है। सामान्य नियम यह है कि गवाह केवल उन्हीं तथ्यों को कहें जो उनकी अपनी जानकारी में हों। उनकी अपनी राय या विश्वास विसंगत है और इसलिए अग्राह्य (Inadmissible) है।

गवाहों को तथ्य का बयान करना होता है, जिसे कि उसने देखा और सुना है। न्यायाधीश का कर्तव्य उन बयान किये गये तथ्यों के आधार पर राय बनाना या निष्कर्ष निकालना होता है।

निश्चयात्मक साक्ष्य (Positive evidence) किसी केस में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का होता है। विशेषज्ञ का साक्ष्य केवल एक राय है जो प्रत्यक्ष साक्ष्य की सम्पुष्टि कर सकता है। चिकित्सीय साक्ष्य स्वयं अभियोजन के केस को साबित नहीं करता। इसका मूल्य संपोषक (corroborative) है।

न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला के अनुसार डाक्टर जो शव परीक्षा करता है वह तथ्य का गवाह है।

विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर

हस्तलेख या अंगुलिचिह्नों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेषज्ञों की रायें धारा 45 के अन्तर्गत सुसंगत तथ्य हैं। धारा 45 में 'विशेषज्ञ' शब्द को 'विशेष कुशल व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है।'

श्री चन्द्र बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 1974 सुप्रीम कोर्ट 639 में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया है कि इस धारा में प्रयुक्त 'विशेषज्ञ' शब्द को सामान्य अर्थ में लेना चाहिए। आबकारी इंस्पेक्टर, जिसने सैम्पल्स के परीक्षण का काम 21 वर्षों से किया है, इस धारा के अन्तर्गत विशेषज्ञ माना जायेगा। धारा 45 के अन्तर्गत वे मामले जिनमें विशेषज्ञों की रायें सुसंगत होती हैं—विदेशी विधि, विज्ञान या कला के विषय पर या हस्तलेख या अंगुलि-चिह्नों की अनन्यता के विषय में हैं।

चिकित्सक या सर्जन की राय किसी आदमी की शारीरिक दशा, बीमारी का स्वरूप, चोट की किस्म और वह हथियार जिससे कि चोट पहुँचाई गई है, आदि दिखाने के लिए स्वीकृत की जाती है।

चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य न केवल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की गवाही पर रोक है बल्कि वह एक स्वतन्त्र गवाह की गवाही भी है क्योंकि वह मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कुछ करता है।

हस्तलेख विशेषज्ञ की राय पर किसी दोषसिद्धि (Conviction) को आधारित करना सुरक्षित नहीं है।

आपराधिक अनुसंधान का अंगुलि-चिह्न की पहचान एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है।

बनर्जी स्टोर बनाम दी प्रेसीडेंट ऑफ इण्डिया, ए.आई.आर. 1913 इलाहाबाद 318 के अनुसार, कुछ मामलों में अंगुलिचिह्न विशेषज्ञ की राय को हस्तलेख-विशेषज्ञ की राय से उच्च माना गया है।

लेख असली या नकली साबित करने की रीति हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा धारा 45, 47, 73 के अन्तर्गत किया जाता है। विशेषज्ञ की राय भी सुसंगत है। (धारा 45) ऐसे व्यक्ति की राय भी सुसंगत है जो उस व्यक्ति के लेख से परिचित हो उसे लिखते पढ़ते देखा है जिसके द्वारा कथित लेख लिखा जाना कहा जाता है। (धारा 47)।

किसी दस्तावेज के असली होने का सबूत दस्तावेज के लेखक अथवा किसने लिखा है का सबूत है। इसका साक्ष्य प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक हो सकता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य उस व्यक्ति का हो सकता है जिसने दस्तावेज लिखा जाते देखा हो या हस्ताक्षर किये जाते देखा हो।

अब्दुल्ला रज्जाक बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (ए.आई.आर. 1970 सु.को. 283) में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया है कि आधुनिक विज्ञान के युग में कुत्तों द्वारा अपराधों की जासूसी, यद्यपि साक्ष्य में ग्राह्य है, किन्तु इस साक्ष्य में अधिक बल नहीं होता है।

पैरों के निशान के विषय में विशेषज्ञ का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता है। कारण यह है कि इसके विषय में विज्ञान अभी अविकसित है।

प्रश्नकोश

- Q.** सामान्य नियम है कि साक्षी का मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। इस नियम का अपवाद साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में हैं?
- A.** धारा 45 से 51।
- Q.** विशेषज्ञ की राय किसी तीसरे व्यक्ति की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत सुसंगत है?
- A.** धारा 45।
- Q.** खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है?
- A.** वैज्ञानिक साक्ष्य। (अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य)।
- Q.** साक्ष्य विधि की धारा 45 में किन विषयों में विशेषज्ञों की राय सुसंगत माना जाता है?
- A.** विदेशी विधि, विज्ञान या कला के विषय और हस्तलेख या अंगुलि चिन्हों के विषय में।
- Q.** किसी विवादित हस्तलेख को कैसे सिद्ध किया जा सकता है?
- A.** (i) विशेषज्ञ को आहूत करके।
(ii) ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा जो सम्बन्धित दस्तावेज के लेखक हस्तलेख से परिचित हो।
(iii) स्वीकृत एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके।
- Q.** विशेषज्ञ की परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दी गयी है?
- A.** विशेषज्ञ को साक्ष्य अधिनियम 1872 के अन्तर्गत परिभाषित या स्पष्टीकृत नहीं किया गया है, धारा 45 केवल इतना कहती है कि विज्ञान, कला, विदेशी विधि, हस्तलेख या अंगुलिचिन्ह के विषय में विशेष कुशल व्यक्ति की राय सुसंगत है, और ऐसे विशेष कुशल व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं।
- Q.** विशेषज्ञ कौन है?
- A.** अधिनियम की धारा 45 की मूल भावना से स्पष्ट है कि किसी विषय के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही विशेषज्ञ कहलाता है।
- Q.** आबकारी इंस्पेक्टर, जिसने सैम्पल्य के परीक्षण का काम 21 वर्ष से किया है, इस धारा के अन्तर्गत विशेषज्ञ माना जायेगा। किस वाद में निर्धारित किया गया था?
- A.** श्री चन्द्र बल्ला बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 1974 सु.को. 639।
- Q.** कुछ मामलों में अंगुलि चिन्ह विशेषज्ञ की राय को हस्तलेख विशेषज्ञ की राय से उच्च माना जाता है, किस वाद में निर्धारित किया गया?
- A.** बनर्जी स्टोर बनाम दी प्रेसिडेंट ऑफ इण्डिया, ए.आई.आर. 1913 इलाहाबाद 318।
- Q.** हस्तलेख साबित करने की रीति का उल्लेख किस धारा में किया गया है?
- A.** धारा 45, 47 और 73।
- Q.** अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट ऑफ मैसूर क्रि.लॉ. ज. 1972 के प्रकरण में विशेषज्ञ के सम्बन्ध में क्या धारित किया गया?
- A.** इस वाद में न्यायालय ने एक 20 वर्ष से स्वर्णकारी करने वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ माना यद्यपि उसके पास किसी भी प्रकार की शैक्षणिक उपाधि नहीं थी।
- Q.** किशन सिंह बनाम एन. सिंह 1983 पंजाब एवं हरियाणा उच्चतम न्यायालय के प्रकरण में क्या अवधारित किया गया?
- A.** इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने मुक बधिर विद्यालय के प्रधानाचार्य को उसके सम्बन्ध में विशेषज्ञ माना।
- Q.** 'राय' क्या है?
- A.** किसी तथ्य के बारे में सोचने, समझने एवं तुलना करने के पश्चात् की गयी अभिव्यक्ति को राय कहते हैं। मात्र इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को राय की संज्ञा नहीं दी जा सकती।
- Q.** विशेषज्ञों की राय के साक्ष्यिक मूल्य के सम्बन्ध में एम.आर. जफर महोदय ने अपनी पुस्तक "द डाइजेस्ट ऑफ साइंटिफिक एण्ड एक्सपर्ट ओपीनियन" में क्या विचार व्यक्त किया है?
- A.** जफर महोदय ने कहा है कि विशेषज्ञ की राय के कमजोर साक्ष्य होता है, चूँकि यह पैसा देकर खरीदा जा सकता है, पैसा देकर इनकी सेवा प्राप्त की जाती है, इनका ज्ञान अधूरा, अधकचरा भी हो सकता है तथा यह किसी अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा से प्रभावित हो सकते हैं।
- Q.** राम नारायण बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1973 सु.को. के वाद में न्यायालय ने क्या मत व्यक्त किया?
- A.** इस वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि विशेषज्ञ साक्ष्य पूरी तरह से सत्य पर विश्वसनीय लगता है तो अन्य साक्ष्यों से सम्पुष्टि आवश्यक नहीं। उक्त निर्णय को मुरारी लाल बनाम स्टेट ऑफ एम.पी., 1980 के वाद में स्वीकार किया गया।
- Q.** विदेशी विधि क्या है?
- A.** जिसका प्रवर्तन भारत में न हो वह विदेशी विधि है। अजीज बानो बनाम मु. इब्राहिम, 1915 इलाहाबाद के प्रकरण में विदेशी विधि के बारे में क्या मत व्यक्त किया गया कि शिया विधि यद्यपि विदेश में बनी है चूँकि उसका प्रवर्तन भारत में है इसलिए वह देश की विधि है न कि विदेशी।

- Q.** विदेशी विधि के सम्बन्ध में विशेषज्ञ कौन है?
- A.** ब्रिस्लो बनाम सिकविल्ले, 1885 के वाद में कहा गया है कि विदेशी विधि की वकालत करने वाला वकील विशेषज्ञ है।
- Q.** स्टीफेन महोदय ने विज्ञान या कला के सम्बन्ध में क्या विचार व्यक्त किया?
- A.** इन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि कोई भी ऐसा विषय जिसके सम्बन्ध में सामान्य व्यक्ति द्वारा राय निर्धारित करना कठिन हो वह सभी विषय विज्ञान और कला के अन्तर्गत आता है।
- Q.** यदि प्रश्न यह हो कि क्या 'क' की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई तो किस बारे में विशेषज्ञ की राय सुसंगत होगी?
- A.** ऐसी स्थिति में जिस विष के बारे में अनुमान हो कि उससे 'क' की मृत्यु हुई है उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है।
- Q.** धारा 46 किन तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बताती है?
- A.** धारा 46 के अनुसार—वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जब कि ऐसी राय सुसंगत हो।
- Q.** जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी बन्दरगाह में बाधा किसी समुद्र भित्ति से कारित हुई है तो कौन सा तथ्य सुसंगत होगा?
- A.** तब ऐसी स्थिति में यह तथ्य सुसंगत होगा कि अन्य बन्दरगाह जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थित थे किन्तु जहां ऐसी समुद्र भित्तियां नहीं थीं लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे।
- Q.** जहां किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी अध्यापक के हस्तलेख के प्रश्न विवादित हो, उस अध्यापक के किसी विद्यार्थी की राय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत सुसंगत हो सकती है?
- A.** धारा 47।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अन्तर्गत अंकीय हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय सुसंगत माना जाता है?
- A.** धारा 47-क
- Q.** जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब किसकी राय सुसंगत है?
- A.** डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी का।
- Q.** जब न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसके द्वारा लिखा गया है या हस्ताक्षर किया गया है तो किन व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी?
- A.** ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गयी थी अथवा नहीं, सुसंगत तथ्य है। (धारा 47)।
- Q.** कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित कब कहा जाता है?
- A.** कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जा सकता है जबकि—
- (1) उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है।
 - (2) जबकि उस व्यक्ति ने स्वयं या प्राधिकार के अन्तर्गत उस अन्य व्यक्ति को पत्र दिया है और उसके उत्तर में कोई दस्तावेज प्राप्त किया है।
 - (3) जब कि वह उस अन्य व्यक्ति का लिपिक है या
 - (4) उस अन्य व्यक्ति का दलाल है। (धारा 47 का स्पष्टीकरण)।
- Q.** फकरुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ म.प्र., ए.आई.आर., 1967 सु.को. के वाद में हस्तलेख के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने क्या राय व्यक्त किया है?
- A.** इस वाद में निर्णीत हुआ कि हस्तलेख ऐसे व्यक्ति की गवाही से साबित किया जा सकता है जिसकी हाजिरी में वह लिखा गया था और यह प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा।
- Q.** जब न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तो किन व्यक्तियों की राय सुसंगत है?
- A.** ऐसी स्थिति में ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है, जो यदि उसका अस्तित्व होता तो उसे जानते हो अर्थात् यह जान सकने वाला व्यक्ति ही ऐसा पर व्यक्ति है जिसकी राय सुसंगत है।
- Q.** "साधारण रूढ़ि" या अधिकार क्या है?
- A.** धारा 48 के स्पष्टीकरण के अनुसार साधारण रूढ़ि या अधिकार के अन्तर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं।
- Q.** साक्ष्य अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत जब न्यायालय को मनुष्यों के निकाय, कुटुम्ब के प्रथाओं या सिद्धान्तों के बारे में, खैराती और धार्मिक प्रयोजन के लिए उसके संविधान या शासन के बारे में या किसी विशिष्ट जिले, वर्ग या क्षेत्र में प्रचलित भाषा शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हों, तो किन व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं?
- A.** ऐसी स्थितियों में उनके सम्बन्ध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है।
- Q.** नातेदारी के बारे में रायों की सुसंगतता के सम्बन्ध में प्रावधान किस धारा में किया गया है?
- A.** इस सम्बन्ध में प्रावधान अधिनियम की धारा 50 में किया गया है?
- Q.** जबकि न्यायालय को ऐक व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब किस तरह की राय सुसंगत तथ्य है?

- A. इस सन्दर्भ में ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति की आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुम्ब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के सम्बन्ध में ज्ञान के विशेष साधन हैं, सुसंगत तथ्य हैं।
- Q. यदि प्रश्न यह हो कि क्या 'क' 'ख' का धर्मज पुत्र है इस सन्दर्भ में कौन सा तथ्य सुसंगत होगा?
- A. इस सन्दर्भ में यह तथ्य कि कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा 'क' से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था, सुसंगत तथ्य है।
- Q. धारा 50 के अन्तर्गत ऐसे पर व्यक्ति कौन होंगे, जो नातेदारी के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान का साधन रखते हुए कहे जायेंगे।
- A. और उनकी राय देने का क्या तरीका होगा?
- A. इस धारा के अन्तर्गत विशेष साधन रखने वाले व्यक्ति होंगे—
(1) (अ) परिवार के सदस्य या
(ब) अन्य लोग जैसे—डाक्टर, टीचर, पुजारी, दोस्त, इत्यादि जो परिवार से सम्बन्ध रखता था।
(2) इनकी राय आचरण द्वारा दर्शित हुई हो।
- Q. अधिनियम की किस धारा में यह उपबन्धित है, कि—जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार जिन पर वह आधारित है, सुसंगत है?
- A. अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत।

शील कब सुसंगत है

(Character when Relevant) धारा 52 – 55

धारा 52 के अन्तर्गत सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत होते हैं। किसी पक्षकार के चरित्र के बारे में दो भेद करना आवश्यक है—

- (1) जब शील वादग्रस्त विषय हो और जब न हो,
- (2) जब मामला दीवानी हो और जब फौजदारी हो। जब शील स्वयं वाद का विषय हो, तो साक्ष्य निश्चित रूप से ग्रहण किया जायेगा, चाहे कार्यवाही दीवानी हो अथवा फौजदारी।

धारा 52 का कथन है कि आरोपित आचरण को सिद्ध करने के लिए दीवानी-कार्यवाहियों में शील का साक्ष्य विसंगत है।

धारा 52 में साधारण नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं—

1. जब शील नुकसानी पर प्रभाव डालता हो (धारा 55)
2. जब शील विवाद्यक तथ्य हो,
3. जब शील अन्य सुसंगत साक्ष्य से प्रकट हो (धारा 53)।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 के अनुसार, सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसम्भाव्य बना देता है, विसंगत है।

धारा 53 कहती है आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त का पूर्ववर्ती अच्छा शील एक सुसंगत तथ्य है। आपराधिक जांच में मामला दीवानी मामलों से भिन्न होता है। धारा 53, इस सिद्धान्त पर आधारित है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार काफी समय से अच्छे चरित्र का रहा है, तो सामान्य अनुभव यह कहता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर भी उसका साक्ष्य अच्छा रहा होगा।

हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य, ए.आई.आर. 1954

एस.सी. 51 के अनुसार आपराधिक मामलों में किसी आदमी का चरित्र बहुधा उसके आचरण का स्पष्टीकरण करने में तथा उसकी निर्दोषिता एवं आपराधिकता को विचारने में बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है।

भगवान स्वरूप बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1965 एस.सी. 682 के अनुसार, शील का साक्ष्य अत्यन्त कमजोर साक्ष्य होता है। यदि किसी व्यक्ति के अपराध के बारे में स्पष्ट प्रमाण है, तो शील का साक्ष्य कुछ भी मदद नहीं देता है।

अशोक दूबे बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी. एल.जे 300 के अनुसार, चरित्र, आचरण और मस्तिष्क की दशा धारा 8, 14 और 53 के अधीन ग्राह्य है।

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा धारा 53-क अंतःस्थापित किया गया तथा इसमें दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधन भी किया गया जो इस प्रकार है—

धारा 53-क कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा 354 घ, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 क ख, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घक, धारा 376 घख या धारा 376 ड के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए, किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद है, वहां पीड़िता के शील या किसी ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 के अनुसार—दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिये जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है और धारा 55 के अनुसार—सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है, जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है सुसंगत है।

अभियोजक कब बुरे शील का साक्ष्य दे सकता है, धारा 54 में इंगित किया गया है। दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिये जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है।

अर्थात् धारा 54 कहती है कि आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त व्यक्ति का बुरा चरित्र विसंगत है। आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त को इस आधार पर दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि वह एक दुश्चरित्र व्यक्ति है। सदाचार के लिए जमानत की कार्यवाहियों में जो द.प्र.सं. की धारा 106 से 24 के अधीन की जाती है, बुरे शील का साक्ष्य ग्राह्य होता है। यदि किसी सुसंगत तथ्य को स्थापित करने के लिए बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है जिसे कि अलग से नहीं साबित किया जा सकता तो बुरे शील का साक्ष्य ग्राह्य होता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 75 के अन्तर्गत यदि यह साबित कर दिया जाय कि अभियुक्त एक पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति है तो उसे आमतौर से दी जाने वाली सजा से अधिक लम्बी अवधि के लिए सजा दी जायेगी। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त की पूर्व सिद्धि को साबित किया जायेगा।

धारा 55 के अनुसार, सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिये, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है।

धारा 52, 53, 54 और 55 में “शील” शब्द के अन्तर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किन्तु धारा 54 में यथा-उपबन्धित के सिवाय केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही, साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 6 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत शील को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि। ‘शील’ शब्द के अन्तर्गत ख्याति तथा स्वभाव दोनों ही आते हैं शील का साक्ष्य केवल आचरण बनाता है। वह तथ्यों को नहीं परिवर्तित कर सकता है और न तथ्यों को साबित ही कर सकता है।

धारा 55 के अनुसार सिविल मामलों में जब किसी व्यक्ति का शील ऐसा हो, जिससे हर्जाना की रकम पर प्रभाव पड़ता हो, जो उसे मिलनी चाहिये तो शील का साक्ष्य दिया जा सकता है तथा वह सुसंगत होता है। दीवानी की कार्यवाही में अच्छे चरित्र की पूर्व कल्पना की जाती है। अतः वादी की नुकसानी की राशि की वृद्धि के लिए अच्छे चरित्र को नहीं सिद्ध किया जा सकता है।

धारा -54 तथा 55 मिलकर निम्नलिखित नियम प्रतिपादित करते हैं—

- (1) बुरा या अच्छा शील साबित करने के लिए ख्याति और स्वभाव दोनों का साक्ष्य दिया जा सकता है।
- (2) बुरे शील को साबित करने के लिए पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है।
- (3) साक्ष्य केवल साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का दिया जा सकता है न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिससे ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे।

प्रश्नकोश

- Q.** धारा 52 शील के विषय में कौन-सा सामान्य नियम प्रतिपादित करती है?
- A.** धारा 52 के अनुसार—दीवानी मामलों में यह साक्ष्य कि किसी सम्पुक्त व्यक्ति का शील ऐसा है जो उसके ऊपर अभ्यारोपित किसी आचरण के अस्तित्व को सम्भाव्य या असम्भाव्य बनाता है, विसंगत है। इस प्रकार सिविल मामले में शील का साक्ष्य विसंगत है।
- Q.** सिविल मामलों में वाद के किसी पक्षकार का शील उसके आचरण की सम्भाव्यता या असम्भाव्यता को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य कैसा होता है?
- A.** विसंगत।
- Q.** किसने कहा है कि “न्यायालय का कार्य मामले का परीक्षण है

न कि व्यक्तियों का परीक्षण तथा एक बहुत बुरा व्यक्ति बहुत अच्छे कारण से अपराध करता है?

A. विगमोर (Wigmore)।

Q. धारा 52 में दिये गये इस सामान्य नियम का, कि सिविल मामलों में शील का साक्ष्य विसंगत है—क्या अपवाद है?

A. इस नियम के अपवाद के रूप में धारा 52 के अन्तिम पंक्ति के अनुसार यदि शील अन्यथा सुसंगत हो, जैसे धारा 12 में, या 17 में आचरण द्वारा स्वीकृति, धारा 8, 9 या 14 के तहत एवं धारा 55 के अन्तर्गत नुकसानी की रकम पर प्रभाव डाले तो या जब शील स्वयं विवादक तथ्य हो, इत्यादि समाहित है।

Q. साक्ष्य विधि के प्रयोजन की दृष्टि से किन स्थितियों में किसी व्यक्ति का शील सुसंगत नहीं है?

- A. सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील।
- Q. आपराधिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि आपराधिक बौद्ध वाला व्यक्ति अच्छे चरित्र का है, किस धारा में सुसंगत है?
- A. धारा 53।
- Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पूर्ववर्ती सद्चरित्र आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत माना जाता है?
- A. धारा 53।
- Q. दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य की अभियुक्त बुरे शील है? क्या है?
- A. विसंगत है, जब तक इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है।
- Q. कौन सा तथ्य असंगत है? जब अभियुक्त पवन की हत्या के लिए अभियोजन किया जा रहा हो।
- A. कि पवन एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है।
- Q. किसी व्यक्ति का चरित्र कब सुसंगत है?
- A. सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अभिनिर्धारित करने हेतु।
- Q. दाण्डिक मामलों में अभियुक्त के अच्छे शील की क्या प्रस्थिति है?
- A. धारा 53 के अनुसार-दाण्डिक मामलों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है। इस प्रकार दाण्डिक मामले में अभियुक्त का पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है।
- Q. किस धारा में यह उपबन्ध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा शील सुसंगत नहीं है?
- A. धारा 54।
- Q. 'अच्छे शील' का दाण्डिक विचारण के सम्बन्ध में क्या तात्पर्य है?
- A. इस सम्बन्ध में अच्छे शील का तात्पर्य है कि-यह उस प्रकृति का साक्ष्य है जो अभियुक्त, आरोपित दोष को गलत साबित करने के लिए दे सकता है। वह अपने शील के पक्ष में ऐसे तथ्य दर्शा सकता है जो इस बात की असम्भाव्य बनाये कि उसने अपराध किया होगा।
- Q. यह किसका कथन है-“कि यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील बेदाग है, यह उपधारणा पैदा करता है कि वह उस अपराध को कर नहीं सकता जिसके लिए उसका विचारण हो रहा है”?
- A. यह 'काकबर्न' महोदय का कथन है।
- Q. धारा 54 का सामान्य अर्थ क्या है?
- A. धारा 54 के अनुसार-साधारणतया अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य सुसंगत नहीं होता और यह केवल तभी सुसंगत होता है, जब अभियुक्त ने धारा 53 के अर्थान्तर्गत खुद अपना अच्छा शील दर्शाता हो।
- Q. शील क्या है?
- A. धारा 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार-शील के अन्तर्गत ख्याति और स्वभाव को माना गया है। जिससे शील की परिभाषा स्पष्ट नहीं हो पाती। सामान्य भावबोध में शील किसी व्यक्ति के बारे में विशेष या सामान्य सोच है।
- Q. वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A. बुरे शील के साक्ष्य को किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, यह धारा 54, धारा 54 के स्पष्टीकरण 1 एवं 2 के पढ़ने से स्पष्ट होता है। ये परिस्थितियाँ निम्नवत् हैं-
- (1) अच्छे शील के खण्डन हेतु बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। (धारा 54)।
 - (2) शील के विवाद्यक होने की दशा में बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। (स्पष्टीकरण 1 धारा 54)।
 - (3) जब बुरे शील का साक्ष्य अन्यथा सुसंगत है, (स्पष्टीकरण-2 धारा 54) अर्थात् धारा 6 से 55 तक में कही भी।
- Q. बुरे शील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दोषसिद्धि सुसंगत है, किस धारा में यह व्यवस्था की गयी है?
- A. धारा 54 के स्पष्टीकरण-2 में यह स्पष्ट किया गया है।
- Q. धारा 54 के स्पष्टीकरण-2 में उपबन्धित पूर्वदोष सिद्धि के साक्ष्य की सुसंगतता का कारण लार्ड डेनिंग ने किस प्रकरण में बताया है?
- A. गूडी बनाम ओधम्स प्रेस लिमिटेड, 1967 के प्रकरण में।
- Q. शील के साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?
- A. इसके साक्ष्य का बहुत अधिक महत्त्व नहीं है। यह सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में है।
- Q. शील के साक्ष्य के विषय में भगवान स्वरूप बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 के वाद में क्या कहा गया?
- A. “शील का साक्ष्य सन्देहास्पद मामलों में अभियुक्त के पक्ष में सन्तुलन को झुकाने के लिए प्रयुक्त होता है”।

तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है (Facts which Need not be Proved) धारा 56-58

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भाग 2 सबूत के विषय में उपबन्ध करता है, जिसके अध्याय 3, धारा 56 से 58 में उन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 56 इस सन्दर्भ में स्पष्ट कह दिया गया है कि जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। उन विषयों का उल्लेख धारा 57 में किया गया है, जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को (अनिवार्यतः) करनी होगी। इसी प्रकार धारा 58 के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः निम्न दो मामलों में तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है—

- (1) न्यायिक अपेक्षा के तथ्य। (2) स्वीकृत तथ्य।

(1) न्यायिक अपेक्षा

धारा 56 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय को स्वयं जानकारी होनी चाहिये, उसे साबित करना आवश्यक नहीं होता।

कुछ तथ्य तो अपने-आप में इतने प्रसिद्ध और सुलभ प्रकाशनों, में इतने प्रमाणिक ढंग से कहे गये होते हैं कि उनके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती है।

अदालत यदि उन साक्ष्यों को नहीं जानती तो बिना औपचारिक रूप से साक्ष्य लिए उनके बारे में अपने को सूचित कर सकती है या जानकारी हासिल कर सकती है। ये तथ्य न्यायिक रूप से सूचित कहे जाते हैं (धारा 56, 57)।

(2) स्वीकृत तथ्य—

धारा 58 के अनुसार, जिन तथ्यों को पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

धारा 57 में प्रयुक्त “न्यायिक अपेक्षा” (Judicial notice) का तात्पर्य “न्यायिक सूचना प्राप्त करना है”। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि उनके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे सर्वविदित होते हैं ऐसे ही तथ्यों को न्यायिक अपेक्षा कहते हैं। ऐसे तथ्य जिनकी न्यायिक सूचना न्यायालय को होती है, उन्हें प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

धारा 57 में जिन तथ्यों का वर्णन किया गया है, न्यायाधीश

स्वयं उनको जानने की कोशिश करेगा। उसमें वह पक्षकारों को साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

धारा 57 के अन्तर्गत न्यायालय जिन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगी, उसे प्रमाणित करने हेतु स्वविवेक से आदेश दे सकता है।

तमिलनाडु कावेरी बनाम भारत संघ और अन्य ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 1316 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्प्रेषित किया गया है कि हम इस तथ्य का संज्ञान रखते हैं कि विषय बहुत संवेदनशील हैं। न्यायिक अपेक्षा इस तथ्य की ली जा सकती है कि केन्द्र में सरकार एक पार्टी द्वारा है जबकि दोनों राज्यों में क्रमशः सरकारें विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चलाई जा रही है।

सरकार द्वारा जमीन की आवासीय भवन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता, एक राष्ट्रीय अनिवार्य आवश्यकता है जिसकी न्यायालय को न्यायिक नोटिस लेना चाहिये।

इसी प्रकार धारा 58 के अनुसार स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है।

धारा 58 न्यायिक स्वीकृति सबूत के भार को स्वीकृतकर्ता पार डाल देती या हटा देती है। धारा 58 का नियम पक्षकारों को उस भाग को साबित करने से मुक्ति प्रदान करता है जो कि प्रतिपक्षी को स्वीकार होता है।

जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करने के लिए बाध्य हो उसकी सूची धारा 57 में दी गयी है, जो निम्नवत् है—

- (1) भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियाँ।
- (2) भारतीय सेना, नौ सेना या वायुसेना के लिए युद्ध नियमावली।
- (3) भारत में सब मुद्राएँ, नवाधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों का और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएँ और सब मुद्राएँ जिनका प्रयोग करने के लिए कोई व्यक्ति प्राधिकृत है।
- (4) शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किये गये व्यक्तियों के नाम, उपाधियाँ, कृत्य और हस्ताक्षर।
- (5) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या प्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज।
- (6) भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राजपत्र।
- (7) भूमि या समुद्र मार्ग का नियम।

प्रश्नकोश

- Q. किन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है?
A. (i) तथ्य जो न्यायिक अवेक्षा के योग्य हैं।
(ii) तथ्य जो पक्षकारों द्वारा सुनवाई पर या उसके पूर्व स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा करनी होती है, किस धारा में वर्णित है?
A. धारा 57
- Q. साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 (1) के अन्तर्गत न्यायालय को किसकी न्यायिक अवेक्षा करनी होगी?
A. भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की।
- Q. वह तथ्य जिसकी न्यायालय न्यायिक नोटिस साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत लेगा, उसे किस पक्ष द्वारा प्रमाणित करना होगा?
A. जो उसके होने का अभिकथन करता है।
- Q. साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 किससे सम्बन्धित है?
A. औपचारिक स्वीकृति से।

मौखिक साक्ष्य के विषय में (Of Oral Evidence) धारा 59–60

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के अनुसार दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जायेंगे। दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जा सकती।

कोई भी तथ्य या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा या किसी दस्तावेज द्वारा साबित किया जा सकता है। केवल दो ही तरीके किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रतीत होते हैं। एक है घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की गवाही द्वारा, और दूसरा है किसी दस्तावेज द्वारा। साधारणतया साक्षीगण अपने कथन मौखिक रूप से देते हैं और इसे मौखिक साक्ष्य देते हैं।

मौखिक साक्ष्य साक्षियों का न्यायालय के समक्ष मौखिक कथन है। जो साक्षी बोल नहीं सकता, वह वाद के तथ्यों के बारे में अपना ज्ञान इशारों द्वारा या लिखकर बता सकता है। दोनों परिस्थितियों में इसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं। दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं के अतिरिक्त समस्त तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जाते हैं।

यदि पक्षकारों में संविदा की शर्तों के बारे में विवाद पैदा हो जाए तो वह केवल दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जा सकता है मौखिक साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जायेगी।

धारा 63 (5) के अन्तर्गत दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु को भी मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किये जाने का नियम है।

प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य (धारा 60)

धारा 60 के अनुसार, मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे

वे कैसे भी हों, प्रत्यक्ष की होगा।

न्यायालय के समक्ष तथ्यों को साबित करने के तरीके—

- (1) मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की गवाही द्वारा (मौखिक साक्ष्य),
- (2) दस्तावेजों के द्वारा (दस्तावेजी साक्ष्य)
- (3) वस्तुओं के निरीक्षण द्वारा (भौतिक साक्ष्य)

धारा 60 का उद्देश्य अनुश्रुत साक्ष्य (Hearsay Evidence) को मौखिक साक्ष्य की सीमा से अलग रखना है।

धारा 60 का उद्देश्य अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित करना है। अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं है इसीलिए अधिनियम के निर्माताओं ने कहा है कि मौखिक साक्ष्य उस व्यक्ति का होना चाहिये जिनमें तथ्य का अनुभव अपनी इन्द्रियों द्वारा तथ्यों को इन्द्रियगोचर किया हो।

धारा 60 में प्रत्यक्ष या निश्चयात्मक (Positive) अनुश्रुत का उल्टा है। पारिस्थितिक साक्ष्य को भी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहिए। व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित साक्ष्य प्रत्यक्ष है।

सामान्यतः दस्तावेजी साक्ष्य की अपेक्षा मौखिक साक्ष्य कम सन्तोषप्रद होता है और उच्च न्यायालयों ने इस विषय पर यदा-कदा मत व्यक्त किये हैं।

मौखिक साक्ष्य सम्पत्ति के हक (Title) का अवधारणा करने के लिए सुरक्षित आधार नहीं है। मौखिक साक्ष्य की तीन विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- (1) मौखिक साक्ष्य मौखिक परीक्षा है, अर्थात् मौखिक साक्ष्य साक्षी का शपथ पर कथन होता है और जब तक वह शपथ पर कथन न किया गया हो तब तक वह कोई साक्ष्य नहीं है।
- (2) मौखिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों की 'अन्तर्वस्तुओं' के अतिरिक्त सभी तथ्य साबित किये जा सकते हैं। (धारा 59)
- (3) मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए न कि अनुश्रुत। (धारा 60)।

धारा 60 अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित करती है, किन्तु निम्नलिखित कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य माना जाता है-

1. रेस जेस्टे (धारा 6)।

2. स्वीकृति तथा संस्वीकृति।
 3. धारा 32 के अन्तर्गत मृत्युकालिक कथन।
 4. लोक दस्तावेजों में कथन।
 5. पूर्व कार्यवाहियों में कथन।
 6. विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन (धारा 60 का परन्तुक)।
- धारा 60 के अनुसार, परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अपवर्जित नहीं करती परिस्थितिजन्य साक्ष्य यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य या मूल साक्ष्य नहीं होता, किन्तु यह अनुश्रुत साक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में, पेबी के शब्दों में, 'साक्षी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां नहीं', एक मान्य सूत्र है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिये; अनुश्रुत साक्ष्य द्वारा नहीं।

प्रश्नकोश

- Q.** मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, किस धारा के अन्तर्गत आता है?
- A.** धारा 59।
- Q.** मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है?
- A.** दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य। (धारा 59)।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु को क्या मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है?
- A.** नहीं।
- Q.** 'X' पर आरोप है कि उसने Y की हत्या की। A अपने साक्ष्य में कहता है कि Z ने मुझसे कहा कि उसने देखा कि X ने Y को छूरा मारा तथा मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था कि x ने y की हत्या की। क्या A का कथन ग्राह्य है?
- A.** नहीं। (धारा 60; अनुश्रुत साक्ष्य होने के कारण)।
- Q.** प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य किस धारा के अन्तर्गत आता है?
- A.** धारा 60।
- Q.** मौखिक साक्ष्य सम्पत्ति के हक (Title) का अवधारण करने के लिए सुरक्षित आधार नहीं है किस वाद में निर्धारित किया गया है?
- A.** हनुमन्था बनाम् गौडियाह, ए.आई.आर. 1953 मैसूर 44 के वाद में।
- Q.** मौखिक साक्ष्य क्या है?
- A.** सामान्य भावबोध में साक्ष्य का तात्पर्य उन समस्त विषयों या वस्तु स्थितियों से है जो जांचाधीन तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व पर प्रकाश डालते हैं और जब यही साक्ष्य न्यायालय की अनुज्ञा या अपेक्षा पर साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब उसे मौखिक साक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। (इसी बात को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 6 में स्पष्ट किया गया है)।
- Q.** क्या मौखिक कथन ही मौखिक साक्ष्य होते हैं या अन्य भी?
- A.** आवश्यकता के आधार पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के तहत बोलने में असमर्थ व्यक्तियों के द्वारा लिखित रूप में या इशारे से या अपनी बात को बोधगम्य बना सकने वाले अन्य तरीकों को भी मौखिक साक्ष्य की कोटि में रखा गया है। (क्वीन बनाम अब्दुल्ला, 1885)।
- Q.** अधिनियम की धारा 59 की क्या प्रकृति है और यह क्या उद्घोषणा करती है?
- A.** यह धारा उद्घोषी प्रकृति की है और कहता है कि-दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जा सकेंगे।
- Q.** मौखिक साक्ष्य के कितने प्रकार हैं?
- A.** मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो प्रकार के हैं।
- Q.** प्रत्यक्ष साक्ष्य कैसा साक्ष्य है?
- A.** प्रत्यक्ष साक्ष्य ऐसा साक्ष्य है जिसके सम्बन्ध में साक्षी व्यक्तिगत स्वयंदृष्टि जानकारी रखता है।
- Q.** किस धारा के अनुसार-मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष ही होना चाहिए?
- A.** धारा 60 के अनुसार-मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हो प्रत्यक्ष ही होगा।
- Q.** धारा 60 के अन्तर्गत मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष ही होना चाहिए से क्या तात्पर्य है?

- A.** अर्थात् यदि—
- (1) साक्ष्य देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो उसका हो जो कहता है कि उसने देखा।
 - (2) सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो उसका हो जो कहता है कि उसने सुना है।
 - (3) इन्द्रिय का किसी अन्य रीति से बोध किये जा सकने वाले तथ्य के बारे में हैं तो उसका हो, जो कहता है, कि उसने उसका बोध इस इन्द्रिय द्वारा या उस रीति से किया।
 - (4) किसी राय या उसके आधार के बारे में है तो उसका साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने इन आधारों पर राय धारित किया।
- Q.** धारा 60 के अन्तर्गत दो अपवाह स्वीकार किये गये हैं। वे कौन से हैं?
- A.** (1) ऐसे विशेषज्ञों की राय, जो अनुपलब्ध है, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किये जा सकेंगे।
- (2) यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न मौखिक चीज के अस्तित्व के बारे में है तो भौतिक चीज को निरीक्षणार्थ पेश करना अपेक्षित कर सकेगा।
- Q.** धारा 60 किस प्रकार के साक्ष्य का अपवर्जन करती है?
- A.** अनुश्रुत साक्ष्य का।
- Q.** 'अनुश्रुत साक्ष्य' क्या है?
- A.** 'टेलर' के अनुसार—अनुश्रुत साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य है जिसका महत्त्व साक्षी को दो दिया जाता है किन्तु वह उस साक्ष्य के बारे में किसी अन्य से जानकारी प्राप्त किये रहता है, स्वयं से नहीं।
- Q.** 'बेस्ट' महोदय ने अनुश्रुत साक्ष्य की क्या परिभाषा दी है?
- A.** इनके अनुसार, अनुश्रुत साक्ष्य से ऐसा साक्ष्य अभिप्रेत है जिसे कोई ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करता है जो उसके बारे में व्यक्तिगत एवं स्वयं दृष्टि जानकारी नहीं रखता।
- Q.** अनुश्रुत साक्ष्य के विषय में सामान्य नियम क्या है?
- A.** सामान्य नियम यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाता है।
- Q.** वे कौन सी आपवादिक परिस्थितियां हैं जिनमें अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य किया जा सकता है?
- A.** वे परिस्थितियां निम्नवत् हैं जो साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं में बिखरी हुई है—
- (1) धारा 6—यदि तथ्य एक ही संव्यवहार का भाग हो (आर. बनाम फोस्टर)।
 - (2) धारा 17— न्यायिकेत्तर स्वीकृति एवं संस्वीकृति (रमिंग बनाम डी.पी.पी.)।
 - (3) धारा 32—जिसकी मृत्यु हो गयी है, मिल नहीं सकता इत्यादि।
 - (4) धारा 33, (5) धारा 34 एवं 35 (शासकीय व्यवस्था के अधीन बनायी गयी बातों को)।
 - (5) धारा 60 का परन्तुक-पुस्तक में अभिव्यक्त राय, पुस्तक पेश करके, साबित की जा सकती है।
- Q.** 'टापर' बनाम आर. 1952—आल. इंग्लैण्ड रिपोर्टर के प्रकरण में अनुश्रुत साक्ष्य के अग्राह्यता के क्या आधार बताये गये हैं?
- A.** इस वाद में अनुश्रुत साक्ष्य के अग्राह्यता के निम्नलिखित आधार बताये गये हैं—
- (1) शपथ का अभाव
 - (2) प्रतिपरीक्षा का अभाव
 - (3) मौलिक या प्रत्यक्ष साक्ष्यों की अवहेलना की सम्भावना।
 - (4) कहानी बनाने की प्रबल सम्भावना।
 - (5) व्यक्तिगत-जिम्मेदारी की कमी।
 - (6) अनावश्यक विलम्ब।
- Q.** क्या अनुश्रुत साक्ष्य की अग्राह्यता के नये अपवादों का सृजन हो सकता है?
- A.** म्योर कैसेज 1965 अपील केसेज—में हाउस ऑफ लार्ड्स ने बहुमत से निर्णय दिया कि और अपवादों का सृजन नहीं किया जाना चाहिए जबकि इसी वाद में लार्ड पीयर्स ने विसम्मत व्यक्त करते हुए कहा कि नये अपवादों के सृजन के दरवाजे खुले रखने चाहिए।

दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में (Of Documentary Evidence) धारा 61–73

दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत धारा 61 से 66 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है—“दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ

पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उसमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन (record) के प्रयोजन से उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके”।

मौखिक सबूत पर लिखित की स्थायित्व में सर्वोच्चता और अन्य दृष्टियों से विश्वास पात्रता प्राचीनकाल से देखा गया है। बेस्ट (Best) के अनुसार

“दस्तावेज से तात्पर्य वे समस्त सामग्रियां हैं जिन पर मनुष्यों के विचार लेखन द्वारा या परम्परागत चिन्ह या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं। इस तरह लकड़ी के पटरे, जिन पर ग्वाले रेखांकन द्वारा दूध की मात्राएं प्रकट करते हैं, दस्तावेज होते हैं”।

सबसे लोकप्रिय दस्तावेज जिससे हम सम्बन्धित हैं वह अक्षरों द्वारा वर्णित दस्तावेज है। दस्तावेज की ‘अन्तर्वस्तु’ साबित करने का ढंग अर्थात् कैसे दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं (Contents) को सिद्ध किया जाए, धारा 61-66 में दिया गया है।

दस्तावेज का ‘असली होना’ या ‘निष्पादन’ साबित करने के ढंग को धारा 67 से 90 तक में दिया गया है।

कहां तक और किन मामलों में मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपवर्जित (exclude) किया जाता है, इसे धारा 91-100 तक में वर्णित किया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी।

धारा 62 के अनुसार, प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है।

जहां कि कोई दस्तावेज मूल कई प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है। कोई दस्तावेज दो रूप में हो सकता है—मूलरूप में या मूल की प्रति के रूप में। मूलरूप में कोई दस्तावेज उस धारा के अर्थों में प्राथमिक साक्ष्य है और उनकी प्रति द्वितीयक साक्ष्य।

बन्धक का सारभूत साक्ष्य स्वयं बन्धक पत्र है। उसकी रजिस्ट्रीकृत प्रति उसका द्वितीयक साक्ष्य मात्र है। जहां तक हो सके न्यायालय में किसी दस्तावेज की मूल या असली प्रति को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक साक्ष्य होने के नाते यह एक सर्वोत्तम साक्ष्य होता है।

कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

उदाहरणतः यदि क, ख, ग और घ चार व्यक्ति मिलकर एक दस्तावेज तैयार करते हैं, तथा उसकी चार प्रतियां बनाई जाती हैं। चारों प्रतियों पर वे सभी भागीदार अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं तथा उसकी एक-एक प्रति अपने पास रख लेते हैं।

ये सभी मूल दस्तावेज होने के नाते प्राथमिक साक्ष्य होंगे अर्थात् प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है क्योंकि यह स्पष्ट है कि जहां कोई दस्तावेज कई प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

धारा 63 के अनुसार, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य कहलाती हैं।

विधि में द्वितीय साक्ष्य के पांच प्रकार बताये गये हैं, जैसे—प्रमाणित प्रतिलिपि, सत्य प्रतिलिपि, परीक्षित प्रतिलिपि, प्रतिलेख, दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं का मौखिक साक्ष्य आदि।

इसी प्रकार यदि एक मूल विक्रय पत्र की 6 छायाचित्र एक यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किये गये तो यह कहना सच है कि यह ऐसा कोई भी छायाचित्र किसी का भी प्राथमिक साक्ष्य नहीं है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में यह उपबन्धित है कि मूल से यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा बनायी गयी प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य हैं। अतः ये द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। अतः ऐसा कोई भी छायाचित्र किसी का भी प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना जायेगा।

द्वितीयक साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि मूल के न पेश करने के लिए पर्याप्त कारण न दिया जाए। किसी दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक सर्वोत्तम प्रकृति का साक्ष्य होता है। कल्याण सिंह बनाम श्रीमती छोटी और अन्य ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 396 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्प्रेक्षित किया गया है कि धारा 63 पांच प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य का वर्णन करती है।

फोटोग्राफ को फोटोग्राफर की परीक्षा द्वारा या निगेटिव साबित करने के द्वारा साबित किया जा सकता है। पी. डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के ‘ब्लू प्रिन्ट्स’ और ‘फोटोग्राफ के निगेटिव’ आदि द्वितीयक साक्ष्य हैं।

द्वितीयक साक्ष्य के पांचों प्रकार में कोई मात्रा (degree) नहीं है और पक्षकार किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य पेश कर सकता है। पक्षकार दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं का मौखिक साक्ष्य दे सकता है। यदि उसके पास बेहतर द्वितीयक साक्ष्य न हो।

द्वितीयक साक्ष्य कब-कब दिया जा सकेगा—यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 में दिया गया है।

धारा 64 “श्रेष्ठतम साक्ष्य” के सिद्धान्त पर आधारित है। जो कुछ लिखित रूप में है स्वतः लेख द्वारा साबित किया जाना चाहिए।

पी.सी. पुरुषोत्तम बनाम एस.पी. रोमल, ए.आई.आर. 1972, सु.को. 608 में धारण किया गया है कि एक बार जब कोई दस्तावेज उचित रीति से स्वीकार कर लिया जाता है तो साक्ष्य में उस दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं (Contents) को भी स्वीकार कर लिया जाता है। भले ही वे अन्तर्वस्तुओं का निश्चायक साक्ष्य न हो।

यदि दस्तावेज पर प्रतिपक्षी द्वारा किसी आपत्ति के बिना एक्जिविट मार्क पड़ जाते हैं तो इसके बाद उसकी ग्राह्यता के विषय में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

धारा 65 के अन्तर्गत वे अवस्थाएँ आती हैं, जिसमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा।

धारा 64 निर्धारित करती है कि दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को साबित करने का केवल एक ही तरीका है, वह है न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेज को पेश करना। किन्तु धारा 64 के साथ-साथ यह भी अपवाद के रूप में निर्धारित करती है कि धारा 65 में वर्णित मामलों में दस्तावेज की अन्तर्वस्तु या द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अनुसार लोक दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। अतः लोक दस्तावेज को प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सकता है क्योंकि मूल की प्रमाणित प्रतिलिपि उसकी द्वितीयक साक्ष्य होती है।

धारा 65 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में दस्तावेज के अस्तित्व, दशा और अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है। मूल दस्तावेज प्रतिपक्षी के कब्जे में होने पर द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। यदि मूल दस्तावेज का पंजीकरण स्टाम्प की कमी के कारण अग्राह्य है तो लिखित स्वीकृतियाँ इस खण्ड में ग्राह्य नहीं होंगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत प्रमाणित उन परिस्थितियों में नहीं है जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। जबकि मूल एक निजी दस्तावेज है तथा उस पक्षकार के कब्जे में है, जो उसकी अन्तर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता है।

जब मूल दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है या जब पक्षकार इसकी अन्तर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता हो, किन्तु कुछ कारणवश जिसमें उसका दोष नहीं है, उपर्युक्त समय पर दस्तावेज नहीं पेश कर पाता है तो ऐसे मामलों में उसकी अन्तर्वस्तु के लिए द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। मूल दस्तावेज के खोने का पर्याप्त सबूत होना चाहिए, तभी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है।

जब मूल दस्तावेज एक सरकारी दस्तावेज है और यदि मूल दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत लोक-अभिलेख हो तो उस दस्तावेज की प्रमाणित नकल उस लोक-अभिलेख को साबित करने के लिए ग्राह्य है।

जब मूल दस्तावेज ऐसा है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अधिनियम द्वारा स्वीकृत है तो वह प्रमाणित प्रतिलिपि, जो कि द्वितीयक साक्ष्य है, मूल दस्तावेज के मौजूद रहने के बावजूद भी ग्राह्य होती है।

धारा 65-(क) के अनुसार जब कोई मूल दस्तावेज विरोधी

पक्षकार के कब्जे में या किसी अन्य के कब्जे में है और मूल दस्तावेज को पेश करने की नोटिस दी गई है किन्तु यदि पक्षकार या वह व्यक्ति पेश नहीं करता है तो उस पक्षकार को जिसे कि मूल दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को प्रमाणित करना है द्वितीयक साक्ष्य देने की पूर्व सूचना का दिया जाना आवश्यक है।

भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2000 के द्वारा इस शीर्षक के अन्तर्गत धारा 65 क एवं धारा 65 ख को जोड़ा गया है, जिनके अन्तर्गत निम्न उपबन्ध किए गए हैं—

- (i) धारा 65 क—इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अन्तर्वस्तु को धारा 65-ख में वर्णित प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकेगा।
- (ii) धारा 65-ख- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में समाविष्ट कोई भी सूचना जो कागज पर मुद्रित, संचित, अभिलिखित या कम्प्यूटर द्वारा ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया द्वारा प्रतिरुचित किया गया है, भी एक दस्तावेज माना जायेगा। इस धारा में वर्णित अपेक्षाएँ प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के बारे में पूर्ण हैं, तो वे किसी भी कार्यवाही में, किसी अन्य सबूत या मुख्य दस्तावेज को प्रस्तुत किए बिना मूल के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे। इसी प्रकार उपधारा 2, 3, 4 एवं 5 में उपबन्ध किए गए हैं कि सूचना एवं कम्प्यूटर के अभिलेख उपर्युक्त उपधाराओं में उल्लिखित विषयों पर उसी समय और कार्य के सामान्य अनुक्रम में बनाये गए होने चाहिए।

इसी प्रकार साक्ष्य पेश करने की सूचना के बारे में नियम धारा 66 में नियम और धारा 67 हस्ताक्षर एवं हस्तलेख को साबित करने का नियम कथित है।

वर्ष 2000 में धारा 67 क अन्तः स्थापित करके आंकिक हस्ताक्षर को साबित किए जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया। धारा 68 में प्रावधानित है कि किसी अनुप्रमाणित दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए कम-से-कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक होगा, सिवाय पंजीकृत निष्पादन के। यदि किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तो कम-से-कम एक अनुप्रमाणक साक्षी के अनुप्रमाण (हस्तलेख) साबित करना होगा (धारा 69)।

इसी प्रकार धारा 74 एवं धारा 75 क्रमशः लोक दस्तावेजों और प्राइवेट दस्तावेजों को परिभाषित करते हैं और धारा 76 लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को सुनिश्चित करता है जिनका सबूत धारा 77 के अन्तर्गत पेश किया जा सकता है।

प्रश्नकोश

- Q.** दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु कैसे साक्ष्यों के द्वारा साबित की जा सकेगी?
- A.** प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। (धारा 61)।
- Q.** किसी पंजीकृत वसीयत का निष्पादन साबित करने के लिए कम-से-कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक है?
- A.** एक (धारा 68)।
- Q.** दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमाणित साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक नहीं है?
- A.** जबकि दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो।
- Q.** लोक दस्तावेज को किस धारा में परिभाषित किया गया है?
- A.** धारा 74।
- Q.** (निम्न में) कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज है?
- A.** (i) प्रभुता सम्पन्न प्राधिकारी के अभिलेख।
(ii) किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख।
(iii) शासकीय कार्यों के निकायों के अभिलेख।
(iv) द.प्र.सं. की धारा 154 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं शव परीक्षण रिपोर्ट।
(v) पुलिस डायरी
(vi) मतदाता सूची
(vii) भारत के लोक अधिकारी के कार्यों के दस्तावेज
(viii) एक निजी वक्फ विलेख।
- Q.** (निम्न में) कौन लोक दस्तावेज नहीं है?
- A.** (i) एक शैक्षिक संस्था के किसी कर्मचारी के कार्यों का दस्तावेज।
(ii) एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा।
(iii) घटना स्थल निरीक्षण के नक्शे तथा ज्ञाप पर एक पुलिस अधिकारी के द्वारा की गयी प्रविष्टियां।
- Q.** लोक दस्तावेज को कैसे साबित किया जा सकता है?
- A.** प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। (धारा 77)।
- Q.** किस मामले में द्वितीयक साक्ष्य अनुज्ञेय नहीं है?
- A.** जहां मूल दस्तावेज सम्यक् रूपेण अनुप्रमाणित नहीं है। (धारा 65)।
- Q.** किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य कब नहीं दिया जा सकेगा?
- A.** जबकि मूल अग्राह्य हो।
- Q.** दस्तावेजी साक्ष्य क्या है?
- A.** साक्ष्य अधिनियमकी धारा 3 के पैरा 3 के अनुसार—न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गयी दस्तावेजें (जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्तर्विष्ट कथन भी सम्मिलित है)। स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य है।
- Q.** अधिनियम की धारा 61 क्या उपबन्ध करती है?
- A.** इस धारा के अनुसार—दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी।
- Q.** दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार का होता है?
- A.** धारा 61 के अवलोकन से दस्तावेजी साक्ष्य का (1) प्राथमिक (2) द्वितीयक, दो प्रकार से स्पष्ट होता है।
- Q.** प्राथमिक साक्ष्य क्या है?
- A.** न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज। (धारा 62)।
- Q.** यदि किसी विनियम-पत्र को 5 सेटों में तैयार किया जाता है तो उनमें से कितने सेटों को साबित करना आवश्यक है?
- A.** केवल एक सेट। (धारा 62 का स्पष्टीकरण I)।
- Q.** जबकि अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा जैसे मुद्रण, शिलामुद्रण या फोटो चित्रण के रूप में बनाया जाता है, तो उनमें से हर एक कैसा साक्ष्य है?
- A.** शेष सबकी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य। (धारा 62, स्पष्टीकरण-II)।
- Q.** (निम्नलिखित में) कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है?
- A.** (i) प्रतिलिपि से तैयार प्रति।
(ii) फोटोचित्र का मौखिक वाचन।
(iii) जहां कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं।
- Q.** धारा 62 एवं उसके स्पष्टीकरण (1) एवं (2) से कौन सी दस्तावेजें प्राथमिक साक्ष्य स्पष्ट होती हैं?
- A.** निम्नलिखित दस्तावेजें प्राथमिक साक्ष्य हैं—
(1) दस्तावेज स्वयं।
(2) जब दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित हो।
(3) जब दस्तावेज प्रतिलेख के रूप में निष्पादित हो तो निष्पादन करने वाले के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है।
(4) जब दस्तावेज कई समान प्रतियों में बनाया जाता है यानि एकरूपतात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गयी है, वे प्राथमिक साक्ष्य हैं।

- Q.** जब दस्तावेज प्रतिलेख के रूप में निष्पादित हो वहां ऐसा प्रतिलेख किनके विरुद्ध साक्ष्य होगा?
- A.** जब दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है।
- Q.** जहां अनेक दस्तावेजों किसी मूल से एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनायी गयी है, क्या वहां ऐसी दस्तावेजों मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है?
- A.** जहां अनेक दस्तावेजों एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गयी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं अपितु द्वितीयक साक्ष्य होंगी।
- Q.** धारा 63 के अनुसार कौन से दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य हैं?
- A.** निम्नलिखित द्वितीयक साक्ष्य हैं—
- (1) मूल की प्रमाणित प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य होती हैं।
 - (2) प्रतिलेख उस पक्षकार के विरुद्ध जिसने उसे निष्पादित नहीं किया है, द्वितीयक साक्ष्य है।
 - (3) मूल से बनायी गयी गई प्रतियां या तुलना की गई प्रतियां।
 - (4) ऐसी आन्तरिक पद्धति द्वारा बनाई गई प्रतियां जो स्वयं मूल प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं।
 - (5) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा दिया हुआ वृत्तान्त जिसने उसे देखा है।
- Q.** प्रति की नकल करके तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात् मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि कैसा साक्ष्य है?
- A.** यह द्वितीयक साक्ष्य है किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है।
- Q.** मूल के किसी फोटोचित्र या यन्त्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त क्या मूल का द्वितीयक साक्ष्य है?
- A.** यह मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है।
- Q.** दस्तावेजों प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी। कौन सी धारा यह उद्घोष करती है?
- A.** धारा 64 यह उद्घोष करती है।
- Q.** धारा 64 किस सिद्धान्त पर कार्य करती है?
- A.** यह धारा इस सिद्धान्त पर कार्य करती है कि हमेशा सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए।
- Q.** प्राथमिक साक्ष्य दिये जाने का अपवाद किस धारा में वर्णित है?
- A.** प्राथमिक साक्ष्य दिये जाने का अपवाद धारा 65 में वर्णित है, जिसका निर्देश धारा 64 में ही कर दिया गया है।
- Q.** धारा 65 में ऐसी कितनी दशाओं का उपबन्ध है जिनमें किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A.** धारा 65 में 'क' से 'छ' तक 7 दशायें वर्णित हैं जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है।
- Q.** अधिनियम की धारा 65-क में कौन सी दशायें वर्णित हैं जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A.** धारा 65-(क) के अनुसार—जब यह साबित कर दिया जाय या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति के अधीन हैं—
- (1) जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना अभिप्रेत है अथवा
 - (2) जो न्यायालय की आदेशिका की पहुँच के बाहर है या के अधीन नहीं है।
 - (3) जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और धारा 66 में दी गयी सूचना के पश्चात् भी पेश नहीं करता है।
- Q.** धारा 65 के खण्ड (बी) की दशा कौन सी है जिसमें दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A.** धारा 65-खण्ड (बी) के अनुसार—जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु को जिसके विरुद्ध साबित किया जाना है, वह या उसके हित प्रतिनिधि ने लिखित रूप में स्वीकार कर लिया है।
- Q.** धारा 65 के खण्ड (सी) की किस दशा में दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A.** धारा 65 (सी) के अन्तर्गत जब मूल खो गया है या नष्ट हो गया है या द्वितीयक साक्ष्य देने वाले के व्यवहार से अन्यथा कारण से मूल को युक्तियुक्त समय में न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकता है।
- Q.** धारा 65 की अन्य परिस्थितियों कौन सी हैं जिनमें द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है?
- A.** वे परिस्थितियां हैं—
- (1) धारा 65 (ए) जबकि मूल को आसानी से स्थानान्तरित न किया जा सके।
 - (2) जबकि मूल धारा 74 के अन्तर्गत लोक दस्तावेज हैं।
 - (3) ऐसी दस्तावेज जिनकी प्रमाणित प्रति बतौर साक्ष्य ग्राह्य है।
 - (4) जबकि मूल ऐसा है, जो छोटे-छोटे दस्तावेजों को मिलाकर बना है और साक्ष्य में जो दिया जाना है वह उसका सार तत्त्व है।
- Q.** धारा 65 की अवस्था 'क', 'ग' और 'घ' में किस तरह का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है?
- A.** इन अवस्थाओं में दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होगा।

- Q.** धारा 65 की अवस्था (ङ) या (च) में कौन-सा द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है?
- A.** इन अवस्थाओं में केवल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ही ग्राह्य है, अन्य द्वितीयक साक्ष्य नहीं।
- Q.** धारा 65 की अवस्था 'छ' में कौन सा द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होगा?
- A.** इस अवस्था में केवल कुशल व्यक्ति ही साक्ष्य दे सकेगा।
- Q.** द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता पर कब आपत्ति की जा सकती है?
- A.** बाल गोविन्द रास बनाम मकबूल शेख, कलकत्ता 1930 एवं स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम चांद जी, के वादों में कहा गया कि द्वितीयक साक्ष्य के पेश करने के समय ही आपत्ति किया जाना चाहिए, इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में।
- Q.** किस प्रकरण में यह कहा गया कि "जब मूल साक्ष्य ही अग्राह्य है तो द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता"?
- A.** यह कथन कृपाल सिंह बनाम करतारो 1980 क्रि.लॉ.ज. राजस्थान के वाद में कहा गया है।
- Q.** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से सम्बन्धित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विशेष प्रावधान दिया गया है?
- A.** धारा 65-क।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख के उपधारा (5) के अन्तर्गत कम्प्यूटर उत्पादक को कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया कब माना जायेगा?
- A.** जब वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या मानवीय हस्तक्षेप सहित या रहित किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो।
- Q.** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु को किस धारा के अन्तर्गत साबित किया जायेगा?
- A.** धारा 65-ख के अन्तर्गत।
- Q.** धारा 65 के पहले खण्ड में अगर दस्तावेज विपक्षी पक्षकार के कब्जे में है तो उसे उस दस्तावेज को पेश करने के लिए किस धारा के अन्तर्गत सूचना देनी चाहिए?
- A.** धारा 66 के अन्तर्गत उपबन्धित नियमानुसार।
- Q.** धारा 66 में किस सन्दर्भ में नियम बताये गये हैं?
- A.** धारा 66 में दस्तावेज पेश करने की सूचना के बारे में नियम बताये गये हैं।
- Q.** यदि किसी हस्ताक्षर का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का नियत किया गया अभिकथित है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा अंकीय हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकीय हस्ताक्षर है, सिवाय कब?
- A.** सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के। (धारा 67-क)।
- Q.** किस मामले में अंकीय हस्ताक्षर को साबित किया जाना आवश्यक है?
- A.** यदि हस्ताक्षर का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर लगाया जाना अभिकथित है। (धारा 67-क)।
- Q.** यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तब उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में कब लाया जा सकेगा?
- A.** ऐसी दशा में तभी उपयोग में लाया जा सकेगा जबकि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, जो न्यायालय की आदेशिका के अधीन हो जीवित हो, और साक्ष्य देने में समर्थ हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से बुलाया गया हो। (धारा 68)।
- Q.** अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति का क्या प्रभाव होगा?
- A.** किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा। (धारा 70)।
- Q.** यदि किसी अनुप्रमाणक साक्षी को उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो या वह उसके निष्पादन से इंकार करे, तो क्या सबूत दिया जा सकेगा?
- A.** ऐसी स्थिति में उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। (धारा 71)।
- Q.** कोई प्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित न हो कैसे साबित की जा सकेगी?
- A.** वह ऐसे साबित की जा सकेगी मानो वह अनुप्रमाणित न हो। (धारा 72)।
- Q.** प्राइवेट दस्तावेज किस धारा के अन्तर्गत आते हैं?
- A.** धारा 75।
- Q.** लोक दस्तावेज को न्यायालय में साबित करने के लिए नियम बनाये गये हैं, यह किस वाद में दिया गया है?
- A.** धारा 76 से 78 में।
- Q.** अधिनियम की किस धारा में लोक दस्तावेजों की सूची दी गयी है?
- A.** धारा 74 में लोक दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार दी गयी है—
- (1) वे दस्तावेज जो—
 - (अ) प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के
 - (ब) शासकीय निकायों और अभिकरणों के
 - (स) भारत के किसी भाग या कामनवेल्थ के या विदेश के विधायी, न्यायिक या कार्यपालक लोक आफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं।
 - (2) किसी राज्य में रखे गये प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, लोक दस्तावेजों हैं।
- Q.** धारा 75 में क्या व्यवस्था दी गयी है?

- A. धारा 75 के अनुसार—धारा 74 में दी गयी दस्तावेजों के अलावा सभी दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज हैं।
- Q. लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपबन्ध अधिनियम की कौन सी धारा करती है?
- A. ऐसा उपबन्ध अधिनियम की धारा 76 करती है।
- Q. धारा 76 के अन्तर्गत प्रमाणित प्रतियां किन लोक दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सबूत के रूप में पेश की जा सकेगी?
- A. धारा 77 के अनुसार—ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेजों के भागों की अन्तर्वस्तु के सबूत के रूप में पेश की जा सकेगी, जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्यित है।
- Q. शासकीय दस्तावेज का सबूतों के बारे में उपबन्ध किस धारा में वर्णित है?
- A. धारा 78।

दस्तावेजों के बारे में उपधारणायें

(Presumption as to Document)

धारा 79-90

दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 से 90 तक वर्णित हैं।

इस शीर्षक से सम्बन्धित अनेक धाराओं में भारतीय साक्ष्य (संशोधन अधिनियम, 2000 के द्वारा नयी धाराएँ अन्तः स्थापित किए गए, जिनका समावेश इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सम्बन्ध में उपधारण स्थापित करने के लिए किया गया। नयी जोड़ी गयी धाराएँ 81-क, 85-क), (ख), (ग), 88-क, एवं 90-क हैं। सम्बन्धित धाराओं की उपधाराएँ निम्नवत् हैं—

(i) प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा— न्यायालय प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्यिय है, जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है।

न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई ऑफिसर, जिसके द्वारा ऐसे दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था। (धारा 79)।

(ii) साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा—जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जाता है, जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किस ऑफिसर के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, तात्पर्यिय हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह दस्तावेज असली है। (धारा 80)।

धारा 80 इस सिद्धान्त पर आधारित है किसी भी कार्य के बारे में यह उपधारणा की जाती है कि वे उचित और नियमित रूप से किये गये हैं।

(iii) राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा—न्यायालय हर ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लन्दन गजट या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचार पत्र होना तात्पर्यित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का, जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा। (धारा 81)।

धारा 81 के अनुसार, न्यायालय, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, जो विधिनुसार निर्मित और संरक्षित किए गए हैं, की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में उपधारणा कर सकेगा।

(iv) मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा—किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका ऐसा होना तात्पर्यित है जो इंग्लैण्ड या आयरलैण्ड के किसी न्यायालय में किसी विशिष्ट को साबित करने के लिए उस दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत करने वाली मुद्रा या स्टैम्प हस्ताक्षर को उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है। दस्तावेज उसी प्रयोजन हेतु, जिसके लिए वह इंग्लैण्ड या आयरलैण्ड में ग्राह्य होती है, ग्राह्य होगी। (धारा 82)।

(v) सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाये गये मानचित्रों या रेखाओं के बारे में उपधारणा—न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे

मानचित्र या रेखांकन, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य के प्राधिकार द्वारा बनाये गये तात्पर्यित हैं, वैसे ही बनाये गये थे और वे शुद्ध हैं, किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाये गये मानचित्रों या रेखांकनों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं। (धारा 83)।

(vi) विधियों के संग्रहण और विनिश्चयों की रिपोर्टिंग के बारे में उपधारणा—न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का, जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियाँ अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित हैं, की उपधारणा करेगा (धारा 84)।

(vii) मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा—न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के जो भारत का या हर मैजेस्टी के अभिलेखों (dominions) का भाग नहीं है, न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाला कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है।

जो ऑफिसर ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र या स्थान के लिए, जो भारत का या हर मैजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 खण्ड (43) में यथापरिभाषित राजनैतिक अभिकर्ता हैं। धारा (85)।

वर्ष 2000 के संशोधन के द्वारा तीन धाराएँ अन्तः स्थापित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के उपधारणा के सम्बन्ध में भी निम्नलिखित उपबन्ध किए गए हैं—

(क) न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिसमें पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से करार निर्मित किए गए हैं, पक्षकारों के ही इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से निर्मित किए गए हैं। (धारा 85-क)।

(ख) जब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय ऐसे अभिलेखों एवं हस्ताक्षरों के विश्वसनीयता के बारे में उपधारणा करेगा (धारा 85-ख)।

(ग) जब तक अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता है न्यायालय ऐसे प्रमाण-पत्रों की सत्यता के बारे में उपधारणा करेगा, सिवाय इसके कि उस प्रमाण-पत्र को प्रमाणित नहीं कराया गया था। (धारा 85-ग)।

(viii) विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा—धारा 86 न्यायालय ऐसे दस्तावेजों के असली होने और शुद्ध होने के बारे में उपधारणा कर सकेगा, यदि वह दस्तावेज सम्बन्धित देश के विधि के अनुसार नियत प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित है।

(ix) पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा—न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई पुस्तक, जिसे वह लोक या साधारण हित सम्बन्धी बातों की जानकारी के लिए देखे और प्रकाशित मानचित्र या चार्ट जिसके कथन सुसंगत तथ्य हैं। (धारा 87)।

(x) तार सन्देशों के बारे में उपधारणा—न्यायालय यह उपधारित

कर सकेगा कि कोई सन्देश, जो किसी तारघर से उस व्यक्ति को भेजा गया है, जिसे ऐसे सन्देश का सम्बोधित होना तात्पर्यित है, उस सन्देश के समरूप है जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को, जहां से वह सन्देश प्रेषित किया गया, परिदत्त किया गया था। (धारा 88)।

वर्ष 2000 के संशोधन के द्वारा नयी धारा 88-क अन्तः स्थापित करके यह भी उपबन्ध किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के माध्यम से कम्प्यूटर के संचालक के द्वारा भेजे गए संदेश के सम्बन्ध में न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि संदेश ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह भेजा जाना तात्पर्यित है, भेज दिया गया है, यदि वह सन्देश सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत इस आशय से अग्रसारित कर दी गयी थी, किन्तु न्यायालय यह उपधारणा नहीं करेगा कि वह सन्देश किस व्यक्ति के द्वारा अग्रसारित किया गया था।

अर्थात् दोनों ही मामलों में न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में, जिसने सन्देश प्रेषित किये जाने के लिए परिदत्त किया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा।

(xi) पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा—न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज, जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात् पेश नहीं की गई है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गयी थी। (धारा 89)।

(xii) तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा—जहां कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुराना हो साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहां न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में है। (धारा 90)।

धारा 90 के अन्तर्गत तीस साल पुराना दस्तावेज के बारे में उपधारणा के उत्पन्न होने के लिए दो शर्तें बताई गई हैं—

(1) दस्तावेज तीस साल पुराना होना चाहिये।

(2) दस्तावेज उचित अभिरक्षा से पेश किया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार एक दस्तावेज 'क' द्वारा लिखित होना कहा जा सकता है। जब वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया है और वह 'क' द्वारा तीस वर्ष पूर्व निष्पादित किया गया है।

साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2000 के द्वारा धारा 90-क जोड़कर यह भी उपबन्ध किया गया है कि न्यायालय ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उचित (सही) मानेगा जो पांच वर्ष पुराने हैं और उचित अभिरक्षा में रखे गए हैं।

स्पष्टीकरण के अनुसार अभिलेख उचित अभिरक्षा में रखा गया हुआ तब माना जायेगा जबकि वह ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा गया हुआ जिसके कि स्वभावतः वह रखा जाना चाहिए था। यह स्पष्टीकरण धारा 81-क के सन्दर्भ में भी लागू होगा।

प्रश्नकोश

- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा दी गयी है
- A.** धारा 79।
- Q.** एक दस्तावेज 'क' द्वारा लिखित होना कहा जाता है? वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा में पेश किया गया है तो वह कितना वर्ष पुरानी होने पर न्यायालय उपधारित करेगा कि वह 'क' के हस्तलेख में है?
- A.** 30 वर्ष।
- Q.** अ लम्बे समय से एक भूमि के आधिपत्य में था। वह ब द्वारा अपने पक्ष में 35 वर्ष पूर्व सम्पादित एक विक्रय पत्र प्रस्तुत करता है? न्यायालय को क्या उपधारणा कररनी होगी?
- A.** कि वह सम्यक् रूप से सम्पादित और अनुप्रमाणित था।
- Q.** न्यायालय हर ऐसे दस्तावेजों का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाण-पत्र, प्रमाणित प्रतियां अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्यित है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होना तात्पर्यित है'' यह व्यवस्था अधिनियम की किस धारा में दी गयी है?
- A.** यह व्यवस्था अधिनियम की धारा 79 में दी गयी है।
- Q.** धारा 80 किन दस्तावेजों के असली होने के बारे में उपधारणा करती है?
- A.** यह धारा साक्ष्य के तौर पर पेश की गयी गस्तावेजों के बारे में यह उपधारणा करती है कि वह असली है और कथन यदि कोई हो, सत्य है।
- Q.** न्यायालय किस धारा के अन्तर्गत राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में असली होना उपधारित करेगा?
- A.** धारा 81 के अन्तर्गत न्यायालय इस सन्दर्भ में उपधारित करेगा।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 यह उपबन्ध करती है कि प्रत्येक दस्तावेज जो सरकारी गजट में होना तात्पर्यित है, की मौलिकता न्यायालय द्वारा उपधारित की जानी चाहिए। इसका अर्थ क्या है?
- A.** न्यायालय को उसकी मौलिकता सिद्ध हुई माननी चाहिए जब तक कि वह नासाबित नहीं कर दी जाती।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 82 किस प्रकार की उपधारणा पर लागू होती है?
- A.** यह मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा से सम्बन्धित है।
- Q.** धारा 83 के अन्तर्गत किस दस्तावेजों के बारे में न्यायालय उनका शुद्ध होना उपधारित करेगा?
- A.** इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय सरकार के प्राधिकार के अन्तर्गत बनाये गये मानचित्रों एवं रेखाओं के बारे में यह उपधारणा करेगा कि वे शुद्ध हैं।
- Q.** न्यायालय द्वारा किस धारा के अन्तर्गत विधियों के संग्रह और विनिश्चयकों की रिपोर्ट का असली होना उपधारित किया जायेगा?
- A.** धारा 84 के अन्तर्गत ऐसा उपधारित किया जायेगा।
- Q.** जब कोई मुख्तारनामा विधि के अनुसार आवश्यक सम्यक् प्रक्रिया के रूप में प्रमाणित हुआ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तब न्यायालय के उपधारणा की प्रकृति क्या होगी?
- A.** न्यायालय उसे सम्यक् रूपेण निष्पादित और अधिप्रमाणित होने की उपधारणा करेगा। (धारा 85)।
- Q.** विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के असली और शुद्ध होने के बारे में उपधारणा से सम्बन्धित उपबन्ध किस धारा में है?
- A.** ऐसी उपधारणा के बारे में उपबन्ध अधिनियम की धारा 86 में है।
- Q.** धारा 87 के अन्तर्गत न्यायालय क्या उपधारित कर सकेगा?
- A.** इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय पुस्तकों, मानचित्रों एवं चार्टों के सही स्थान पर रखने और प्रकाशन के बारे में उपधारणा कर सकेगा।
- Q.** धारा 88 तार सन्देशों के बारे में क्या उपधारणा करती है?
- A.** इस धारा में न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि कोई सन्देश जो तारघर से उस व्यक्ति को भेजा गया जिसे वह सम्बोधित था, उस सन्देश के समरूप है जो भेजने के लिए उस कार्यालय को, जहां से वह सन्देश पारेषित किया जाना तात्पर्यित है, परिदत्त किया गया था किन्तु वह तार भेजने वाले के बारे में कोई उपधारणा नहीं करेगा।
- Q.** किस विषय पर न्यायालय "उपधारणा कर सकता है लागू होगा?"
- A.** इलेक्ट्रॉनिक सन्देशों के सम्बन्ध में (धारा 88-क)
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 किस पर लागू होता है?
- A.** वसीयती और अवसीयती दोनों प्रकार के प्रपत्रों पर।
- Q.** कोई तीस वर्ष पुराना दस्तावेज जो उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत हुआ है, का सम्यक् निष्पादन कैसी उपधारणा है?
- A.** तथ्यात्मक उपधारणा (धारा 90)।

Q. धारा 90 के अन्तर्गत जो दस्तावेज 30 साल पुराना हो गया है, उसे न्यायालय यह मान सकता है कि वह दस्तावेज असली है। यह उपधारणा उत्पन्न हो, इसके लिए किन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है?

A. दो शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

1. दस्तावेज 30 साल पुराना हो,
2. यह दस्तावेज न्यायालय के समाधान में उचित अभिरक्षा

से पेश किया गया हो।

Q. धारा 90-क किस दस्तावेज के बारे में उपधारणा करती है?

A. धारा 90-क सन् 2000 में जोड़ी गयी है। यह पांच वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा से सम्बन्धित है। न्यायालय इस अभिलेख को उचित मानेगा और यह भी उपधारित कर सकेगा कि उचित अभिरक्षा से पेश किया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन (Of the Exclusion of Oral Evidence by Documentary Evidence) धारा 91–100

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 6, धारा 91 से 100 दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अपवर्जन से सम्बन्धित है।

धारा 91 के अन्तर्गत दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों (हस्तान्तरण, इन्तकाल) के निबन्धनों (शर्तों) का साक्ष्य के विषय में उपबन्ध है।

किस हद तक और किन मामलों में 'मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपवर्जित' होता है यह धारा 91 तथा 92 में वर्णित है।

धारा 91 निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है—

- (i) किसी तथ्य को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिये।
- (ii) दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा सर्वोत्तम होता है।

विधि का एक सूत्र यह है कि 'जो भी बात लिखित रूप में हो उसे लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए।' यही सिद्धान्त धारा 91 में उपबन्धित है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाजन विलेख की अन्तर्वस्तुओं के लिए मौखिक साक्ष्य की अनुज्ञा नहीं दिया जो रजिस्ट्रीकृत न होने के कारण अग्राह्य था। विभाजन के तथ्य का साक्ष्य धारा 91 के कारण ग्राह्य नहीं होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बंटवारे में मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया। उसके द्वारा कुछ सम्पत्ति का

अन्तरण भी हुआ था। उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था।

धारा 91 कहती है कि जब संविदा की शर्तों या सम्पत्ति के बेचने की शर्तों या अन्य अनुदानों की शर्तों को लिखित रूप से दे दिया गया है तो उसका मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता।

धारा 91 के मुख्य तत्त्व इस प्रकार हैं—

- (i) किसी संविदा के या अनुदान के या सम्पत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबन्धनों को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर दिया गया वे; या
- (ii) विधि द्वारा यह अपेक्षित हो कि किसी बात को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर दिया जाये; एवं
- (iii) ऐसी दस्तावेजों का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, तो ऐसी द्वितीयक साक्ष्य को छोड़कर; उन निबन्धनों को साबित किये जाने के लिए मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन करती है।

धारा 92 के अनुसार मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन किया जाता है।

इसी प्रकार यदि 'ख' को 'क' एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारण्टी देता है कि वह अच्छा है। 'ख' को 'क' इन शब्दों को लिखकर देता है कि "क" से 500 रुपये में एक घोड़ा खरीदा। क्या 'क' मौखिक वारण्टी साबित कर सकेगा? हां।

यह उदाहरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 92 के दृष्टान्त

पर आधारित है इसमें 'ख' 'क' द्वारा दी गयी मौखिक वारण्टी साबित कर सकेगा।

धारा 92 को धारा 91 के अनुबन्ध के रूप में पढ़ना चाहिए। दोनों धाराएँ एक ही सिद्धान्त पर धारित हैं—“मौखिक साक्ष्य से दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेष्ठता”।

धारा 92 उन्हीं दस्तावेजों को लागू होती है जो दो या अधिक पक्षकारों के बीच लिखी जाती है और उनको नहीं जो एक व्यक्ति के द्वारा निष्पादित की जाती है, जैसे बिल, मुख्यातरनामा आदि।

धारा 92 का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि जब कोई संव्यवहार लिपिबद्ध कर दिया गया है तो उस संव्यवहार का एक मात्र साक्ष्य वह लिखित दस्तावेज ही है। धारा 92 जबानी करार के साक्ष्य की मनाही करता है।

यह अन्य उदाहरण में 'ब' का आवास 'अ' भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है, जिसमें लिखा है 'कमरे 200/- रुपये प्रतिमाह।' एक मौखिक करार कि इन निबन्धनों के अन्तर्गत भागतः भोजन भी था। सिद्ध करने के लिए 'अ' को मौखिक साक्ष्य देता है। ऐसा साक्ष्य ग्राह्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत यह मौखिक करार साबित किया जा सकता है कि इसके अन्तर्गत भागतः भोजन भी था। अधिनियम की धारा 91 के अनुसार—किसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन को जो लेखबद्ध कर लिया गया है, या कोई अन्य बात जिसका लेखबद्ध किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है, लिखित रूप में है तो उसे उसी लेख द्वारा साबित किया जायेगा, किन्तु यदि धारा 65 की अवस्थाओं में से कोई भी एक विद्यमान है तो उसे द्वितीयक साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है।

धारा 91 में अन्तर्विष्ट यह नियम दो अपवाद भी स्वीकार करता है, साथ ही एक सामान्य अपवाद स्पष्टीकरण 3 में भी उपस्थित करता है, इस तरह कुल तीन अपवाद हैं। ये अपवाद हैं—

- (1) लोक अधिकारी के रूप में कार्य करने को यदि साबित कर दिया जाता है तो उसकी नियुक्ति किस अभिलेख द्वारा की गयी थी, इसकी मांग साबित करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकेगा।
- (2) जिन बिलों का भारत में प्रोबेट मिला है वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेगी। यदि प्रोबेट को साबित कर दिया गया है, तो वसीयत को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।
- (3) कोई बात जो संविदा, अनुदान या अन्य व्ययन से सम्बन्धित नहीं है और लिखित होना भी विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है तो उसका लिखित दस्तावेज पेश किया जाना आवश्यक नहीं है।

'ख' द्वारा दिये गये धन की रसीद 'ख' को 'क' देता है।

संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य होगा।

धारा 92 के अनुसार कोई संविदा, अनुदान, या सम्पत्ति का अन्य व्ययन जो लेखबद्ध कर ली गयी है या कोई अन्य बात जिसका लिखा जाना विधि द्वारा अपेक्षित है और उसे धारा 91 के तहत साबित किया जा चुका है, तब उस दस्तावेज का खण्डन करने उसमें फेरफार करने, या जोड़ने या घटाने के उद्देश्य से उसके पक्षकारों या हित प्रतिनिधियों के बीच का कोई भी मौखिक करार ग्राह्य नहीं किया जायेगा, अर्थात् उस मौखिक कथन या करार को साबित नहीं करने दिया जायेगा।

विश्वनाथन बनाम अब्दुल वजीद ए.आई.आर. 1963 एस.सी. के वाद में कहा गया कि धारा 92 केवल दस्तावेज के पक्षकारों तथा उनके हित-प्रतिनिधियों को ही मौखिक साक्ष्य देने से वर्जित करती है। अन्य व्यक्ति ऐसा साक्ष्य देने के लिए स्वतन्त्र होते हैं।

धारा 92 में प्रतिपादित किया गया सामान्य नियम 6 परन्तुकों के अधीन है।

धारा 92 का प्रथम परन्तुक है कि कोई भी ऐसा तथ्य या कथन साबित किया जा सकेगा जो उस दस्तावेज को ही अविधिमान्य बना दे या किसी व्यक्ति को उसके सम्बन्ध में किसी डिफ्री या आदेश का हकदार बना दे, जैसे—कपट, अवैधता, अभिप्रास, सम्यक् निष्पादन का अभाव, पक्षकारों की अक्षमता, प्रतिफल का अभाव, या निष्फलता, विधि या तथ्य की भूल।

परन्तुक के अनुसार—यदि दस्तावेज किसी तथ्य के सम्बन्ध में मौन है तो उस तथ्य का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है परन्तु

- (1) वह मौखिक साक्ष्य उसी तथ्य के सम्बन्ध में होगा जो निबन्धनों में हो, यानी निबन्धनों से असंगत यह मौखिक साक्ष्य न हो।
- (2) दस्तावेज पूर्णतः प्रारूपिक हैं, इसे न्यायालय ध्यान में रखेगा, अर्थात् यदि वह दस्तावेज औपचारिक है तो मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा लेकिन यदि सामान्य है, तो दिया जा सकेगा।

परन्तुक 3 के अनुसार किसी संविदा, अनुदान या अन्य व्ययन के अधीन, कोई बाध्यता संलग्न होने की पूर्ववर्ती शर्त को गठित करने वाले उसी मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। जैसे किसी मकान के विक्रय के सम्बन्ध में दस्तावेज 1 सितम्बर का है, लेकिन 10 अक्टूबर को कब्जा देने की पूर्ववर्ती शर्त है, तो इस तथ्य का कि 10 अक्टूबर को कब्जा दिया जाना है, साक्ष्य दिया जा सकेगा।

धारा 92 के परन्तुक 4 के अनुसार—ऐसा कोई मौखिक करार, जो संविदा, अनुदान या व्ययन, को विखण्डित या उपान्तरित करता है, ऐसे मौखिक पाश्विक करार का अस्तित्व साबित किया जा

सकेगा, किन्तु यदि इस दस्तावेज का लिखित और रजिस्ट्रीकृत होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो, ऐसा पाश्विक करार भी साबित नहीं किया जा सकेगा।

धारा 92 के परन्तुक 5 के अनुसार रूढ़ि या प्रथा का ऐसा अस्तित्व जो संविदा, अनुदान या अन्य व्ययन से सम्बन्धित लेख से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है तो उसके सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा किन्तु यदि रूढ़ि या प्रथायें उस संविदा इत्यादि के लेख से असंगत हों तो उसका मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा।

धारा 92 के परन्तुक 6 के अनुसार कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार सम्बन्धित है, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा।

धारा 92 में प्रस्तुत सामान्य नियम का एक अपवाद धारा 99 प्रस्तुत करती है।

दृष्टान्त

- (i) रामपुर चाय सम्पदा नामक एक सम्पदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है, इसमें विक्रीत सम्पत्ति का मानचित्र अन्तर्विष्ट है। इसमें क्या यह तथ्य साबित किया जा सकता है कि मानचित्र में न दिखाई गयी भूमि सदैव सम्पदा का भाग मानी जाती रही है और उस विलेख द्वारा उसका अन्तरित होना अभिप्रेत था। यह तथ्य साबित नहीं किया जा सकता।
- (ii) 'क' किन्हीं खानों को जो 'ख' की सम्पत्ति है, किन्हीं निबन्धनों (Terms) पर काम में लाने का 'ख' से लिखित करार करता है। उनके मूल्य के बारे में 'ख' के दुर्यपदेशन द्वारा 'क' ऐसा करने को उत्प्रेरित हुआ था, क्या यह साबित किया जा सकेगा?
यह तथ्य कि खानों के मूल्य के बारे में 'क' 'ख' के दुर्यपदेशन के कारण लिखित करार करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था धारा 92 के प्रथम परन्तुक के अनुसार साबित किया जा सकेगा, जो कि दस्तावेज की वैधता के बारे में है।
- (iii) 'ख' का बासा 'क' भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है, कमरे 200 रु. प्रतिमास। क्या 'क' यह मौखिक करार साबित कर सकेगा कि इन निबन्धनों के अन्तर्गत भागतः भोजन भी था।
धारा 92 के अपवाद (चार) के आधार पर क यह मौखिक करार साबित कर सकेगा कि वह उसमें भागतः भोजन भी था।
- (iv) 'ख' का बासा 'क' एक वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है, और उनके बीच एटार्नी द्वारा तैयार किया हुआ स्टाम्पित करार किया जाता है वह करार भोजन देने के विषय में मौन है। क्या क यह साबित कर सकेगा कि मौखिक तौर पर उस निबन्धन के अन्तर्गत भोजन देना भी था।

धारा 92 के परन्तुक 4 के आधार पर यह है कि "क साबित नहीं कर सकेगा कि मौखिक तौर पर उस निबन्धन के अन्तर्गत भोजन देना भी था"।

संदिग्धार्थ दस्तावेज (Ambiguous Document)

संदिग्धार्थ (भ्रमात्मक) दस्तावेज (धारा 93 तथा 94)

धारा 93 के अनुसार, संदिग्धार्थ (भ्रमात्मक) दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दें।

दृष्टान्त :- 'ख' 'क' को 1000/- रुपये में या, 1,500/- रुपये में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 के अनुसार यह दर्शित किये जाने के लिए कि कौन मूल्य दिया जाना था मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है।

किसी विलेख में रिक्त स्थान है। उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो यह दर्शित करते हों कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी। धारा 93 कहती है कि जब किसी दस्तावेज की भाषा संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है तो उन तथ्यों पर साक्ष्य नहीं दिये जा सकते हैं जो उसका अर्थ बताये या उसकी त्रुटियों को दिखायें। धारा 93 प्रत्यक्षदर्शी संदिग्धता से सम्बन्धित है। प्रत्यक्षदर्शी संदिग्धता को हटाने के लिए मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है"।

विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन—धारा 94 कहती है कि जब दस्तावेज में लिखी गई भाषा स्वयं स्पष्ट है और वर्तमान तथ्यों पर ठीक-ठीक लागू होती है तो इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है कि इसका प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया गया है।

अर्थ-निर्णय का यह मौलिक नियम है कि कि शब्दों को उनके स्वाभाविक अर्थ में समझना चाहिये और यदि शब्द स्पष्ट है और साफ हैं तो पक्षकार या न्यायालय उसके अर्थ को दूसरे रूप में नहीं ग्रहण कर सकता। यदि दस्तावेज के शब्द अस्पष्ट हैं और असंदिग्ध हैं, तो उनको स्वाभाविक रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिये, उनके अर्थ को स्वाभाविक रूप में होना चाहिये।

जब अन्तर्निहित अथवा प्रत्यक्षदर्शी संदिग्धता न हो तो उसका खण्डन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है।

दृष्टान्त

'ख' को 'क' रामपुर में '100 बीघे वाली मेरी सम्पदा' विलेख द्वारा बेचता है।

'क' के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक सम्पदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी।

इसी प्रकार यदि 'अ' लिखित में 'ब' से करार करता है विक्रय

का रु. 1,000/- से 'मेरे सफेद घोड़े' का। 'अ' के पास एक सफेद और एक भूरा घोड़ा है। उक्त मामले में यह दर्शाने के लिए कि 'अ' का तात्पर्य अपने भूरे घोड़े को कभी बेचने का नहीं था, किसी साक्ष्य को देने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 के अनुसार जब दस्तावेज की भाषा स्पष्ट और विद्यमान तथ्य को ठीक-ठीक लागू होती है तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जायेगा कि वह भिन्न तथ्य लागू होने के लिए अभिप्रेत थी।

इसी प्रकार एक अन्य दृष्टांत में देखा जा सकता है जहां किसी विलेख में रिक्त स्थान है तो उस तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है जो यह दर्शित करते हो कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत है।

यदि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी (धारा 94) किन्तु यदि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा

स्वयं स्पष्ट हो किन्तु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गयी थी। (धारा 95)। इसी प्रकार अनेक तथ्यों में से किसी एक को आरोपित करने वाली भाषा होने पर किसी एक को दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है (धारा 96) और भाषा अंशतः किसी को लागू होने वाला दर्शित करने पर भी उसे दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है (धारा 97)। धारा 98 के अनुसार न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ को दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है।

धारा 99 में कथित है कि वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित-प्रति निधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों। इस अध्याय की कोई भी बात किसी वसीयत का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 के किन्हीं उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी। (धारा 100)

प्रश्नकोश

- Q. संदिग्धार्थी दस्तावेजों के सम्बन्ध में विभिन्न उपबन्ध किन धाराओं में हैं?
- A. संदिग्धार्थी दस्तावेजों के सम्बन्ध में उपबन्ध धारा 93 से 98 तक में है।
- Q. संदिग्धता क्या है?
- A. संदिग्धता किसी दस्तावेज का वह दोष है जो दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को वर्तमान तथ्य के सन्दर्भ में समझने में अवरोध उत्पन्न कर भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है।
- Q. संदिग्धता कितने प्रकार की होती है?
- A. संदिग्धता 1. प्रत्यक्ष एवं 2. अप्रत्यक्ष दो प्रकार की होती है।
- Q. प्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है?
- A. ऐसी संदिग्धता जो दस्तावेज को देखते ही प्रथम दृष्टया समझ में आ जाती है।
- Q. अप्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है?
- A. अप्रत्यक्ष संदिग्धता या त्रुटि ऐसी संदिग्धता होती है जो आसानी से दृष्टिगत नहीं होती है।
- Q. यदि कोई संविदा कई पत्रों में अन्तर्विष्ट है तो वे सभी पत्र साबित करने होंगे। कथन सत्य है या असत्य?
- A. सत्य। धारा 91, दृष्टान्त क।
- Q. यदि कोई संविदा किसी विनियम पत्र में अन्तर्विष्ट है, तो वह विनियम पत्र साबित करना होगा कथन सत्य या असत्य?
- A. सत्य। (धारा 91)।
- Q. बीमों का एक पालिसी माल जो 'कलकत्ते से लंदन के जहाजों में हैं, प्रभावशाली की जाती है। माल जो एक विशिष्ट जहाज जो लापता हो जाता है, में भेजा जाता है। बीमा कम्पनी
- Q. यदि कोई संविदा कई पत्रों में अन्तर्विष्ट है तो वे सभी पत्र साबित करने होंगे। कथन सत्य है या असत्य?
- A. सत्य। धारा 91, दृष्टान्त क।
- Q. यदि कोई संविदा किसी विनियम पत्र में अन्तर्विष्ट है, तो वह विनियम पत्र साबित करना होगा कथन सत्य या असत्य?
- A. सत्य। (धारा 91)।
- Q. बीमों का एक पालिसी माल जो 'कलकत्ते से लंदन के जहाजों में हैं, प्रभावशाली की जाती है। माल जो एक विशिष्ट जहाज जो लापता हो जाता है, में भेजा जाता है। बीमा कम्पनी यह सिद्ध करना चाहती है कि उक्त विशिष्ट जहाज को मौखिक रूप से अपवादित किया गया था। क्या वह तथ्य सिद्ध किया जा सकता है?
- A. नहीं। (धारा 92, दृष्टान्त क)।
- Q. 'अ' लिखित करार करता है, 'ब' को अपना घोड़ा विक्रय करने का रु. 1000/- या 15000- रु. में। क्या यह दर्शाने के लिए कि क्या मूल्य दिया जाना था साक्ष्य दिया जा सकता है?
- A. नहीं (धारा 93)।

- Q.** प्रत्यक्ष संदिग्धता से सम्बन्धित उपबन्ध किन धाराओं में है?
- A.** धाराओं 93 से 94 में प्रत्यक्ष संदिग्धता से सम्बन्धित उपबन्ध किये गये हैं।
- Q.** अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में उपबन्ध अधिनियम की किन धाराओं में दिया गया है?
- A.** 95, 96, 97 एवं 98।
- Q.** अधिनियम की धारा 93 में संदिग्धता के बारे में क्या प्रावधान है?
- A.** धारा 93 प्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में साक्ष्य के नियम बताती है। इस धारा के अनुसार—प्रत्यक्ष संदिग्धता के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। दस्तावेज की भाषा जब संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है, जो देखते ही स्पष्ट होती है तो उसमें संशोधन करके उसकी कमी की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा।
- Q.** 'ख' को रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी सम्पदा 'क' विलेख द्वारा बेचता है। 'क' के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक सम्पदा है। क्या इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी?
- A.** इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि धारा 94 के अनुसार—दस्तावेज की भाषा स्पष्ट रूप से कहती है कि रामपुर की 100 बीघे वाली सम्पदा अन्तरित होनी है और ऐसी सम्पदा वहां है भी, और इसलिए भाषा स्पष्ट है और वर्तमान तथ्य को लागू भी ठीक-ठीक हो रही है। अब विक्रय के लिए अन्य सम्पदा अभिप्रेत थी, का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा।
- Q.** अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में साधारण सिद्धान्त क्या है?
- A.** इनके बारे में साधारण सिद्धान्त यह है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा ऐसी संदिग्धताओं की पूर्ति की जा सकती है।
- Q.** 'ख' को 'क' मेरा कलकत्ते का गृह विलेख द्वारा बेचता है। 'ख' का कलकत्ते में कोई गृह नहीं था किन्तु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय से 'ख' के कब्जे में था। यहां पर किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा?
- A.** इन स्थान पर धारा 95 के प्रकाश में इन तथ्यों का, यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि विलेख का सम्बन्ध हावड़ा के गृह से था।
- Q.** अधिनियम धारा 96 संदिग्धता के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध करती है?
- A.** धारा 96 के अनुसार, जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा ऐसी है, जिसका कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक तथ्य के बारे में लागू होना अभिप्रेत है, एक से अधिक के बारे में लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, कि वह व्यक्तियों या चीजों में से, किसके लिए लागू होना आशयित है।
- Q.** क 1000 रु. में 'मेरा सफेद घोड़ा ख को बेचने का करार करता है क के पास दो सफेद घोड़े हैं। किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा?
- A.** इस सम्बन्ध में उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हैं, कि उनमें से कौन सा घोड़ा अभिप्रेत था।
- Q.** अप्रत्यक्ष त्रुटियों के बारे में अधिनियम की धारा 97 में कौन-सा नियम दिया गया है?
- A.** धारा 97 के अनुसार, जबकि प्रयुक्त भाषा भागतः विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागतः विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किन्तु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को ठीक-ठीक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी।
- Q.** 'ख' को मेरी 'भ' में स्थित न के अधिभोग की भूमि बेचने का 'क' करार करता है, 'क' के पास 'भ' में स्थित भूमि है किन्तु वह 'म' के कब्जे में नहीं है तथा उसके पास 'म' के कब्जे वाली भूमि है किन्तु वह 'भ' में स्थित नहीं है। इस स्थान पर किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा?
- A.** यहां पर यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था। धारा 97 इसी विषय पर नियम बताती है।
- Q.** अधिनियम की धारा 98 में संदिग्धता के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध समाहित है?
- A.** धारा 98 के अनुसार, ऐसी लिपि, जो दुर्बोध, अपठनीय, या पारिभाषिक या स्थानिक संक्षेपाक्षरों या विदेशी या अप्रचलित है, के विशिष्ट शब्दों के अर्थ समझने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा।
- Q.** एक मूर्तिकार 'क' मेरी सभी प्रतिमाएँ 'क' को बेचने का करार करता है, 'क' के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं। इस हेतु कौन सा साक्ष्य दिया जा सकेगा?
- A.** इस स्थान पर यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा, कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था।

साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव

(Production And Effect of Evidence) धारा 101-114 क

सबूत के भार के विषय में

धारा 101 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबूत के भार के विषय में बताया गया है। “सबूत के भार” का शाब्दिक अर्थ है कि किसी “तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व”। ‘सबूत के भार’ शब्द की परिभाषा धारा 101 में दी गयी है। इस परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करने के लिए आबद्ध हो तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। सबूत के भार के प्रयोजन के लिए जो तथ्य साबित किये जाते हैं उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, अर्थात् वह जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करते हैं तथा वह जो किसी तथ्य के अस्तित्व को नहीं मानते हैं।

प्रथम साधारण सिद्धान्त यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों के सकारात्मक पहलू का दावा करता है कि उसका कारण य है कि नकारात्मक पहलू की अपेक्षा, सकारात्मक पहलू साबित करना आसान होता है।

यदि पक्षकारों के बीच प्रश्न यह है कि कोई संविदा हुई थी या नहीं तो जो पक्षकार यह कहता है कि संविदा हुई थी उसे यह तथ्य साबित करना होगा। धारा 101 में इसी सिद्धान्त को उपबन्धित किया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार या दायित्व के अस्तित्व के बारे में विश्वास करे, तो उन तथ्यों को साबित करना होगा। अतः अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

फिप्सन ने कहा है—

“पद सबूत के भार को जब न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किया जाता है तब उसके दो स्पष्ट और सुभिन्न अर्थ होते हैं”, अर्थात्—“किसी मामले को स्थापित करने का भार” तथा साक्ष्य पेश करने के कर्तव्य या आवश्यकता के अर्थ में सबूत का भार।

जिसके अनुसार सबूत का भार उस पक्षकार पर होता है जो न्यायालय से उन अमुक तथ्यों के जिन्हें वह प्रख्यात् करता है, अस्तित्व के बारे में कोई विनिश्चय चाहता है। (धारा 101)।

सबूत पेश करने के अर्थ में सबूत का भार स्थिर नहीं रहता है। यह भार पेश की गई साक्ष्य तथा विधि की उपधारणा के अनुसार एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर बदलता रहता है।

साक्ष्य पेश करने का भार (Burden of Producing evidence) धारा 102 में समाविष्ट है। धारा 102 यह बताती है कि प्रथम दृष्ट्या (Prima-facie) केस अपने पक्ष में स्थापित करने का प्रारम्भिक भार सदैव वादी पर होता है।

यदि ‘य’ पर एक बन्ध पत्र के आधार पर शोध्य धन के लिए ‘क’ वाद लाता है। उस बन्ध पत्र का निष्पादन स्वीकृत है किन्तु ‘य’ कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त था जिस बात का ‘क’ प्रत्याख्यान करता है तो सबूत का भार य पर पर है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जायेगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाये। अतः कपट को सिद्ध करने का भार य पर ही होगा जो यह कहता है कि ऐसा बन्धपत्र कपट से निष्पादित किया गया है।

जब पक्षकारों द्वारा साक्ष्य दिया जा चुका है तो जिस पक्षकार पर यह भार होता है यदि उसने अपने को उस भार से मुक्त नहीं किया है तो वह असफल माना जायेगा।

दूसरे अर्थ में ‘सबूत के भार’ को ‘सबूत पेश करने का भार’ कहते हैं जो विचारण के दौरान लगातार बदलता रहता है। धारा 101 तथा 102 दोनों सबूत के भार से सम्बन्धित हैं। धारा 101 निर्धारित करती है कि जो पक्षकार यह इच्छा करता है कि न्यायालय किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में उसके द्वारा कथित तथ्यों के आधार पर निर्णय दे तो यह उसका दायित्व होता है कि वह उन तथ्यों की वर्तमानता सिद्ध करे।

धारा 102 निर्धारित करती है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जायेगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाये। सबूत का भार पहले अर्थ में अर्थात् वाद स्थापित करने का भार, सदैव एक ही पक्ष पर बना रहता है और किसी भी परिस्थिति में दूसरे पक्षकार पर नहीं जाता।

‘वादी हो या प्रतिवादी’ जो पक्ष विवाद के सकारात्मक तथ्य को प्रख्यात् करता है उसी के ऊपर यह भार रहता है।

धारा 103 में यह कहा गया है कि विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह

उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।

साक्ष्य देना प्रारम्भ करने के अर्थ में सबूत का भार बढ़ता रहता है। दावे को साबित करने का भार प्रथमतः वादी पर होता है, परन्तु जैसे-जैसे कार्यवाही आगे बढ़ती है सबूत पेश करने का भार, द्वितीय अर्थ में प्रथम पक्ष के, ऐसे तथ्यों को साबित करने के कारण जिसके उसके पक्ष में उपधारणा की जा सकती है, दूसरे पक्ष पर चला जाता है।

धारा 103 का सिद्धान्त है कि जब भी कोई पक्षकार किसी विशिष्ट तथ्य के अस्तित्व के बारे में यह चाहता है कि न्यायालय उस पर विश्वास करे, तो ऐसे तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है।

उदाहरणतः यदि 'ख' को 'क' चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि 'ख' ने चोरी की स्वीकृति 'ग' से की। ऐसी दशा में क को साबित करना होगा कि 'ख' ने 'ग' के समक्ष स्वीकार किया।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 उपबन्धों के अनुसार 'क' को यह साबित करना होगा कि 'ख' ने चोरी की स्वीकृति 'ग' से की थी। क्योंकि यह एक विशिष्ट तथ्य है कि 'ख' ने चोरी की स्वीकृति 'ग' से की और इस विशिष्ट तथ्य को वही साबित करेगा जो न्यायालय से चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे।

धारा 101 में उल्लिखित सामान्य नियम को धारा 103 विस्तृत करती है। धारा 103 किसी विशिष्ट तथ्य को सिद्ध करने के लिए विषय में, न कि सम्पूर्ण तथ्यों के विषय में है।

आपराधिक मामलों में चाहे जितना जटिल मामला क्यों न हो, समस्त तथ्यों को जो कि अभियुक्त किसी विशिष्ट तथ्य को साबित करना चाहे जैसे कि अपराध किये जाने के समय पर वह दूसरी जगह पर था उसे अवश्य सिद्ध करना चाहिये।

धारा 104 के अनुसार साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना आचहता है।

नुकसानी के लिए वाद सबूत के भार के उन्मोचन के लिए साक्ष्य की अपर्याप्तता के आधार पर खारिज किया जाना विधि मान्यता (Validity) के किसी वाद में साक्ष्य देने के पश्चात्, सबूत के भार के प्रश्न का अपना महत्त्व समाप्त हो जाता है।

धारा 105 के नुसार यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है, कथित है।

धारा 101 से 104 तक के नियम सिविल और दाण्डिक कार्यवाहियों दोनों पर लागू होते हैं। किन्तु धारा 105 केवल दाण्डिक कार्यवाही के लिए है।

धारा 105 के अनुसार जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का

भार, जो उस मामले को भारतीय दण्ड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अन्तर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में, अन्तर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तुक के अन्तर्गत कर देती हैं। उस व्यक्ति पर और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगी।

दृष्टान्त

'अ' हत्या का अभियुक्त है। उसका अभिभाषक यह सफाई प्रस्तुत करता है कि चित्त विकृति के कारण यह अपने कृत्य की प्रकृति का ज्ञान नहीं रखता था। ऐसे मामले में—

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के उपबन्धों के अनुसार चित्त-विकृति को साबित करने का भार 'अ' पर होगा और न्यायालय चित्त विकृति की स्थिति के अभाव की उपधारणा करेगा।

जब कोई तथ्य ऐसी प्रकृति का है कि वह विशेष रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति की जानकारी में ही हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा तथ्य साबित करना होता है। यह धारा 106 का सिद्धान्त है। इसके अनुसार जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

धारा 107 में उत्तर जीविता की उपधारणा या मृत्यु साबित करने का भार के बारे में उपबन्ध दिया गया है।

धारा 107 के अनुसार, जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है कि उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञान करता है। यह उपधारणा बहुत मजबूत प्रकृति की नहीं है। उसका केवल थोड़े से विपरीत साक्ष्य से ही खण्डन किया जा सकता है।

धारा 107 को धारा 108 के साथ पढ़ना चाहिए और यदि उनको साथ-साथ पढ़ा जाता है तो वे केवल एक ही नियम होंगे।

धारा 108 बहुत ही गम्भीर रूप से धारा 107 की उपधारणा को प्रतिबन्धित करती है। धारा 108 का संक्षिप्त रूप यह है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में सात वर्ष तक कुछ भी नहीं सुना गया है तो यह उपधारणा की जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई है और यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह अब भी जीवित है, तो यह बात उसे ही साबित करनी होगी। सात वर्ष तक लापता रहना खण्डनीय उपधारणा पैदा करता है कि वह व्यक्ति मर चुका है।

धारा 108 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसका जीवन होना 7 साल के भीतर आम जनता के द्वारा नहीं सुना गया है तो दूसरे पक्ष पर यह भार सिद्ध करना हस्तान्तरित हो जाता है कि वह व्यक्ति अब भी जीवित है।

धारा 109 भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामले में सबूत का भार प्रकट करता है। धारा 109 के

अनुसार, प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भू-स्वामी और अभिधारी (Tenant), या मालिक और अभिकर्ता है, और यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार, उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

धारा 109 तीन मानवीय सम्बन्धों में लागू होती है—

- (1) भागीदारों,
- (2) भू-स्वामी और अभिधारी तथा,
- (3) मालिक और अभिकर्ता के बीच सम्बन्धों के बारे में उपधारणा का उल्लेख करती है।

धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार प्रकट करता है। धारा 110 के अनुसार, किसी वस्तु का किसी व्यक्ति कब्जे में होना उसके स्वामित्व की एक निशानी होती है। इसलिए जब यह दर्शित कर दिया जाये कि कोई व्यक्ति कब्जा रखता है तो यह उपधारणा होती है कि यह मालिक है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि काबिज व्यक्ति मालिक नहीं है, तो उसे ही यह तथ्य साबित करना होगा।

धारा 110 किसी सम्पत्ति के 'स्वामित्व' सम्बन्धी विवाद में 'कब्जे' के महत्त्व का उल्लेख करती है। विधि में कब्जे का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है कि—

“कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है”।

धारा 110 उन मुकदमों में लागू नहीं होती जहां कि कब्जा कपट अथवा बल द्वारा प्राप्त किया गया हो।

धारा 111 के अनुसार पुत्र, द्वारा, जो कि हाल ही में प्राप्त वय हुआ है, पिता को किये गये किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाये गये वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है।

धारा 111 का आधार समन्याय (Equity) का सिद्धान्त है।

धारा 112 के अन्तर्गत विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व (Legitimacy) का निश्चायक सबूत है

धारा 112, किसी बच्चे के धर्मजत्व के बारे में एक निश्चायक उपधारणा प्रस्तुत करती है। इस सम्बन्ध का प्रभाव यह है कि विवाहित मां-बाप के यहां जो बच्चा पैदा होता है उसे उन्हीं का धर्मज बच्चा माना जाता है। यही उपधारणा तब भी उठती है जब चाहे विवाह का विघटन हो गया हो, किन्तु विघटन के 280 दिन के अन्दर बच्चा पैदा हुआ था, और उस बीच बच्चे की मां ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी।

धारा 112 में कहा गया है कि विवाहिक स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। (Birth during marriage, conducive proof of legitimacy), किन्तु यह उपधारणा निम्न शर्तों के अधीन है—

1. बच्चे का जन्म विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए हुआ हो या यदि विवाह का विघटन हो गया था, तो विघटन के 280 दिन के अन्दर हुआ हो और उस बीच बच्चे की मां अविवाहित रही हो।

2. विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुँच ऐसे किसी समय अवश्य रही हो जब बच्चे का गर्भाधान किया जा सकता था।

धर्मजत्व की उपधारणा एक विधिक उपधारणा है। अतः उपर्युक्त दोनों शर्तें केवल विवाह के तथा एक साथ रहने के तथ्य से पूर्ण रूप से साबित हो जाती है।

विधिक उपधारणाएँ दो प्रकार की होती हैं— अर्थात् खण्डनीय तथा निश्चायक।

खण्डनीय उपधारणा ऐसी उपधारणा को कहते हैं जो साक्ष्य द्वारा नासाबित की जा सकती है। निश्चायक उपधारणा वह है कि जिसका साक्ष्य द्वारा खण्डन नहीं करने दिया जाता।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 धर्मजत्व की उपधारणा से सम्बन्धित है। यह उपधारणा तब निश्चायक मानी जायेगी, जब बच्चे का जन्म विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए, यदि विघटन हो गया था तो माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर हुआ हो, और पक्षकारों की पहुँच ऐसे किसी समय रही हो जब बच्चे का गर्भाधान किया जा सकता हो।

वस्तुतः विधि की यह सामान्य अवधारणा है कि लोकहित सर्वोपरि है। धर्मजत्व की उपधारणा जो धारा 112 में निहित है, ऐसी लोकनीति पर आधारित है जो यह अपेक्षा करती है कि विवाह के बन्धन में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को धर्मज माना जाए, क्योंकि विधि यह नहीं चाहती कि किसी बालक के धर्मजत्व के बारे में कोई अनिश्चितता या सन्देह पैदा हो।

आत्महत्या के बारे में उपधारणा : धारा 113-क

दण्ड विधि अधिनियम, 1983 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक नई धारा 113-क के रूप में जोड़ी गई।

धारा 113-क के अनुसार, “जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गयी थी”।

धारा 113 ख : दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा

दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक नई धारा 113-ख के रूप में जोड़ी गयी।

धारा 113ख के अनुसार, “जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है

कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्तिने दहेज मृत्युकारित की थी।

गुरुबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 209 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या की उत्प्रेरणा के विषय में उपधारणा का उपबन्ध प्रक्रियात्मक है, इसलिए भूतलक्षी प्रभाव रखता है अर्थात् धारा 113-क ऐसे केस में लागू होती है जहां अपराध धारा जोड़े जाने के पहले किया गया था।

धारा 114-क : बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा- दाण्डिक विधि (संशोधन)

अधिनियम, 1983 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक नई धारा 114-क के रूप में जोड़ी गई तथा इसमें 2013 में संशोधन किया गया है जो इस प्रकार है- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड), या खंड (ढ) के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथित किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

प्रश्नकोश

- Q.** बलात्संग के किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष कहती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तब न्यायालय क्या-क्या उपधारणा करेगा?
- A.** कि उसने सम्मति नहीं दी थी। (धारा 114-क, (विधि की उपधारणा))।
- Q.** सबूत का भार क्या है?
- A.** जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने का विधिक दायित्व हो तो यह कहा जायेगा कि उस व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार है।
- Q.** कब कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर "साबित करने का भार" है?
- A.** जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने हेतु न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की बाध्यता होती है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर "साबित करने का भार" है।
- Q.** 'क' न्यायालय से चाहता है कि वह 'ख' को उस अपराध के लिए दण्डित करने का निर्णय दे जिसके बारे में 'क' कहता है कि वह 'ख' ने किया है, तो 'क' को क्या साबित करना होगा।
- A.** यहां पर 'क' को यह साबित करना होगा कि 'ख' ने कथित अपराध किया है।
- Q.** 'अ' कहता है कि 'ब' के दरवाजे के सामने से जाने का उसे सुखाधिकार है, 'ब' रोकता है। 'अ' न्यायालय से चाहता है कि 'ब' को कहे कि वह 'अ' को जाने से न रोके। 'अ' के ऊपर क्या साबित करने का भार होगा?
- A.** 'अ' के ऊपर अपने सुखाधिकार के 20 वर्ष तक के उपभोग के अस्तित्व को साबित करना होगा।

- Q.** 'सबूत के भार' तथा 'साबित करने के भार' की तुलना करते हुए किस वाद में यह कहा गया कि—'इन दोनों में आवश्यक अन्तर है—सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जिसे कोई तथ्य साबितकरना होता है, और यह कभी बदलता नहीं, परन्तु साबित करने का भार स्थान बदलता रहता है। साक्ष्य के मूल्यांकन में ऐसा भार लगातार बदलता रहता है?
- A.** यह रनछोड़ भाई बनाम बाबू भाई.ए.आई.आर. 1982 गुजरात के वाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा।
- Q.** 'ख' पर उस भूमि के लिए 'क' वाद लाता है जो 'ख' के कब्जे में है और जिसके बारे में 'क' कथन करता है कि वह 'ख' के पिता 'ग' की विल द्वारा 'क' के लिए दी गई थी। अब यदि किसी और से कोई साक्ष्य न दिया जाय तो कौन असफल हो जाएगा और सबूतका भार किस पर होगा?
- A.** यहां पर यदि किसी और से कोई साक्ष्य न दिया जाय तो 'ख' इस बात का हकदार होगा कि वह कब्जा बनाए रखे। इसलिए 'क' असफल हो जाएगा और सबूत का भार 'क' पर ही है।
- Q.** मुनीकान्त तिवारी बनाम बाबूराम दीक्षित, ए.आई.आर. 1978 इलाहाबाद के प्रकरण में क्या निर्धारित हुआ?
- A.** इस वाद में एक किराएदार ने यह स्वीकार किया कि उसे नोटिस मिल गया था परन्तु यह कहा कि यह अवैध था तो यह साबित करने का भार कि वह अवैध था उसी पर है।
- Q.** 'ख' पर एक बन्धपत्र के लिए शोध्य धन हेतु 'क' वाद लाता है उस बन्धपत्र का निष्पादन स्वीकृत है किन्तु 'ख' कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया था जिस बात का 'क' प्रत्याख्यान करता है। यदि दोनों ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाय तो कौन असफल होगा?

- A. यदि दोनों में से किसी ओर से साक्ष्य न दिया जाय तो 'क' सफल होगा क्योंकि बन्धपत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया। अतः सबूत का भार 'ख' पर है।
- Q. साधारणतया दण्डिक कार्यवाहियों में सिद्ध करने पर भार किस पर होता है?
- A. अभियोजन पक्ष पर।
- Q. साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने के भार की प्रकृति क्या है?
- A. लगातार बदलता रहता है।
- Q. "किसी वाद पर कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो दोनों में से किसी भी तरफ से कोई भी साक्ष्य न दिए जाने पर, असफल हो जायेगा"। यह प्रावधान किस धारा में अन्तर्विष्ट है?
- A. धारा 102 में।
- Q. अधिनियम की धारा 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार किस व्यक्ति पर डालती है?
- A. धारा 103 के अनुसार किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह कहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।
- Q. 'ख' को 'क' चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि 'ख' ने चोरी की स्वीकृति 'ग' से की है। स्वीकृति को कौन साबित करेगा?
- A. 'ख' द्वारा 'ग' से की गई स्वीकृति एक विशिष्ट तथ्य है और यदि 'क' न्यायालय से इस स्वीकृति के बारे में विश्वास करना चाहता है तो धारा 103 के अर्थों में 'क' को यह स्वीकृति साबित करनी होगी।
- Q. अधिनियम की धारा 104 किस तथ्य को साबित करने के भार का उपबन्ध करती है?
- A. धारा 104 के अनुसार जब किसी तथ्य के सबूत का भार किसी व्यक्ति पर है तो जो व्यक्ति मुख्य तथ्य के अस्तित्व को साबित करना चाहता है उसी व्यक्ति के ऊपर किसी समर्थनकारी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने का भार होगा।
- Q. बुलमिंगटन बनाम डी.पी.पी. 1935 H.L. के प्रकरण में क्या अवधारित किया गया?
- A. इस प्रकरण में यह अवधारित किया गया कि स्वयं को निर्दोष साबित करना अभियुक्त का कार्य नहीं है। अभियोजन को ही साबित करना होता है कि अभियुक्त दोषी है। अभियुक्त दोषी न होने के बारे में कोई युक्तियुक्त सन्देह पैदा कर दे यही पर्याप्त है। वह न्यायालय को समाधान देने के लिए बाध्य नहीं है कि वह निर्दोष है क्योंकि न्यायालय तो पहले से ही यह उपधारणा किए रहता है कि वह निर्दोष है।
- Q. प्रभू बनाम इम्परर, ए.आई.आर. 1941 इलाहाबाद के वाद में क्या विचार व्यक्त किया गया?
- A. इस प्रकरण में बुलमिंगटन बनाम डी.पी.पी. के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वास्तव में आपराधिता की उपधारणा नहीं की जा सकती और न ही अभियुक्त को अभियोजन की तरह अपने मामले की बाध्यता ही होती है, केवल सन्देह पैदा कर देने मात्र से वह छूट जाने का अधिकारी हो जाएगा।
- Q. ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है। क को ख की मृत्यु साबित, करनी होगी। यह प्रावधान किस धारा में अन्तर्विष्ट है।
- A. धारा 104।
- Q. पागलपन को साबित करने का भार किस पर होता है?
- A. अभियुक्त पर। (धारा 105)।
- Q. अभियुक्त का मामला भारतीय दण्ड संहिता के अपवादों के अन्तर्गत आता है। इसे साबित करने का भार किस पर होता है?
- A. अभियुक्त पर।
- Q. धारा 106 विशेषतः ज्ञात तथ्य के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध करती है?
- A. धारा 106 के अनुसार जब कि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जिसे उस तथ्य का ज्ञान है।
- Q. 'ख' पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है उसके पास टिकट था यह साबित करने का भार किस पर है?
- A. यह साबित करने का भार कि 'ख' के पास टिकट था 'ख' पर ही है क्योंकि टिकट उसने कहां रखा है, इस बात का ज्ञान उसी को हो सकता है।
- Q. मोहम्मद शरीफ बनाम बन्दे अली (1911) 34 इला. का निर्देशक वाद साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं से सम्बन्धित है?
- A. धारा 107 एवं 108।
- Q. उत्तर जीविता की अवधारणा किस धारा में वर्णित है?
- A. धारा 107 में।
- Q. अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत किस चीज की उपधारणा की जाती है?
- A. इस धारा के अन्तर्गत पिछले 30 सालों में जीवित व्यक्ति के जीवित होने की उपधारणा की जाती है।

- Q.** धारा 107 क्या उपबन्ध करती है?
- A.** धारा 107 के अनुसार न्यायालय के समक्ष जब प्रश्न यह हो कि क्या कोई व्यक्ति मर गया है या जीवित है, और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि 30 वर्ष के भीतर वह जीवित था तो जो कहता है कि वह मर गया है, सबूत का भार उसी पर होगा।
- Q.** किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जायेगा अगर उसके बारे में कितने वर्ष से सुना नहीं गया है?
- A.** 7 वर्ष (धारा 108)।
- Q.** धारा 108 में किस बात की उपधारणा की जाती है?
- A.** धारा 108 में धारा 107 में की गई उपधारणा को प्रतिबन्धित करते हुए मृत्यु की उपधारणा की जाती है।
- Q.** धारा 108 क्या उपबन्धित करती है?
- A.** धारा 108 धारा 107 के परन्तुक के रूप में यह कहती है कि जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविक रूप से सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो यह कहता है कि वह जीवित है।
- Q.** धारा 108 पर मृत्यु की उपधारणा से सम्बन्धित प्रमुख वाद कौन से हैं?
- A.** धारा 108 पर प्रमुख वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मोह. शरीफ बनाम बन्दे अली, 1911 इलाहाबाद तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत गुरुदत्त सिंह बनाम मुंशी सिंह 1977 सु.को. का है।
- Q.** अधिनियम की धारा 109 क्या उपबन्ध करती है?
- A.** धारा 109 के अनुसार यदि न्यायालय को साझीदार, भूस्वामी, किराएदार, मालिक एवं अभिकर्ता के बारे में यह विचार करना हो कि क्या ये इस सम्बन्ध में हैं और यदि यह साबित कर दिया जाय कि यह उपर्युक्त सम्बन्ध में पहले कार्य करते रहे हैं तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि अब वे उक्त सम्बन्ध में अवस्थित नहीं रहे हैं या इनके सम्बन्ध बदल गए हैं।
- Q.** कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है, इस सिद्धान्त का वर्णन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
- A.** धारा 110 में।
- Q.** अधिनियम की धारा 110 में स्वामित्व के बारे में सबूत के भार के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी है?
- A.** धारा 110 के अनुसार, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है, जो यह कहता है कि वह स्वामी नहीं है।
- Q.** धारा 111 के अन्तर्गत किस तरह के संव्यवहार के बारे में प्रावधान है?
- A.** धारा 111 के अनुसार, जब दो व्यक्तियों के बीच किसी संव्यवहार के विषय में न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या वह सद्भावपूर्वक किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह सद्भावपूर्वक किया गया है, उस पर होगा जो इसका कथन करता है अर्थात् जो सक्रिया विश्वास की स्थिति में है।
- Q.** कक्षीकार द्वारा एटार्नी के पक्ष में लिखे गये विक्रय का सद्भाव कक्षीकार द्वारा लाये गये वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार किस पर होगा?
- A.** ऐसी स्थिति में संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार एटार्नी पर है, क्योंकि कक्षीकार एवं एटार्नी में एटार्नी सक्रिय विश्वास की स्थिति में है।
- Q.** अधिनियम की धारा 111 (क) कब योजित की गयी?
- A.** अधिनियम की धारा 111 (क) जोकि क्षेत्र की विक्षुब्धता, लोक प्रशाति में बाधा, लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में बाधा, एवं अग्नि आयुधों के, या विस्फोटों के बारे में कुछ परिस्थितियों में उपधारणा किये जाने से सम्बन्धित हैं, सन् 1984 में योजित की गयी।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 किस प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में लागू होती है?
- A.** बच्चे के पितृत्व से सम्बन्धित विवाद।
- Q.** अधिनियम की कौन-सी धारा धर्मजत्व की उपधारणा के सम्बन्ध में है?
- A.** अधिनियम की धारा 112 धर्मजत्व की उपधारणा के सम्बन्ध में है।
- Q.** धारा 112 किसी बच्चे के धर्मजत्व के बारे में है, यह किस प्रकार की उपधारणा का एक उदाहरण है?
- A.** अधिनियम की धारा 112 के अनुसार, “यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरान्त माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुँच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। यह निश्चायक उपधारणा का एक उदाहरण है।
- Q.** धारा 112 के अन्तर्गत धर्मजत्व की उपधारणा किन शर्तों के अधीन उठती है?

- A. निम्न शर्तों के अधीन—1. बच्चे का जन्म विधिमाम्य विवाह के कायम रहते हुए हो, या यदि विवाह का विघटन हो गया था तो विघटन के 280 दिन के भीतर हुआ हो और उस बीच बच्चे की मां अविवाहित रही हो, 2 विवाह के पक्षकारों की पहुँच ऐसे किसी समय अवश्य रही हो जब बच्चे का गर्भाधान किया जा सकता था।
- Q. धारा 112 में निहित धर्मजत्व की उपधारणा किस लोकनीति पर आधारित है?
- A. यह उपधारणा ऐसी लोकनीति पर आधारित है जो यह अपेक्षा करती है कि विवाह के बन्धन में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को धर्मजत्व माना जायेगा। विधि यह नहीं चाहती कि किसी बालक के धर्मजत्व के बारे में कोई अनिश्चितता या सन्देह पैदा हो।
- Q. धारा 112 में उपबन्धित धर्मजत्व की विधिक उपधारणा का खण्डन कैसे किया जा सकता है?
- A. धर्मजत्व की उपधारणा का एक अपवाद धारा 112 में ही निहित है, जो कहती है कि इस उपधारणा को यह दर्शाकर खण्डित किया जा सकता है कि लगभग जिस समय बच्चा गर्भ में आया होगा उस समय पति पत्नी की पारस्परिक पहुँच नहीं थी।
- Q. धर्मजत्व की उपधारणा के बिन्दु पर बजरंगी बनाम डायरेक्टर ऑफ कन्सालिडेशन, ए.आई.आर. 1982 इला. का प्रकरण क्या है?
- A. इस वाद में साक्ष्य यह था कि विवाह के बाद परन्तु गौना के पूर्व मां-बाप ने लड़की को अपने पास रखा, जिस कारण लड़के ने कहीं और शादी कर ली, पहली स्त्री का बच्चा उसका बच्चा नहीं माना गया।
- Q. यदि विवाह के कुछ ही दिनों या घण्टों बाद बच्चे का जन्म हुआ हो तो क्या धर्मजत्व की उपधारणा की जायेगी?
- A. धर्मजत्व की उपधारणा उतने ही बल से लागू रहती है चाहे विवाह के कुछ ही दिनों या घण्टों बाद बच्चे का जन्म हुआ हो। इसका उदाहरण सेथू बनाम पलानी, 1925 मद्रास का वाद है। इस वाद में एक स्त्री का विवाह एस.एल. नामक एक व्यक्ति से अक्टूबर 1903 में हुआ। जून 1904 में उसने पत्नी को तलाक दे दिया। उसी स्त्री ने 1904 की जुलाई में टी नामक एक अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया और उसी वर्ष के सितम्बर में एक बच्चे को जन्म दिया। स्पष्ट ही था कि गर्भ के समय वह एक पुरुष की पत्नी थी और जन्म के समय किसी दूसरे की। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह बच्चा दूसरे पति का धर्मज बच्चा निर्णीत किया गया।
- Q. किस वाद में यह कहा गया कि—“नबसन्दी धर्मजत्व की उपधारणा को नष्ट नहीं करती है”?
- A. यह चन्द्रमथी बनाम फजेहती बलहान, ए.आई.आर. 1982 केरल के वाद में कहा गया है।
- Q. विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। यह साक्ष्य अधिनियम का कौन सा प्रावधान कहता है?
- A. धारा 112।
- Q. जब तक अनुपागम साबित न हो, उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमाम्य विवाह के कायम रहते हुए किसी बालक के धर्मजत्व की उपधारणा कैसी उपधारणा है?
- A. विधि की अखण्डनीय उपधारणा है।
- Q. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा का उपबन्ध किस धारा में है?
- A. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क में।
- Q. साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा दहेज मृत्यु (हत्या) से सम्बन्धित है?
- A. धारा 113-ख।
- Q. अधिनियम की धारा 113 (क) अधिनियम में कब जोड़ी गयी?
- A. 1983 में अधिनियम संख्यांक 46 द्वारा।
- Q. अधिनियम की धारा 113 (क) किस बात की उपधारणा से सम्बन्धित है?
- A. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से।
- Q. धारा 113 (क) के लागू होने के लिए स्त्री का विवाह के कितने वर्ष के भीतर आत्महत्या करना साबित होना चाहिए?
- A. विवाह के 7 वर्ष के भीतर।
- Q. धारा 113-क के अन्तर्गत उपधारणा की आवश्यक शर्तें क्या हैं?
- A. शर्तें इस प्रकार हैं—
1. प्रश्न यह हो कि क्या विवाहिता स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या उसके पति या सम्बन्धी के दुष्प्रेरण के कारण हुई थी।
 2. आत्महत्या विवाह की तारीख से सात साल के अन्दर हुई हो।
 3. इस बात का कुछ साक्ष्य को कि वह पति या किसी नातेदार के हाथों क्रूरता की शिकार हुई थी।
- Q. किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के विषय में उपधारणा का उपबन्ध प्रक्रियात्मक है इसलिए भूतलक्षी प्रभाव रखता है?
- A. गुरुबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह, ए.आई.आर. 1990 सु.को.।
- Q. अधिनियम की धारा 113 (ख) जो दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से सम्बन्धित है, अधिनियम में कब जोड़ी गई?

- A. यह धारा सन् 1986 में दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 43 द्वारा जोड़ी गई?
- Q. दहेज मृत्यु की उपधारणा के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?
- A. इस हेतु शर्तें निम्नलिखित हैं—
1. न्यायालय के समक्ष प्रश्न होना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है।
 2. यह दर्शित किया जाना चाहिए कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में परेशान किया गया था अथवा
 3. उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था।
- Q. धारा 114 किस प्रकार की उपधारणा से सम्बन्धित है?
- A. धारा 114 तथ्य की उपधारणा से सम्बन्धित है।
धारा 114 न्यायालय को निम्न मामलों में उपधारणा करने की विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती हैं—
1. प्राकृतिक घटनाओं के मामूली अनुक्रम से उद्भूत होने वाले उपधारणायें,
 2. मानवीय आचरण से उद्भूत होने वाली उपधारणायें,
 3. लोक एवं प्राइवेट कारबार के मामूली अनुक्रम से उद्भूत होने वाली उपधारणायें।
- Q. धारा 114 की प्रकृति क्या है?
- A. इस धारा में प्रयुक्त शब्द “कर सकेगा” से स्पष्ट है कि इसकी प्रकृति अनुज्ञापक है न कि आज्ञापक।
- Q. एक चोरी के तत्काल बाद अ के आधिपत्य में माल पाया जाता है, तब न्यायालय क्या उपधारणा कर सकेगा?
- A. कि वह चोर था या चुराये गये माल का प्रापक था। (धारा 114, दृष्टान्त क)।
- Q. धारा 114-क साक्ष्य अधिनियम में कब जोड़ी गयी और किस सम्बन्ध में है?
- A. अधिनियम की धारा 114-क दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 1983 द्वारा जोड़ी गई जो बलात्संग के लिए कुछ अभियोजन में सम्मिलित होने की उपधारणा से सम्बन्धित है।
- Q. धारा 114-क की मूल भावना क्या है?
- A. धारा 114-क की मूल भावना यह है कि जब यह साबित हो कि मैथुन हुआ है और स्त्री न्यायालय में कहती है कि उसकी सम्मति नहीं थी और उसके साथ बलात्कार हुआ है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसकी सम्मति नहीं थी और उसकी सम्मति साबित करने का भार अभियुक्त पर चला जायेगा।
- Q. धारा 114-क किस मामले में हुए निर्णय को लेकर हंगामे के कारण जोड़ा गया?
- A. यह धारा तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए.आई.आर. 1970 सु.को. अर्थात् मथुरा रेप केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् जोड़ी गयी।
- Q. धारा 114-ख में न्यायालय क्या उपधारित कर सकेगा?
- A. धारा 114-ख के अन्तर्गत न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्त्विक विशिष्टियों में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती।

विबन्ध (Estoppel) : (धारा 115-117)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में “विबन्ध” को परिभाषित किया गया है। विबन्ध को अंग्रेजी में ‘एस्टापल’ कहते हैं जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द ‘स्टाप’ से बना है जिसका तात्पर्य है रोकना।

साक्ष्य अधिनियम में निबन्ध के नियम को समविष्ट किए जाने से पहले इसे सर्वप्रथम पिकार्ड बनाम सीयर्स (1837) 7 AD & EL 469 के वाद में स्थापित किया गया था। बाद में शरत चंद्र डे बनाम गोपाल चन्द्र लाहा (1891) 19 IA 203 के वाद में इसे न्यायिक मान्यता भी प्रदान किया गया।

धारा 115 के अनुसार “जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्तियों को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है कि और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके

प्रतिनिधि को अपनी उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जायेगा”।

विबन्ध की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित तीन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

- (1) किसी वस्तु या तथ्य के बारे में व्यपदेशन,
- (2) उस व्यपदेशन के आधार पर दूसरा पक्षकार कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया हो, तथा
- (3) दूसरे पक्षकार ने उस संशोधन से प्रेरित होकर वास्तव में कोई कार्य किया हो।

विबन्ध साम्या, न्याय एवं शुद्ध अन्तःकरण के सिद्धान्तों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य सद्भाव एवं ईमानदारी को बढ़ावा देते हुए छल एवं कपटपूर्ण कार्यों से वाद के पक्षकारों के हितों की सुरक्षा करना है।

साक्ष्य विधि में विबन्ध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह साक्ष्य का एक साधारण नियम है और साक्ष्य के समस्त नियम प्रक्रिया के नियम होते हैं। यद्यपि विबन्ध साक्ष्य का नियम है परन्तु विबन्ध को साक्ष्य का सारभूत नियम समझा जाता है।

हमारे देश के अन्य अधिनियम में विबन्ध के निम्नलिखित उदाहरण हैं—रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 49, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 53, 27, 41, 43, 49, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 24, 93, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 18, भागीदारी अधिनियम की धारा 28।

धारा 115 साक्ष्य अधिनियम की धारा 91-94 पर अधिभावी होती है क्योंकि विबन्ध का कानून ऐसा है जिसे प्रक्रिया के नियम के विरुद्ध अधिभावी (Prevail) होना चाहिए।

विबन्ध सिद्धान्त, इस मूल सिद्धान्त पर आधारित है कि जो व्यक्ति विरोधी कथनों का प्राख्यान करता है, उसे नहीं सुना जाना

चाहिए। विबन्ध किसी कर्तव्य के अस्तित्व पर निर्भर होता है, विशेषतः तब जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य के न किये जाने के आधार पर निर्भर होता है। विबन्ध सामान्यतया तीन प्रकार के होते हैं—

- (i) अभिलेख द्वारा,
- (ii) विलेख द्वारा तथा
- (iii) आचरण द्वारा।

वुडरोफ तथा अमीर अली के अनुसार निर्णय अनिवार्य रूप से विबन्ध की उत्पत्ति करता है।

धारा 116 में अभिधारी का तथा कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी के विबन्ध के बारे में दिया गया है। जो आचरण विबन्ध का ही एक प्रकार है। किरायेदार का विबन्ध मालिक तथा किरायेदार के बीच संविदा पर आधारित होता है।

धारा 117 के अन्तर्गत विनियमपत्र के प्रतिग्रहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्धन वर्णित है।

प्रश्नकोश

Q. साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में विबन्ध से सम्बन्धित उपबन्ध दिया गया है?

A. धारा 115। (धारा 115-117)।

Q. विबन्ध के कितने प्रकार के होते हैं?

- A.** (i) विलेख द्वारा,
(ii) आचरण द्वारा,
(iii) अभिलेख द्वारा।

Q. बचनात्मक विबन्ध के सिद्धान्त का मूल किसमें पाया जाता है?

A. संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में।

Q. विबन्ध का कथन केवल दीवानी मामलों में लागू होता है। कथन सत्य है या असत्य?

A. सत्य है।

Q. चाहे सरकार का एक अधिकारी अपने प्राधिकार क्षेत्र से बाहर भी कोई कार्य करे, तब भी बचन-विबन्ध का अभिवचन उपलब्ध होता है। कथन सत्य है या असत्य है?

A. असत्य।

Q. जब पक्षकारों विषय के सत्य का ज्ञान हो, विबन्ध नहीं हो सकता है। कथन सही है या गलत?

A. सही है।

Q. पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर का वाद किससे सम्बन्धित है?

A. विबन्ध से।

Q. शरत चन्द्रर डे बनाम गोपाल चन्द्र लाहा (1891) 19 IA 203 का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से सम्बन्धित है?

A. धारा 115।

Q. प्रसिद्ध विधिशास्त्री कोक ने विबन्ध के सम्बन्ध में क्या मत व्यक्त किया?

A. कोक ने मत व्यक्त किया है कि जहां किसी व्यक्ति का स्वयं का ही कार्य या स्वीकृति उसके मुँह को बन्द कर देती है कि वह सत्य का अभिकथन कर सके वह विबन्ध है। जैसे एक व्यक्ति ने रेलवे में कुछ माल देते हुए उसका मूल्य 100 रु. बताया। माल खो जाने पर उसे यह नहीं कहने दिया जाएगा कि उसका माल अधिक कीमत का था।

Q. विबन्ध के नियम का सैद्धान्तिक प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वाद में हुआ?

A. इस नियम का सैद्धान्तिक प्रतिपादन सर्वप्रथम पिकार्ड बनाम सीयर्स, (1837) 7 AD & EL 469 के प्रकरण में हुआ।

Q. पिकार्ड बनाम सीयर्स के वाद में न्यायालय ने क्या अवधारित किया?

A. इस वाद में न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण द्वारा जानबूझकर यह विश्वास कराता है कि एक वस्तुस्थिति सत्य है और इस विश्वास पर कार्य करने या अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए किसी अन्य को फुसला लेता है तो प्रथम व्यक्ति को यह नहीं कहने दिया जाता है कि उस समय कोई अन्य वस्तुस्थिति अस्तित्व में थी।

- Q.** पिकार्ड बनाम सीयर्स के मामले में दिया गया निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित नियम का आधार है?
- A.** इस मामले में दिया गया निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में दिए गए नियम का आधार है।
- Q.** विबन्ध का नियम मुख्यतः कितने सूत्रों के दृष्टिगत बनाया गया है?
- A.** तीन सूत्रों को—
- (1) यह कि कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा सकता,
 - (2) यह कि आप गरम और ठण्डी सांस एक साथ नहीं ले सकते,
 - (3) यह कि एक ही समय में दोनों को स्वीकार एवं अस्वीकार नहीं कर सकते।
- Q.** 'क' साक्ष्य और मिथ्या रूप से 'ख' को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि 'क' की है और उसके द्वारा 'ख' को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है तत्पश्चात् भूमि 'ख' की सम्पत्ति हो जाती है और 'क' इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसने हक नहीं था विक्रय अपास्त करने की कोशिश करता है। क्या उसे हक का अभाव साबित कने दिया जाएगा?
- A.** 'क' को हक का अभाव साबित नहीं करने दिया जाएगा। यह धारा 115 का दृष्टान्त है जो पिकार्ड बनाम सीयर्स के वाद पर आधारित है।
- Q.** किसी व्यक्ति का विबन्ध से बाध्य करने के लिए धारा 115 के अन्तर्गत कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं?
- A.** निम्नलिखित शर्तें—
1. किसी वस्तुस्थिति के सत्य होने के बारे में व्यपदेशन होना चाहिए।
 2. जिस व्यक्ति को ऐसा व्यपदेशन किया गया है उसने इसके आधार पर अपनी स्थिति में परिवर्तन किया हो।
- Q.** श्रीकृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, 1976 सु.को. के वाद में क्या निर्धारित किया गया?
- A.** इस वाद में विश्वविद्यालय को विधिक कर्तव्य के लोप के आधार पर वादी के दस्तावेज को रद्द करने से रोक दिया गया।
- Q.** महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कम्पनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, 1979 सु.को. के वाद में क्या कहा गया?
- A.** इस वाद में कहा गया कि व्यपदेशन के परिणामस्वरूप स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है व्यपदेशन इस कोटि का हो कि जनसामान्य उसी तरह प्रभावित होता जैसे कि वादी या प्रतिवादी।
- Q.** उमाशंकर बनाम बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट, 1975 इलाहाबाद के वाद में क्या अवधारित हुआ?
- A.** इस वाद में कहा गया कि अभ्यर्थी ने हाईस्कूल में बोर्ड में पास करने के उपरान्त उसी परिणाम के आधार पर जब इण्टरमीडिएट और बी.ए. कर लिया तो न्यायालय ने कहा उसके परिणाम को अवैध घोषित नहीं करने दिया जायेगा।
- Q.** विबन्ध के नियम का क्या अपवाद है?
- A.** निम्नलिखित अपवाद हैं—
1. जब दोनों पक्ष तथ्य के बारे में जानते रहते हैं तथा विबन्ध लागू नहीं होता—मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, प्रिवी, कौंसिल
 2. संविधि के विरुद्ध विबन्ध लागू नहीं होता,
 3. सम्प्रभु कार्यों के विरुद्ध विबन्ध लागू नहीं होता।
- Q.** बी.ई.जी. फिशरमैन बनाम सिपाही सिंह, 1977 सु.को. के प्रकरण में क्या कहा गया?
- A.** इस वाद में कहा गया कि सम्प्रभु कार्यों के विरुद्ध विबन्ध लागू नहीं होता।
- Q.** किस वाद में यह स्पष्ट किया गया कि स्पष्टतः कपट एवं अन्याय के सिवाय विबन्ध लागू नहीं होता?
- A.** एन. रामनाथन बनाम स्टेट ऑफ केरल, 1977 सु.को. के वाद में।
- Q.** मोतीलाल पद्मावत सुगर मिल्स बनाम यू.पी. एण्ड अदर्स, 1979 सु.को. के वाद में क्या कहा गया?
- A.** इस वाद में यह कहा गया कि राज्य सरकार के विरुद्ध वचनात्मक विबन्ध लागू होता है?
- Q.** विबन्ध का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- A.** विबन्ध का मुख्य उद्देश्य सद्भाव एवं ईमानदारि को बढ़ावा देते हुए छल एवं कपटपूर्ण कार्यों से वाद के पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है।
- Q.** विबन्ध की प्रकृति क्या है?
- A.** विबन्ध साक्ष्य का एक साधारण नियम है परन्तु इसे साक्ष्य का सारभूत नियम माना जाता है। यह वाद लाने का आधार तो नहीं उत्पन्न करता किन्तु वादी को किसी वाद-हेतुक को प्रवर्तित करने में तथा प्रतिवादी को किसी ऐसे तथ्य के होने से इंकार करने के लिए जो वाद-हेतुक स्थापित करने के लिए रोकने के द्वारा वादी की सहायता करता है जिससे वाद-हेतुक नष्ट न हो सके। यह न्याय, साम्या एवं शुद्ध अन्तःकरण पर आधारित है।
- Q.** हरद्वारी लाल बनाम जी.डी. तपासे, ए.आई.आर. 1982 पी. एण्ड एच. किस प्रकार के विबन्ध से सम्बन्धित वाद है?
- A.** वचनात्मक विबन्ध के सिद्धान्त से सम्बन्धित है।
- Q.** साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अभिधारी को भूस्वामी के उस सम्पत्ति पर स्वत्व का प्रत्याख्यान न करने दिया जायेगा?
- A.** धारा 116।

साक्षियों के विषय में

(Of Witnessess) धारा 118-134

सक्षम साक्षी

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार “समस्त व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम हैं। केवल वे व्यक्ति सक्षम नहीं हैं जिन्हें न्यायालय समझता है कि वे पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हैं या छोटी उम्र के होने की वजह से या अत्यन्त वृद्धावस्था के कारण या बीमारी के कारण या अन्य कारणों से युक्ति संगत उत्तर नहीं दे सकते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति सक्षम साक्षी या गवाह हो सकता है बशर्ते वह पूछे गये प्रश्नों को समझने एवं उनका युक्तियुक्त उत्तर देने की शक्ति रखता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत उपबन्धित है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य या शरीर या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से व उनसे किये गये प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित हैं।

मूक साक्षी (Dumb witness)

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा धारा 119 में संशोधन किया गया है जो इस प्रकार है- ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में, जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिह्नों द्वारा, अथवा साक्ष्य दे सकेगा, किंतु ऐसा लेखन लिखित रूप में होना चाहिए और खुले न्यायालय में प्रकट संकेत चिह्न तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।

बोलने में असमर्थ साक्षी अपना साक्ष्य दे सकता है जिसे मूक साक्षी के नाम से जानते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अनुसार वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ हो, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा। किन्तु इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जायेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अनुसार बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है तो, इस प्रकार दिया गया उसका साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य समझा जायेगा।

कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किये गए प्रश्नों को समझने

से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

पति तथा पत्नी-

धारा 120 के अनुसार पति-पत्नी के रूप में किसी भी सिविल कार्यवाही के पक्षकार सक्षम गवाह होते हैं।

इसका प्रभाव यह है कि वादी प्रतिवादी एक दूसरे के खिलाफ साक्ष्य दे सकते हैं। सिविल कार्यवाही में किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होते हैं।

किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दाण्डिक कार्यवाही में, उस व्यक्ति का पति या उसकी पत्नी भी सक्षम साक्षी होते हैं। धारा 120 यह नियम उपबन्धित करता है।

न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट (धारा 121)-

कोई भी न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट सक्षम साक्षी होते हैं। कोई भी न्यायाधीश सुसंगत तथ्य बताने के लिए साक्षी बन सकता है। जब कोई न्यायाधीश किसी मामले के तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी रखता है तो वह शपथ लेकर साक्षी बन सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई अभियुक्त न्यायालय में ही किसी सरकारी गवाह को गोली से उड़ा देने का प्रयत्न करता है, तो न्यायाधीश से, जो भी उसने देखा, उसके बारे में पूछा जा सकता है। साक्ष्य की बात को छोड़कर किसी भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से उसके न्यायिक आचरण के बारे में कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। यह सुरक्षा 121 द्वारा प्रदान की गयी है।

धारा 121 के नियम के निम्नलिखित अपवाद भी हैं-

1. न्यायिक मामलों के बारे में किसी न्यायाधीश से जिस न्यायालय के वह अधीन है उसकी अनुज्ञा से प्रश्न किये जा सकते हैं।
2. उससे ऐसी सभी घटनाओं के बारे में प्रश्न किये जा सकते हैं जो उसके सामने न्यायालय में हुई हों।
3. वह अपनी यह सुरक्षा अपनी स्वेच्छा से छोड़कर अपने न्यायिक आचरण का स्पष्टीकरण दे सकता है।

विशेषाधिकृत संसूचनाएं-

कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में कोई बात प्रकट करने के लिए किसी साक्षी को विवश नहीं किया जा सकता, या अगर वह कुछ प्रकट करना चाहता भी है तो उसे अनुज्ञा नहीं दी जाती है। ऐसी बातों को विशेषाधिकृत संसूचनाएं कहते हैं।

उदाहरण के लिए किसी की पत्नी से यह नहीं पूछा जा सकता है कि उसके पति ने उसे जांचाधीन विषय के बारे में क्या बताया था। विशेषाधिकृत संसूचनाएँ दो प्रकार की होती हैं—

- (1) वह जो प्रकट करने से सुरक्षित रखी जा सकती हैं।
- (2) वह जिनका प्रकट करना वर्जित होता है।

कुछ ऐसी संसूचनाएँ हैं जिनके बारे में विधि की यह नीति है कि उन्हें प्रकट नहीं होने देना चाहती। इसलिए ऐसी संसूचनाओं को विधि प्रकट नहीं होने देना चाहिये। यद्यपि संसूचनाग्राही व्यक्ति उसे प्रकट करना चाहता है।

साक्ष्य अधिनियम के निम्न उपबन्ध ऐसी संसूचनाओं के बारे में हैं—

1. विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएँ (धारा 122)।
2. राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य (धारा 123)।
3. शासकीय संसूचनाएँ (धारा 124)
4. अपराधों के करने के बारे में जानकारी (धारा 125)

किसी पुरुष या उसकी पत्नी में होने वाली संसूचनाएँ धारा 122 द्वारा प्रकट करने से वर्जित की गई हैं। धारा 122 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को, जो किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गयी थी, प्रकट करने के लिए विवश न किया जायेगा और वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात न किया जायेगा, जब तक वह व्यक्ति जिसने वह संसूचना दी है या उसका हित-प्रतिनिधि सम्मत न हो, सिवाय उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हों, या उन कार्यवाहियों में, जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के लिए अभियोजित है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अनुसार जब पति या पत्नी एक इसके विरुद्ध अभियुक्त हो तब उनके बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है उसे प्रकट किया जा सकता है।

राज्य का कार्य-कलापों के बारे में साक्ष्य—धारा 123 के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्य-कलापों से सम्बन्धित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञान न किया जायेगा।

शासकीय संसूचनाएँ—धारा 124 के अनुसार कोई भी ऑफिसर शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जायेगा, जबकि वह समझता है कि उस प्रकट से लोकहित की हानि होगी।

अपराधों के करने के बारे में जानकारी—धारा 125 के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जायेगा कि किसी अपराध के किये जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से मिली और किसी भी राजस्व ऑफिसर को यह

कहने के लिए विवश नहीं किया जायेगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली।

स्पष्टीकरण के अनुसार—इस धारा में “राजस्व ऑफिसर” से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारबार में या के बारे में नियोजित ऑफिसर अभिप्रेत है।

इसी प्रकार वृत्तिक संसूचनाएँ (धारा 126), दुभाषयों की सूचनाएँ (धारा 127), विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएँ (धारा 129) और सह-अपराधी की संसूचनाएँ (धारा 133) इन धाराओं में वर्णित दशाओं के अधीन साक्ष्य विधि संरक्षित अथवा ग्राह्य होती हैं। धारा 128 में यह अधिकथित है कि साक्ष्य देने के लिए स्वमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता है। धारा 130 के अन्तर्गत उन स्थितियों का उल्लेख है जब जो साक्षी पक्षकार नहीं है, उसके हक-विलेखों को पेश किया जा सकता है। धारा 132 यह सामान्य उत्तर उसे अपराध में फंसायेगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा।

धारा 131 को वर्ष 2000 के संशोधन के द्वारा नये रूप में अन्तःस्थापित करके उपबन्ध किया गया है कि कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने का हकदार व्यक्ति की सम्मति से ही उसे पेश किया जा सकता है।

सहअपराधी (Accomplice धारा 133)—सह अपराधी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसने स्वयं किसी अपराध को कारित करने में भाग लिया हो। जब कई लोग मिलकर किसी अपराध को करते हैं तो वे सभी सहअपराधी कहे जाते हैं। सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में बराबर साथ रहता है।

सह-अपराधी एक सक्षम गवाह है। धारा 133 के अनुसार सामान्य नियम यह है कि—

- (i) सह-अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ सक्षम गवाह है और
- (ii) दोष-सिद्धि इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह सह-अपराधी के असन्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गयी है।

धारा 133 स्पष्ट रूप से न्यायालय को सह-अपराधी के सम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने का पूर्णतया अधिकार देती है, मगर क्योंकि ऐसा साक्षी स्वयं अपराधी रहा है, इसलिए प्रत्येक स्थिति में वह विश्वसनीय नहीं हो सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में साक्षियों की संख्या के बारे में दिया गया है। धारा 134 के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। अर्थात् धारा 134 यह स्पष्ट करती है कि किसी भी मामले के तथ्यों को साबित करने के लिए साक्षियों की किसी विशिष्ट संख्या की अपेक्षा नहीं होगी। किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होगी, यह पूर्ण रूप से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

प्रश्नकोश

- Q.** (निम्न में) कौन सक्षम साक्षी नहीं है?
- A.** (i) एक अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्न को समझने में असमर्थ है।
(ii) जड़ (निर्बुद्धि) व्यक्ति।
(iii) कोमल वय का व्यक्ति जो उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने में असमर्थ है।
- Q.** (निम्न में) कौन सक्षम साक्षी होगा?
- A.** (i) एक 6 वर्षीय बालक, यदि न्यायालय का यह विचार था कि वह प्रश्नों को पूर्णतया समझता था और युक्तियुक्त उत्तर दे रहा था।
(ii) अतिवृद्ध, (उपर्युक्त शर्त के साथ)
(iii) अन्तराल पागल व्यक्ति।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत मूक साक्षी का साक्ष्य ठीक माना गया है?
- A.** धारा 119।
- Q.** मूक साक्षी के द्वारा दिया गया साक्ष्य कैसा साक्ष्य माना जायेगा?
- A.** मौखिक साक्ष्य।
- Q.** बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है? यह मौखिक साक्ष्य है या दस्तावेजी साक्ष्य?
- A.** मौखिक साक्ष्य।
- Q.** विशेषाधिकृत संसूचनायें क्या हैं?
- A.** विधि द्वारा अनुज्ञात तथा संरक्षित ऐसा हित जो यद्यपि कि असामयिक है फिर भी वर्ग विशेष के पक्ष में स्वीकृत है, विशेषाधिकार कहलाता है, और किसी न किसी माध्यम से प्राप्त जानकारी को संसूचना कहते हैं और इन दोनों के संयुक्त रूप को विशेषाधिकृत संसूचना कहते हैं।
- Q.** विशेषाधिकृत संसूचनाएँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में व्यवस्थित हैं?
- A.** विशेषाधिकृत संसूचनाएँ अधिनियम की धारा 121 से 131 तक में व्यवस्थित हैं।
- Q.** विशेषाधिकृत संसूचनाओं के कितने भाग हैं?
- A.** इनके दो भाग हैं—
1. ये ऐसी संसूचनाएँ हैं जिन्हें न्यायालय प्रकट करने के लिए विवश नहीं कर सकता (धारा 121, 122, 124, 125, 129, 130, 131)
 2. ऐसी संसूचनायें जो कोई प्रकट करना भी चाहे तो रोक दिया जायेगा, अर्थात् प्रकटन से वर्जित है। (धारायें— 122, 123, 126, 127, 128)।
- Q.** अधिनियम की धारा 121 में वर्णित वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें किसी मजिस्ट्रेट या न्यायदीश को साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकेगा?
- A.** ऐसी दो परिस्थितियाँ हैं—
1. न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिस प्राधिकारी के अधीनस्थ हैं, उनके आदेश से एवं
 2. न्यायालय में घटी घटना के बारे में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकेगा।
- Q.** पति एवं पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध दीवानी तथा आपराधिक मामलों में सक्षम साक्षी हैं। कथन सत्य है या असत्य?
- A.** सत्य है। (धारा 120)।
- Q.** साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत विशेषाधिकार किसे प्राप्त है?
- A.** पति और पत्नी को।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में “लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है” सूत्र को समाहित किया गया है?
- A.** धारा 123। पंजाब राज्य बनाम एस.एस. सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय का मत।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 123 और 124 में प्राप्त विशेषाधिकार भिन्न स्वरूप के हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 (2) से भिन्न या निरसित होकर स्वतन्त्र रूप से मांगे जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसे किस वाद में अभिनिर्णीत किया?
- A.** एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, AIR, 1994 SC।
- Q.** धारा 122 को अधिनियम में शामिल करने का क्या उद्देश्य है?
- A.** कौटुम्बिक शान्ति और पति पत्नी के बीच विश्वसनीयता का सम्बन्ध बनाये रखने के उद्देश्य से इस धारा को अधिनियम में स्थान दिया गया है।
- Q.** धारा 122 में क्या उपबन्ध किया गया है?
- A.** इस धारा के अनुसार—जो व्यक्ति विवाहित स्थिति में रहे हैं, या रह रहे हैं, तो जो बातें विवाहित स्थिति के दौरान में उनके द्वारा की गयी थीं उसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जायेगा और न ही अनुज्ञात किया जायेगा।
- Q.** धारा 122 अपने साथ किन अपवादों को स्वीकार करती है अर्थात् इन संसूचनाओं को कब प्रकट किया जा सकता है?

- A. 1. यदि जिसने कथन किया है या उसका हित प्रतिनिधि प्रकटन के लिए सहमत हो जाय।
2. जबकि पति या पत्नी के विरुद्ध कोई मामला हो जिसमें पति या पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध अभियुक्त हों।
3. अन्य व्यक्ति द्वारा संसूचना का प्रकटन।
- Q. धारा 122 के सम्बन्ध में रमिंग बनाम डी.पी.पी. 1962 के प्रकरण में क्या कहा गया?
- A. इस प्रकरण में कहा गया है कि पति पत्नी के अलावा यदि कोई तीसरा व्यक्ति उनकी बात को सुन ले तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
- Q. राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1954 सु.को. 704 में क्या अभिनिर्धारित किया गया?
- A. इस प्रकरण में पत्नी पति से नाराज थी, पति पड़ोस से गहना चुराया, वहां हत्या कर दी और आकर अपनी पत्नी से यही बात कहा कि—पड़ोस में गया था, गहना चुराया, हत्या कर दी, छत पे स्नान किया, धोती पहनी, आ गया। इस वाद में न्यायाधीश वेंकट रामा अय्यर ने कहा कि—जो बात पति ने पत्नी से कहा, वह बात प्रकटन से धारा 122 के अन्तर्गत सुरक्षित हैं, क्योंकि वह विशेषाधिकृत संसूचना थी, किन्तु जो कार्य उसने किया वह सुसंगत और ग्राह्य है, और पत्नी उसके आचरण के बारे में न्यायालय में साक्ष्य दे सकती है।
- Q. धारा 123 में कब ऐसी बात या तथ्य प्रकट की जा सकती है?
- A. सम्पृक्त विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुज्ञा से ऐसा तथ्य या ऐसी बात प्रकट की जा सकती है।
- Q. अधिनियम की धारा 124 किस प्रकार की संसूचनाओं से सम्बन्धित है?
- A. अधिनियम की धारा 124 शासकीय विश्वास में दी गयी संसूचनाओं से सम्बन्धित है।
- Q. अधिनियम की धारा 124 क्या उपबन्धित करती है।
- A. इस धारा के अनुसार—कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी गयी संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जायेगा, जबकि वह समझता है, कि ऐसे प्रकटन से लोकहित की हानि होगी।
- Q. कलेक्टर ऑफ जौनपुर बनाम जमुना प्रसाद, 1922 इलाहाबाद के प्रकरण में शासकीय संसूचनाओं के विषय में क्या मत व्यक्त किया गया?
- A. इस वाद में कहा गया कि लोकनीति यह अपेक्षा करती है और यह सही सिद्धान्त भी है कि जो व्यक्ति किसी जज या रिकार्ड रखने वाले न्यायालय तथा उसके क्लर्क एवं स्टोनोग्राफर से प्रस्तुत मामले में लिए गए कथनों के बारे में वैधानिक, वैश्वासिक सम्बन्धों में हैं उन्हें इस हैसियत से पैदा होने वाले विश्वास तथा भरोसे को भंग करने के लिए न विवश किया जाना चाहिए और न ही अवसर देना चाहिए।
- Q. धारा 125 क्या उपबन्धित करती है?
- A. धारा 125 के अनुसार—किसी पुलिस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को या किसी राजस्व अधिकारी को राजस्व के विरुद्ध अपराध के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त हुई, इसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
- Q. धारा 125 का उद्देश्य क्या है?
- A. इस धारा का उद्देश्य सूचना के स्रोत को प्रकटन से संरक्षण देकर लोगों को सूचनाएँ देने के लिए प्रेरित करना है अन्यथा कोई व्यक्ति सूचना देना पसन्द नहीं करेगा। यह धारा आफिसरों को सूचनाओं के अपने स्रोत सुरक्षित करने का अवसर देती है।
- Q. किसी राजस्व अधिकारी को यह बताने के लिए विवश नहीं किया जायेगा कि कहां से उसे राजस्व के विरुद्ध कारित किसी अपराध के बारे में सूचना मिली। यह किस धारा में निहित है?
- A. धारा 125।
- Q. एक अपराधी अपने अभिभाषक से यह कहता है कि मैं आपको अपना अभिभाषक नियुक्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने मिलावट पूर्ण हल्दी का उत्पादन किया है। क्या न्यायालय इस कथन को अभिभाषक से साक्ष्य में बताने के लिए बाध्य कर सकती है?
- A. नहीं। (धारा 126)।
- Q. 'क' जो अभिभाषक है, ख का मुवकिल है, ख को बताता है कि मैंने डकैती की है और मैं आपसे अपना प्रतिरक्षण कराना चाहता हूँ। क्या कथन सही है—
- A. क उक्त संसूचना को प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। (धारा 126)।
- Q. एक मुवकिल 'अ' अपने अधिवक्ता ब से कहता है कि 'ब' स की एक खास सम्पत्ति चाहता है और उस हेतु एक दस्तावेज की कूट रचना करेगा तथा ब को उसके आधार पर दावा करने में उसकी सहायता करनी होगी। क्या ऐसी सूचना प्रकटीकरण से सुरक्षित है?
- A. नहीं। (धारा 126 का परन्तुक)।
- Q. अधिनियम की किस धारा में वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकटन से सुरक्षित रखा गया है?
- A. इसे धारा 126 में प्रकटन से सुरक्षित रखा गया है।
- Q. कक्षीकार 'क' एटार्नी 'ख' से कहता है, "मैंने कूट रचना की हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें" क्या यह प्रकटन से संरक्षित है?
- A. 'क' द्वारा 'ख' को दी गयी यह संसूचना 'ख' को उसकी हैसियत में नियोजित के प्रयोजनार्थ दी गई है। इसलिए प्रकटन से संरक्षित है।

- Q.** धारा 126 किन अपवादों के अधीन है?
- A.** धारा 126 अपने ही अन्तर्गत दो अपवादों को समेटती है तथा एक अपवाद उसके सामान्य नियम में ही समाहित है अपवाद निम्न हैं—
1. अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई संसूचना प्रकटन से संरक्षित नहीं है।
 2. नियोजन के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् बैरिस्टर, एटार्नी, प्लीडर या वकील अपने इसी हैसियत में यह पाता है कि कोई अपराध या कपट किया गया है वह इसे प्रकट कर सकता है।
 3. कोई भी संसूचना किसी कक्षीकार की अभिव्यक्ति सम्पत्ति से प्रकट की जा सकती है।
- Q.** 'क' पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए वकील 'ख' को धारित करता है। कार्यवाही के अनुक्रम में 'ख' देखता है कि लेखाबही में 'क' के द्वारा गबन के सम्बन्ध में ऐसी प्रविष्टि की गई है जो नियोजन के आरम्भ के समय नहीं थी। क्या यह तथ्य प्रकटन से संरक्षित है?
- A.** यह प्रकटन से संरक्षित नहीं है क्योंकि धारा 126 के अपवाद संख्या 12 के अनुसार 'ख' द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में सम्प्रेक्षित ऐसा तथ्य है जिससे यह दर्शित होता है कि कपट उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पश्चात् किया गया है।
- Q.** धारा 126 के अन्तर्गत दी गई संसूचना को प्रकट न करने की बाध्यता कब तक बनी रहती है?
- A.** धारा 126 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा के अन्तर्गत दी गई संसूचना को प्रकट न करने की बाध्यता नियोजन के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी अर्थात् सम्पूर्ण जीवन तक बनी रहती है।
- Q.** धारा 127 के उपबन्ध क्या और किन्हीं व्यक्तियों को लागू होंगे?
- A.** धारा 127 के अनुसार धारा 126 के उपबन्ध दूभाषियों और बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटार्नीयों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को भी लागू होंगे।
- Q.** धारा 129 किस प्रकार की संसूचनाओं से सम्बन्धित है?
- A.** विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाओं से सम्बन्धित है।
- Q.** धारा 130 क्या उपबन्ध करती है?
- A.** ऐसा साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है हक विलेख से सम्बन्धित दस्तावेज या ऐसा दस्तावेज जिसके बल पर वह गिरवीदार बन्धकदार बना है, यदि दस्तावेज के पेश करने से अपराध में फंसा है तो ऐसा दस्तावेज पेश करने के लिए उसे विवश नहीं किया जाएगा।
- Q.** धारा 131 किन बातों के विषय में उपबन्ध करती है?
- A.** यदि किसी दस्तावेज को न प्रकट करने का विशेषाधिकार कोई व्यक्ति रखता है तो वह जिसे दस्तावेज देता है, तो उसे भी न प्रकट न करने का विशेषाधिकार होगा उसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
- Q.** धारा 131 का प्रभाव क्या है?
- A.** इस धारा का प्रभाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज को पेश करने से मना करने का हक रखता है तो नियम यह है कि उस दस्तावेज की सुरक्षा केवल इसलिए कम नहीं हो जाएगी कि वह किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में है।
- Q.** अधिनियम की किस धारा में वाद से सुसंगत किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी साक्षी को मजबूर किया जा सकता है?
- A.** धारा 132 के अन्तर्गत।
- Q.** धारा 132 क्या उपबन्ध करती है?
- A.** धारा 132 के अनुसार किसी व्यक्ति से न्यायालय ने यदि कोई प्रश्न किया है तो वह उत्तर देने से इस आधार पर मुक्त नहीं होगा कि,
1. वह उसे अपराध में फंसा देगा या
 2. प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपाध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, या
 3. वह किसी शास्ति या समपहरण से उच्छन्न करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है। वह वाद जिसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है, किसी धारा में सिविल या दाण्डिक मामलों में सुसंगत होना चाहिए।
- Q.** धारा 132 का परन्तुक क्या कहता है?
- A.** इस परन्तुक के अनुसार—यदि वह जवाब देता है, तो उस जवाब के ही आधार पर उसकी गिरफ्तारी या अभियोजन नहीं किया जाएगा या किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दाण्डिक मामले में अभियुक्त बनकर आता है, तो उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा।
- Q.** धारा 132 के अन्तर्गत यदि साक्षी झूठ बोलता है तो उसके विरुद्ध क्या किया जा सकता है?
- A.** यदि वह झूठ बोलता है तो उसके ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जा सकेगा।
- Q.** सह-अपराधी की परिभाषा सर्वप्रथम किस वाद में दी गयी है?
- A.** डेविस बनाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर, 1954 एच.एल. के वाद में। यह कि जो कोई व्यक्ति जब कर्ता के रूप में या दुष्प्रेरित करके या सहयोग करके किसी अपराध में शरीक रहा हो तो, इसी को सह अपराधी कहते हैं।
- Q.** उच्चतम न्यायालय ने डेविस के प्रकरण में दी गई सह-अपराधी की परिभाषा को किस वाद में स्वीकार किया है?

- A. उच्चतम न्यायालय ने आर.के. डालमियां बनाम दिल्ली प्रशासन, ए.आई.आर. 1962 के प्रकरण में हू-ब-हू स्वीकार किया है।
- Q. सामान्य भावाबोध में सह-अपराधी की क्या परिभाषा है?
- A. सामान्यतः जो भी व्यक्ति किसी अपराध को करने में किसी न किसी रूप में संलग्न रहता है उसे विधि की दृष्टि में सहअभियुक्त माना जाता है, और जब इन्हीं अभियुक्तों में से किन्हीं को क्षमादान प्रदान कर राज्य-साक्षी बना लिया जाता है, तब उन्हें विधि की दृष्टि में सह-अपराधी कहा जाता है।
- Q. धारा 133 सह-अपराधी के विषय में क्या कहती है?
- A. यह धारा कहती है कि कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह-अपराधी के अपरिपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है।
- Q. साक्ष्य-अधिनियम की किन धाराओं के संयोग से सह-अपराधी एक सक्षम साक्षी स्पष्ट होता है?
- A. धारा 133 एवं धारा 144 के दृष्टान्त (क) के संयोग से।
- Q. धारा 144 का दृष्टान्त ब क्या उपधारित करता है?
- A. इसके अनुसार न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि सह-अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, जब तक कि तात्त्विक विशिष्टियों में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती।
- Q. सह-अपराधी के साक्ष्यिक मूल्य के सम्बन्ध में भुवानी साहू बनाम किंग, 1949 पी.सी. के वाद में न्यायालय ने क्या विचार व्यक्त किया है?
- A. इस वाद में न्यायालय ने कहा कि—(1) सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर निर्णय आधारित करना न्यायिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, (2) किसी सहअभियुक्त के साक्ष्य से किसी सह-अपराधी के साक्ष्य का सम्पुष्टिकरण करना न्यायसंगत नहीं है।
- Q. भुवनी साहू के प्रकरण में सर जान ब्यूमाण्ट ने सह-अपराधी के साक्ष्य को सम्पुष्टिकरण के लिए किन शब्दों में आवश्यक बताया?
- A. एक सह-अपराधी के साक्ष्य को वही महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए जो एक विधिचारी के साक्ष्य को मिलता है, चूँकि वह अपने साथियों के साथ कपट किया है, तो न्यायालय के साथ भी कर सकता है, अपने दोष को अपने ऊपर से हटाकर साथियों पर मढ़ सकता है, सरकार द्वारा क्षमा की शर्तों को निभा सकता है।
- Q. मदन मोहन बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 1970 सु.को. के वाद में क्या स्पष्ट किया गया?
- A. इस वाद में कहा गया कि सह-अपराधी के साक्ष्य को अन्य स्वतन्त्र साक्ष्य से सम्पुष्टि किया जाना अति आवश्यक है।
- Q. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सह-अपराधी के साक्ष्यिक मूल्य की निम्नलिखित दो कसौटियां दीं, जिन पर सह-अपराधी के साक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है।
- (1) क्या तात्त्विक विश्वसनीय है, (2) अन्य साक्ष्य से सम्पुष्टि है कि नहीं?
- A. पियारा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 1970 सु.को. के वाद में।
- Q. धारा 133 किस प्रकार का नियम है?
- A. धारा 133 विधि का नियम है।
- Q. धारा 144 का दृष्टान्त 'ख' कैसा नियम है?
- A. यह साधवानी और प्रज्ञा का नियम है और न्यायाधीश के विवेकाधिकार के अन्तर्गत है।
- Q. सह-अपराधी के साक्ष्यिक मूल्य की वर्तमान विधिक स्थिति क्या है?
- A. वर्तमान विधिक स्थिति यही है कि सह-अपराधी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि की आवश्यकता सदैव है, और सह-अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि का नियम अब एक विधिक नियम बन गया है।
- Q. क्या धारा 133 तथा धारा 114 का दृष्टान्त 'ख' एक दूसरे के विरोधी हैं?
- A. डंगडू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1977 के प्रकरण में न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ के कथनानुसार इन दोनों धाराओं में कोई विरोध नहीं है।
- Q. (निम्नलिखित में) कौन सह अपराधी है?
- A. एक वेश्या।
- Q. (निम्नलिखित में) कौन सह अपराधी नहीं है?
- A. (i) गुप्तचर
(ii) उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति।
(iii) बलात्संग के पीड़िता लड़की (अभियोजिका) (भूला मियां बनाम राज्य)।
- Q. किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की संख्या कितनी होनी चाहिए?
- A. कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। (धारा 134)।
- Q. साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में साक्षियों की संख्या के बारे में बताया गया है?
- A. धारा 134 में।
- Q. धारा 134 क्या उपबन्ध करती है?
- A. यह धारा कहती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।
- Q. उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति गोस्वामी ने किस वाद में यह कहा कि "महत्त्व गवाहों की मात्रा का नहीं बल्कि उसके गुण का है"?
- A. बद्री बनाम स्टेट ऑफ राजस्तान, 1976 के वाद में।

साक्षियों की परीक्षा के विषय में

(Of the Examination of Witnesses)

(धारा 135-166)

साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 10, धारा 135 से 136 साक्षियों की परीक्षा से सम्बन्धित है। धारा 135 के अनुसार साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, क्रमशः सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय सम्बन्धित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा, विनियमित होगा।

अतः सर्वप्रथम दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों में जिस प्रकार की विधि (Law) और प्रक्रिया (Procedure) साक्ष्य लेने के लिए प्रचलित है, न्यायालय को उसी के अनुसार साक्ष्य लेना चाहिये।

साक्षियों की परीक्षा करने के क्रम के अन्तर्गत दो चीजें हैं—

- (1) कौन पक्षकार सर्वप्रथम अपने साक्षियों की परीक्षा करे,
- (2) किस क्रम में किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों की परीक्षा की जाये,

यद्यपि न्यायालय अपने विवेक के अनुसार साक्षियों के क्रम को नियन्त्रित करने का अधिकार रखता है, परन्तु वह इस प्रकार के क्रम में बहुत कम हस्तक्षेप करता है।

मूलरूप से यह अधिकार का अधिकार है कि वह अपने साक्षियों को किस क्रम में पेश करे। किसी पक्षकार के केस को बन्द कर देने के पश्चात् साक्ष्य देने का अधिकार नहीं है।

धारा 136 के अनुसार न्यायालय को साक्ष्य की ग्राह्यता निश्चित करना होता है। अतएव जब कोई पक्षकार साक्ष्य देता है तो न्यायालय पूछ सकता है कि यदि अभिकथित तथ्य साबित हो गया तो किस प्रकार सुसंगत होगा? तथ्य सुसंगत होने पर ही साक्ष्य में ग्रहण किया जायेगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के अन्तर्गत उन विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं को परिभाषित किया गया है जो न्यायालय में किसी साक्षी का किया जाता है। इसमें तीन प्रकार की परीक्षाएँ अन्तर्विष्ट हैं—

(i) मुख्य परीक्षा (Examination in Chief)—मुख्य परीक्षा किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलायेगी।

(ii) प्रति परीक्षा (Cross-examination)—किसी साक्षी की परीक्षा के पश्चात् उसको उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे नहीं बुलाया था, परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलायेगी।

(iii) पुनः परीक्षा (Re-examination)—किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसको उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलायेगी।

परीक्षाओं का क्रम—

धारा 138 के अनुसार साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात् प्रतिपरीक्षा, तत्पश्चात् पुनः परीक्षा होगी।

प्रत्येक साक्षी की प्रथम परीक्षा उस व्यक्ति द्वारा होती है जिसने उसे बुलाया है और उसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। इसके बाद प्रतिपक्षी द्वारा प्रश्न किये जाते हैं और उसे प्रति-परीक्षा कहते हैं। यदि प्रति परीक्षा के बाद जिस पक्षकार ने साक्षी को बुलाया है, वह फिर से कुछ पूछना चाहता है तो उसे पुनः परीक्षा कहते हैं।

मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से सम्बन्धित होना होगा, किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है।

धारा 139 के अनुसार, जिस व्यक्ति को केवल कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया हो, वह साक्षी नहीं होता है और इसलिए उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। उसकी प्रतिपरीक्षा तभी की जा सकती है, जब वह साक्षी की हैसियत से बुलाया गया।

धारा 140 के अनुसार, जो साक्षी किसी पक्षकार के शील का साक्ष्य देने के लिए आता है, उसकी मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा तथा पुनः परीक्षा भी हो सकती है।

सूचक प्रश्न—

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 141-143 में सूचक प्रश्न (Leading Question) से सम्बन्धित प्रावधान निहित हैं।

मुख्य परीक्षा अर्थात् साक्षी से बुलाने वाले पक्षकार द्वारा प्रश्न करने का उद्देश्य यह होता है कि साक्षी स्वयं अपने मुँह से मामले

को वर्णित करे। सुसंगत तथ्यों के बारे में उसे प्रश्न पूछना चाहिये और फिर उसे अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर देने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। उसे उत्तर के बारे में कोई सुझाव नहीं मिलना चाहिये।

कोई भी ऐसा प्रश्न जो साक्षी को उत्तर के बारे में भी सुझाव दे, उसे सूचक प्रश्न कहते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों की अनुज्ञा होती है तो मुख्य परीक्षा करने वाला वकील गवाह के मुँह से ऐसी कहानी गढ़वा लेता है। जो वह अपने साक्षी से चाहता है।

सूचक प्रश्न की परिभाषा धारा 141 में दी गई है, जिसके अनुसार कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है।

धारा 142 के अनुसार सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिये।

धारा 143 के अनुसार सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे। धारा 141 में जहां सूचक प्रश्न की परिभाषा दी गई है वहीं धारा 142 का शीर्षक है- सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिये तथा धारा 143 में कहा गया है कि सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 के अनुसार सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे, परन्तु ध्यातव्य है कि धारा 142 के अन्तर्गत सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा में भी यदि विरोधी पक्षकार आक्षेप करे तो न्यायालय की अनुज्ञा से पूछे जा सकते हैं।

प्रश्नकोश

Q. साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायाधीश ग्राह्यता के विषय में निश्चय करेगा?

A. धारा 136।

Q. मुख्य परीक्षा क्या होती है?

A. धारा 141।

Q. प्रतिवादी के वकील के द्वारा की जाने वाली परीक्षा क्या कहलाती है?

A. प्रति-परीक्षा (धारा 137 पैरा 2)।

Q. प्रति परीक्षा किसका सबसे प्रभावी साधन है?

A. सत्य का पता लगाने का।

Q. प्रति-परीक्षा का उद्देश्य क्या है?

A. साक्षी की विश्वसनीयता की जांच।

Q. प्रतिपरीक्षा की परिभाषा क्या है?

A. धारा 137 के पैरा (2) के अनुसार—किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गयी परीक्षा प्रतिपरीक्षा है?

Q. पुनः परीक्षा क्या है?

A. किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा, उसकी पुनः परीक्षा कहलायेगी। (धारा 137 का पैरा 3)।

Q. मुख्य-परीक्षा और प्रतिपरीक्षा की सीमा क्या होगी?

A. मुख्य-परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से सम्बन्धित होना होगा। किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं होता जो मुख्य-परीक्षा में सामने लाये गये हों। प्रतिपरीक्षा सभी सुसंगत तथ्यों के बारे में हो सकती है, चाहे वह मुख्य परीक्षा में सामने आये हों या नहीं। (धारा 138 का पैरा 2)।

Q. पुनः परीक्षा की सीमा क्या होती है?

A. पुनः परीक्षा की सीमा यह होती है कि इसमें उन तथ्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए जो प्रतिपरीक्षा में उठाये जाते हैं। यह प्रतिपरीक्षा में कोई नई बात सामने लायी जाये तो प्रतिपक्षी भी उस बात की अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

Q. प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य क्या है?

A. प्रसिद्ध विधिशास्त्री पावेल के शब्दों में—“प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य गवाह की यथार्थता, विश्वसनीयता एवं उसकी योग्यता को सामने लाना है, गवाहों द्वारा पहले कहे गये तथ्यों की सूक्ष्म परीक्षा कर उन्हें अलगाना है, विरोधों का पता लगाना है, इसका उद्देश्य असंगति को खोजना और प्रस्तुत करना है, या दबे हुए तथ्य को निकालना है जिससे प्रतिपरीक्षा करने वाले पक्ष का मामला मजबूत हो”।

Q. फिप्सन् महोदय ने प्रतिपरीक्षा के कितने उद्देश्य बताये हैं?

A. दो उद्देश्य हैं—1. विरोधी पक्षकार के मामले को कमजोर करना या नष्ट करना। 2. विरोधी पक्ष के गवाह से अपने मामलों को सुदृढ़ करना।

Q. पोलक ने प्रतिपरीक्षा के क्या उद्देश्य बताये हैं—

A. सात उद्देश्य—1. साक्षी की विश्वसनीयता परखना, 2. सत्यता परखना, 3. याददाश्त कैसी है, 4. देखने की क्षमता, 5. अपने मामले का समर्थन, 6. प्रतिपक्षी के मामले को कमजोर बनाना, 7. गुप्त बातों के प्रकटीकरण के लिए।

Q. प्रतिपरीक्षा का विस्तार क्षेत्र क्या है?

A. धारा 138 के पैरा (2) के अनुसार—इसे सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, लेकिन आवश्यक नहीं कि यह मुख्य-परीक्षा की बातों तक ही सीमित रहे।

A. किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है। (धारा 137)।

- Q. किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी कौन सी परीक्षा है?
- A. पुनः परीक्षा। (धारा 137, पैरा 3)।
- Q. साक्षी की पुनः परीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है?
- A. उस प्रकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया है।
- Q. गवाह की पुनः परीक्षा कब होती है?
- A. उसे बुलाने वाले पक्षकार के चाहने पर।
- Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अन्तर्गत परीक्षाओं का क्रम उपबन्धित किया गया है?
- A. धारा 138।
- Q. साक्षियों की परीक्षा का सही क्रम क्या है?
- A. मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा, पुनः परीक्षा। (धारा 138)।
- Q. ऐसा व्यक्ति जिसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है और वह प्रस्तुत करता है, क्या उसकी प्रति-परीक्षा किया जा सकता है?
- A. नहीं। प्रति परीक्षा केवल तभी किया जा सकता है जबकि उसे साक्षी के तौर पर बुलाया गया है। (धारा 139)।
- Q. चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। यह कथन सत्य है या असत्य है?
- A. सत्य। (धारा 140)।
- Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण से सम्बन्धित प्रावधान अन्तर्विष्ट है?
- A. धारा 140।
- Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है?
- A. जो व्यक्ति कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया जा सकता है, क्या उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है?
- A. नहीं। क्योंकि वह साक्षी नहीं होता। उसकी प्रतिपरीक्षा तभी की जा सकती है, जबकि वह साक्षी की हैसियत से बुलाया जाये। (धारा 139)।
- Q. शील के साक्ष्य देने वाले साक्षियों की कौन-सी परीक्षा की जा सकती है?
- A. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी (धारा 140 के अनुसार)।
- Q. कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, क्या कहा जाता है?
- A. सूचक प्रश्न।
- Q. सूचक प्रश्न क्या होता है?
- A. उत्तर को सुझाने वाला प्रश्न।
- Q. सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकता है?
- A. रति परीक्षा में। (धारा 143)।
- Q. जयदेव बनाम इम्परर के वाद में सूचक प्रश्न की क्या परिभाषा दी गयी है?
- A. इस प्रकरण के अनुसार—“ये प्रश्न जो उत्तर को सुझाते हैं या दर्शाते हैं उसे सूचक प्रश्न कहते हैं”।
- Q. धारा 142 के पैरा दो में किन परिस्थितियों में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं?
- A. जब वे पुनः स्थापन के लिए हो या ऐसे तथ्यों के बारे में हो जिन पर कोई विवाद नहीं हो या जो पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हैं।
- Q. सूचक प्रश्नों (पूरक प्रश्नों) न्यायालय की अनुमति से कब पूछे जा सकते हैं?
- A. मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में, यदि विरोधी पक्ष आक्षेप करे तब।

लिखित विषयों के बारे में साक्ष्य : (धारा 144)

धारा 144 में लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य के उपबन्ध दिये गये हैं। इस धारा का प्रयोजन यह है कि जब किसी साक्षी की परीक्षा हो रही हो तो उससे यह पूछा जा सकता है कि जिस संविदा, दान या सम्पत्ति अन्तरण के बारे में वह साक्ष्य दे रहा है, क्या वह लिखित रूप में तो नहीं था और यदि वह हां कहे तो प्रतिपक्षी उसके मौखिक

साक्ष्य के बारे में आपत्ति कर सकता है।

दृष्टान्त

प्रश्न यह है कि क्या ‘क’ ने ‘ख’ पर हमला किया। ‘ग’ अभिसाक्ष्य देता है कि उसने ‘क’ को ‘घ’ से यह कहते सुना है कि ‘ख’ ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग

लगाया था और लिखा उससे था बदला लूंगा।' यह कथन हमले के लिए 'क' का आशय दर्शित करने वाला होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो।

धारा 145 में "पूर्ववत् लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा के बारे में उपबन्ध किये गये हैं। जिसके अनुसार किसी भी साक्षी की उसी के पूर्ववत् लेखबद्ध कथनों के बारे में, बिना उसको वह कथन दिखाये या साबित किये, प्रतिपरीक्षा की जा सकती है।

"हजारी लाल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली' (A.I.R. 1990) S.C. 875 के वाद में उच्चतम न्यायालय का निम्न कथन धारा 145 के विस्तार पर प्रकाश डालता है। "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अन्तर्गत किसी भी परीक्षण या जांच में ऐसी किसी सूचना का प्रयोग वर्जित किया गया है जो किसी व्यक्ति ने पुलिस को किसी विवेचना के समक्ष बताई हो, अपवाद केवल यह है कि धारा 145 में बताये गये तरीके के अनुसार उस व्यक्ति की गवाही का खण्डन करने के लिए उसके पूर्व कथन का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न : धारा 146—प्रतिपरीक्षा में साक्षी से सभी सुसंगत तथ्यों के बारे में तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं परन्तु उसके अतिरिक्त उससे शील के बारे में भी प्रश्न किये जा सकते हैं।

धारा 146 में भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा अन्त में एक परन्तुक जोड़ा गया तथा 2013 और 2018 में संशोधन किया गया। वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है—

"जब कि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उससे एतस्मिन् पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति—

- (1) उसकी सत्यवादिता परखने की है;
- (2) यह पता लगाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है; अथवा
- (3) उसकी शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुँचाने की है।

चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फँसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो।

परन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 कख, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 घक, धारा 376 घख या धारा 376 ड के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध को करने के लिए किसी अभियोजन में, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद है, वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व

लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा।

[तदनुसार धारा 155 का अपराध (4) को भी निरस्त कर दिया गया है।]

साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाय : धारा 147—धारा 147, धारा 146 के उपबन्धों के पूरक के रूप में हैं। धारा 147 कहती है कि यदि शील के बारे में पूछा गया प्रश्न सुसंगत तथ्यों के बारे में है तो धारा-132 के उपबन्ध लागू हो जायेंगे।

'अरुमुगा नायर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु A.I.R. 1976, S.C. 2588 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी गवाह के परिसाक्ष्य का केवल इसलिए खण्डन नहीं किया जा सकता कि उसके पहले उसे किसी खून में सजा मिली थी। इतने लम्बे काल से उसकी विश्वसनीयता सुधर सकती है।

शील से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में न्यायालय का विवेक : धारा 148 यह बात न्यायालय के विवेक पर छोड़ देती है कि किसी साक्षी को शील के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विवश किया जाये या नहीं।

प्रश्न करने के लिए युक्तियुक्त आधार : धारा 149 साक्षी के शील को फालतू आक्रमण से बचाने के लिए एक दूसरा उपबन्ध है कि कोई भी लांछन लगाने वाला प्रश्न नहीं पूछा जायेगा जब तक कि प्रश्नकर्ता को युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास न हो कि लांछन सही या सुआधारित है।

"कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछना चाहिये, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि वह लांछन, जिसका उससे प्रवहण होता है सुआधारित है।"

किसी बैरिस्टर को किसी अटार्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है।

युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया

जब न्यायालय का विचार है कि ऐसा प्रश्न बिना युक्तियुक्त आधार से पूछा गया है तो न्यायालय ऐसे वकील के मामले को उचित कार्यवाही हेतु न्यायालय में भेज सकता है। यह शक्ति धारा 150 द्वारा दी गयी है। धारा 150 के अनुसार यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटार्नी द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को, जिससे ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटार्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा।

अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न : धारा 151

धारा 151 द्वारा न्यायालय को अशिष्ट या कलंकात्मक प्रश्न पूछने से रोकने की शक्ति दी गई है। ऐसा प्रश्न चाहे प्रस्तुत मामले में कुछ सम्बन्ध रखता हो, तो भी न्यायालय उसे रोक सकता है। ऐसे प्रश्न पूछने की अनुज्ञा मिल सकती है यदि वह विवाद्यक तथ्यों के निर्धारण में या उनका अस्तित्व जानने में सहायता करे।

धारा 151 के अनुसार न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का यह पूछताछ का, जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हो, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवाद्यक तथ्यों के या उन विषयों के सम्बन्ध में न हो, जिनका ज्ञात होना अवाधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवाद्यक तथ्य विद्यमान थे या नहीं।

अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत आते हैं।

धारा 152 के अनुसार न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है।

साक्षी के उत्तर का खण्डन : धारा 153

धारा 153 द्वारा साक्षियों के शील को सुरक्षित रखने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध दिया गया है। जब किसी साक्षी ने अपने शील के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर दिया है तो जो भी उसका उत्तर हो, उसके उत्तर का खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है।

न्यायालय को प्रस्तुत मामले के सही तथ्य जानने होते हैं, किसी साक्षी के शील का विचारण नहीं करना होता, इसलिए उसके शील को परखने की बात बेमेलतब बढ़ाना नहीं चाहिये। जो भी उत्तर साक्षी ने दिया है उसके साथ ही प्रश्न को बन्द कर देना चाहिये।

दृष्टान्त

किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था। यह इससे इंकार करता है। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 153 के उपबन्धों के अनुसार यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था साक्ष्य अग्राह्य होगा।

प्रश्नकोश

Q. साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 (3) के परन्तुक के अधीन बलात्संग के अभियोजन में अभियोक्त्री के प्रति परीक्षण में कैसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं?

A. उसके साधारण नैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न।

Q. गवाह के परीक्षा के समय कैसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा?

A. (i) अपमानित करने के आशय से प्रश्न।

(ii) क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न।

(iii) आवश्यक रूप से संतापकारी प्रश्न। (धारा 152)।

Q. युक्तियुक्त आधारों के बिना अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर न्यायालय की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?

A. न्यायालय को राज्य बार काउंसिल को रिपोर्ट करनी चाहिए। (धारा 150)।

Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 किस तरह के प्रश्नों को साक्षी से पूछने की मनाही करती है?

A. अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्नों को।

Q. धारा 151 में न्यायालय की शक्ति के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध किया गया है?

A. इस धारा के अनुसार जब न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछ का जिन्हें वह अशिष्ट और कलंकात्मक समझता है चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा।

Q. धारा 151 में न्यायालय कब अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्नों को पूछने की अनुज्ञा दे सकता है?

A. जब ऐसे प्रश्न विवाद्यक तथ्यों के निर्धारण में या उसका अस्तित्व जानने में सहायक हो।

Q. धारा 152 क्या उपबन्ध करती है?

A. अधिनियम की धारा 152 के अनुसार न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है या जो यद्यपि स्वयं में उचित है फिर भी न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक और संतापकारी है।

Q. जब किसी साक्षी ने अपने शील के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर दिया है तो जो भी उसका उत्तर हो उसके उत्तर का खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यह उपबन्ध अधिनियम की किस धारा में है?

- A. धारा 153 में।
- Q. अधिनियम की धारा 153 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के बारे में क्या सीमा निर्धारित करती है?
- A. यह धारा निर्धारित करती है कि जब किसी साक्षी से ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को क्षति पहुँचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुँचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया हो तो उसका खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा।
- Q. धारा 153 के साथ कितने अपवाद और किस रूप में स्वीकार किए गये हैं?
- A. दो अपवाद स्वीकार किए गए हैं—
1. यदि किसी साक्षी से पूछा जाय कि क्या इसके पहले वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ था और वह उससे इंकार करे तो उसके पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा।
 2. यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाय और वह ऐसे तथ्यों का इंकार द्वारा उत्तर देता है तो उसका खण्डन किया जा सकेगा।
- Q. किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी पद से
- बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था? वह इससे इंकार करता है, यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था, साक्ष्य दिया जाता है। क्या यह साक्ष्य ग्राह्य है?
- A. यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है क्योंकि यह प्रश्न उसकी शील को क्षति पहुँचाकर विश्वसनीयता को धक्का पहुँचाने की प्रवृत्ति रखता है और साक्षी ने इसका उत्तर दे दिया है। अब धारा 153 के अन्तर्गत उसका खण्डन करने के लिए कोई साक्षी नहीं दिया जाएगा।
- Q. 'क' से पूछा जाता है कि क्या उसके परिवार और 'ख' के जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य देता है, परिवार में कुल-बैर नहीं रहा था? यदि वह इसका प्रत्याख्यान करता है, क्या उसके उत्तर का खण्डन किया जा सकता है?
- A. अधिनियम की धारा 153 के अपवाद 2 के आलोक में 'क' के उत्तर का खण्डन इस आधार पर किया जा सकेगा कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है।
- Q. एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे किसी अपराध के लिए पूर्व दोषसिद्ध किया गया था। वह मना करता है। उसके पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जाता है। वह ग्राह्य होगा या नहीं।
- A. ग्राह्य होगा। (धारा 153 का अपवाद-1)।

पक्षद्रोही साक्षी (Hostile Witness) :

धारा 154

जब कोई साक्षी उसी पक्षकार के विरुद्ध बातें करने लगे जिसने उसे बुलाया है, तो ऐसे साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी कहते हैं। धारा 154 कहती है कि न्यायालय किसी पक्षकार को अपने ही साक्षी से ऐसे प्रश्न की अनुज्ञा दे सकता है जो प्रति-परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धारा 154 के अनुसार,

“न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न, करने की अपनी विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये जा सकते हैं।

भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा धारा 154 के उपर्युक्त मूल प्रावधान को उपधारा (1) के अन्तर्गत करते हुए एक नयी उपधारा (2) जोड़कर यह उपबन्ध किया गया है कि इस धारा की कोई भी बात उपधारा (1) के अन्तर्गत साक्ष्य देने के लिए

इस प्रकार अनुमति दिए गए हुए ऐसे व्यक्ति (गवाह) के साक्ष्य के किसी भाग पर अविश्वास करने वाला नहीं समझा जायेगा।

धारा 155 के अन्तर्गत साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा सकता है, किन्तु साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा धारा 155 के उपधारा (4) को निरस्त कर दिया गया है जिसमें उपबन्ध था कि जबकी कोई मनुष्य बलात्संग या बलात्संग के प्रयत्न के लिए अभियोजित है, तब यह दर्शित किया जा सकता है कि अभियोक्त्री साधारणतः व्यभिचारिणी है। अतः अब ऐसा अधिक्षेप नहीं किया जा सकता है।

किन्तु प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की अनुमति से उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया है, निम्नलिखित प्रकार से अधिक्षेप किया जा सकता है—

- (i) कि अन्य व्यक्तियों के परिसाक्ष्य के द्वारा वे अब उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं?
- (ii) कि उसने रिश्तत ली या उसे दी गयी या उसे अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली।
- (iii) उसके पूर्ववर्ती साक्ष्यों का खण्डन करने के द्वारा।

इसी प्रकार सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न भी ग्राह्य होंगे (धारा 156) और उसी तथ्य के बारे में पश्चात्पूर्वी अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन भी साबित किए जा सकते हैं (धारा 157)।

ऐसे व्यक्ति के कथन की सम्पुष्टि जो अब नहीं मिल सकता, धारा 158 के अन्तर्गत आते हैं। स्मृति ताजी करने के बारे में धारा

159-161 में दिया गया है। धारा 162 के अन्तर्गत दस्तावेज पेश करने के बारे में दिया गया है।

न्यायालय की प्रश्न करने की शक्ति धारा 165 के अन्तर्गत आती है। धारा 166 द्वारा विवेकाधिकार जूरी और असेसर्स तक विस्तृत किया गया है, परन्तु भारत में जूरी द्वारा विचारण की प्रथा अब नहीं रह गयी है।

धारा 165 के अन्तर्गत न्यायालय की विस्तृत शक्ति दी गयी है, जिसमें न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या उनका उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहे पूछ सकेगा।

प्रश्नकोश

- Q.** साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत कोई पक्ष अपने साक्षी से प्रति परीक्षण कर सकता है?
- A.** धारा 154।
- Q.** पक्षाद्रोही साक्षी का क्या अर्थ है?
- A.** साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। (पंचम बनाम आर. 1930)।
- Q.** एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य कैसा होना चाहिए?
- A.** विश्वसनीय और अनिवार्यतः संपोषित।
- Q.** पक्षाद्रोही साक्षी किसे कहते हैं?
- A.** जब कोई साक्षी उसी पक्षकार के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे जिसने उसे बुलाया है तो ऐसे साक्षी को पक्षाद्रोही साक्षी कहते हैं।
- Q.** कोई पक्षकार अपने बुलाए गए साक्षी से प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को कब पूछ सकता है?
- A.** धारा 154 के अनुसार न्यायालय की अनुज्ञा मिल जाने पर।
- Q.** पक्षाद्रोही साक्षी के अर्थ का वर्णन उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किस वाद में मिलता है?
- A.** सत्यपाल बनाम दिल्ली प्रशासन, ए.आई.आर. 1976 सु.को. के वाद में। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि किसी साक्षी को पक्षाद्रोही घोषित करना अनिवार्य नहीं है और यह भी कहा कि जिरह की तरह प्रश्न पूछने की अनुज्ञा देना न्यायालय का विवेकाधिकार है।
- Q.** किस वाद में यह अभिकथन किया गया कि जब न्यायालय को यह लगे कि साक्षी पक्षाद्रोही हो गया है तब वह अभियोजन से कह सकता है कि अब उससे उस प्रकृति का प्रश्न पूछ सकता जैसा जिरह में पूछा जाता है।

- A.** जी.एस. बख्शी बनाम दिल्ली प्रशासन, 1979 सु.को. के वाद में।
- Q.** पक्षाद्रोही साक्षी के साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?
- A.** भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 1979 सु.को. के वाद के अनुसार यदि पक्षाद्रोही साक्षी से जिरह करने का मौका दिया गया है तो उसका साक्ष्य अग्राह्य नहीं होगा।
- Q.** प्रफुल्ल कुमार बनाम इम्परर 1931 के वाद में क्या स्पष्ट किया गया?
- A.** इस वाद में यह कहा गया कि किसी पक्षाद्रोही साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है यदि वह किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सम्पुष्ट हो।
- Q.** एक साक्षी जो न्यायालय के समक्ष मत प्रकट करता है कि दूसरा साक्षी विश्वसनीयता का अपात्र है। तो इसका कारण कब पूछा जा सकता है?
- A.** प्रति-परीक्षा में। (धारा 155, स्पष्टीकरण)।
- Q.** साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत किया जाता है?
- A.** धारा 155 के अन्तर्गत।
- Q.** 'ख' को बेचे गए और परिदान किए गए माल के मूल्य के लिए 'ख' पर 'क' वाद लाता है। 'ग' कहता है कि उसने 'ख' को माल का परिदान किया। 'क' यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य लाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसने कहा था कि उसने माल का परिदान 'ख' को नहीं किया था। क्या यह साक्ष्य ग्राह्य है?
- A.** धारा 155 के खण्ड तीन के आलोक में यह साक्ष्य ग्राह्य है।
- Q.** जब किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक हो तो किस धारा के अन्तर्गत उससे मुख्य घटना के अतिरिक्त, घटना के स्थान तथा समय पर अन्य परिस्थितियां जो उसने देखी हों, के बारे में भी पूछा जा सकेगा?

- A. धारा 156 के अन्तर्गत।
- Q. धारा 157 में कौन-सा सिद्धान्त बताया गया है?
- A. जब किसी साक्षी के कथन की सम्पुष्टि आवश्यक हो तो उसी विषय पर किए गए पहले के कथनों को सम्पुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
- Q. धारा 157 के सम्बन्ध में रामेश्वर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1952 सु.को. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?
- A. इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लड़की ने जो बात बलात्कार के चार घण्टे बाद अपनी मां से बताई, सम्पुष्टि के लिए मां से बताई गई बातों को उपयोग में लाने की अनुज्ञा दी।
- Q. किस वाद में एक विवाहित स्त्री का अपने पति को यह बताना कि उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि के लिए प्रयोग किया गया?
- A. शेख जाकिर बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. के वाद में।
- Q. अधिनियम की धारा 158 क्या उपबन्ध करती है?
- A. इस धारा के अनुसार जब किसी ऐसे व्यक्ति का कथन जो अब न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, धारा 32 या 33 के अन्तर्गत सुसंगत है तथा साबित किया गया है। जैसे मृत्युकालिक कथन, तो सभी ऐसे तथ्य जो उसका समर्थन या खण्डन करें साबित किये जा सकेंगे।
- Q. साक्षी को स्मृति ताजी करने का अधिकार किस प्रावधान के अन्तर्गत प्रदान किया गया है?
- A. धारा 159 में।
- Q. कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है, किसके द्वारा अपनी स्मृति ताजा कर सकता है?
- A. ऐसे लेख को देखकर जो प्रश्नगत संव्यवहार के समय उसने स्वयं बनाया हो और साक्षी द्वारा संव्यवहार के समय अथवा तत्काल उसके बाद उसे पढ़ा हो एवं सही होना जानता हो। (धारा 159)।
- Q. स्मृति ताजी करना किसे कहते हैं?
- A. जब किसी साक्षी की अपेक्षा हो रही हो, तो उसे अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए कोई भी ऐसा लिखत देखने का अवसर दिया जाता है तो उसने घटना के होने के साथ या लगभग उसी समय बनायी थी। साक्षियों को अपने पहले लेखबद्ध कथन देखने का अवसर दिया जाता है, इसी को ही स्मृति ताजी करना कहते हैं।
- Q. साक्षी अपनी स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकता है?
- A. जब कोई साक्षी दस्तावेज को देखकर अपनी स्मृति को ताजी करना चाहता है तो वह ऐसा न्यायालय की अनुज्ञा से ही कर सकता है। न्यायालय ऐसी अनुज्ञा तभी देगा जब कि उसका समाधान हो जाय कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण है।
- Q. विशेषज्ञ साक्षी अपनी स्मृति कैसे ताजी कर सकते हैं?
- A. ऐसे साक्षी सम्बन्धित विषय पर ग्रन्थों को देखकर अपनी स्मृति ताजी कर सकते हैं।
- Q. कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से लिखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा लिखे गये तथ्यों का परिसाक्ष्य कब दे सकेगा?
- A. अधिनियम की धारा 160 के अनुसार तब दे सकेगा जब वह जानता हो कि बहियां ठीक-ठीक रखी गयी थीं। यद्यपि वह प्रविष्ट किये गये विशेष संव्यवहारों को भूल गया हो।
- Q. अधिनियम की धारा 161 में प्रतिपक्षी को कौन-सा अधिकार प्राप्त है?
- A. इस धारा में जब कोई साक्षी धारा 159-160 में दस्तावेज को देखकर स्मृति ताजी करता है, तो प्रतिपक्षी उस दस्तावेज को देखने की मांग कर सकता है और साक्षी की उसके सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षा कर सकता है।
- Q. दस्तावेज पेश करने के बारे में धारा 162 में क्या उपबन्ध किया गया है?
- A. इस धारा के अनुसार जब किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित साक्षी यदि वह उसके कब्जे में और शक्त्याधीन हो, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी, जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में, हो उसे न्यायालय में लायेगा, ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा निश्चित की जायेगी।
- Q. अधिनियम की धारा 162 के अन्तर्गत साक्षी द्वारा पेश की गयी किस प्रकार के दस्तावेज का न्यायालय निरीक्षण नहीं कर सकेगा?
- A. ऐसे दस्तावेज का जो राज्य की बातों से सम्बन्धित हों।
- Q. अधिनियम की धारा 162 के अन्तर्गत न्यायालय दस्तावेज के अनुवादक को क्या निर्देश दे सकेगा?
- A. वह अनुवादक को निर्देश दे सकेगा कि वह दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को गुप्त रखें, जब तक कि उसे साक्ष्य में न दिया जाना हो।
- Q. अधिनियम की धारा 163 किस बात के बारे में है?
- A. यह धारा मंगाई गई और सूचना पर पेश की गयी दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिये जाने के बारे में है।
- Q. जबकि कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से इंकार करता है जिसे पेश करने की सूचना उसे मिल चुकी है। क्या उसका प्रयोग वह कर सकता है?

- A. केवल विरोधी पक्षकार या न्यायालय की अनुमति से अन्यथा नहीं। (धारा 164)।
- Q. न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी को क्या अधिकार प्राप्त है?
- A. केवल न्यायालय की अनुमति से ही प्रति-परीक्षा कर सकने का अधिकार है। (धारा 165)।
- Q. सूत्र “आमेनिया प्रेसमंटर राइट इज एक्टा” का क्या अर्थ है?
- A. सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना।
- Q. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ‘स्वयं प्रमाण’ सिद्धान्त पर कौन सा निदर्शक वाद है?
- A. स्काट बनाम लण्डन एण्ड कैरवीन डाक्स कं. 150, E, Re. 665।
- Q. अधिनियम की धारा 164 क्या उपबन्ध करती है?
- A. इस धारा के अनुसार जबकि कोई पक्षकार किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने से इंकार कर देता है, जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात् उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सहमति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा।
- Q. ‘ख’ पर किसी करार के आधार पर ‘क’ वाद लाता है और वह ‘ख’ को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में ‘क’ उस दस्तावेज की मांग करता है और ‘ख’ उसे पेश करने से इंकार करता है। ‘क’ उसकी अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। ‘क’ द्वारा दिये हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिये यह दर्शित करने के लिये कि वह करार स्टांपित नहीं है, ‘ख’ दस्तावेज को पेश करना चाहता है। अब क्या ‘ख’ ऐसा कर सकेगा?
- A. अब ‘ख’ वह दस्तावेज नहीं पेश कर सकता परन्तु धारा 164 के आलोक में ‘क’ की सहमति से या न्यायालय के आदेश से पेश कर सकता है।
- Q. अधिनियम की धारा 165 के अन्तर्गत न्यायालय किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है?
- A. इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय की प्रश्न पूछने की बड़ी विस्तृत शक्ति है, वह ऐसा प्रश्न किसी भी समय तथा किसी भी रूप में कर सकता है। प्रश्नों का विषय चाहे तथ्यों से सुसंगत हो चाहे तथ्यों से सुसंगत हो चाहे विसंगत। न्यायालय किसी दस्तावेज या तथ्य को सामने लाने का आदेश भी दे सकता है और किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसे आदेश के बारे में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती और न ही ऐसे उत्तर की प्रतिपरीक्षा ही की जा सकती है।
- Q. अधिनियम की धारा 165 के अन्तर्गत प्रश्न पूछने की शक्ति पर क्या निर्बन्धन लगाये गये हैं?
- A. धारा 165 के परन्तुकों में न्यायालय की प्रश्न पूछने की शक्ति पर दो निर्बन्धन लगाये गये हैं—
1. न्यायालय के निर्णय को उन्हीं तथ्यों के आधार पर होना चाहिए जो सुसंगत हैं तथा साबित हुए हैं।
 2. किसी भी साक्षी को कोई ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जायेगा कि यदि ऐसी बात प्रतिपक्षी ने की होती तो उसे धारा 121 से 131 तक के उपबन्धों के अन्तर्गत मना करने का अधिकार होता।
- Q. उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारा 165 के अन्तर्गत न्यायालय की शक्ति की व्याख्या की है?
- A. रामचन्द्र बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, 1981 सु.को. के वाद में।
- Q. अधिनियम की धारा 165 का क्या उद्देश्य है?
- A. स्टीफन महोदय के अनुसार धारा 165 का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि न्यायाधीश इस धारा के अधीन कार्य करके अपने सामने पेश किए गए मामलों की तह तक पहुँचने के लिए किसी तथ्य को देख सकें और उसके सत्यता की जांच कर सकें।

साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अन्तिम धारा 167 के अन्तर्गत उपबन्ध किया गया है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयंमेव किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चित के उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा, यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है, यह प्रतीत हो कि आक्षिप्त और ग्रहीत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था।

न्यायिक कार्यवाहियों में केवल वही साक्ष्य स्वीकृत होंगे जो सुसंगत साक्ष्य के अध्याय में ग्राह्य दिखाये गये हैं। यदि कोई पक्षकार साक्ष्य देना चाहता है तो वह साक्ष्य “सुसंगत” और “सबूत” में दिया गया है।

धारा 167 कहती है कि मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये। इसके अनुसार अवैध स्वीकृति या साक्ष्य के अपवर्जन के आधार पर, न तो मुकदमे का पुनः विचारण होगा और न निर्णयों को बदला जायेगा।

जिस न्यायालय के समक्ष वह आपत्ति उठाई जाए कि उस मुकदमे को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या यदि अपवर्णित साक्ष्य को स्वीकृत किया जाता और यह निर्णय न दिया जाता, तो केवल इस आधार पर न तो पुनः विचारण होगा और न ही निर्णय बदला जायेगा।

यह धारा सिविल तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों में

लागू होती है। अग्राह्य साक्ष्य की स्वीकृति कम खतरनाक होती है। अपेक्षाकृत ग्राह्य साक्ष्य की अस्वीकृति के, क्योंकि पूर्ववर्ती मामले में निर्णय के समय गलत ढंग से स्वीकृत किये गये साक्ष्य को विचार करने से अलग किया जा सकता है किन्तु पश्चात्पूर्वी मामले में गलत ढंग से अस्वीकार किया गया साक्ष्य आगे की कार्यवाही करने पर ही अभिलेख पर लाया जा सकता है।

प्रश्नकोश

- Q.** साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में उपबन्ध किया गया है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयंमेव किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा।
- A.** अधिनियम के धारा 167 में अध्याय 11।
- Q.** अधिनियम की धारा 167 किस बात का उपबन्ध करती है?
- A.** अधिनियम की धारा 167 के अनुसार—“किसी मामले में साक्ष्य को अनुचित रीति से ग्रहण करना अथवा साक्ष्य की अनुचित रीति से उपेक्षा करना निर्णय को पटलने अथवा नवीन विचारण करने का आधार नहीं बन सकेगा किन्तु न्यायालय को इस बात का सन्तोष होना चाहिए कि अनुचित रीति से ग्रहण किए गए साक्ष्य को यदि निर्णय से अलग कर दिया जाय अथवा उपेक्षित साक्ष्य को ग्रहण कर लिया जाय तो भी निर्णय की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आएगा।
- Q.** धारा 167 किन मामलों में लागू होती है?
- A.** यह धारा सिविल और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में लागू होती हैं।
- Q.** गंगाधर बनाम दिलावर का वाद किस धारा पर है?
- A.** धारा 167 पर है।
- Q.** यदि न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि किसी साक्ष्य के अनुचित ग्रहण से निर्णय की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है।
- A.** ऐसी स्थिति में न्यायालय नवीन विचारण के लिए या निर्णय को उलटे जाने का आदेश दे सकता है।
- Q.** धारा 167 के अनुसार निर्णय को कब नहीं छेड़ना चाहिए?
- A.** यदि अनुचित रूप से साक्ष्य के ग्रहण या अग्रहण के बावजूद भी निर्णय पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित था, या यदि ठुकराया हुआ साक्ष्य ग्रहण भी कर लिया गया होता, तो इसका निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में निर्णय को छेड़ना नहीं चाहिए।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत पूछे गए अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

- Q.** निम्नलिखित धाराओं एवं विषयों को सुमेलित कीजिए?
- A.** केवल उत्तर प्रारूप :
- | | |
|---|---|
| (i) तथ्य जो एक ही संव्यवहार का भाग है—धारा 6। | (vii) प्राथमिक साक्ष्य—धारा 62। |
| (ii) तथ्य जो विवाद्यक तथ्य का परिणाम है—धारा 7। | (viii) प्राइवेट दस्तावेज—धारा 75। |
| (iii) तथ्य जो विवाद्यक तथ्य की तैयारी दर्शाता है—धारा 8। | (ix) तथ्य जो सुसंगत तथ्य से असंगत है—धारा 11। |
| (iv) सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य—धारा 9। | (x) शरीर की किसी दशा को दर्शित करने वाला तथ्य—धारा 141। |
| (v) हेतु—धारा 8। | (xi) हस्तलेख विशेषज्ञ की राय—धारा 47। |
| (vi) निश्चायक सबूत—धारा 4। | (xii) दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा चरित्र—धारा 53। |
| | (xiii) दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य—धारा 22। |

- (xiv) मृत्युकालिक कथन—धारा 32।
- (xv) विशेषज्ञों की राय पर आधारित तथ्य—धारा 46।
- (xvi) अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय—धारा 47।
- (xvii) अधिकार व प्रथा के बारे में राय—धारा 48।
- (xviii) वैवाहिक सूचनाएँ—धारा 122।
- (xix) शासकीय संसूचनाएँ—धारा 124।
- (xx) वृत्तिक संसूचनाएँ—धारा 126।
- (xxi) विधिक सलाहकारों की गोपनीय संसूचनाएँ—धारा 129।
- (xxii) मौखिक साक्ष्य—धारा 60।
- (xxiii) सूचक प्रश्न—धारा 141।
- (xxiv) पक्षाद्रोही साक्षी—धारा 154।
- (xxv) स्मृति ताजा करना—धारा 159।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उद्देशिका के अनुसार, इसका उद्देश्य क्या है?
- A.** साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा एवं संशोधन करना।
- Q.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके समक्ष के कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है?
- A.** मध्यस्थ के।
- Q.** साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं?
- A.** (i) साक्ष्य को वाद विषय तक सीमित होना चाहिए।
(ii) सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए।
(iii) अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- Q.** आपराधिक मामलों में सबूत 'फालसस इन ऊनों, फालसस इन आमनी बस' को लागू नहीं किया जा सकता है, यह किस वाद में कहा गया है?
- A.** पंजाब राज्य बनाम अजायब सिंह।
- Q.** निम्नलिखित में कौन कथन सही है?
- A.** केवल उत्तर के रूप में सही कथन—
- (i) एक अभियुक्त, जिसे पुलिस के आने तक बांध कर रखा गया था, उसके द्वारा ऐसी दशा में रहते हुए की गयी संस्वीकृति सुसंगत होगी। (आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम गांगूला सत्यमूर्थी, 1997 SC 272 के निर्णय पर आधारित)।
- (ii) प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति होती है।
- (iii) स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चयाक सबूत नहीं है।
- (iv) स्वीकृतियाँ विबन्ध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है।
- (v) दाण्डिक मामलों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त अच्छे शील का है।
- (vi) बुरे शील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दोषसिद्धि सुसंगत है।
- (vii) जब पक्षकारों को विषय के सत्य का ज्ञान हो, विबन्ध नहीं हो सकता।
- (viii) किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा।
- (ix) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में सुसंगतता और ग्राह्यता न तो समानार्थी है न ही सहविस्तृत है।
- (x) उपहासाकन (केरीकेचर) एक दस्तावेज है।
- Q.** कथन (A) : कुछ मामलों में संस्वीकृतियों का सम्पोषण आवश्यक है।
- A.** कारण (R) : सभी मामलों में न्यायिकेतर संस्वीकृति का सम्पोषण होना चाहिए।
- Q.** कथन (A) : मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है।
- कारण (R) :** इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धान्त है।
- कूट :**
- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही व्याख्या है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) का सही व्याख्या नहीं है।
- (c) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।
- A.** (a)
- Q.** कथन (A) : इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के मौखिक स्वीकृति की अन्तर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है?
- कारण (R) :** इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृति होती है।
- कूट :**
- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही व्याख्या है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) का सही व्याख्या नहीं है।
- (c) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।
- A.** (d)

- Q.** निम्नलिखित वाद विषयों एवं निर्णीत वादों को सुमेलित कीजिए?
- A.** केवल उत्तर के रूप में सुमेलित—
- | | |
|--|---|
| (i) उत्प्रेरणा, धमकी, बचन द्वारा कारित संस्वीकृति—प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य। | (iii) अभियुक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट में संस्वीकृति—अघम् नगेशिया बनाम राज्य |
| (ii) कस्टम अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति—पंजाब राज्य बनाम बरकतराम | (iv) संस्वीकृतियाँ—कोट्या बनाम इम्परर—निशीकान्त झाँ बनाम बिहार राज्य |
| | (v) पुलिस हिरासत में दिए गए बयान के अनुसरण में तथ्य की खोज—बम्बई बनाम काशी कालू ओघद |
| | (vi) मृत्युकालिक कथन—राजस्थान राज्य बनाम पार्थू |
| | (vii) हितबद्ध साक्षी—भरगा बनाम मध्य प्रदेश राज्य। |

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 पर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय एवं निर्णयज विधियाँ

अबरार बनाम उ०प्र० राज्य, 2011 (72) ACC 245।

इस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 (1) के अन्तर्गत मृतक की तीन मृत्युकालिक कथन मात्र के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता, 1872 की धारा 302/34 के अन्तर्गत दोषसिद्धि की वैधता को उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्यीय पूर्वपीठ के समक्ष प्रश्नगत किया गया था।

इस मामले में 3 अप्रैल 1979 को गाजीपुर शहर के अधिवक्ता की गोली मार कर हत्या कर दिया गया था। चूँकि दो प्रत्यक्षदर्शी गवाह पक्षाद्रोही हो गए थे। अतः मृतक के तीन मृत्युकालिक कथनों, जो क्रमशः प्रथम सूचना रिपोर्ट में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अन्तर्गत पुलिस के समक्ष बयान में और अन्ततः तहसीलदार के समक्ष किए गए थे, के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से विचारण न्यायालय ने इंकार कर दिया और अपीलार्थी को बरी कर दिया किन्तु उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय देते हुए अपीलार्थी को मात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर ही दोषसिद्ध किया, किन्तु अन्य तीन अभियुक्तगण को बरी किए जाने के विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत् रखा। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायित्वक अपील प्रस्तुत किया।

यह अपील न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी, न्यायमूर्ति पी. सथाशिवम् और न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद के पूर्वपीठ के द्वारा सुना गया तथा विनिश्चित किया गया।

निर्णय : पूरी अभियोजन कहानी केवल मृत्युकालिक कथन पर ही आधारित है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी तीनों मृत्युकालिक कथन, जिनमें से प्रथम 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' का आधार संगठित करता है, द्वितीय सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया एक बयान है और तृतीय तहसीलदार के द्वारा लेखबद्ध किया गया है, में एक समान मत हैं क्योंकि उनमें सभी अभियुक्तगणों के नाम का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर तीन अभियुक्तों को सन्देह का लाभ दिया कि भले ही उनके पास हथियार थे, उन्होंने मृतक को उससे कोई चोट कारित नहीं किया था।

साक्ष्यों से स्पष्ट है कि घायल व्यक्ति अत्यधिक पीड़ा में था और यदि तीनों मृत्युकालिक कथनों में थोड़ी-बहुत भिन्नता भी थी, तो उसे एक सामान्य तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए था। मृत्युकालिक कथन तहसीलदार के द्वारा तब लिखा गया था जब सम्बन्धित डॉक्टर से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया था कि

पीड़ित व्यक्ति कथन करने के लिए सक्षम और ठीक मानसिक दशा में था। तहसीलदारा के कथन को साबित करने के लिए उक्त डॉक्टर को न्यायालय के कटघरे में भी बुलाया गया था। अतः हम इस संयुक्त राय में हैं कि मृत्युकालिक कथन में कोई त्रुटि नहीं था। विचारण न्यायालय का निर्णय गलत था। अपील में कोई गुणागुण नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया।

**अरुण भूयान बनाम आसाम राज्य,
(2011) 2, ACC 290 SH**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 की व्याख्या पर निर्णीत इस वाद में किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गयी संस्वीकृति की तथा उस पर की गयी दोषसिद्धि की वैधता का परीक्षण किया गया है।

अपीलार्थी, जो उत्फा (एक प्रतिबिम्बित संगठन) का सदस्य था, जो 'टाडा' न्यायालय के द्वारा एक पुलिस अधिकारी (S.P.) के समक्ष की गयी उसकी संस्वीकृति के आधार पर उसे दोषसिद्ध किया था क्योंकि 'टाडा' अर्थात् आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 15 के अन्तर्गत ऐसी संस्वीकृति मान्य था। दोषसिद्धि को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया गया; जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय और प्रेक्षण दिया—

(1) संस्वीकृति एक निर्बल प्रकृति का साक्ष्य है। भारत में पुलिस के द्वारा कथित अभियुक्त से संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से उग्रतापूर्ण रूप में प्रताड़ना के तरीकों को अपनाया जाता है। अतः न्यायालयों को कथित अभियुक्तों द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए संस्वीकृति के कथनों को स्वीकार किए जाने में अत्यधिक सर्तकता बरतनी चाहिए।

(2) प्रताड़ना एक अत्यधिक भयावह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध को स्वीकार कर लेता है। अतः जहां अभियोजन वाद मुख्यतः पुलिस के समक्ष किए गए संस्वीकृति कथन पर निर्भर करता है, किसी अन्य सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में न्यायालयों को इस प्रका के न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि प्रदान करना सुरक्षित नहीं होगा।

(3) वर्तमान मामले में अभियोजन का मामला मुख्यतः अपीलार्थी के द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष किए गए कथित

संस्वीकृति के आधार पर आधारित है तथा उसके लिए किसी सम्पुष्टिकारक साक्ष्य का अभाव है। अतः उक्त कथन के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए दण्डादेश का कार्यान्वयन सम्भव नहीं है।

(4) अपीलार्थी केवल एक प्रतिबन्धित संगठन का सदस्य मात्र है, न कि सक्रीय सदस्य। टाडा कानून की धारा 3 (5), का अर्थान्वयन शब्दशः रूप में करते हुए अपीलार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता है, जो केवल प्रतिबन्धित संगठन की सदस्यता को प्रतिबन्धित करता है। यदि इसका शब्दशः अर्थान्वयन किया जाता है तो इससे संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 का उल्लंघन होगा। अतः किसी प्रतिबन्धित संगठन की सदस्यता मात्र पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह हिंसा का अवलम्ब नहीं लेता अथवा व्यक्तियों को हिंसा के लिए उत्प्रेरित नहीं करता है अथवा हिंसा अथवा हिंसक उत्तेजना द्वारा लोक अव्यवस्था को व्याप्त नहीं करता। अतः इस दृष्टि से भी अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अपील स्वीकार किया जाता है।

**सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य
(2010 AIR 2010, SC 1974)**

अपनी तरह के सबसे पहले इस वाद में साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपनाए जा रहे नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों अर्थात् नार्को परीक्षण, पालिग्रॉफ परीक्षण तथा वीप परीक्षण की वैधता तथा संविधानिता का परीक्षण उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के द्वारा किया गया।

अनेक विधियों, संविधान एवं प्रक्रिया विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के अनेक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य विधि से सम्बन्धित निम्नलिखित अवधारणा किया—

(1) जब उपर्युक्त परीक्षण किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे बाध्य करके किया जाता है तो वह उस व्यक्ति की संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अधीन आत्म अभिर्शंसन के विरुद्ध अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का उल्लंघन करता है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 (2) के अन्तर्गत व्यक्ति के चुप रहने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

(2) शपथ पर साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाना विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है।

(3) जब कभी नार्को परीक्षण अर्थात् किसी व्यक्ति के शरीर में सोडियम पैथाल जैसे ड्रग्स को प्रविष्ट कराकर उसे कुछ कहने के लिए बाध्य किया जाना जबकि वह अपने शाब्दिक प्रतिक्रिया पर से नियन्त्रण खो देता है, अथवा पॉलीग्राफ परीक्षण अर्थात् शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे रक्तदाब, श्वसन प्रवाह, नाड़ी की गति, गालवेनिक स्कन रेसिसस्टेंस आदि में परिवर्तन के आधार पर निष्कर्ष निकालना (लाई-डिक्टेटर टेस्ट) अथवा बीप परीक्षण अर्थात् ब्रेन इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन प्रोफाइल परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क का परीक्षण किया जाता है तब वह व्यक्ति प्रश्नों को समझने व उनका उत्तर देने में न केवल अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं रहता है बल्कि अपनी मानसिक एकान्तता पर भी अपना अधिकार खो देता है। सूचनाओं का इस प्रकार प्रकटन क्रूर, अमानवीय तथा किसी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है। अतः इस प्रक्रिया में प्राप्त सूचना को साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऐसा साक्ष्य तब प्राप्त किया गया होता है जब व्यक्ति अपने आप पर विवेकपूर्ण नियन्त्रण नहीं रखता है।

(4) मौखिक साक्ष्य का अनिवार्य निष्कर्ष अनुच्छेद 20 (3) और धारा 161 (2) के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध है, किन्तु तात्त्विक या का भौतिक साक्ष्य का निष्कर्षण तभी अनुमति योग्य है जब उसका उपयोग पहचान के लिए या अन्वेषणकर्ता के कब्जे में पहले से ही विद्यमान किसी साक्ष्य की तुलना में किया जाता है। ऐसे प्राप्त साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत साबित किया जा सकता है।

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24, 25 और 26 में “किसी विषैले वृक्ष के फल को अपवर्जित कर देने” के सिद्धान्त को समाविष्ट किया गया है।

(6) नार्को परीक्षण तकनीक और बीप परीक्षण को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा वर्ष 2000 में नियत किए गए दिशा-निर्देशों, जो पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए निर्धारित किए गए थे, के अनुरूप अपनाया जा सकता है। अन्य मामलों में इनकी वैधता इस वाद में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा।

(7) वर्तमान मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और उपर्युक्त बहस के विचार में निर्देशित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बलात् किसी भी उपर्युक्त परीक्षण तकनीक के अधीन नहीं होगा न ही दाण्डिक मामलों के अन्वेषण में या अन्यथा। ऐसा किया जाना व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में अवांछित हस्तक्षेप माना जायेगा। फिर भी कुछ निश्चित सुरक्षा मानकों के अधीन इन परीक्षणों की अनुमति होगी।

1 भारतीय जीवन बीमा निगम और एक अन्य बनाम रामपाल सिंह बिशन (2010) 45 (CC 491)।

किसी दस्तावेज, जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, का अन्तर्वस्तु सबूत नहीं होता है।

प्रतिरक्षा को साबित करने में विफलता वादी को सबूत के भार से मुक्त नहीं देता है अथवा इन परिस्थितियों में कोई प्रतिकूल अवधारणा नहीं किया जा सकता है और न ही इसे स्वीकृति माना जा सकता है।

1 तुकाराम ए. दिघौले बनाम मानिक राव शिवाजी, AIR 2010 SC

चुनाव आयोग के द्वारा प्रमाणित प्रति कोई दस्तावेज लोक दस्तावेज है। भाषण का टेप किया हुआ कैसेट सुसंगत नहीं होगा यदि उसकी स्रोत एवं रिकार्डिंग का तरीका स्पष्ट न हो।

1 मनमोहन सिंह बनाम रजनी कान्त, AIR, 2010, SC 2933

लिव-इन-रिलेशनशिप-साथ-साथ रहने का रिश्ता विवाह की उपधारणा पैदा करता है यदि साथ-साथ रहने वाला रिश्ता काफी समय के लिए चल चुका है।

1 मांडवी कोऑपरेटिव बैंक लि. बनाम निमेश वी ठाकोर, AIR, 2010, SC 1402

साक्ष्य देने वाले व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा केवल उन्हीं तथ्यों को लेकर की जा सकती है, जिसके बारे में उसने शपथ पत्र में बयान दिया है। यह आवश्यक नहीं है कि वह मूल परीक्षा में बयान दे क्योंकि शपथपत्र स्वयं ही मूल परीक्षा के बराबर होता है।

1 कान्यार बनाम तमिलनाडु राज्य, AIR, 2010, SC 1402

मूल परीक्षा को पुनः परीक्षा के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता है।

किसी ऐसे तथ्य की बात नहीं की जा सकती जो प्रति-परीक्षा से कोई सम्बन्ध न रखता हो।

1 जीपाश्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य, AIR, 2010 SC 2914

पक्षाद्रोही साक्षी के परिसाक्ष्य को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाना आवश्यक नहीं।

1 रिसेश तिवारी बनाम उ.प्र. राज्य, AIR, 2010 SC 3283

यदि धारा 165 के अन्तर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है तो वह व्यक्ति न्यायालय को यह नहीं कह सकता है कि पूछा गया प्रश्न सुसंगत नहीं है।

1 शम्भूनाथ बनाम आसाम राज्य, AIR, 2010 SC, 3300

किसी व्यक्ति की फोटो स्वयं ही उस तथ्य को साबित करता है जो उस चित्र में दिखाई पड़ता है। इसके लिए किसी अन्य तथ्य का सहारा नहीं लेना पड़ता है। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य का एक दृष्टान्त है।

1 विट्ठल एकनाथ अबिलिंगा बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR, 2009 SC 2067

परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय जब परिस्थितियों से दो प्रकार के सुझाव मिलते हों तब वह सुझाव स्वीकार किया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में है।

सिद्धार्थ वशिष्ठ बनाम एन.सी.टी. दिल्ली राज्य, AIR 2010 SC 352

अनेक अभियुक्त होने पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन किए जाते समय उन सबके बीच में टेलीफोन पर सम्पन्न हुई बातें साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।

1 मुल्ला बनाम उ.प्र. राज्य, 2010, AIR, SC 942

शिनाख्त कार्यवाही नहीं करने से, न्यायालय में की गयी शिनाख्त बेकार नहीं हो जाता है, बल्कि इसे केवल सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु मात्र इसी के आधारपर दोषसिद्धि नहीं किया जा सकता है।

1 मुसीर खान बनाम उ.प्र. राज्य, AIR 2010 SC 762

अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ की राय तात्विक साक्ष्य नहीं होती है। इसकी सम्पुष्टि आवश्यक है। मृतक की कार, जिसमें उसकी मृत्यु हुई

थी, के हैंडिल को छूने मात्र से, यह अभियुक्त की अंगुली छाप के आधार मात्र पर उसे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

1 रमीश्वर मांझी बनाम झारखण्ड राज्य, 2009 AIR, SC 1262

प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर केवल इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता कि क्योंकि वह वे मृतक के रिश्तेदार अथवा हितबद्ध साक्षी थे।

1 कलावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR, 2009 SC 1932

जब कोई मृत्युकालिक कथन सत्य और स्वैच्छिक पाया जाय तब बिना किसी सम्पुष्टि के ही उसके आधार पर दोषसिद्धि किया जा सकता है।

1 समीधर बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य, AIR 2009, SC 2195

एक ही विषय-वस्तु पर दाण्डिक तथा सिविल कार्यवाहियों समकालिक हो सकती हैं।

1 सेहराम दयाल बनाम लक्ष्मी प्रसाद, AIR 2009 S.C. 2463

किसी दाण्डिक न्यायालय का निर्णय किसी सिविल वाद में ग्राह्य नहीं होता है, परन्तु यदि आपराधिक कार्यवाही में कोई पक्षकार ने संस्वीकृति की है, तो उसका साक्ष्य सिविल वाद में दिया जा सकता है, यदि वह अन्यथा सुसंगत है।

1 भरपूर सिंह बनाम शमशेर सिंह AIR, 2009 SC 1766

जब किसी वसीयत की परिस्थितियां सन्देहजनक हो तब वसीयत का सहारा लेने वाले व्यक्ति को ही युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के द्वारा सन्देह को दूर करना होगा।

1 श्याम लाल बनाम संजीव कुमार, AIR, 2009, SC 3115

स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र धारा 74 के अर्थों में एक लोक दस्तावेज है और बिना किसी सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य होता है।

1 पूनम चन्द्रैया बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 2008, AIR, SC 3209

यह माना जायेगा कि किसी सम्बन्धी के द्वारा वास्तविक अपराधी को छिपाया नहीं जायेगा और न ही किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जायेगा।

1 चाको बनाम केरल राज्य, AIR 2004 SC 2688

मात्र एक गवाह के गवाही पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि वह विश्वसनीय है।

1 चौधरी रामजी भाई नरसंघ भाई बनाम गुजरात राज्य AIR, 2004, SC 312

धारा 145 तभी आकर्षित होता है जब एक ही व्यक्ति के दो परस्पर विरोधी बयान देता है।

साक्ष्य विधि का यह सारभूत सिद्धान्त है कि केवल सर्वोत्तम साक्ष्य ही न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए। न्यायालय का भी यह कर्तव्य है कि केवल ऐसे ही साक्ष्य स्वीकार किए जाएँ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 60, 64, 91 इसी सिद्धान्त की प्रतिपादना करते हैं।

1 राज्य बनाम नरसिम्हाचारी, (2005) 85 SCC 364

किसी लोक सेवक (अधिकारी) के अभियोजन के लिए अनुमति का आदेश एक लोक दस्तावेज माना जायेगा।

1 सर्वानन्द सोनोवाल बनाम भारत संघ, AIR, 2005, SC 2920

जब यह प्रश्न हो कि कोई व्यक्ति विदेशी है या भारतीय तो उसे ही यह बात साबित करनी होगी, क्योंकि उसे ही इस विषय पर सबसे अच्छा ज्ञान हो सकता है (धारा 106)।

1 मुंशी सिंह गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR, 2005 SC 402

अभिरक्षा में मृत्यु को साबित करने के लिए युक्तियुक्त सन्देह से परे सबूत का सिद्धान्त लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पुलिस अधिकारी इसी बात का फायदा उठाते हैं कि उनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य तो होगा नहीं।

1 बनारसी दास बनाम (2005) 4SCC 449

धर्मजत्व सम्बन्धी उपधारणा और विधिक स्थिति को डी.एन.ए. टेस्ट परीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर पलटा नहीं जा सकता है। पति-पत्नी के बीच पहुँच साबित किया जाना आवश्यक है।

1 सीमा बनाम अश्विनी कुमार (2006) 25 CC 578

जिस व्यक्ति का विवाह पंजीकृत नहीं है उसे इस उपधारणा (धारा 114) का लाभ उस सीमा तक नहीं मिल पाएगा जो पंजीकृत विवाह को मिल सकता है। (वाद विवाहों के पंजीकरण से सम्बन्धित है)।

1 कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य, AIR 2002, SC 3211

आंग्ल विधि का यह सिद्धान्त कि किसी व्यक्ति की एक नुक्ते पर मिथ्या गवाही होने पर उसके कुल गवाही को मिथ्या मान लिया जायेगा (Falses in uno falses in omnibus), भारत में लागू नहीं होता है।

1 शत्रु चारला विजया राम राजू बनाम निमाका जया रामू, (2006) 15 CC

स्वयं अपने बारे में यह घोषित करना कि वह एक विशेष जाति का है, ऐसा भूतपूर्व कथन है, जो कथनकर्ता के हित के विरुद्ध है, यह कथन एक सर्वोत्तम साक्ष्य माना जायेगा।

1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम नवजोत सिंह सन्धु, AIR 2005 - SC 1965

संस्वीकृतियों को बहुत ऊँचे दर्जे की विश्वसनीयता प्रदान की जाती है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति अपने विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं करेगा जब तक कि उसकी अन्तरात्मा उसको सत्य बताने के लिए विवश न करे।

1 जयेन्द्र सरस्वती स्वामीगल बनाम तमिलनाडु राज्य, (2005) 25 CC 13

यदि टेलीफोन वार्ता के बारे में मृत्यु कारण के बारे में या संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता है तो कथन धारा 32 (1) को आच्छादित नहीं करेगा।

1 पंजाब राज्य बनाम मोहिन्दर सिंह, AIR 2005, SC 1868

जन्म तिथि सम्बन्धी कथन के विषय में स्कूल का रिकार्ड्स का प्रामाणिक महत्त्व जन्म कुण्डली से अधिक माना जाता है।

1 जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य, (2006) 35 CC 374